खण्ड-405, अंक-9
बृहस्पतिवार, 3 वैशाख, शक संवत् 1914
(23 अप्रैल, 1992 ई0)

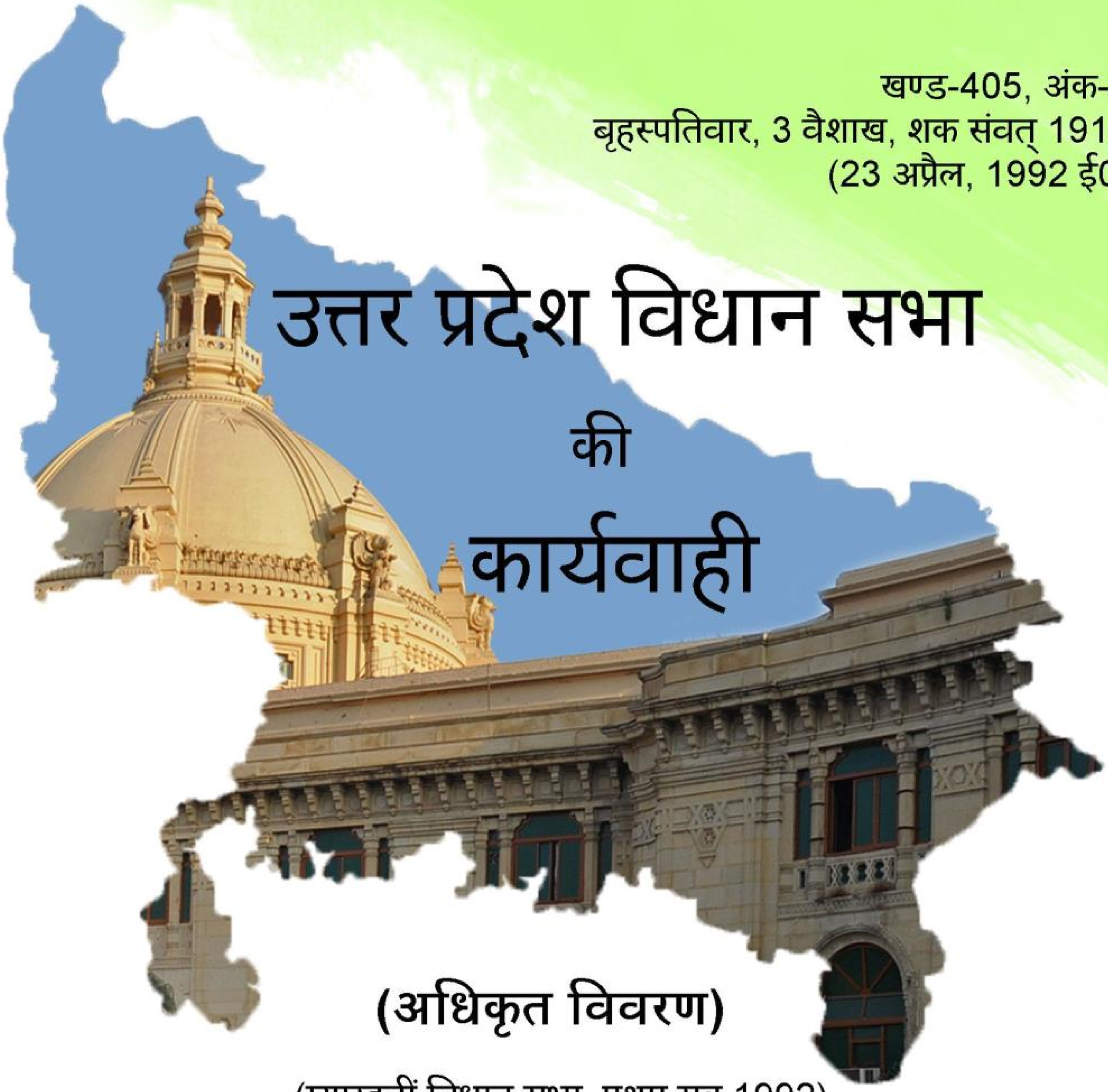

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 की सूचनाएं लिये जाने की मांग ..	1
प्रश्नोत्तर	1-107
डा० अम्बेदकर मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा ध्यान न देने तथा मार्ग में गन्दगी होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	107-108
स्वतन्त्र' चेतना के सम्पादक की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	108
विधायकों द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	108-109
प्रक्रिया संबंधी निदेश में मुद्रण की त्रुटि की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना	109
नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने पर आपत्ति ..	109
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	109-110
जनपद देहरादून में रायपुर विकास खण्ड के ग्राम थानों में 33 के० वी० विद्युत सब-स्टेशन संचालित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बारायवर के ग्राम असावर एवं बेहमा में जवाहर रोजगार योजना में धन दुरुपयोग करने के संबध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110-111
कानपुर रोड (लखनऊ) के आशुतोष नगर में नालियों तथा टूटी सड़कों की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
जनपद बहराइच के भिनगा क्षेत्र के गांवों में हुए अग्निकाण्डों से पीड़ितों को सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	111
जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद बांदा की अनुसूचित जातियों की बस्ती में विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112
इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद तथा प्रतापपुर ग्रामों में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113

विषय	पृष्ठ-संख्या

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न-(जारी) 113

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं 113

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 114

जनपद मऊ की किसान सहकारी चीनी मिल घोसी के बन्द हो जाने से किसानों की असुविधा के संबंध में औचित्य का प्रश्न 114-115

श्री राजपाल त्यागी के भाई की हत्या के प्रकरण पर बातचीत के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 115-116

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार से मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने पर आपत्ति के संबंध में औचित्य का प्रश्न 116-128

वर्तमान सत्र 1992 के पहले और सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-187 व 129 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. 128-129

जनपद शाहजहांपुर के थाना कोट के श्री संतोषकुमार एवं प्रेम नारायण को संरक्षण प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 129

जनपद आजमगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 129-130

प्रथम सत्र 1992 के सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-52 के अन्तरिम उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 130

दिनांक 21 अप्रैल, 1992 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न 131

श्री जागेश्वर प्रसाद, स० वि० स० द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में आवंटित भूमि पर शक्तिशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना 131-132

श्री भगवन्त प्रसाद, स० वि० स० के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न 132

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 .....(पुरः स्थापित) 132

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें 132-156

विषय	पृष्ठ-संख्या

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 - - - - - - (स्वीकृत) .. 156-167

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान सख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)- - - - स्वीकृत ... 167-229

जनपद देवरिया में गन्ना खेतों में सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा मा० सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित 229

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 229

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 में श्री गामाराम शास्त्री सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य ... 230

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज में अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के लोगों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मा० मुख्य मंत्री का वक्तव्य 230-231

विधान सभा में दिनांक 2-4-92 को श्री दिनेश चन्द्र, स० वि० स० द्वारा जनपद इलाहाबाद के चायल एवं द्वावा क्षेत्र में पेयजल समस्या के संबंध में प्रस्तुत नियम 51 की सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ... 231-232

दिनांक 31 मार्च, 1992 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सख्या-1 नत्थी (क) के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन 233

नत्थियां 234-249

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

सुधान सुधार प्रदेश प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 23 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:–

अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पृथ्वी सिंह, श्री	हरिद्वार
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	प्रमोद कुमार, श्री	पीलीभीत
अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर	प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी	बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	बी० आर० वर्मा, श्री	आजमगढ़
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बाल चन्द्र मित्र, श्री	कानपुर नगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर	भरत सिंह, श्री	बलिया
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	मदन भैया, श्री	मेरठ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
किशोरी लाल यादव, श्री	जौनपुर	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई	राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा	राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	राजेन्द्र श्री,	बिजनौर
ज्ञानचन्द्र, श्री	उत्तर काशी	राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर	राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विश्वनाथ, श्री	देवरिया	सुरेन्द्र शुक्ला, श्री	देवरिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
श्री निवास, श्री	देवरिया	हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
समीउल्ला, श्री	गोण्डा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुखदेव, श्री	आजमगढ़	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक, 23 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

नियम 311 की सूचनाएं लिये जाने की मांग

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, चौक एरिया में इस प्रकार के निर्देश पर एक हजार झोपड़ियां जलवा दी गई हैं और शासन का कोई भी मंत्री वहां नहीं गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें नियम 311 की सूचना प्राप्त हुई थी जिसे मैंने नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है इसलिये इसी प्रक्रिया के अनुसार इसका निस्तारण होगा । नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले में नियम 311 में मैंने भी सूचना दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है । इसलिये नियम 56 जब आयेगा तो सुना जायेगा और मैं जब यहां से उठूं तो आप मेरे कक्ष में आकर बात कर लें ।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

(व्यवधान) राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद मामले पर जवाब न देने से.....(व्यवधान)

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हम कोई चीज छिपाना नहीं चाहते हैं । मुख्य मंत्री जी ने सदन से बाहर कोई चीज कही है तो उसको मैं सदन के भीतर भी कहूंगा लेकिन समय और अवसर आने दें तब कहूंगा ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

भारत सरकार के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने पर विचार

*1–श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अवध पाल सिंह यादव, श्री लाल चन्द्र, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री ओम प्रकाश दिवाकर तथा श्री बाबू राम यादव–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 1-1-1992 से रुपया 3,500 तक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 72 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों

को 72 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने की घोषणा की जायेगी तथा उक्त के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

भारत सरकार ने रु० 3,500 तक मूल वेतन वाले अपने कर्मचारियों को दिनांक 1-1-92 से 71 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने के आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 1992 को प्रसारित किये हैं। राज्य कर्मचारियों को भी उक्त दर से महंगाई भत्ता देने के बारे में विचार किया जायेगा।

यथाशीघ्र इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संबंध में इस विषय पर मैं तीन प्रश्न करना चाहता हूं। पहला यह है कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संबंध में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की भांति दिये जाने वाली डी० ए० की दरें जो व्यवहारिक हैं उनको जिस तिथि से भारत सरकार अपने कर्मचारियो को देगी उसी तिथि से यह सरकार भी देगी ? दूसरा सवाल यह है कि जिस तिथि से भारत सरकार इसकी घोषणा करती हैं उसके ठीक चार महीने बाद राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है, 1 जनवरी से अब अप्रैल होने जा रहा है, तो चार महीने की अवधि बीत रही है, कर्मचारी लिमिटेड वेतन पाते हैं और वह अपना खर्चा चलाने के लिये कर्ज भी लेते हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस दिन से केन्द्र सरकार इसकी घोषणा करती है उसी के अनुसार एक सप्ताह के अन्दर वह डी० ए० की किश्त जारी करने की नीति विषयक घोषणा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कई सवाल एक साथ पूछ लिये हैं लेकिन मैं एक साथ ही इनका उत्तर देना चाहता हूं। मान्यवर, इस बात की जानकारी सदन को है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा वेतन और भत्तों के बारे में फैसला हुआ है कि जिस तरह से महंगाई का सूचकांक बढ़ता है केन्द्र सरकार डी० ए० घोषित करती है और उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर देते हैं। वर्ष में दो बार यह घोषणा की जाती है। एक जनवरी से और एक जुलाई से। अब केन्द्र सरकार ने 1-1-92 से 71 प्रतिशत की घोषणा की है। हम भी उसी हिसाब से यहां करने जा रहे हैं और 1-1-92 से ही वह देय होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरा सवाल स्पष्ट है कि वह देय तो हो गया। चार-पांच महीने में मिलेगा लेकिन भारत सरकार जिस तिथि से जारी करती है। उत्तर प्रदेश सरकार उसी के एक सप्ताह के अन्दर घोषित कर दे। महंगाई से चार-पांच महीने तक तो कर्मचारी पीड़ित हो जाता है। कोई ऐसी व्यवस्था करें कि एक सप्ताह के अन्दर उसकी घोषणा करके राज्य सरकार द्वारा उसी तिथि से कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपका तात्पर्य किसी अंतरिम घोषणा से है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अंतरिम घोषणा से क्या सवाल है। लेकिन जिस तारीख को केन्द्र सरकार द्वारा घोषणा हुई है तब ही तो पता चलेगा और उसके हिसाब से कैल्कुलेशन करने में समय लगेगा। एक सप्ताह के अन्दर कैसे कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, अंतरिम भत्ता केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह से बढ़ाया जाता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी देती है। यह नियमों के तौर पर, वसूलों के तौर पर जैसा माना गया है कि प्रदेश सरकार राहत देती है। महंगाई के खिलाफ राहत देती है अपने कर्मचारियों को। राहत का मतलब यह होगा कि बीमार है तो तुरन्त दवा की जरूरत है। बिना दवा के तो बीमारी चली नही जायेगी। आदमी मर सकता है। मरने के बाद दवा का क्या काम। उसी तरह से मान्यवर, पैसा दे रहे हैं। घोषणा कर दी जा रही है और पैसा कितने दिनों के अन्दर कर्मचारियों को देने जा रहे हैं। आज घोषणा की है, 3-4 महीने के बाद लागू कर पैसा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा तब तक एक महंगाई भत्ता और डिक्लेयर हो जाता है। इस तरह से वाजिब है आपके ऊपर दो-दो महंगाई भत्ते देय हैं जो कर्मचारियों को देने हैं। मान्यवर, यह राहत होती है। राहत मानते हुए एक सप्ताह के अन्दर पैसा दिये जाने की व्यवस्था करा दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय आजम खां जी का सुझाव मूल्यवान है। लेकिन सम्प्रति इस सरकार ने उन्हीं परिपाटियों का अनुसरण करने का फैसला किया है जो इन्होंने दी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अगर हमने कोई गलती की है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वही दोहराई जायं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी यह नहीं कह रहे हैं कि आपने कोई गलती की है। आपने जो परिपाटी डाली है, उसी के अनुसरण की बात कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

पर मान्यवर, हम चाहते हैं कि आप कुछ सुधार करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह तो नीतिगत मामला है कि जब भारत सरकार ने महंगाई भत्ते की घोषणा की तो उत्तर प्रदेश सरकार को तत्समय घोषणा करनी चाहिए थी। हम सात–आठ विधायकों, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री मोहम्मद आजम खां, श्री बाबू राम यादव जी ने 27 फरवरी, 1992 को प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया और इस आदरणीय सदन में भी यह मामला आ गया। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि यह घोषणा किस तिथि तक हो जायेगी और उसका भुगतान निश्चित रूप से किस तिथि तक होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

बहुत जल्दी लागू करेंगे और लागू करते ही तुरन्त भुगतान कर देंगे।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं पुनः यह प्रश्न पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री समय को निश्चित कर दें कि कब तक महंगाई भत्ता प्रदान किया जायगा।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बहुत शीघ्र कह दिया है वैसे यथाशीघ्र होता है।

(हंसी)

श्री बाबूराम यादव–

इनकी आदत बहुत शीघ्र कहने की है, लेकिन शीघ्र नहीं होता है तो आप तिथि बता दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कई लाख कर्मचारियों का सवाल है यह इतना महत्वपूर्ण विषय है इस विषय पर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अन्तर्गत घोषणा करने में दिक्कत है। छः सात महीने लेट हो जायगा जैसा कि आजम खां जी ने कहा, मर्ज की दवा की आज जरूरत है और देंगे छः महीने बाद।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा के सत्र का जब अन्तिम दिन होगा तब तक अगर घोषणा नहीं होती है तो शून्य प्रहर में आप इसको उठा लीजिएगा मैं अनुमति दे दूंगा।

विकलांगों को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति तथा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

**2- श्री राम कुमार शुक्ल (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकलांग लोगों के लिये विकलांगता पेंशन के अतिरिक्त अन्य कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जो पूर्ण रूप से विकलांग है उनके पुनर्वास हेतु क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–

जी हां।

1–अनुसूचित जाति के छात्रों की तरह विकलांग छात्रों एवं विकलांग अभिभावक के बच्चों को शिक्षा की प्रतिपूर्ति योजना।

2–हाईस्कूल एवं इण्टर की अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त विकलांग छात्रों को प्रोत्साहन पुरस्कार योजना।

3–कक्षा 1–8 तक के विकलांग छात्रों एवं विकलांग अभिभावकों के बच्चों की छात्रवृत्ति योजना।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद शाहजहांपुर, तहसील-जलालाबाद के ग्राम-रुस्तमपुर चक में भूमिहीनों को ग्रीन कार्ड (नशबन्दी) व 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय पट्टा न दिया जाना

*1-श्री राम खिलाड़ी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रीन कार्ड (नशबन्दी) व 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को आवासीय तथा खेती करने हेतु पट्टे करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर चक के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को उक्त नीति के अनुसार मार्च, 1989 में आवास हेतु पट्टे किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन पट्टों को आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली ने दिनांक 22-11-91 को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि ग्रीन कार्ड (नशबन्दी) धारकों को कृषि भूमि व आवास स्थल आवंटित करने में कोई वरीयता दी जाय ।

चूंकि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है । अतः उक्त नीति के अनुसार पट्टे देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम खिलाड़ी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं नसबन्दी कार्ड धारकों को भूमि आवास आवंटित करने का अधिकार नहीं है ? क्या आयुक्त मंडल को अनुसूचित जाति के लोंगों के पट्टों को निरस्त करने का अधिकार है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आवासीय भूमि आवंटन के लिये उत्तर प्रदेश के जमींदारी विनाश अधिनियम को देखें । इसमें 122-सी के अन्तर्गत प्राविधान है इसके सब क्लाज-3 में आवंटन के बारे में दिया गया है आवंटन अगर गलत पाया जाता है तो कलेक्टर को अधिकार है कि उससे जो प्रभावित हुए हैं, उससे अगर किसी को हानि हुई है, तो वह पट्टे के निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में इस बात की जानकारी है कि हरिजनों और अनुसूचित जाति के लोगों को नसबन्दी कराने के बाद उनको पट्टे दिए जाते हैं । उनको पट्टे देने का प्राविधान किया गया है । माननीय मंत्री जी क्या बताने का कष्ट करेंगे कि पूरे प्रदेश मे जितने हरिजनों ने और अनुसूचित जाति के लोगों ने नसबन्दी कराई उनको कहां-कहां पट्टे दिए गये हैं ? मान्यवर, पिछले कई सालों से उन लोगों को पट्टे नहीं दिए गये हैं तो जिन्होंने पट्टे नहीं दिए हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पूरे प्रदेश के हरिजन लोगों ने इस बात के लिये प्रार्थना पत्र दिया है कि पट्टे लोगों को नहीं दिए गये हैं । यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न है ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, अगर सूचना दी जाए तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अगर आपको यह सूचना दी जाय कि ग्रीन कार्ड धारकों ने प्रार्थना-पत्र दिया है और उनको भूमि आवंटित नहीं की गई है तो क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जहां तक वरीयताक्रम की बात है तो नसबन्दी जिन लोगों ने कराई है वह वरीयता क्रम में नहीं आते हैं जो नियमानुसार आयेंगे उनको भूमि आवंटित कराई जायेगी ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1989 में पट्टे किये गये थे उनको किस आधार पर 1991 में मंडलायुक्त ने निरस्त कर दिया है ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, इसमें दो आधार हैं एक तो यह था कि जिस भूमि का आवंटन किया गया था वह नवीन परती थी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि है इसलिये आवंटित नहीं की जा सकती । जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको आवंटन में वरीयता दी जाय ऐसा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में नहीं है । यह अनियमितता पाकर पट्टे निरस्त किये गये । उसके खिलाफ बोर्ड आफ रेवेन्यू में अपील दायर है । मामला सबजुडिस है ।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिलों में जिलाधिकारियों ने आदेश लोगों को दिया था कि नसबन्दी कराकर ग्रीन कार्ड रखने वाले लोगों को पट्टे दिये जायेंगे । अगर आपके ऐसे आदेश थे तो पट्टे क्यों नहीं दिये गये । अगर आदेश नहीं था तो यह जो धोखा जनता के साथ किया गया जिलाधिकारी द्वारा या दूसरे अफसरों द्वारा उनके ऊपर मंत्री जी क्या एक्शन लेंगे ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, ऐसा कोई आदेश शासन की ओर से जारी नहीं हुआ । वैसे जो विधिक व्यवस्था है उसको किसी आदेश से सुपरसीड नहीं किया जा सकता है । कानून में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि उनको वरीयता दी जाय । विधि के अनुसार जो पट्टे पाने के अधिकारी हैं उनको आवंटन किया जाता है ।

(शोर)

श्री ओम प्रकाश दिवाकर–

मान्यवर, नसबन्दी का टारगेट पूरा करने के लिये लोगों को प्रलोभन दिया गया था लेकिन नसबन्दी कराने वालों को जमीन नहीं मिली है । क्या मंत्री जी इसकी जानकारी करायेंगे और जिन अधिकारियों ने जमीन नहीं दी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जैसा मैंने पूर्व में कहा इसमें नसबन्दी कराने वाले कहीं नहीं आते हैं। भूमि आवंटन का एक वरीयता क्रम होता है उसी के अनुसार भूमि आवंटित की जाती है।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है कि जिसके तहत नसबन्दी में पट्टा दिया जाय। यह आपने स्वीकार किया और मान्यवर, हर जिले में यह प्रक्रिया मौजूद है कि नसबन्दी के आधार पर पट्टे दिये भी गये। मेरा पहला सवाल यह है कि जब नसबन्दी के पट्टे दिये जाने का प्राविधान एक्ट में नहीं है तो ऐसे पट्टे क्यों दिये गये। दूसरी बात कि सरकारी अधिकारी जब चाहते हैं तब मन चाहे ढंग से, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन परिश्रम से नहीं कर पाते हैं तो लालच, प्रलोभन या अन्य रीति से काम करते हैं और शासन उन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात यह है कि क्या इस तरह से प्रलोभन, लालच देकर, लोगों को प्रपंच से जिन लोगों को पट्टे दिये गये और इस आधार पर नसबन्दी कर ली क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध किसी योजना के तहत कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जैसा कि पूर्व में मैंने कहा कि नसबन्दी कार्ड होल्डर यदि वरीयता क्रम में आता है तो आवंटन होता है और वरीयता क्रम में नहीं आता है तो आवंटन नहीं होगा। मान्यवर, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि आवासीय के जो तीन वरीयता क्रम हैं उसके बाहर नहीं होते तो जो अन्यथा भी इन्टाइटिल्ड हैं, नसबन्दी भी करा ली होती तो आवंटन हो गया होता। दूसरे जो पूछा है कि अगर किसी अधिकारी ने ऐसा लालच करके कराया है तो मान्यवर, माननीय सदस्य इस तरह का मामला ज्ञान में लायेंगे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राणा जी ने दो प्रश्न किये थे। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तो उत्तर दे दिया कि कोई प्रकरण प्रकाश में आये तो कार्यवाही की जायेगी। पहला प्रश्न यह था कि क्या शासन ने योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये लोगों को इस प्रकार का प्रलोभन दिया कि नसबन्दी करावें और लोगों ने प्रलोभनों में नसबन्दी करा ली, प्रमाण-पत्र ले लिया तो क्या पट्टा दिया और क्या उसके बाद उसका निरस्तीकरण हो गया।

श्री बालेश्वर त्यागी–

शासन के सामने ऐसी कोई शिकायत ज्ञान में नहीं आयी।

श्री पूरन चन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मूल प्रश्न का कोई भी जवाब नहीं आया है। प्रश्न है कि नसबन्दी के आधार पर पट्टा हुआ कि नहीं।

इसके साथ ही प्रश्न में साफ लिखा है कि शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत ग्राम रुस्तमपुर चक के भूमिहीन अनुसूचित जाति के लोगों को, पहले छोड़ दें कि नसबन्दी कराई है, साफ लिखा है कि अनुसूचित जाति के लोगों का क्या आधार नहीं है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टा दिया जाय ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, उसके संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं कि भूमिहीन अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण, जिनका इस सवाल से संबंध है, उनको आवंटन किया गया था, लेकिन उसमें अन्य भी कोई विधिक प्राविधान है, अगर उसका अनुपालन नहीं हुआ है, तो पट्टा निरस्त किया जा सकता है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिला शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद के अन्तर्गत गाटा नं० 253/1 और गाटा नं० 253/2 श्री महताब और श्री राम सेवक को 31-3-89 को लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार के प्रमाण-पत्र के बाद पट्टा दिया गया था, 31-3-89 को एस० डी० एम०, जलालाबाद ने इसे स्वीकृत कर दिया, लेकिन आयुक्त ने उसे खारिज कर दिया । यह मामला बहुत स्पष्ट है । लेखपाल से लेकर कानूनगो, तहसीलदार और एस० डी० एम० ने जिसे स्वीकृत कर दिया है, तो आयुक्त ने किस आधार पर निरस्त कर दिया ? तो क्या ये अधिकारी दंडित होंगे, जिन लोगों ने यह पट्टा स्वीकृत किया था ?

श्री अध्यक्ष–

आप सकारात्मक प्रश्न करें कि किस आधार पर पट्टा दिया गया और निरस्तीकरण का आधार क्या है ?

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह बता दें कि किस आधार पर पट्टा दिया गया और निरस्तीकरण का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मूल प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें ।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आपने स्पेशिफिक सवाल पूछा है । यह नीति संबंधी बात जो आपने ग्रीन कार्ड होल्डर्स की कही है, इसीलिये कहा गया कि चूंकि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है, इसलिये यह नीति के आधार पर पट्टा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

शासन के उत्तर से यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिस नीति के आधार पर पट्टा देने की बात आपने कही थी, उस नीति के आधार पर पट्टा नहीं दिया गया था ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1989 को पट्टे दिये गये। मान लीजिये यह पट्टे उस नीति के तहत नहीं दिये गये, माननीय मंत्री जी के पास लिस्ट होगी उसमें सारी चीजें स्पष्ट लिखी होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1989 को गाटा संख्या-253/1 व 253/2 में से एक हिस्से का पट्टा दिया गया। वह पट्टा किन कारणों से स्वीकृत किया गया और किन कारणों से बाद में निरस्त हो गया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में उत्तर देने के लिये बैठे हैं। यह मामला मार्च, 1989 का है और बहुत पुराना भी नहीं है। इसके बारे में मैंने दो संकेत भी दे दिये हैं इसलिये आप माननीय मंत्री जी से उत्तर दिलवा दें कि किस आधार पर पट्टे निरस्त किये गये।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, परगना अधिकारी द्वारा 31-3-89 को महताब और राम सेवक के नाम आवंटन किया गया। यह आवंटन आवास स्थल के लिये हुआ था। आवंटन होने के उपरान्त गांव के लोगों ने इसके विरुद्ध कलेक्टर को आवेदन-पत्र दिया और आवेदन-पत्र के फलस्वरूप इन पट्टों को निरस्त कर दिया गया।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तथ्य छिपा रहे हैं। कलेक्टर ने निरस्त नहीं किया।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मामला आयुक्त, बरेली मण्डल के न्यायालय में गया और उनकी अपील निरस्त कर दी गयी। अब यह बोर्ड आफ रेवेन्यू के समक्ष विचाराधीन है और कमिशनर के आदेश को स्थगित कर दिया गया।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, भूमि का आवंटन हरिजनों के लिये किया जाता है और उनको पट्टे दे दिये जाते हैं लेकिन उनको कब्जे नहीं दिलाये गये। मैं जानना चाहता हूं कि गरीब, भूमिहीन और दलितों को भूमि का आवंटन तो कर दिया जाता है लेकिन उनको कब्जा नहीं दिया जाता है तो इसमें उनका क्या दोष है? इसमें तो रेवेन्यू अधिकारियों का दोष है जो उन्हें आवंटन करने के बाद कब्जा नहीं दिलाते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो कब्जा नहीं दिलाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका कब्जे से संबंधित प्रश्न है। आप इसके बारे में अलग से प्रश्न कर लें। अलग से एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न कर लें। यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

डा० बृजभान यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि निर्बल वर्ग के लोग जिन्होंने परिवार नियोजन कराया है, उनको ग्रीन कार्ड दिया गया। ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटन की बात अधिकारी करते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोग प्राथमिकता की सूची में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से अधिकारी उनको धोखे में डालते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि क्या वे ऐसे आदेश निर्गत करेंगे कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता

नहीं दी जायेगी और वे अधिकारियों के चक्कर में न फसें । अगर फैमली स्कीम को बढ़ाने की बात है तो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो मामला इस समय जिज्ञासा में है शासन की नीति है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पट्टे दिये जाय लेकिन नियमों में व्यवस्था है कि किसी गांव में अतिरिक्त जमीन है तो उसका आवंटन किया जायेगा । जो विवादित मामले हैं, यह सार्वजनिक उपयोग की भी जमीन है, खलिहान है, और सार्वजनिक स्थान है, तो वह तो आवंटित नहीं की जायेगी ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलना प्रारम्भ कर देने पर घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपसे संरक्षण चाहता हूं अगर आप मूल रूप से इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें प्रश्न यह भी बनता है कि नीति है, चूंकि पट्टे देने की, सूचना नहीं है शायद मंत्री जी के पास ।

(श्री जागेश्वर द्वारा बोलते रहने से व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको पट्टा मिलना चाहिए, कितने ग्रीन कार्ड धारकों को मिलना चाहिये लेकिन सिस्टम यह रहा है कि जिसको ग्रीन कार्ड मिल गया उसकी गलती तो फौरन पकड़ गयी और उसका पट्टा फौरन रद्द कर दिया गया । लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस ग्रीन कार्ड को बनाने का आपका एक सिस्टम है उसी सिस्टम से यह किया गया होगा जब जिलाधिकारी से ग्रीन कार्ड मिला तो पट्टा मिला तो एक लम्बा प्रासेस तैयार हो गया और बाद में उतना ही लम्बा बैक टू पवेलियन, ग्रीन कार्ड समाप्त हुआ और पट्टा खत्म कर दिया गया, तो इसमें जो दोषी कर्मचारी हैं और दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी । मैं इसलिये कह रहा हूं कि मंत्री जी ने दो नाम लिये, यह सूचना मंत्री जी के पास होनी चाहिये कि कौन से कर्मचारी थे जिन्होंने अनर्थ किया है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने जितना समझा है, अगर नहीं समझा है तो माननीय मंत्री जी बता देंगे, उसके अनुसार पट्टा देने के लिये कुछ निर्धारित पात्रता है उस पात्रता में जो व्यक्ति आयेंगे, उनको पट्टा दिया जायेगा । शासन के एक अंग के द्वारा पट्टा देने की व्यवस्था है, उस शासन की यह भी नीति है कि नसबन्दी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना । यदि पांच व्यक्तियों से जिनके पास ग्रीन कार्ड है तो पात्रता के क्षेत्र में आने वाले उस व्यक्ति को प्राथिमिकता दे दी जाय, यदि पात्र है तो पात्रता में उसको प्राथमिकता दे देंगे, ऐसा प्रतीत होता है दूसरी चीज जमीन पट्टा देने लायक हो ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यही प्रश्न है पट्टा दे दिया गया जो प्रश्न आपने किया है इसी का उत्तर दिलवा दीजिये ।

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अमरेश चन्द्र पाण्डे का नाम पुकारा गया)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

यह दलितों का मामला है ।

(अनेक मा० सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

रुस्तमपुर में वह पट्टा हुआ था, यह जानना चाहता हूं, किस जाति के लोग थे ? जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्दर किस श्रेणी के लोग थे ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न की अनुमति नहीं है ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

उत्तर प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में कोई परिवर्तन करेंगे कि इसमें जो नसबन्दी कराये हैं, उनको नियमावली के अन्तर्गत किस श्रेणी में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

इस पर विचार किया जायेगा ।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री राम खिलाड़ी–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री ने अभी सदन में स्पष्ट कहा था कि जो सार्वजनिक भूमि है जैसे खलिहान, घूर के गड्ढे आदि उसको पट्टे पर नहीं उठाया जायेगा तो क्या मंत्री जी ऐसा कोई निदेश शासन की ओर से जिलाधिकारी को देंगे कि ऐसी भूमि को यदि उठाया गया है, तो वह पट्टे निरस्त किये जायं ? शाहजहांपुर की तहसील जलालपुर में जो पट्टे अनुसूचित जाति के सदस्यों को किए गए हैं, उसमें भूमि प्रबन्धक समिति, ग्राम प्रधान ने प्रस्ताव किया है और लेखपाल, कानूनगो की रिपोर्ट के बाद नसबन्दी का लालच देकर पट्टे किए गये । नसबन्दी के बाद भी पट्टे को निरस्त किया जा रहा है, तो क्या ऐसे निर्देश देंगे कि पट्टे को निरस्त नहीं किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियमों में व्यवस्था है कि जो जमीन बचती है, उसी का आवंटन किया जायेगा । जो माननीय सदस्यों ने जिज्ञासा प्रकट की कि ग्रीन कार्ड होल्डर को प्राथमिकता दी जायेगी, तो उस पर विचार किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मा० सदस्य का कहना है कि शासन उस भूमि को जिस श्रेणी की बताता है उस श्रेणी की वह है नहीं, जो पट्टे किये गये वह सही है । ऐसी स्थिति में आप इसकी जांच करवा लीजिये और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो माननीय सदस्य बात कह रहे हैं, जब तक मान्यवर, पूरी बात नहीं होती, नकराने की कोई बात नहीं है माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि निगरानी करके मामला राजस्व परिषद् के पास विचाराधीन है। पूर्व आदेश का स्टे हो गया है, इन्हीं सब बातों पर राजस्व परिषद् में विचार किया जायेगा। मान्यवर, कोई कर्मचारी यदि ऐसा है, जिन्होंने जानबूझकर अनुसूचित जाति की हकतलफी की है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

जनपद बदायूं के विलसी बाई पास चौराहे के निकट निजी भूमि पर होटल तथा दुकान का निर्माण

*2–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट हाईवे नं० 51 पर जनपद बदायूं के विलसी बाई पास चौराहे पर एक होटल एवं शराब की दुकान का निर्माण विभागीय अधिकारियों की मिली भगत एवं लापरवाही के कारण कर लिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जायेगा और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री(डा० सरजीत सिंह डंग)–

कथित होटल एवं शराब की दुकान का निर्माण प्रश्नगत मार्ग की विभागीय भूमि के बाहर निजी भूमि पर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि होटल एवं शराब की दुकान का निर्माण किस गाटा नं० पर किया गया है तथा यह स्थान विलसी बाईपास एवं बदायूं, बिजनौर स्टेट हाईवे के मध्य से कितनी दूरी पर है तथा भूमि का कितना मुआवजा सरकार ने स्थाई अधिग्रहीत की श्रेणी में भुगतान कराया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह जनपद बदायूं में विलसी बाईपास एवं बदायूं बिजनौर राज्य मार्ग संख्या-51 के चौराहे पर होटल एवं शराब की दुकान मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर निजी भूमि पर निर्मित है। हमारे विभाग की जमीन के बाहर है। बाईपास मार्ग की स्थाई भूमि मार्ग की मध्य रेखा से दोनों ओर 9 मीटर चौड़ी है तथा बदायूं बिजनौर मार्ग की स्थाई भूमि मध्य रेखा से आठ मीटर चौड़ी है। होटल एवं शराब की दुकान विलसी बाईपास मार्ग की मध्य रेखा से 9.30 मीटर दूर है। यह किसी प्रकार से हमारे विभाग की जमीन में नहीं आता है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मेरा पूछना यह है कि इसका मुआवजा स्थाई अधिग्रहण के रूप में दिया है अथवा नहीं, यह किस गाटा नंबर में है, होटल एवं शराब की दुकान सड़क की पटरी से कितनी दूरी पर है ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी का कहना यह है कि निर्माण जिस भूमि पर हुआ है, वह विभाग की जमीन में नहीं आता है, निजी भूमि पर है।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उत्तर सही नहीं आया, यह भूमि का अधिग्रहण सरकार ने किया उसका मुआवजा सरकार ने दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

निदेश 165 में यदि कोई माननीय सदस्य यह कहते हैं कि मंत्री जी का उत्तर सही नहीं है तो वह उसके प्रमाण संलग्न करके निदेश 165 में सूचना दे सकते हैं । आप इनके उत्तर की सत्यता को चुनौती दे रहे हैं तो आप इसके अंतर्गत अलग से मुझे सूचना दे दीजियेगा मैं अलग से कार्यवाही करूंगा ।

[गुरुवार, दि० 23 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित ता० प्रश्न]

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लोक निर्माण विभाग में आशुलिपिकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने का प्रकरण

*2–श्री राम सरन एवं श्री यदुनाथ सिंह (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिये आदेश हैं ? क्या आशुलिपिकों की नियुक्ति उपरोक्त बोर्ड द्वारा ही कराये जाने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

लोक निर्माण विभाग में तृतीय श्रेणी के निम्न पदों का चयन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से कराये जाने के आदेश हैं :––

1–अवर अभियन्ता (सिविल)

2–अवर अभियन्ता (वि०/यां०)

3–अवर अभियन्ता (प्राविधिक)

4–वास्तुविद सहायक

5–कनिष्ट सहायक रसायनज्ञ

6–मानचित्रकार

7–मुख्य मानचित्रकार

8–वास्तुविद मानचित्रकार

9–वास्तुविद मुख्य मानचित्रकार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आशुलिपिकों की भर्ती हेतु सा० नि० वि० लिपिक वर्गीय अधिष्ठान नियमावली, 1965 के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

जनपद बांदा के समाज कल्याण विभाग के निराश्रित विकलांगों को भरण-पोषण अनुदान की धनराशि चेक/मनीआर्डर द्वारा दिये जाने का प्राविधान

*3–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बांदा द्वारा विकलांगों को पेंशन की अनुदान धनराशि की अदायगी बैंकों में खाता खोलवाकर चेक प्रणाली से ही दी जाती रही है ? यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक चालू रही है ? क्या इस व्यवस्था को बदलने हेतु शासन व विभाग से निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब और क्या ? क्या शासन विकलांग पेंशन अनुदान चेक प्रणाली से बैंक खातों में दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

निराश्रित विकलांग भरण पोषण अनुदान लाभार्थियों को चेक के अतिरिक्त धनादेश के द्वारा भी दिया जाता रहा है ।

चेक तथा धनादेश द्वारा भुगतान की प्रणाली वर्तमान समय में भी चालू है ।

जी नहीं !

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना की वर्तमान लागू नियमावली में विकलांग भरण पोषण अनुदान मनीआर्डर द्वारा अथवा लाभार्थी की इच्छा पर पोस्ट आफिस/बचत बैंक खातों के माध्यम से चेक द्वारा दिये जाने का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने कहा कि विकलांग लाभार्थी की स्वेच्छा पर है अगर वह चाहता है चेक द्वारा, तो वह बैंक में अपना खाता खोल देता है और उसका खाता नम्बर वह वहां दे देता है और उसे चेक द्वारा भुगतान हो जाता है । लेकिन मान्यवर, बहुत से ऐसे विकलांग हैं जिन्होंने समाज कल्याण विभाग में अपना खाता संख्या दे रखा है और वह उन खातों से पिछले वर्षों से पैसा लेते रहे हैं लेकिन इधर दो एक सालों से उन्हें मनीआर्डर द्वारा दिया जा रहा है और उसका नतीजा यह होता है कि पोस्ट आफिस के लोग और समाज कल्याण विभाग के लोग उक्त धनराशि को उक्त विकलांग को देते नहीं हैं और वह खा जाते हैं । तो क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह तो साफ जाहिर है कि जैसा लाभार्थी चाहता है उसके अनुसार ही दिया जाता है। अगर माननीय सदस्य किसी इण्डीविजुअल केस की बात कर रहे हैं तो मुझसे अकेले में बात कर लें मैं उसको दिखवा लूंगा।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जनपद बांदा मे लगभग 8 महीनों से हेड पोस्ट आफिस में विकलांगों की पेंशन पड़ी है वह उन्हें आज तक नहीं मिल पा रही है तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और उन्हें पेंशन दिलवायेंगे ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, अगर यह हमें जानकारी देंगे तो उसे हम दिलवा देंगे।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो हर जिले के लिए यह धन आवंटित करते हैं, विकलांगों को पेंशन देने के लिए तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो निर्धारित करते हैं उसका मानक क्या है ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, यह संसाधन के अनुसार ही मानक बनता है।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, हर जिले को अलग-अलग दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अलग जनपदवार पूछना चाहते हैं तो अलग से पूछ लीजियेगा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो शहर में रहने वाले विकलांग व्यक्ति हैं उनको तो सुविधायें मिल जाती हैं लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांग हैं, जो दूर दराजों में रहते हैं उनको यह सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना या व्यवस्था करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के विकलांग है उन्हें भी शासन द्वारा प्राप्त योजनाओं का लाभ मिल सके ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, सवाल बांदा के लिए पूछा गया है। इन्होंने बहुत विस्तार से पूछा है यह अगर मुझसे अलग से बात कर लें तो मैं बता दूंगा।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह सवाल बांदा का नहीं है, लेकिन नीतिगत है। माननीय मंत्री जी का विभाग, समाज कल्याण विभाग, जो छात्रवृत्ति भी देता है और सभी छात्रों ने बैंक में अपने खाते खुलवा रखे हैं और उसका नम्बर उन्होंने उस विभाग को दे रखा है और उसी से उन्हें पैसा भी मिलता है तो क्या प्रदेश स्तर

पर नीतिगत मामला इसको मानते हुए सभी विकलांगों को जिन्हें सहायता स्वीकृत की गयी है उनके खाते खुलवाकर उनका पैसा उन खातों द्वारा भुगतान किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, व्यवस्था ऐसी है कि जैसा लाभार्थी चाहता है वैसा ही किया जाता है ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो हमारे माननीय विधायक, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर जी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों को वह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं वे बेचारे समाज कल्याण अधिकारी का चक्कर लगाते हैं कितने दिन लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल पाती है ।

एक विकलांग व्यक्ति को पहले सी० एम० ओ० से मेडिकल सर्टीफिकेट लेना होता है, उसके बाद आय प्रमाण-पत्र के लिये तहसील ब्लाक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस प्रकार सचमुच जिस व्यक्ति को सहायता मिलनी चाहिये, वह मिल नहीं पाती, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तहसील/ब्लाक स्तर पर एक कैम्प की व्यवस्था हो जाय जिससे ऐसे व्यक्तियों को आसानी से सहायता उपलब्ध हो सके ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, विकलांगों की स्थिति बड़ी दुखद होती है किसी के दोनों हाथ कटे होते हैं, किसी के दोनों पैर कटे होते हैं, वह चल नहीं सकते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का पूछने का आशय यह है कि क्या तहसील अथवा ब्लाक स्तर पर ही अनुदान स्वीकृत हो जाये, ऐसी व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, इसीलिये ऐसी व्यवस्था की गयी है कि अगर लाभार्थी मनीआर्डर से चाहता है तो मनीआर्डर से उसके घर सहायता भेज दी जाती है, यदि बैंक में खाता खुलवाकर उसमें चाहता है, तो वैसी व्यवस्था हो जाती है, इसलिये तहसील या ब्लाक स्तर पर ऐसी व्यवस्था करने का सवाल नहीं उठता ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैंने स्वयं इलाहाबाद के समाज कल्याण अधिकारी से बात की है, वह ऐसी दुरुह परिस्थितियां बना देते हैं, जिससे यह कार्य सम्भव नहीं हो पाता । मेरा निजी अनुभव है कि.....

श्री अध्यक्ष–

आप यह कहें कि इसमें विलम्ब होता है, उसमें सुधार किया जाय ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि प्रश्न पूछने की जो असल मंशा है, वह मंत्री जी समझ गये होंगे और आपने भी इशारा किया कि इस पर कुछ निर्णय लेंगे । यह बड़ा ही अहम सवाल है और मैं चाहता

हूं कि आप इस चीज का परीक्षण करा लें, भले ही कोई आश्वासन न दें, क्योंकि मनीआर्डर से जो सहायता भेजी जाती है, उसे बीच में ही डाकिये खा जाते हैं और वह धन सम्बन्धित व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता । तो आप इस बात की जानकारी करा लें कि मनीआर्डर से पैसा न मिलने की कितनी शिकायतें हैं और बैंक द्वारा जिन लोगों को पैसा दिया जाता है, उसमें कितनी शिकायतें हैं, अगर बैंकों से मिलने वाले पैसे की कम शिकायतें हों, तो आप ऐसी ही व्यवस्था करा दें, इस चीज की जानकारी आपको जिलाधिकारी और डाक विभाग से प्राप्त हो जायेगी । यह एक अहम सवाल है और नीति का मामला है । सदन में बात आ गयी है, इसलिये इसका परीक्षण करा लें, भले ही आश्वासन न दें ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, इसका परीक्षण करवा लें ।

श्री रमापति शास्त्री–

ठीक है, दिखवा लेंगे ।

*4–श्री विजय सिंह राणा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले गेहूं व चावल के मूल्यों में की गई वृद्धि का विवरण

*5–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर बिकने वाले गेहूं, चावल, दाल आदि की सरकारी कीमतों में प्रति किलो कितनी दामों की बढ़ोत्तरी की गई है ? इसका प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार गरीबों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए उक्त बढ़ाई गई सरकारी कीमतों को वापस लेने का निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य रूप से गरीबी का मुकाबला करने तथा महंगाई से निपटने के लिये कोई राहत देने वाली योजना का प्रारूप तैयार कर रही है ? यदि हां, तो वह प्रारूप क्या है ?

खाद्य एवं रसद तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले गेहूं व चावल के मूल्यों में 28-12-91 को निम्नानुसार वृद्धि की गयी है :–

खाद्यान्न का नाम	मूल्य वृद्धि रुपयों में प्रति किलो	प्रतिशत (लगभग)
गेहूं	0.55	21%
चावल साधारण	1.00	31%
चावल फाइन	1.00	25%
चावल सुपर फाइन	0.95	22%

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दालों का आवंटन नहीं किया जाता है अतः उसके मूल्य में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों की पृष्ठभूमि में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, शायद आप भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे । चावल साधारण एक रुपये, चावल फाइन एक रुपये व चावल सुपर फाइन में 0.95 पैसे की वृद्धि हुई है । कीमतें बढ़ने के बजाय घटती जा रही हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि कीमतें उल्टी करके छाप दी गई हैं । कहा यह जाता है कि यह राम रोटी की सरकार है । पहले के जो शासक होते थे, वह जनता को रोटी देते थे। इस राम रोटी की सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि दि० 28-12-1991 से पहले इतनी बड़ी वृद्धि कब हुई थी और इसका प्रतिशत क्या था ?

श्री एजाज रिजवी–

मान्यवर, पहली मई 1990 को वृद्धि की गई थी । 2.25 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 2.55 रुपये प्रति किलो किया गया था । अब इसका प्रतिशत क्या होता है, माननीय सदस्य स्वयं देख लें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यदि मंत्री जी इसका प्रतिशत बता दें तो इसका सही अन्दाजा लगाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 2.25 रुपये से बढ़ाकर 2.55 रुपये कर दिया गया है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या–6 पर प्रश्नकर्ता श्री हृदय नारायण दीक्षित जी का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे ।)

वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्प की पूर्व सूचना दिया जाना असम्भव

*6–श्री हृदय नारायण दीक्षित (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में भूकम्प से होने वाली जनधन की हानि रोकने के लिए राज्य में भूकम्पों की सूचना देने सम्बन्धी कोई एजेन्सी कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या हाल ही में आये भूकम्प के सम्बन्ध में कोई सूचना उक्त एजेन्सी ने दी थी ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी किसी विशिष्ट एजेन्सी के गठन पर सरकार विचार कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्तमान में उ० प्र० में कौन-कौन से जिले व प्रमुख महानगर भूकम्प की आशंका वाले क्षेत्र हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

भूकम्प की पूर्व सूचना दिया जाना वैज्ञानिकों के लिए अभी तक सम्भव नहीं हो सका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में कुमायूं तथा गढ़वाल हिमालय व तराई सहित गिरिपादों में भूकम्पनी सहायता सक्रिय है तथा भविष्य में उक्त क्षेत्रों में भूकम्प आने की सम्भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता ।

जनपद मेरठ की शिक्षण संस्थाओं के कतिपय अध्यापकों को पुनरीक्षित वेतनमान देने की मांग

*7–श्री चरन सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त जनपद मेरठ की शिक्षण संस्थाओं के 42 अध्यापकों को वर्ष 1986 से उनके वेतनमान पुनरीक्षित होने के बाद से अब तक उन्हें अवशेष वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इन अध्यापकों के अवशेष देयों का शीघ्र भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य इसमें तो सूचना एकत्र की जा रही है । इसलिये यह प्रश्न अपने आप में स्थगित हो गया ।

कुम्भ मेला क्षेत्र (हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल) को मिलाकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जनपद हरिद्वार में सम्मिलित करने हेतु अभिमत प्राप्त किया जाना

*8–श्री आचार्य जगदीश मुनि–

क्या सरकार कुम्भ मेला क्षेत्र (हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल) को मिलाकर एक ही जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कुम्भ मेला क्षेत्र में आने वाले जिलों देहरादून, टिहरी गढ़वाल के क्षेत्रों को जनपद हरिद्वार में प्रशासनिक दृष्टिकोण से सम्मिलित करने के मामले में, सम्बन्धित जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों/राजस्व परिषद् उ० प्र० एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों का अभिमत प्राप्त किया जा रहा है ।

श्री आचार्य जगदीश मुनि–

मान्यवर, हरिद्वार का कुम्भ क्षेत्र करीब 40 कि० मी० लम्बा है और इसमें चार जिलों का प्रशासन रहता है । हरिद्वार को छोड़कर बाकी तीन जिले सीमान्त क्षेत्र हैं, जिसकी हमेशा उपेक्षा होती रही है । इस क्षेत्र में सारे देश के तीर्थ यात्रीगण यात्रा के नाम पर आते हैं । सीमान्त क्षेत्र होने के कारण पुलिस की व्यवस्था, राम मार्गों की व्यवस्था, खाद्यान्न की व्यवस्था व अन्य व्यवस्थाओं हेतु यहां की जनता के सामने हमेशा परेशानी रहती है । धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि 40 कि० मी० का लम्बा क्षेत्र जो कुम्भ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप अनुपूरक प्रश्न करें ।

माननीय मुनि जी अनुपूरक प्रश्न कीजिये ।

श्री आचार्य जगदीश मुनि–

तो क्या इस क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई के अन्तर्गत लायेंगे यदि हां तो कब तक ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, जिलों मण्डलों और तहसीलों के पुनर्गठन के लिये राजस्व परिषद् के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी है जितने भी प्रत्यावेदन इस सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं वे इस कमेटी को भेज दिये जाते हैं और वह कमेटी भौगोलिक, प्रशासनिक आदि दृष्टि से उस पर विचार करके करती है जिसमें जिला और मण्डल के जन प्रतिनिधियों की राय जानकर शासन को अवगत कराया जाता है और शासन आर्थिक दृष्टि से निर्णय लेता है । इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् को जो प्रत्यावेदन प्राप्त हुये थे उनका राजस्व परिषद् में परीक्षण हो रहा है उसके बाद जो रिपोर्ट आयेगी उस पर विचार किया जायेगा ।

अमेठी को जिला बनाये जाने विषयक प्रत्यावेदन राजस्व परिषद् को परीक्षणार्थ भेजा जाना

*9–श्री हरीचरन यादव (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की अमेठी, गौरीगंज एवं मुसाफिरखाना, जनपद प्रतापगढ़ की सदर रायबरेली की सलौन व तिलोई तहसील के राजस्व ग्रामों को मिलाकर अमेठी को जिला बनाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अमेठी को जिला बनाये जाने की प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अमेठी को जिला बनाये जाने विषयक प्रत्यावेदनों को अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित मण्डल/जिला/तहसील पुनर्गठन समिति को परीक्षणार्थ भेजा गया है । समिति की संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

निराश्रित विधवा/विकलांग भरण पोषण अनुदान मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने विषयक जिलाधिकारी, उन्नाव का पत्र

*10–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि जिला अधिकारी उन्नाव को पत्र दिनांक 17-12-91 जो निदेशक समाज कल्याण को सम्बोधित व प्रमुख सचिव (समाज कल्याण) को पृष्ठांकित है, एवं विधवा विकलांग पेंशन हेतु अतिरिक्त बजट आवंटन विषयक है, शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या जनहित में प्रस्तावित मद में अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां, तो कब व कितनी धनराशि ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण निराश्रित विधवा/विकलांग भरण-पोषण अनुदान मद में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न जिलाधिकारी उन्नाव से कोई पत्र प्राप्त हुआ था उसके सम्बन्ध में है जिसमें विकलांग और विधवाओं को पेंशन देने के सम्बन्ध में है जो दो वर्ष से लम्बित पड़ा है उसमें उन्होंने अतिरिक्त धन की व्यवस्था के लिये कहा है । जिलाधिकारी उन्नाव ने अवगत कराया है कि 14 सौ प्रार्थना-पत्र लम्बित पड़े हैं जिसके लिये 17 लाख 64 हजार की आवश्यकता होगी इसमें करीब 744 विकलांगों के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं जिसके लिये 15 लाख 12 हजार अतिरिक्त धन की मांग की गयी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न पूछिये ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

तो जो विकलांग और विधवा महिलाओं के दो साल से प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं उनके लिये माननीय मंत्री जी संसाधनों की कमी का कारण बताते हैं और अतिरिक्त धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती है कहते हैं । तो क्या अन्य मदों में कटौती करके उन विधवाओं और विकलांगों को पेंशन देने की व्यवस्था की जायेगी । भारतीय जनता पार्टी की सरकार नारी उत्थान और नारी सम्मान की बात करती है ।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, बड़ी विडम्बना है दो साल से प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं हमारी सरकार को 9-10 महीने हुये हैं और सारा आरोप हम पर लगाते हैं । मैंने बताया कि संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर पा रहे हैं । अन्य मदों से कटौती करके देने की जो बात की है तो उस मद वाले हल्ला मचायेंगे तो यह सम्भव नहीं हो पायेगा ।

श्री गंगा बक्श सिंह–

कब तक व्यवस्था की जायेगी ।

श्री रमापति शास्त्री–

वित्तीय संसाधन जब उपलब्ध हो जाएगा तब इसे कर दिया जायेगा ।

*11–श्री अखिलेश–

[12वें मंगलवार में तारा० प्र० सं० 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ० प्र० राज्य सेतु निगम तथा उ० प्र० राज्य निर्माण निगम के विलय का प्रस्ताव

*12–श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सेतु निगम तथा उ० प्र० निर्माण निगम को मिलाकर कोई संयुक्त निगम गठित करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसके पीछे क्या कारण हैं ? इसका नया नाम क्या होगा ? यह संयुक्त निगम कब तक गठित हो जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

लोक निर्माण विभाग से सम्बद्ध प्रश्नगत उपक्रमों की कार्यक्षमता एवं वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये शासन के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न सुझावों में उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम तथा उ० प्र० राज्य सेतु निगम के विलय का प्रस्ताव भी है। इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। अतः संयुक्त निगम के गठन की तिथि एवं उसके नाम के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य अनुपस्थित रहे)

डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही विचाराधीन

*13–श्री बनवारी सिंह –

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 19 अक्टूबर, 1989 को डिप्लोमा इंजीनियर्स की मांगों के सम्बन्ध में डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों, सिंचाई मंत्री एवं सार्वजानिक कल्याण मंत्री की एक बैठक हुई थी और उसमें मांगों को मानने के संबंध में सहमति हुई थी ? यदि हां, तो किन-किन मांगों पर सहमति हुई थी और क्या उन्हें शासन द्वारा पूरा किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

दिनांक 19-10-89 की बैठक में महासंघ की मांगों पर विचारोपरान्त शासनं को की गई संस्तुतियों की सूची संलग्न है।

राज्य सरकार के अधीन अभियंत्रण विभाग सम्प्रति लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा विद्युत सुरक्षा निदेशालय में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के संदर्भ में संस्तुति संख्या–क (1), (2), (4) और (घ) को स्वीकार कर लिया गया है। संस्तुति संख्या–ग के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा बेरोजगार अभियन्ताओं के सेवायोजन हेतु आदेश पहले से ही विद्यमान है। उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही विचाराधीन है संस्तुति संख्या–(क)(3) को सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। तकनीकी विभाग के पुनर्गठन समिति कालान्तर में स्वतः समाप्त हो गई और उसके पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 234 पर)

राजस्व विभाग में भूलेख अधिष्ठान (मैदानी) में कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की समूह 'ग' में प्रोन्नति करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*14–श्री सतीश भाटिया–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजस्व विभाग में भूलेख अधिष्ठान (मैदानी) में कार्यरत समूह ''घ'' के कर्मचारियों की प्रोन्नति ''ग'' श्रेणी में करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में एक पत्र राजस्व परिषद् द्वारा दि० 21-2-1990 को लिखा गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत श्रेणी ''घ'' के कर्मचारियों की प्रोन्नति का प्राविधान शासन की ओर से कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

राजस्व परिषद् का दिनांक 21-2-90 का पत्र शासन में प्राप्त हुआ है ।

भूलेख अधिष्ठान (मैदानी) में कार्यरत समूह "घ" के कर्मचारियों की प्रोन्नति समूह "ग" पर करने के लिए (पहाड़ी राजस्व पटवारी के पद पर चपरासी की प्रोन्नति के अनुरूप) सैद्धान्तिक सहमति है । सेवा नियमावली में प्राविधान करने के लिए संवर्गों तथा पदोन्नति की स्थिति/अवसर को दृष्टिगत रखते हुए विचार किया जा रहा है ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, घ–श्रेणी के ऐसे कितने विभागीय कर्मचारी हैं, जो पांच वर्ष के अधिक समय से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिये रुके हुए हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अब तक तो उनके लिये कोई अवसर ही नहीं था । अब राजस्व परिषद् ने एक प्रस्ताव भेजा था और उस पर विचार हुआ, उस पर कार्मिक विभाग ने अपनी स्वीकृति दे दी है । तो अब वह हमारे पास विचाराधीन है । उस पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

निदेशक समाज कल्याण द्वारा शिशुओं के कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को स्वीकृत धनराशि के भुगतान की मांग

*15–श्री अभिमन्यु सिंह (अनुपस्थित)–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1988-89 में निदेशक, समाज कल्याण द्वारा शिशुओं के कल्याणकारी कार्यक्रम हेतु 34 स्वैच्छिक संस्थाओं को स्वीकृत 1,63,000 रुपये के अनुदान का भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं को अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस गम्भीर लापरवाही तथा उदासीनता के लिये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सम्बन्धित 34 संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में दिनांक 31-3-92 तक कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ में बाल विकास परियोजना अधिकारियों के निलम्बन का प्रकरण

*16–श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1991 से 31 दिसम्बर, 1991 तक लखनऊ जनपद में कितने बाल विकास परियोजना अधिकारी निलम्बित किये गये ? क्या मंत्री जी निलम्बन के उक्त सभी प्रकरणों में निलम्बन की तिथि, जांच अधिकारी की नियुक्ति की तिथि तथा आरोपित अधिकारी को आरोप पत्र जारी किये जाने की तिथि सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी के संज्ञान में यह तथ्य है कि कतिपय मामलों में आरोप पत्र जांच अधिकारी द्वारा उनके जांच अधिकारी नियुक्त होने की तिथि के पूर्व की तिथि में जारी कर दिये गये

हैं? यदि हां, तो इस प्रशासनिक अनियमितता के लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

कथित अवधि में तो बाल विकास परियोजना अधिकारी निलम्बित किये गये ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, आलमनगर के निलम्बन की तिथि 5-7-91, जांच अधिकारी की नियुक्ति की तिथि 5-10-91 तथा दिनांक 5-10-91 को ही आरोप पत्र निर्गत किया गया ।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, मोहनलाल गंज के निलम्बन की तिथि 24-8-91, जांच अधिकारी की नियुक्ति की तिथि 31-8-91 तथा दिनांक 31-8-91 को ही आरोप पत्र निर्गत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आलमनगर के जो परियोजना अधिकारी थे, उनके केस में जांच अधिकारी की नियुक्ति 5-10-91 को होती है और आरोप पत्र भी उसी तारीख का हो गया । तो 5-10-91 को जो अधिकारी नियुक्त किया गया था क्या उसने 5-10-91 को ही इस्तीफा नहीं दे दिया था और कोई भी जांच पत्र उस अधिकारी ने अपने दस्तखत से जारी नहीं किया था।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, जब कोई निलम्बित किया जाता है तो आरोप पत्र पहले तैयार कर लिया जाता है । यह सही है कि आरोप पत्र तब तक निर्गत नहीं हुआ था लेकिन जांच अधिकारी नियुक्त होने के बाद आरोप पत्र पहले और उसके बाद भी दिया जा सकता है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया उसके दस्तख्त से यह आरोप पत्र नहीं निर्गत किया गया था। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 5-10-91 को कौन जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ?

श्री रमापति शास्त्री–

जांच अधिकारी जो बाद में नियुक्त किया गया वह पहले उप निदेशक बाल परियोजना अधिकारी थे और जांच अधिकारी बाद में हो गये, इसलिये भ्रम है । इन्होंने ही पहले पत्र जारी किया था ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, इसलिये इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आप सुपुर्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत लिखकर सूचना दे दें ।

जनपद बांदा के कर्वी को मुख्यालय बनाकर चित्रकूट धाम नामक नया जनपद बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदन को राजस्व परिषद में परीक्षणार्थ भेजा जाना

*17–श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि जनपद–बांदा की विस्तृत भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर इस जनपद को दो भागों में विभक्त कर कर्वी को मुख्यालय बनाकर चित्रकूट धाम नाम से एक नया जिला सृजित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या राजस्व परिषद् की सहमति प्राप्त हो गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि चित्रकूट धाम के नाम से बांदा में नया जिला कब तक बन जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कर्वी को नया ज़िला बनाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्यावेदनों को अध्यक्ष राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षाणार्थ भेजा गया है । उक्त समिति की आख्या/संस्तुति अभी प्राप्त नहीं हुई है । समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर ही कोई निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार, सिद्धांत रूप से सहमत है कि जिनकी भौगोलिक स्थिति इतनी विस्तृत है, जैसे बांदा की जिससे जनता एक दिन में जिला कचेहरी में नहीं पहुंच सकती है ऐसे जिले को, बांदा में कर्बी संभाग को अलग जिला बनायेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, नया जिला बनाने के लिये कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं और उन मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है । कर्बी को नया जिला बनाने के लिये 79 में विचार हुआ था और उस समय उसे नया जिला बनाना उपयुक्त नहीं पाया गया था और इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था 1989 में भी पुनः इसे जिला बनाने के लिये प्रस्ताव आया तो भी पाया गया कि कर्बी को जिला बनाना उचित नहीं है। चूंकि अनेक ऐसे जिले हैं जो बांदा से बड़े हैं इसलिये सम्भव नहीं है । 1989 के बाद बहुत से आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं इसलिए नये जिले के सृजन के लिये एक कमेटी गठित है उसको प्रस्ताव भेजे गये हैं, इसलिये उसकी जब रिपोर्ट आयेगी तो विचार किया जायेगा ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के कोटेदारों को चीनी उपलब्ध कराने का प्रकरण

*18–श्री राम प्रताप सिंह (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह दिसम्बर, 1991 का चीनी का कोटा विकास खण्ड बभनजोत गोण्डा के किन-किन ग्राम सभाओं के कोटेदारों द्वारा नहीं उठाया गया है ? कोटा न उठाने का कारण क्या है ? क्या पूर्ति निरीक्षक मनकापुर गोण्डा द्वारा जानबूझ कर 6 ग्राम सभाओं की चीनी सम्बन्धित कोटेदारों के बार-बार दौड़ने पर भी रिलीज नहीं की है ? चीनी रिलीज न करने का कारण क्या है ? क्या पूर्ति निरीक्षक उसके लिए दोषी है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

माह दिसम्बर, 1991 का चीनी का कोटा विकास खण्ड बभनजोत के दो दुकानदारों द्वारा ढढौवा कुतुंबजोत, डिवलीडीह, राधव गौरा (आंशिक) ग्राम सभाओं के लिये नहीं उठाया ।

विकास खण्ड बभनजोत में चीनी का वितरण चतुर्थ सप्ताह में किया जाना निर्धारित है । इसी निर्धारित रोस्टर के अनुसार दुकानदारों द्वारा विगत माह में उठाये गये आवश्यक वस्तुओं का वितरण प्रमाण पत्र जमा करने पर अगले माह का कोटा दिये जाने का प्राविधान है कोटा न उठाने का कारण कोटेदारों द्वारा पिछले माह में उठाई गई चीनी के वितरण का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत किया जाना है । जिसके कारण माह दिसम्बर की आपूर्ति नहीं दी गई । अतः पूर्ति निरीक्षक मनकापुर द्वारा किसी कोटेदार को जानबूझकर दौड़ाने का प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि पूर्ति निरीक्षक उसके लिये दोषी नहीं है । अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम के कार्य क्षेत्र में प्रदेश में स्थापित निगम का संविलियन

*19–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री दुलारे लाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम की उन्हें जानकारी है ? क्या प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विकास हेतु उक्त निगम के कार्य क्षेत्र में प्रदेश को शामिल करने हेतु सरकार की ओर से गारन्टी दे दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

यह प्रदेश उक्त निगम के कार्य क्षेत्र में स्वतः ही शामिल है । अतः इसके लिये सरकार की गारण्टी की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निगम जो केन्द्र सरकार के अंतर्गत आता है और केन्द्र सरकार इस वर्ग के उत्थान के लिये उद्योगों को स्थापित करने के लिये इसके माध्यम से सहायता देती है.....। तो क्या जैसी की व्यवस्था है । प्रदेश सरकार कुछ अपना अंशदान देगी ?

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से जो भी धन मिलता है । जिस मद में मिलता है प्रदेश सरकार तुरन्त गारण्टी देती है और उसके अनुसार कार्यवाही करती है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के ग्राम सभा पूरे लाल खां के निवासियों की कटान में कटकर जिला सुल्तानपुर में गई हुई भूमि को वापस करने की मांग

*20–श्री इन्द्रपाल सिंह तथा डा० जी० एस० विनोद (अनुपस्थित)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर में आने वाली ग्राम सभा पूरे लाल खां की कितनी भूमि गोमती नदी के कटान से कट करके जनपद सुल्तानपुर में चली गयी है ? क्या उक्त भूमि पर जनपद सुल्तानपुर के निवासियों द्वारा कब्जा करके फसल बोई गयी है जब कि लगान उसी

ग्राम के वासियों द्वारा दिया जा रहा है ? क्या सरकार कटी हुई भूमि की पैमाइश करवाकर उक्त भूमि को ग्राम सभा पूरे लाल खां जिला फैजाबाद के निवासियों को वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(प्रश्न संख्या–20 पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं थे ।)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के निष्प्रयोज्य सामग्री के बिक्री से संबंधित प्रकरण

1–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयीय कक्षों, कार्यालयीय कक्षों की पुरानी छतें बनवाये जाने, फर्नीचर बदलने, खिड़की आलमारी बदलने का कार्य, वर्ष 1989-90 तथा 1991-92 में कराया गया है ? यदि हां, तो इन निर्माण कार्यों के क्रम में निष्प्रयोज्य हुई बड़ी-बड़ी साखू-शीशम की लकड़ियों की बल्लियां, पुरानी लकड़ी व स्टील अलमारियां तथा फर्नीचर वर्तमान समय में कहां रखे हैं ? क्या इन निष्प्रयोज्य सामग्री का विक्रय किया गया है ? यदि हां, तो सार्वजनिक इश्तहार कराकर नीलामी कब करायी गयी ? नीलामी से प्राप्त हुए कितने पैसों को, किस तिथि में बाजार में जमा कराया गया है ? बिक्री किये गये निष्प्रयोज्य सामग्रियों का विवरण क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा सर्वे लेखपाल के नियुक्ति का प्राविधान

2–श्री अकबर हुसैन–

क्या सरकार को जानकारी है कि सर्वे लेखपालों की नियुक्ति प्राधिकारी दूसरे जिले के जिलाधिकारी हो सकते हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा फैजाबाद स्थिति सर्वे नायब तहसीलदार कार्यालय से सेवा समाप्त किये गये, सर्वे लेखपाल श्री समी उल्लाह को बहाल करने हेतु, पत्रावली मंगाकर कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी अवैधानिक ढंग से कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

शासनादेश संख्या-66/1(1)-बन्दो०/76-108, दिनांक 17-9-76 के अन्तर्गत सर्वे लेखपाल के नियुक्ति प्राधिकारी सहायक अभिलेख अधिकारी हैं ।

नोट :– नत्थी 'ग' तारांकित प्रश्न संख्या–20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री समी उल्लाह नामक कोई कर्मचारी सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं रहा है, न ही जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी, फैजाबाद द्वारा श्री समी उल्लाह नामक सेवा समाप्त किये गये किसी सर्वे लेखपाल को बहाल करने हेतु पत्रावली मंगाकर कोई कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अधीन कार्यरत मुख्य सेविकाओं को संशोधित वेतनमान स्वीकृत करने पर विचार

3—श्री अकबर हुसैन—

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया अवगत हैं कि वित्त विभाग द्वारा उन कर्मचारियों को जिनका पुराना वेतनमान रु० 470-735 था, और अब जिसे रु० 1200-2040 में संशोधित किया गया था, को दिनांक 1-1-86 से बढ़ाकर 1350-2200 कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस संशोधित वेतनमान का लाभ निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार के अधीन कार्यरत मुख्य सेविकाओं को अब तक न देने का क्या औचित्य है ? इसे कब तक वहां लागू किया जायेगा ?

श्री रमापति शास्त्री—

जी हां।

बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के अधीन कार्यरत मुख्य सेविकाओं को संशोधित वेतनमान रु० 1350-2200 स्वीकृत किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० में अतरौली-सिधौली मार्ग पर गोमती नदी के भटपुर घाट पर पुल निर्माण कराने की मांग

4—श्री राम पाल वर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई सीतापुर लखनऊ जनपद की सीमा जोड़ने हेतु अतरौली-सिधौली मार्ग पर गोमती नदी में भटपुर घाट पर पुल का निर्माण कार्य काफी समय से लम्बित है ? यदि हां, तो क्या जनहित को ध्यान में रखकर उक्त पुल का निर्माण शीघ्र कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

वित्तीय संसाधनों के अभाव में सेतु का निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

पुल का निर्माण कार्य किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ की तहसील-मऊनाथ भंजन के ग्राम-अतरौला पाण्डेय एवं हरपुर के भू-अभिलेखों में आवंटियों के फर्जी इन्दराज का प्रकरण

5—श्री इम्तियाज अहमद—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद की तहसील मऊनाथ भंजन के ग्राम अतरौला पाण्डेय के भू-अभिलेखों में कुछ फर्जी इन्दराज किये गये हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसी ग्राम के खसरा में 1314 फसली में गाटा संख्या-192/15 का भू-खण्ड 0.9 डिस्मिल को 1375 फसली में 7.9 एकड़ किस आधार पर दर्ज किया गया है ? क्या 1375 फसली में गाटा सं० 187/17 के क्षेत्रफल 1.91 एकड़ को 1376 फसली में 11.91 एकड़ कैसे कर दिया गया है ? क्या इस संबंध में शासन द्वारा कोई जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो अब तक फर्जी इन्दराज समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया ।

खसरे की अवधि 12 वर्ष होती है । अतः सत्र 1374, 1375 व 1376 फसली वर्ष के खसरे को नष्ट किया जा चुका है ।

जी हां । जांच में वर्तमान स्थिति निम्नवत है:–अब चकबन्दी प्रक्रिया के उपरान्त सत्र 1387 फसली में प्राप्त जिल्द बन्दोबस्त के अनुसार भूखण्ड संख्या-192/15 का कुल क्षेत्रफल 0.22 एकड़ नये भूखण्ड संख्या- 386 क्षेत्रफल 31.31 एकड़ में सम्मिलित है और श्री जंग बहादुर, लाल बहादुर व विजय बहादुर पुत्रगण श्री हरनारायण, निवासी अतरौला पाण्डेय के नाम श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी अंकित है ।

भूखण्ड संख्या-187/17 का कुल क्षेत्रफल 0.60 एकड़ है जो नई भूखण्ड संख्या 292 क कुल क्षेत्रफल 0.30 एकड़ बना है और 292 श्री गनेश, देवनाथ, पुत्रगण श्री सतराम, झिगुरी पुत्र सहदेव निवासी ग्राम दतौड़ा की श्रेणी-1 क संक्रमणीय भूमिधरी अंकित है ।

परिवर्तित भूखण्ड सं० 292 ख क्षेत्रफल 0.30 एकड़ श्री जगदीश, रामरूप पुत्रगण गंगा, निवासी ग्राम दतौड़ा के नाम श्रेणी-1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी अंकित है ।

उक्त प्रकरणों में कोई फर्जी इन्दराज नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद की मऊनाथ भंजन तहसील के ग्राम हरपुर के भू-अभिलेख में फर्जी इन्दराज किये गये हैं ? क्या ग्राम हरपुर का फाइनल नक्शा तथा अन्य कागजात तहसील केन्द्र पर मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि इसी ग्राम हरपुर की आराजी संख्या- 39, 326, 344, 355, 379, 484, 507, 527, 520, 548, 559, 612, 675, 710, 874, 890, 932, 963 में मूल रकबा से अधिक रकबा फर्जी ढंग से दर्ज किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । तहसील मऊनाथ भंजन के ग्राम हरपुर की खतौनी में 149 आवंटियों के फर्जी इन्दराज का मामला प्रकाश में आया है ।

जी नहीं ।

ग्राम हरपुर की जिल्द बन्दोबस्त एवं बन्दोबस्ती नक्शा की प्रथम एवं द्वितीय प्रतियां मऊनाथ भंजन तहसील के सृजन के पूर्व अभिलेखागार माल आजमगढ़ व तहसील गोहना से गायब हो चुकी है जिसके लिये जनपद आजमगढ़ में कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम हरपुर की जिल्द बन्दोबस्त गायब होने के कारण उक्त भूखण्डों के मूल रकबे की स्थिति स्पष्ट नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ में जिल्द बन्दोबस्त हेतु कार्यवाही चल रही है । तत्पश्चात् स्थिति स्पष्ट होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद मऊ की तहसील मऊनाथ भंजन के ग्राम हरपुर के कार्य वाहक प्रधान द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में वाद विचाराधीन

7–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद की मऊनाथ भंजन तहसील के ग्राम हरपुर के कार्यवाहक प्रधान ने ग्राम समाज की भूमि आराजी नं० 379 पर अवैध कब्जा कर रखा है ? क्या 265 नं० चकरोड को अपने चक में मिलाकर जोत लिया है तथा उसका स्वरूप बदल कर उस भूमि पर भट्ठा लगाकर उससे निजी हित में धन अर्जित किया है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ग्राम हरपुर की खतौनी कितने वर्षों बाद बदली गयी है ? क्या उसके पन्ने भी बदले गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम सभा हरपुर की ग्राम समाज की भूमि सं० 379 के 8 कड़ी क्षेत्रफल पर कार्यवाहक प्रधान का खपरैल का पुराना मकान है, जो अवैध है ।

भूमि संख्या 265 चकरोड पर वर्तमान समय में कोई अतिक्रमण नहीं है ।

भूमि संख्या-379 से अवैध कब्जा हटाने के संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 122-बी के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है ।

ग्राम हरपुर की 1384 फ० से 1398 फ० की खतौनी 15 वर्षों बाद 1399 फ० में बदली गई है ।

वर्तमान खतौनी में पन्ना बदलने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर में वेतवा नदी के संजय सेतु पर पथकर संग्रह करने वाले ठेकेदार श्री पी० आर० सिंह का हैसियत प्रमाण पत्र नीलामी के अनुरूप न पाये जाने पर निरस्त किया जाना

8–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में वेतवा नदी पर संजय सेतु का ठेका श्री पी० आर० सिंह के नाम से पारित हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह ठेका सभी विधिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हुआ था ? यदि हां, तो उसे जिलाधिकारी द्वारा किन परिस्थितियों में रोक लगाकर ठेकेदार का उत्पीड़न किया जा रहा है ? क्या जिलाधिकारी को सेतु हस्तांतरण में व्यवधान का अधिकार है ? यदि नहीं, तो किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर उक्त अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद हमीरपुर में वेतवा नदी पर निर्मित संजय सेतु पर पथकर संग्रह करने का ठेका प्रारम्भ में श्री पृथ्वी राज सिंह के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया गया था किन्तु बाद में मा० उच्च न्यायालय इलाहबाद के आदेश दिनांक 23 सितम्बर 1991 के अनुपालन श्री पृथ्वीराज सिंह के पक्ष में आयुक्त, झांसी मंडल, झांसी द्वारा उक्त ठेका स्वीकृत किया गया था । परन्तु मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को संशोधित कर दिया गया । मण्डलायुक्त झांसी ने मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री पृथ्वीराज सिंह की हैसियत की जांच करायी और उनका हैसियत प्रमाण पत्र नीलामी सूचना के अनुरूप न होने पर पूर्व स्वीकृत ठेके को दिनांक 5 फरवरी, 1992 को निरस्त कर दिया । मण्डलायुक्त के आदेशों का अनुपालन जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी मण्डलायुक्त, जो मामले के सक्षम अधिकारी है, के आदेशों का अनुपालन करा रहे हैं ।

जनपद देवरिया की छोटी गण्डक नदी के गौरया घाट पर निर्माणाधीन पुल को शीघ्र बनाने की मांग

9–श्री रवीन्द्र प्रताप–

विधान सभा के प्रथम पत्र 1992 के प्रथम गुरुवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 50 के उत्तर के क्रम में प्रशासनिक स्वीकृत शासनादेश सं० 826 ई/23 लोक निर्माण अनुभाग 11-102 ई/ 90/ टी० सी० दिनांक 29-3-91 एवं संदर्भ शासनादेश सं० 523 जे०पी० ई/ 23 लो० नि-11-33 (1) ई/91 दिनांक 7-9-91 का पत्र मंत्री जी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

कथित शासनादेश दिनांक 29-3-91 एवं पत्र दिनांक 7-9-91 की प्रतियां संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 235-237 पर)

10–श्री गिरधारी लाल–

[8 वें गुरुवार के लिये स्थगित]

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं दैनिक व सीजनल कर्मचारियों तथा सेल्स मैनों के प्रोन्नति विनियमितीकरण के मामले पर निर्णय लिया जाना

11–श्री छोटे लाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० के लिये सरकार द्वारा कोई ऐसी नीति बनायी गयी है कि निगम के कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अपने गृह जनपद में न रखकर कमिश्नरियों से भी बाहर स्थानान्तरण किया जाये ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य खाद्य निगम में सन् 1983 से कार्यरत दैनिक व सीजनल कर्मचारी हैं जिन्हें न तो नियमित किया गया है और न ही नया वेतनमान दिया जा रहा है उन्हें कब तक निगमित कर नया वेतनमान दे दिया जायेगा ?

खाद्य रसद एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री–(श्री एजाज रिजवी)–

शासन स्तर पर निगम के लिये स्थानान्तरण नीति नहीं बनायी गयी है । निगम में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को यथा संभव गृह जनपद में न रखने की नीति लागू है ।

जी हां ।

इन कर्मचारियों के विनियमितीकरण पर निर्णय संचालक मंडल द्वारा लिया जाना है ।

12–श्री छोटे लाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में शासन द्वारा सन् 1976-77 से नियुक्त सैल्स मैनों को कोई विभागीय प्रोन्नति क्यों नहीं दी जा रही है जबकि उनके बाद से नियुक्त कर्मचारियों को दो-दो प्रोन्नतियां दी गयी हैं तथा सारी सुविधायें भी दी गयी हैं ? ऐसा क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

आवश्यक वस्तु निगम कर्मचारी सेवा नियमावली 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सेल्समैन के पद आच्छादित नहीं है अतः नियमावली के अन्तर्गत उनकी प्रोन्नति संभव नहीं है ।

जनपद आगरा में अर्जुन नगर तिराहे से फतेहपुर सीकरी रोड के बीच लाइन के ऊपर सेतु बनाने पर विचार

13–श्री किशन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेगे कि क्या आगरा में अर्जुन नगर तिराहे से फतेहपुर सीकरी रोड के बीच लाइन के ऊपर पुल बनाने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो यातायात का साधन सरल करके ट्रेफिक जाम से बचे जा सकने हेतु उक्त कार्य कब प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत सम्पार पर उपरिगामी सेतु का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है, जिस पर वांछित सूचनाएं यथा यातायात संगणना आदि एकत्र की जा रही हैं । यदि रेलवे सुरक्षा निधि के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को प्रश्नगत सम्पार पूर्ण करता है, तभी संसाधनों के दृष्टिकोण से वरीयता क्रम के आधार पर उक्त सम्पार के स्थान पर उपरिगामी सेतु के निर्माण पर विचार किया जा सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के समसाबाद रोड पर पड़ी निर्माण सामग्री का मुआवजा

14–श्री किशन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 91 में सितम्बर-अक्टूबर माह में उनके द्वारा आगरा समसाबाद रोड पर पड़ी निर्माण सामग्री व गिट्टी का मुआयना किया गया था जिसमें गलत सामान पाये जाने पर अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही और ठेकेदारी को ब्लैक लिस्टेड कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी जानकारी देंगे कि उक्त मामले में अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ? क्या उक्त अधिकारी व ठेकेदारी के खिलाफ अब कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि अध्याप्ति इकाइयों में भूमि अध्याप्ति अधिकारियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की संख्या की जानकारी तथा चतुर्थ श्रेणी के अर्ह कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का प्रकरण

15–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में जब से शासन ने भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को नियुक्ति का अधिकार दिया है तब से अब तक भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कितनी नियुक्तियां वर्ग ग एवं घ में की गयीं ? उनमें आरक्षण का कितना ध्यान रखा गया ? क्या उक्त नियुक्तियां चतुर्थ श्रेणी के योग्य कर्मचारियों की पदोन्नति से भरी जा सकती थीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

दिनांक 8 मई, 1986 के शासनादेश द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को उनके नियन्त्रणाधीन कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकारों के प्रतिनिहित के बाद से अब तक वर्ग- ''ग'' तथा वर्ग-''घ'' में की गई क्रमशः 333 तथा 164 नियुक्तियों में से 79 तथा 42 नियुक्तियां अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की थीं । इस प्रकार दोनों वर्गों में आने वाले कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के क्रमशः 23.7 प्रतिशत तथा 25.6 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित किया गया । भूमि अध्याप्ति इकाइयों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा नियमावली बन जाने के बाद ही चतुर्थ श्रेणी के अर्ह कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नति किया जाना संभव होगा ।

16–श्री गामाराम शास्त्री–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशक के आदेश सं०-6127-6281,दिनांक 10-6-87 के बाद पदोन्नति आदि पर रोक के बावजूद भी वृहद मात्रा में भूमि अध्याप्ति अधिकारियों द्वारा नियुक्तियां व पदोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उसके संबंध में प्रशासनिक विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त की गयी थी ? क्या मंडल स्तर पर वर्ष 1986 के बाद भूमि अध्याप्ति इकाइयों में प्रधान लिपिकों/लेखा लिपिकों की पदोन्नति के बाद रिक्त स्थानों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नतियां की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन का आदेश मात्र लेखालिपिकों के पद पर पदोन्नति का था ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

भूमि अध्याप्ति निदेशक के संदर्भित आदेश के बाद निदेशालय की अनुमति के बिना नियुक्तियां/पदोन्नतियां नहीं की गईं । मण्डल स्तर पर वर्ष 1986 के बाद भूमि अध्याप्ति इकाइयों में प्रधान लिपिक/लेखा लिपिकों की पदोन्नति के बाद रिक्त स्थानों पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति किये जाने का कोई मामला शासन की जानकारी में नहीं है । शासन का कोई आदेश चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र लेखा-लिपिकों के पद पर पदोन्नति किये जाने का नहीं है ।

जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली के ग्राम-बबुरी में चकबन्दी के समय बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दोषी कर्मचारियों का निलम्बन एवं फर्जी अमल दरामद को ठीक करने हेतु जांच आदेश

17–ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बबुरी, त० चन्दौली, जिला वाराणसी की चकबन्दी में हुई अनियमितता, दूसरों के नम्बरों पर गलत नाम तथा गांव सभा की जमीनों पर गलत नाम दर्ज करने के बारे में संयुक्त संचालक चकबन्दी, श्री जे० के० सिंह ने सन् 83 में जांच किया था और शिकायतों को सही पाया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उनकी रिपोर्ट को आयुक्त चकबन्दी उ० प्र० ने अनुमोदन करके चकबन्दी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 24-5-83 को दिया था ? क्या गलत नाम जो दर्ज किये गये हैं उसको भी ठीक करने का आदेश दिया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने सचिव, राजस्व विभाग को अपने पत्र के साथ दोनों रिपोर्टों को संलग्न करके ता० 1-4-91 को दिया था ? क्या पुनः ता० 10-2-92 को दोनों रिपोर्टों एवं किसानों की दरख्वास्त के साथ आयुक्त, चकबन्दी उत्तर प्रदेश को पत्र दिया है ? यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ? क्या जो नाम गलत तथा अवैध तरीके

से दर्ज किये गये और जिन पर फैसला किया गया, उसको ठीक करने में अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? कितने कर्मचारियों को बर्खास्त या निलम्बित किया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

एक चकबन्दी अधिकारी, दो सहायक चकबन्दी अधिकारियों, एक-एक चकबन्दी कर्ता तथा लेखपाल, जो कथित रूप से दोषी पाये गये, के विरुद्ध यथावश्यक निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही की गई । उक्त चकबन्दी अधिकारी की सेवा निवृत्ति और उसके पश्चात् मृत्यु हो गई तथा एक सहायक चकबन्दी अधिकारी की भी मृत्यु हो गयी । चकबन्दी लेखपाल को दंडित किया गया । अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये ।

फर्जी अमल दरामदों को शीघ्र ठीक करने हेतु जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी को निर्देशित किया जा चुका है ? मा० सदस्य के दूसरे पत्र के साथ प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर भी जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

स्थिति ऊपर दी गई है ।

जनपद वाराणसी की तहसील व परगना भदोही के ग्राम-सरवत खानी में गाटा पर अवैध कब्जा

18–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सरवत खानी, परगना भदोही, त० भदोही, जिला वाराणसी की आ० नं० 1375/1580 गांव सभा की संपत्ति है ? क्या इस जमीन पर गांव सरवत खानी के कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर गांव सभा की सम्पत्ति पर कब्जा करने से रोकने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद वाराणसी के परगना व तहसील भदोही के ग्राम सरवत खानी में खसरा नंबर 1375/1580 का कोई गाटा नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत मीरानपुर के निवासी श्री जय राम माली पुत्र जगेश्वर को चिकित्सा हेतु स्वीकृत धनराशि की जांच तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

19–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या कारागार मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री जय राम माली के नाम से उपचार हेतु अनुदान के रूप में शासन द्वारा 4000/-(चार हजार रु०) स्वीकृत था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उनके मरने के उपरान्त उक्त धन जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा था, उसका भुगतान उस स्थिति में जबकि स्व० जय राम माली की अन्त्येष्टि हेतु एक हजार का भुगतान जिला प्रशासन कर चुका था, स्व० जय राम माली के नाम पर भुगतान किया जाना, दिखाकर कर्मचारियों द्वारा हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार एवं राजनैतिक पेंशन राज्य मंत्री–(श्री उमानाथ सिंह)–

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रा० मीरानपुर के निवासी श्री जयराम पुत्र जगेश्वर को शासन द्वारा अक्टूबर, 1990 में रु० 4,000/- का चिकित्सा अनुदान स्वीकृत किया गया था।

मामले की जांच जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है ?

जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बांदा के लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के कार्यों का परीक्षक द्वारा प्राविधिक परीक्षण किया जाना

20–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 18-12-91 व 19-12-91 लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा के कार्यों का प्राविधिक परीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा किया जाना निर्धारित था ? यदि हां, तो परीक्षक द्वारा किस-किस कार्य का स्थलीय परीक्षण किया गया ? क्या माह मार्च, 90 से अब तक लगभग 9 करोड़ रुपयों के व्यय की उपयोगिता की भी जांच की गयी है ? यदि हां, तो प्राविधिक परीक्षण की आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां।

परीक्षक द्वारा झांसी मिर्जापुर मार्ग, बहराइच-बांदा मार्ग, लामा-लुकतरा मार्गों में 40-90 मि० मी० 40-63 मि० मी० एवं 25-50 मि० मी० साइज स्टोन बैलास्ट के 15 अनुबन्धों का प्राविधिक परीक्षण किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग बुन्देलखण्ड सम्भाग में एक खण्ड में अधिक समय तक कार्य करने पर तकनीकी/गैर तकनीकी पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण

21–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि बुन्देलखण्ड सम्भाग में कितने ऐसे तकनीकी व गैर तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनका स्थानान्तरण निर्धारित समय सीमा से अधिक कार्यकाल हो जाने के बावजूद भी नहीं किया गया है ? क्या इन कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर आगामी सत्र में विचार होगा ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या यह भी बतायेंगे कि ऐसे कर्मचारियों की एक खण्ड में कार्य करने की अवधि क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

शासन की नीति के अनुसार कम से कम स्थानान्तरण करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड संभाग में स्थानान्तरण के पात्र 5 अधिकारियों व 35 कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा से अधिक कार्यकाल हो जाने के बावजूद भी स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

निर्धारित नीति के अन्तर्गत पात्रता के आधार पर विचार करनां सम्भव है

प्रश्न नहीं उठता ।

एक खण्ड में कार्य करने की अवधि अधिकारियों के लिये सामान्यतः 3 वर्ष एवं कर्मचारियों के लिये सामान्यतः 5 वर्ष निर्धारित है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के बाजार लम्भुआ के पास पड़ी भूमि को सीलिंग में अंकित किया जाना

22–श्री राजपाल त्यागी–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर, ब्लाक लम्भुआ के बाजार लम्भुआ में जूनियर हाई स्कूल के समीप इसकी 1 बीघा 12 बिस्वा जमीन, जिस पर सब पावर स्टेशन का निर्माण लगभग 10 वर्ष पूर्व हुआ है, यह आधार वर्ष की खतौनी में क्या भूमि अंकित है ? वर्तमान समय में उस भूमि की स्थिति क्या है ? क्या शासन को जानकारी है कि उक्त जमीन, आधार वर्ष की खतौनी में सीलिंग अंकित है और वर्तमान समय में अधिकारियों ने इस कीमती जमीन की पत्रावली तैयार करके किसी व्यक्ति विशेष को खाता स्वामी बना दिया है ? क्या यह सत्य है कि यह मामला जिला अधिकारी ने पकड़ा है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही शासन द्वारा हो रही है ? क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित करके तथा उक्त फर्जी खाते को कटा कर पुनः भूमि को ग्राम समाज (सीलिंग) के अन्तर्गत अंकित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम लम्भुआ, विकास खंड लम्भुआ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर का पुराना गाटा संख्या 141/5-10-0 जिसमें जूनियर हाई स्कूल तथा सब पावर स्टेशन का निर्माण हुआ है, उसका नया गाटा संख्या 41 रकबा 4-16-5 है तथा यह आधार वर्ष की खतौनी (वर्ष 1375-77 फसली) के अंतर्गत खाता संख्या 234 पर राजा जगदीश प्रताप शाही पुत्र राजा अवधेन्द्र प्रताप शाही निवासी दियरा, परगना अल्देमऊ, तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर के नाम अंकित थी । अतिरिक्त चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 30-1-1972 द्वारा उक्त गाटे में से 141/0-11-18 जूनियर हाई स्कूल लम्भुआ के नाम वर्ग-6 अंकित किया गया तथा 141/4-4-17 द्वारिका सिंह आदि के नाम सीरदार के रूप में अंकित किया गया । नियत प्राधिकारी/परगनाधिकारी, कादीपुर के आदेश दिनांक 29-8-1977 द्वारा पुरानी गाटा संख्या 141/5-10-0 अतिरिक्त घोषित होकर सीलिंग के रूप में अंकित होने का आदेश पारित हुआ । किन्तु उस समय कृषि योग्य न होने के आधार पर शासन द्वारा उक्त भूमि गांव सभा में निहित की गई ।

द्वारिका सिंह आदि द्वारा आपत्ति करने पर नियत प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के आदेश दिनांक 8-8-1988 के द्वारा गाटा संख्या 41 जिसका पुराना नम्बर 141 है, का 4-16-5 क्षेत्रफल पुनः द्वारिका सिंह आदि को उक्त गाटे का भूमिधर माना गया और सीलिंग खातेदार राजा जगदीश प्रताप शाही को पुनः विकल्प देने का निर्देश दिया गया जिसके विरुद्ध राजा जगदीश प्रताप शाही द्वारा अपर

आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद के न्यायालय में अपील करने पर उन्हें पुनः विकल्प देने से मुक्त कर दिया गया जिसके विरुद्ध शासन की ओर से, खातेदार की भूमि पुनः सीलिंग में घोषित करने हेतु दिनांक 7-1-1992 को ही माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर दी गयी है । जहां तक जिलाधिकारी द्वारा मामला पकड़ने की बात है, अंकित खातेदार ने सब पावर स्टेशन हेतु दी गयी भूमि का प्रतिकर पाने के लिये प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु सीलिंग से प्रभावित होने के कारण प्रतिकर का भुगतान रोकने के आदेश दिनांक 12-10-1991 को जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दिये जा चुके हैं । चूंकि यह आदेश न्यायालयों द्वारा न्यायिक कार्यवाही में हुये हैं अतः कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है ।

जनपद अलीगढ़, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, हाथरस में अवर अभियन्ता के कक्ष को विरोधियों द्वारा तोड़ा जाना

23–श्री राम सरन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०, हाथरस, जिला अलीगढ़ में 2 अवर अभियन्ता के कक्ष का निर्माण वहां के अधिकारियों ने कराया था ? यदि हां, तो क्या अब उसे तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो किस सक्षम अधिकारी के आदेश से यह निर्माण वहां से हटाया गया ? क्या इस निर्माण को तोड़ने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश जारी था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में भवन तोड़ा गया ? क्या भवन तोड़ने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी हां ।

अपर व्यवहार न्यायाधीश, अलीगढ़ के अपील सं० 249/82 में दिये गये विभाग के विरुद्ध निर्णय के आधार पर प्रश्नगत निर्माण विरोधी पक्ष ने तुड़वा दिया ।

निर्माण को तोड़ने के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश भवन तोड़ने के पश्चात् प्राप्त हुए ।

मा० न्यायालय के आदेशों के आधार पर निर्मित कार्य को विरोधी पक्ष ने तुड़वा दिया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फर नगर के परगना बघरा के ग्राम अलीपुर कला में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग के आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का निर्देश

24–श्री गया चरन दिनकर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अलीपुर कला, परगना बघरा, तहसील सदर, जिला मुजफ्फर नगर में खसरा नं० 135 मि० 2-0-0 व 318. मि० रकवई 3-10-0 व 381 रकवई 1-10-0 पुख्ता भूमि, भूमि आवास हेतु आधिपत्य अधिकारी द्वारा वर्ष 1974 में एक्वायर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या दि० 3-9-90 को अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग के पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार करके परगना अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका कब्जा उन्हें दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

आवंटियों को आवंटित भूमि पर परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 21-2-91 को कब्जा दिला दिया गया था परन्तु आवंटी अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाये । पुनः कब्जा दिलाये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को दे दिये गये हैं ।

25–श्री तेज भानसिंह–

[दिनांक 27-2-92 को अता० प्र० सं० 77 द्वारा उत्तरित]

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज को नया जनपद बनाने हेतु प्राप्त पत्र को राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षणार्थ भेजा जाना

26–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जो जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कन्नौज को नया जिला बनाने के संबंध में था, जिसे उनके पत्रांक एफ० वी० आई० पी० 50/92 दिनांक 17-1-92 द्वारा राजस्व सचिव को आवश्यक कार्य हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था जिसे अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित मण्डल/जिला/तहसील पुनर्गठन समिति के परीक्षणार्थ भेज दिया गया है ।

समाज कल्याण निदेशालय में कम्प्यूटर आपरेटर का पद आरक्षित न होना

27–श्री तेजभान सिंह–

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष समाज कल्याण निदेशालय द्वारा कम्प्यूटर आपरेटर पद जो कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित था, उस पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी ? क्या उपरोक्त नियुक्ति के समय शासन द्वारा भर्ती एवं नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था ? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना क्यों की गयी ? क्या प्रश्नगत प्रश्न पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रमापति शास्त्री–

पद आरक्षित नहीं था ।

काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होने तक पूर्व से इस पद पर कार्यरत कर्मचारी की अवधि वृद्धि की गई ।

जी हां । नियमित नियुक्ति नहीं की गयी थी । अतः शासनादेश की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि पद आरक्षित नहीं है ।

अतः प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में स्थित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बाढ़) को तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री देवेन्द्र सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा बरती गई अनियमितताओं के परीक्षण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

28-श्री महेन्द्र जैन–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बाढ़), सा० नि० वि०, लखनऊ को श्री देवेन्द्र सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बाढ़), सा० नि० वि०, लखनऊ का पत्र दिनांक 4-4-88 सहायक अभियन्ता द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता के संबंध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री देवेन्द्र सिंह, तत्कालीन अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बाढ़), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र दिनांक 4--4-88 की छाया प्रति दिनांक 11-3-92 को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बाढ़), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये पत्र के संलग्नक के रूप में प्राप्त हुई है।

संदर्भगत पत्र में उठाये गये बिन्दु परीक्षणाधीन हैं। परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जनपद अलीगढ़ में प्रान्तीय खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री शिव चरन दास मित्तल तथा जनपद बनारस के अधीक्षण अभियन्ता श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

29–श्री महेन्द्र जैन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिवचरन दास मित्तल, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, अलीगढ़ एवं श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, अधीक्षण अभियन्ता, बनारस के विरुद्ध शासन एवं प्रमुख अभियन्ता, लो० नि० वि० को 1-1-85 से 31-12-91 तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या उक्त शिकायतों की प्रतियां सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शिकायतों की जांच कराई गयी अथवा नहीं ? यदि करायी गयी, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी ? क्या वे उक्त जांच में दोषी पाये गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री शिव चरन दास मित्तल, सहायक अभियन्ता 2-11-85 से 13-8-89 तक तथा श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता 6-8-84 से 13-6-88 तक निर्माण खण्ड (बाढ़), लखनऊ में कार्यरत रहे। इस अवधि में श्री मित्तल के विरुद्ध शासन स्तर से 4 तथा प्रमुख अभियन्ता स्तर से दो एवं श्री मिश्रा के विरुद्ध शासन स्तर से एक तथा प्रमुख अभियन्ता स्तर से शून्य शिकायतें प्राप्त हुईं। प्रश्न में वर्णित अवधि में अन्य शिकायती पत्रों की प्राप्ति की छानबीन की जा रही है। उक्त शिकायती पत्रों पर जांच की जा रही है। अतः गोपनीयता की दृष्टिगत रखते हुये सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

शिकायतों की जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिकायतों की जांच प्रचलित है । जांच आख्या प्राप्त होने पर उसके आलोक में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री पी० एन० सिंह के जन्म दिनांक की सतर्कता विभाग से जांच

30—श्री श्याम नारायन—

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग, लोक निर्माण विभाग, उ० प्र० द्वारा संयुक्त सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-6 को सहायक अभियन्ता पी० एन० सिंह, जो मूलतः बिहार प्रान्त के निवासी हैं, के जन्म दिनांक की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराये जाने की प्रबल संस्तुति इस आशय से की गयी थी कि उक्त प्रकरण की विभागीय जांच कराया जाना सम्भव नहीं है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि शासन द्वारा सतर्कता विभाग से उपरोक्त प्रकरण की जांच कब तक करा ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां । मुख्य अभियन्ता (राष्ट्रीय मार्ग), लोक निर्माण विभाग से इस आशय का पत्र 3 जून, 1991 में प्राप्त हुआ है ।

सतर्कता विभाग से इस विषय में जांच करने हेतु जुलाई, 1991 में अनुरोध किया गया है । मामला अभी सतर्कता विभाग के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत, लखनऊ द्वारा श्री पी० एन० सिंह के विरुद्ध ग्रिट की आपूर्ति में अनियमितता बरते जाने पर कारण बताओ नोटिस देने तथा प्रकरण की जांच का निर्णय

31—श्री श्याम नारायन —

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि रिंग मार्ग शारदा कैनाल पटरी लखनऊ के कि० मी० 3 पर सहायक अभियन्ता पी० एन० सिंह द्वारा बी० एम० एवं एस० डी० सी० ग्रिट की आपूर्ति हेतु आमंत्रित निविदाओं के निस्तारण में पद के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के लिये तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लखनऊ द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस सहायक अभियन्ता पशुपति नाथ सिंह के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो उस कारण बताओ नोटिस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या कारण बताओ नोटिस सहायक अभियन्ता पी० एन० सिंह को प्राप्त हो गयी थी ? यदि नहीं, तो मुख्य अभियन्ता द्वारा श्री पी० एन० सिंह से किस आधार पर प्रत्यावेदन स्वीकार किया गया ? क्या गोपनीयता भंग करने के लिये मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) दोषी है ? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां । तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा श्री पी० एन० सिंह के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस का आलेख्य मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र के अनुमोदनार्थ भेजा गया था ।

मुख्य अभियन्ता द्वारा कारण बताओ नोटिस न देकर प्रकरण की अग्रेतर जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया। अतः श्री सिंह पर कथित नोटिस तामील कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सिंह ने स्वतः एक प्रत्यावेदन मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत किया था, जिसे जांच अधिकारी को भेज दिया गया था। मुख्य अभियन्ता के इस कृत्य से कोई गोपनीयता भंग नहीं हुई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर पुल निर्माण के ठेकेदार की मृत्यु के प्रतिस्थापन के संबंध में विचाराधीन निर्णय

32—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर पुल निर्माण हेतु लाला उमराव सिंह बनाम सरकार का केस लगभग 20 वर्षों से चल रहा है ? क्या यह केस उक्त ठेकेदार की मृत्यु के उपरान्त पुनः किसी लाला राम चन्दर के नाम से चालू किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा लाला उमराव सिंह के क्लेम के हकदार का निर्णय कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

जी हां।

प्रथम पक्षकार की मृत्यु के पश्चात् प्रतिस्थापन के संबंध में अभी निर्णय विचाराधीन है।

जी नहीं। लाला उमराव सिंह के हकदार का निर्णय पंच निर्णायकों को करना है।

जनपद कानपुर में गंगा नदी पर निर्मित जाजमऊ पुल पर पथ कर वसूल किया जाना

33—श्री निर्वेन्द्र कुमार—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में जाजमऊ पुल का गंगा नदी का ठेका मात्र छह रुपया के स्टाम्प पर चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह ठेका नियमानुकूल न होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है ? क्या इस पुल पर पथ कर वसूली अब भी की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 5-2-91 के अनुपालन में प्रश्नगत पुल का ठेका मात्र 6 रुपये के स्टाम्प पर चलाया जा रहा है ?

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत सेतु की निर्माण लागत नियमानुसार ब्याज एवं व्यवस्थापन व्यय सहित वसूल नहीं हो सकी है। इसलिये पथ कर वसूल किया जा रहा है।

34–श्री पूरन प्रकाश तथा श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

[8वें बुध में अता० प्र० सं० 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लोक निर्माण विभाग में अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिशासी/सहायक अभियन्ताओं की संख्या एवं आरक्षित पदों पर पदोन्नति का प्रकरण

35–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूरे प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में कितने अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिशासी अभियन्ताओं के कितने पद रिक्त हैं ? क्या शासनादेश संख्या 1265/सचिव रा० ए० को०/91 दिनांक 31-10-91 के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग से अनुमोदित एवं पात्र सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति कर के आरक्षण कोटा कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

विभाग में अनुसूचित जाति के 19 व अनुसूचित जन जाति का 1 अधिशासी अभियन्ता तथा अनुसूचित जाति के 263 व अनुसूचित जन जाति के 17 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ।

विभाग के अभियन्ता अधिकारियों की ज्येष्ठता विवादित होने एवं अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के संबंध में समय-समय पर मा० न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने के कारण वर्ष 1985 के पश्चात् कोई सामान्य चयन नहीं हो सका है तथा इन्हीं कारणों से अधिशासी अभियन्ता के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये विशेष चयन भी नहीं कराया जा सका है ।

वर्तमान में भी अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नति पर मा० न्यायालय का स्थगन आदेश है । स्थगन आदेश समाप्त होने पर यथा समय नियमानुसार आरक्षित वर्ग की रिक्तियों की गणना करके उन पर अर्ह अभ्यर्थियों की पदोन्नति करके आरक्षण कोटे को पूरा करना सम्भव है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम सिविल संवर्ग में आरक्षित सहायक अभियन्ताओं की संख्या

36–श्री दल सिंगार यादव तथा श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य सेतु निगम के सहायक अभियन्ता सिविल संवर्ग पद पर प्रोन्नति द्वारा अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण है ? यदि नही, तो कब तक कोटा पूरा कर दिया जायेगा ? क्या कार्मिक विभाग द्वारा जारी विशेष चयन से संबंधित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में सहायक अभियन्ता सिविल संवर्ग में प्रोन्नति में कुल स्वीकृत व कार्यरत पदों की संख्या तथा उनके विरुद्ध अनुसूचित जाति के सहायक अभियन्ताओं की संख्या क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पदों की स्वीकृति "सीधी भर्ती" अथवा "प्रोन्नति" के नाम से नहीं होती है । सेतु निगम में सीधी भर्ती के अवर अभियंताओं में से 25 की प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर हुई है जिसमें से अनुसूचित जाति के प्रोन्नति सहायक अभियन्ता (सिविल) की संख्या 5 है । इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता जो निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे, के संविलियन के बाद उनमें से प्रोन्नति संख्या 12 है जिसमें अनुसूचित जाति का कोई सदस्य नहीं है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम मुगौरा में 200 बीघे आवंटित भूमि की जांच तथा तत्कालीन परगनाधिकारी, नरैनी द्वारा अवैधानिक आदेश के विरुद्ध कार्यवाही

37–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अंतर्गत ग्राम मुगौरा के ग्राम प्रधान द्वारा 200 बीघे भूमि के अवैधानिक रूप से किये गये पट्टों के संबंध में दिनांक 25-7-91 के ग्राम प्रधान के शिकायती पत्र पर उन्होंने अपने पत्र संख्या-आर० एम०-662/1-2-91 रा० 2 व राजस्व सचिव ने अपने पत्र संख्या–आर० एम० 183/1-2-91-रा०-2 पर जिलाधिकारी, बांदा को प्रभावी कार्यवाही व जांच आख्या शासन को तुरन्त भेजने के निदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि नहीं, तो जांच न करवाने के क्या कारण हैं ? क्या शीघ्र जांच करवा कर प्रश्नकर्ता को जांच आख्या से अवगत कराया जायेगा और दोषी को दण्डित किया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच आख्या निम्नवत् है:–

(1) ग्राम सभा मुगौरा की भूमि प्रबन्धक समिति ने दिनांक 30-6-1983 को 68 व्यक्तियों को भूमि आवंटन का प्रस्ताव किया जो तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा दि० 25-4-1984 को स्वीकृत किया गया ।

(2) उक्त समिति ने दूसरा भूमि आवंटन का प्रस्ताव दि० 19-4-85 को 5-43 एकड़ भूमि आवंटन का पारित किया जिसकी स्वीकृति तत्कालीन परगनाधिकारी ने दिनांक 29-1-1986 को प्रदान की ।

(3) उक्त दोनों प्रस्तावों पर स्वीकृत आवंटियों को मौके पर उनकी आवंटित भूमि पर कब्जा दखल दे दिया गया ।

(4) उक्त ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें चल रही थीं अतः परवाने चकबन्दी कार्यालय को अमलदरामद के लिये भेजे गये परन्तु किन्हीं कारणों से चकबन्दी में पट्टेदारों का अमलदरामद नहीं हो पाया ।

(5) चकबन्दी से अभिलेख वापस तहसील आने के बाद पक्ष और विपक्ष में शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिन पर तत्कालीन परगनाधिकारी, नरैनी ने दि० 29-8-89 को दो अलग-अलग आदेशों द्वारा आवंटनों को निरस्त कर दिया ।

(6) पट्टों के निरसन का आदेश जिलाधिकारी/कलेक्टर ही ज० वि० अधि० की धारा 198 (4) के अन्तर्गत पारित करने के लिए सक्षम हैं । परगनाधिकारी को पट्टों के निरस्तीकरण का अधिकार नहीं है । उक्त आवंटन के आधार पर 62 आवंटी मौके पर पिछले 7 वर्षों से काबिज हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं । पुराने आवंटी अधिकांश हरिजन हैं और चकबन्दी की गलती के कारण ही उनके स्वीकृत पट्टों का अमलदरामद नहीं हुआ । तत्कालीन परगनाधिकारी, नरैनी द्वारा दिनांक 25-7-1991 को राजस्व अभिलेखों में तद्नुसार अमलदरामद करने के आदेश दिये गये ।

जांच के परिणामस्वरूप पट्टों के अमलदरामद का आदेश दिनांक 25-7-1991 नियमानुकुल पाया गया है । तत्कालीन परगनाधिकारी, नरैनी के विरुद्ध, उनके द्वारा उपरोक्त अवैधानिक आदेश दिनांक 29-8-89 पारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के ग्राम भोपा बाजार में प्रश्नगत भूमि पर गोपाल शिशु मंदिर का कब्जा सम्बन्धी विवाद न्यायालय में विचाराधीन

38–श्रीमती शारदा देवी–

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुभावती देवी बेवा स्व० श्री ओम प्रकाश, ग्राम भोपा बाजार, तहसील चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर को भूमि प्रबन्धक समिति भोपा बाजार में अराजी नं०–33 में मकान बनाने हेतु 40x20 फिट भूमि आवंटित किया है ? यदि हां, तो क्या श्रीमती सुभावती को आवंटित भूमि के कुछ भाग पर किसी दबंग व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में उन्होंने मा० मुख्य मंत्री को दिनांक 30-1-92 को लिखित प्रार्थना-पत्र जरिये रजिस्ट्री प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि श्रीमती सुभावती द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त करने के बावजूद भी कोई दबंग व्यक्ति उसकी भूमि पर काबिज है ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

श्रीमती सुभावती देवी को भूमि प्रबंधक समिति द्वारा कोई भूमि मकान बनाने हेतु आवंटित नहीं हुई है । प्रश्नगत भूमि पर गोपाल शिशु मंदिर भोपा बाजार का कब्जा है । सन्दर्भित पत्र प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।

श्रीमती सुभावती देवी के कथनानुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का स्थगन आदेश है । वर्णित भूमि पर गोपाल शिशु मंदिर का कब्जा है । चूंकि प्रश्नगत भूमि का विवाद न्यायालय मुंसिफ चार, गोरखपुर में भी विचाराधीन है इसलिए सरकार द्वारा विवादित भूमि के स्वत्व एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं है, तथा गुण-दोष के बारे में टिप्पणी का कोई औचित्य नहीं है ।

39–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद एटा की तहसील पटियाली के भवन के निर्माण पर विचार

40–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या राजस्व मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा की नवीन तहसील पटियाली के भवन बनाने हेतु प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि भवन की स्वीकृति है तो भवन निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद एटा की तहसील पटियाली के भवन निर्माण के लिए, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने तथा आय-व्ययक में धन की पर्याप्त उपलब्धता होने पर उक्त निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देने पर विचार किया जाना सम्भव होगा ।

जनपद एटा को कादरगंज में गंगा नदी पर पीपे के पुल को पूरा करने की मांग

41–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कादरगंज, जनपद एटा में गंगा नदी पर पीपों का पुल का कार्य वित्तीय अभाव में अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर के प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत सहायक अध्यापकों के वेतन का प्रकरण

42–श्री गामा राम शास्त्री–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के विभागीय प्राइमरी पाठशालाओं के 19 सहायक अध्यापकों का वेतन जनवरी, 1988 से रोका गया था ? क्या अध्यापकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर की गयी जिसकी सुनवाई दिनांक 11 जून, 1990 को हुई, जिसमें अध्यापकों को पूरे काल अर्थात् जनवरी, 1988 से अब तक के वेतन के साथ-साथ उनके वेतन एरियर के भुगतान का फैसला दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसके बाद भी उन अध्यापकों को अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है ? क्या इनसे पूरी सेवा ली जाती है ? यदि हां, तो उन अध्यापकों का वेतन भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या अध्यापकों में 90 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अध्यापक हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

43–श्री यदुनाथ सिंह–

[8वें शुक्र में अता०प्र०सं० 27 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के दोहरीघाट कस्बा में सस्ते गल्ले चीनी की दुकान का चयन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा किया जाना

44–श्री इम्तियाज अहमद––

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मऊ जनपद के दोहरीघाट कस्बा में मार्च, 1991 में सरकारी मिट्टी के तेल की कोई नई दुकान खोलने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित करने के लिये समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन दिया गया है ? यदि नहीं, तो नियमों का अतिक्रमण करते हुए श्री कल्पनाथ साहू को किस आधार पर दुकान आवंटित की गयी है ? क्या उपर्युक्त दुकान का चयन, चयन कमेटी द्वारा किया गया ? यदि नहीं, तो क्या जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा चयन किया गया था ?

श्री एजाज रिजवी–

(क) जी नहीं ।

(ख) तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा श्री कल्पनाथ साहू के नाम पूर्व में सस्ते गल्ले/चीनी की दुकान होने के आधार पर फुटकर मिट्टी के तेल का लाइसेन्स जारी किया गया । चयन समिति द्वारा चयन न करके जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा चयन किया गया ।

प्राइमरी पाठशालाओं एवं छात्रावासों को आवर्तक अनुदान सूची पर लेने हेतु नियमों/शर्तों का विवरण

45–श्री इम्तियाज अहमद––

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा गत 31-3-89 को 119 प्राइमरी पाठशालायें और 33 छात्रावासों को आवर्तक अनुदान सूची पर लिया गया ? यदि हां, तो क्या आवर्तक अनुदान सूची पर लिये जाते समय नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्यालयों और छात्रावासों को अनुदान सूची पर लेने के नियम क्या हैं ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी हां ।

प्राइमरी पाठशालाओं एवं छात्रावासों को अनुदान पर लेने के नियम/शर्तें निम्नलिखित हैं :–

(1) जो संस्थायें वर्ष 83-84 तक अनावर्तक आधार पर अनुदान प्राप्त कर रही थी, केवल उन्हीं में से चयनित संस्थाओं को अब आवर्तक अनुदान दिया जाना है ।

(2) संस्था का संचालन 10 वर्ष या अधिक अवधि से निरन्तर हो रहा हो ।

(3) संस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्थायी या अस्थायी मान्यता प्राप्त हो ।

(4) संस्था में अध्ययनरत बच्चों में कम से कम 50 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जाति/जन जाति के हों । शासन विशेष परिस्थितियों में छूट दे सकता है ।

जनपद मऊ में प्रबुद्ध अम्बेदकर छात्रावास, मुहम्मदाबाद गोहना नामक संस्था का न होना

46–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ में पूर्व विधायक श्री तपेश्वर राय की अध्यक्षता में कल्याण समिति सैदपुर, मुहम्मदाबाद, गोहना नामक संस्था के अधीन प्रबुद्ध अम्बेदकर

छात्रावास मुहम्मदाबाद गोहना नामक कोई संस्था कार्यरत थी ? यदि हां, तो इसका पंजीयन कब हुआ था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कल्याण समिति, सैदपुर, मुहम्मदाबाद गोहना, जिसका पंजीयन 1990 में हुआ था को क्या अनुदान सूची पर लाया गया ? क्या वर्ष 1990 में पंजीकृत इस संस्था को 1989 में ही अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ की तहसील मऊनाथ भंजन के ग्राम सभा हरपुर में कृषि भूमि का पट्टा न देने का प्रकरण

47–श्री इम्तियाज अहमद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद की मऊनाथ भंजन तहसील की ग्राम सभा की भूमि आवंटन पत्रावली तहसील केन्द्र पर उपलब्ध है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1976 की भूमि प्रबन्धक समिति, हरपुर, जनपद मऊ, जिस पर भूमि आवंटन का प्रस्ताव हुआ है, मौजूद है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस गांव के लेखपाल की मौजूदा खतौनी में आवंटन के क्रमांक में गलत इन्दराजात हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? ग्राम हरपुर में 1976 में कितने पात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी है ? क्या आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को कब्जा दिलाया गया ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम सभा हरपुर, तहसील मऊनाथ भंजन की कृषि आवंटन पत्रावली तहसील पर उपलब्ध नहीं है।

ग्राम हरपुर में वर्ष 1976 में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा भूमि आवंटन से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम हरपुर की वर्तमान खतौनी के पृष्ठ संख्या–65 से 70 तक पर 149 फर्जी आवंटियों का इन्द्राज पाया गया है, अभिलेखों की दुरुस्तगी हेतु नियमानुसार भू० रा० अ० की धारा 33/39 के अन्तर्गत वाद योजित किया गया है ।

वर्ष 1976 में ग्राम हरपुर में किसी भी व्यक्ति को कृषि पट्टा नहीं दिया गया है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, 55वां वृत्त के कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायकों के विरुद्ध शिकायती पत्र

48–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, 55वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर के वरिष्ठ सहायकों द्वारा अनियमिततायें करने के कारण उनके खिलाफ कोई शिकायती

पत्र दिनांक 3-12-91 व 12-2-92 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत शिकायती पत्रों के प्राप्ति की पुष्टि नहीं हो पायी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के कतिपय मार्गों को लेपन स्तर तक निर्माण करने की प्रगति का विवरण

49–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरवां अचलगंज व रावतपुर पन्सारी से दुबेपुर व बेथर कुलुटा गाढ़ा मार्गों, जनपद उन्नाव को लेपित किये जाने की स्वीकृति कब हुई ? शासनादेश के बाद मार्गों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ? क्या यह सच है कि पूर्व में स्वीकृत मार्गों का निर्माण कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो मार्गों का निर्माण कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्गों को लेपित स्तर तक निर्मित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 24-3-1990 द्वारा हुयी ।

मार्च, 1992 तक प्रश्नगत मार्गों पर हुए कार्यों की भौतिक प्रगति का विवरण संलग्न है ।

केवल कुछ पूर्व स्वीकृत कार्यों का सीमितीकरण/निरस्तीकरण विचाराधीन है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 238 पर)

राजस्व परिषद् उ० प्र० जनपद लखनऊ के वरिष्ठ कोषाधिकारी के आदेशानुसार श्री पृथ्वी पाल सिंह को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान

50–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा), राजस्व परिषद्, उ० प्र०, पेंशन सेल, लखनऊ का पत्र शासनादेश संख्या–सा–4–1120/दस–87–301/87, दिनांक 28 जुलाई, 1987 के सम्बन्ध में पत्र संख्या–9453/से०से०/रा० 290/85-86, दिनांक 2-1-92 कोषाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पुनरीक्षित पेंशन भुगतान की धनराशि सम्बन्धित सेवानिवृत्त कर्मचारी को देकर सूचना मांगी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

वरिष्ठ कोषाधिकारी ने अपने पत्रांक 3125 सी० पी० ए० दिनांक 29-1-92 द्वारा उप कोषाधिकारी, मोहनलालगंज, लखनऊ को यह निर्देश दिये कि श्री पृथ्वी पाल सिंह को नियमानुसार पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान अपने स्तर से करें क्योंकि श्री सिंह उप कोषागार, मोहनलालगंज से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

[8वें शुक्र में अता० प्र० सं० 28 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया की नगर पालिका देवरिया में सस्ते गल्ले की दुकानों के स्टाक से अधिक सामान बरामद कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का औचित्य

52–श्री हरिवंश सहाय तथा श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में नगरपालिका देवरिया के सस्ते गल्ले के दुकानदारों को 24-10-91 को कितना-कितना गल्ला दिया गया ? दिनांक 25-10-92 को मारे गये छापे में किन-किन दुकानदारों के यहां स्टाक के अनुसार सामान बरामद नहीं हुआ ? क्या उक्त छापे के दौरान सामानों को कोतवाली लाया गया ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? उक्त छापे में जनता केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार वार्ड नं०–2/5 में कितना सामान बरामद हुआ ? कितना सामान निकासी में मिला था ? यदि दोनों सामानों की मात्रा बराबर है तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने का औचित्य क्या हैं ?

श्री एजाज रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद झांसी में नई तहसील बनाने के अन्तर्गत टोड़ी को तहसील मुख्यालय बनाने का विचाराधीन प्रश्न

53–श्री रणजीत सिंह जुदेव–

क्या सरकार जनपद झांसी में नई तहसील खोल रही हैं ? यदि हां, तो क्या कस्बा–टोड़ी फतेहपुर को तहसील मुख्यालय बनाने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद झांसी में नई तहसील खोलने व टोड़ी तहसील मुख्यालय बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में ओछा–जसराना मार्ग के निर्माण की मांग

54–श्री गन्धर्व सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ओछा–जसराना मार्ग जि० मैनपुरी को बनाने हेतु राज्य सेक्टर में लिया गया है ? उक्त मार्ग निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा में जैथरा–कुराबली मार्ग पर काली नदी पर पुल निर्माण की योजना सम्प्रति विचाराधीन न होना

55–श्री राजेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैथरा–कुराबली मार्ग (जनपद एटा) पर काली नदी पर पुल प्रस्तावित है, यदि प्रस्तावित है, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद एटा में जैथरा–कुराबली मार्ग में काली नदी पर पुल निर्माण की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम रोशनगढ़ के हरिजनों द्वारा लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

56–श्री बंशीधर राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के ग्राम रोशनगढ़ के कुछ हरिजनों द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र अपने ग्राम में कार्यरत लेखपाल के विरुद्ध इस आशय का प्रार्थना-पत्र परगना अधिकारी को तीन माह पूर्व दिया है कि सम्बन्धित लेखपाल ने उक्त ग्राम में शासनादेश के विपरीत कोई भूमि अपनी स्त्री के नाम क्रय की है ? यदि हां, तो क्या वह भूमि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क में चली गई है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री प्रियदर्शी जेतली, पूर्व विधायक ने कोई पत्र जिला अधिकारी को तभी कार्यवाही के वास्ते लिखा है ? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र, बैनामा व जिलाधीश को लिखे गये पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मा० उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में श्री बच्चन प्रसाद मिश्र को नियुक्ति प्राधिकारी खाद्य आयुक्त द्वारा बहाल किया जाना

57–श्री राम कृष्ण–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बच्चन प्रसाद मिश्रा, जिलापूर्ति अधिकारी, लोक सेवा आयोग की स्वीकृति के बाद वर्ष 1987 के आसपास सेवा से निष्कासित किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में उनको पुनः बहाल करके जिलापूर्ति अधिकारी, कानपुर देहात पद पर तैनात किया गया है ? गम्भीर आरोपों की पुष्टि के बाद लोक सेवा आयोग उ० प्र० की अनुमति के बाद उन्हें सेवा से निकाले जाने के बाद अब किन परिस्थितियों में निर्दोष पाये गये ? उन्हें किन परिस्थितियों में किस अधिकारी द्वारा बहाल किया गया ? क्या यह भी बतायेंगे कि श्री मिश्रा की उक्त बहाली किन नियमों के अन्तर्गत की गयी है ।

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

जी हां ।

सेवा से निष्कासित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–2640/उन्नीस-अनु०-1-548/82, दिनांक 13-8-1987 के विरुद्ध श्री मिश्रा ने मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ बेंच, लखनऊ में एक याचिका दाखिल कर दी थी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4-2-1991 द्वारा श्री मिश्रा के सेवा से निष्कासन संबंधी उक्त शासनादेश दिनांक 13-8-87 को निरस्त कर दिया ।

मा० उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 4-2-1991 के विरुद्ध शासन द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की गयी जो मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16-9-1991 को खारिज कर दी गयी ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में ही श्री मिश्रा को नियुक्ति प्राधिकारी खाद्य आयुक्त द्वारा सेवा में बहाल किया गया ।

उ० प्र० रा० नि० निगम के परियोजना प्रबन्धक श्री बी० के० श्रीवास्तव को मुख्यालय के वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (वाणिज्य) का अतिरिक्त कार्य देखने का निर्देश

58–श्री विश्राम दास–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० के० श्रीवास्तव, परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० रा० नि० निगम द्वारा द्रोण होटल, देहरादून तथा टिहरी में निम्न स्तर के कार्य कराने के लिये उन्हें दोषी पाया गया था जिसके लिए उनकी वार्षिक गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश के साथ ही उन्हें प्रशासनिक आधार पर लखनऊ में जुलाई, 1989 में इकाई सं० 19 में भेजा गया और तुरन्त बाद ही उन्हें वर्ष 1989 में ही इकाई नं० 20 में स्थानान्तरित कर दिया गया था ? क्या यहां भी उनका कार्य तथा व्यवहार संतोषजनक न रहने के बावजूद भी उन्हें फरवरी, 1991 में वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक नामित कर महाप्रबन्धक (वाणिज्य) का चार्ज दे दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट परियोजना प्रबन्धक से उक्त चार्ज कब तक वापस ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री बी० के० श्रीवास्तव, परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम को द्रोण होटल, देहरादून तथा टिहरी में निम्न स्तर के कार्य कराने के लिये दोषी पाये जाने के आधार पर नहीं अपितु इन कार्यों में उक्त आशय की प्राप्त शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुये प्रबन्ध निदेशक द्वारा उनकी वर्ष, 1988-89 की गोपनीय आख्या में प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिये गये थे । परन्तु जांच अधिकारी द्वारा आरोप सही नहीं पाये गये । फिर भी शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उनका स्थानान्तरण जुलाई, 1989 में टिहरी से लखनऊ कर दिया गया जहां उनकी नियुक्ति इकाई सं० 19 में की गई । तदुपरान्त कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उनका स्थानान्तरण इकाई सं० 20, लखनऊ में कर दिया गया था ।

यहां उनका कार्य तथा व्यवहार असंतोषजनक नहीं था । श्री श्रीवास्तव निगम के वरिष्ठ अधिकारी हैं । अतः कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुये उन्हें परियोजना प्रबन्धक के अपने मूल कार्य के साथ मुख्यालय के वरिष्ट परियोजना प्रबन्धक (वाणिज्य) का अतिरिक्त कार्य देखने के निर्देश दिये गये थे । यह उनकी पदोन्नति नहीं थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

59–श्री श्याम नारायण–

[दि० 13-2-92 को अता० प्र० सं० 7 एवं 179 द्वारा उत्तरित]

उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निगम, जिला लखनऊ के श्री के० वी० श्रीवास्तव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता एवं अधिकारों के अतिक्रमण की जांच

60–श्री श्याम नारायन–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेतु निगम के श्री के० वी० श्रीवास्तव, उप परियोजना प्रबन्धक, सेतु निर्माण इकाई प्रथम, लखनऊ जब 1981 से 1984 के बीच ज्ञानपुर पम्प हाऊस एवं इलाहाबाद यूनिटों के प्रभारी थे तो उनके द्वारा किये गये घपलों के संबंधों में शासन द्वारा सतर्कता विभाग से जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

प्रश्नगत जांच रिपोर्ट के अनुसार श्री के० वी० श्रीवास्तव के विरुद्ध मात्र 28-1-82 से 26-2-82 तक के 30 दिन के उपार्जित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलं रु० 1973.26 पै० का आहरण करने संबंधी वित्तीय अनियमितता एवं अधिकारों के अतिक्रमण का मामला सिद्ध पाया गया था जो राज्य सेतु निगम के मुख्यालय पर पहले से ही लम्बित बताया गया था । जांच रिपोर्ट में की गई संस्तुति के अनुसार उक्त मामले को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम को दे दिये गये थे । मामला अभी विचाराधीन है ।

61–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[दि० 2-4-92 को तारा० प्र० सं० 3 द्वारा उत्तरित]

62–श्री राम पाल वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रानी खेत के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत श्री चमन लाल बागन्यू, अधिशासी अभियन्ता द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान क्षति के लिये भुगतान में हुई अनियमितताओं की जांच

63–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंऊँगे कि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, श्री चमन लाल बागन्यू के विरुद्ध विकाया सेन बाड़ीकोट-बिनायक मोटर मार्ग पर मलवा की भूमि के भुगतान के संबंध में पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही होनी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यो ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

श्री चमनलाल बागन्यू, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण, रानीखेत के विरुद्ध प्रश्नगत मामले पर लोक लेखा समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही करने की पुष्टि नहीं हो पायी किन्तु उक्त मार्ग के निर्माण के दौरान मलवा गिरने से हुई क्षति के मुआवजे के भुगतान में हुई अनियमितताओं के संबंध में बागन्यू के विरुद्ध जांच की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के परताबल बाजार को नई तहसील बनाने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदनों को राजस्व परिषद् में गठित समिति के परीक्षणार्थ प्रेषित

64–श्री ज्ञानेन्द्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परताबल बाजार, जनपद महाराजगंज को तहसील बनाने हेतु पिछली सरकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? क्या परताबल को तहसील बनाने के लिये कोई उचित कार्यवाही शासन द्वारा की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

परतावल को तहसील बनाने के लिये प्राप्त प्रत्यावेदनों को अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित मण्डल/जिला/तहसील पुनर्गठन समिति को परीक्षणार्थ भेज दिया गया है ।

कर्ण प्रयाग के निर्माणाधीन नैनी सैण मोटर मार्ग को पूर्ण करने की मांग

65–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि कर्ण प्रयाग, नैनी सैण मोटर मार्ग जो कि विगत कई वर्षों से बन रहा है, पर किसी प्रकार का वन अधिनियम संबंधी कोई विवाद नहीं है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग अभी तक क्यों नहीं बन सका है ? क्या किसी सुनिश्चित समयावधि में उक्त मार्ग पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डगं–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में अर्ध निर्मित सड़कों को पूर्ण कराने की मांग

66–श्री रमेश पोखरियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में मोटर मार्गों पर तारकोल बिछाने की क्या प्रक्रिया है ? उबड़-खाबड़ सड़कों पर कितने समयान्तराल से तारकोल बिछाये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पौड़ी एवं चमोली दोनों जनपदों में कुल कितनी कि० मी० सड़क बन चुकी है ? उनमें से कितने प्रतिशत सड़कों को अभी तक पक्का हो जाना चाहिये था और कितनी हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डगं–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हमीरपुर कलेक्ट्रेट में नगरपालिका हमीरपुर द्वारा निर्मित दुकानों की राजस्व परिषद् से जांच कराने के आदेश

67–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में कलेक्ट्रेट की बाउन्डरी, बिना राजस्व परिषद् की अनुमति के तोड़ कर उक्त स्थान पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण किया जा रहा है ?

यदि हां, तो इस निर्माण पर होने वाला व्यय किस मद से वहन किया जा रहा है ? क्या सरकार इस संबंध में दोषी जनों को दंडित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रथम दृष्टया कलेक्ट्रेट हमीरपुर में दुकानों का निर्माण राजस्व परिषद् की अनुमति के बिना नगरपालिका, हमीरपुर द्वारा किया जा रहा है । पूरे प्रकरण की जांच करने के आदेश राजस्व परिषद् को दे दिये गये हैं ।

जनपद वाराणसी में लोक निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय मार्ग नं० 1, 2 हेतु बल्क बिटुमिन का उपयोग एवं आपूर्ति

68–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 92 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-131 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय मार्ग-खण्ड 1 व खण्ड 2, वाराणसी के लिये वर्ष 90-91 में कितने टैंकर तथा कितने टन बल्क बिटुमिन मंगाये गये थे ? इन दोनों खंडों नं० 1 व नं० 2 के लिये उक्त सामानों को इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन से (मथुरा रिफाइनरी से) तथा स्थानान्तरण द्वारा किन-किन खंडों से मंगाया गया है ? क्या उसके बिलों की जांच तथा उसके पेमेन्ट की जांच की गयी ? यदि नहीं, तो जांच न करने का कारण क्या है ? क्या लोडिंग तथा अनलोडिंग की सर्टीफिकेट फर्जी होने की जांच करा ली गई है ? यदि नही, तो क्यों ? क्या सरकार सर्टीफिकेट सही होने की जांच प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से करायेगी ? क्या जो बल्क बिटुमिन प्रयोग किया गया है, उसका भी सत्यापन सरकार करायेगी ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वर्ष 90-91 में राष्ट्रीय मार्ग खंड-1 व खंड- 2, वाराणसी के लिये क्रमशः 391 टैंकरों में 3795.60 मै० टन तथा 29 टैंकरों में 286.625 मैं० टन बल्क बिटुमिन मंगाया गया ।

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-1, वाराणसी के लिये निम्न स्रोतों से बल्क बिटुमिन उपरोक्त अवधि में मंगाया गया :–

इंडियन आयल कार्पोरेशन से 215 टैंकर (2049.890 टन),

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन से 52 टैंकर (544.270 टन),

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन से 111 टैंकर (1074.07 टन) तथा स्थानान्तरण द्वारा विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग,

वाराणसी से 12 टैंकर (118.250 टन) टैंकर व प्रान्तीय खंड लोक निर्माण विभाग, वाराणसी से 1 टैंकर (9.18 टन)

राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०-2, वाराणसी के लिए उक्त अवधि में निम्न स्रोतों से बल्क बिटुमिन मंगाया गया :–

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन से 26 टैंकर (258.250 टन) तथा स्थानान्तरण द्वारा विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी से 3 टैंकर (28.325 टन),

बल्क बिटुमिन का बिल आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा सीधे मुख्य लेखा नियंत्रक, आपूर्ति एवं निपटान विभाग, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाता है । उक्त कार्यालय द्वारा फर्मों को भुगतान करने के उपरान्त डेविट स्वीकार करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के माध्यम से खण्ड में डब्लू० एम० डी० आर० प्राप्त होते हैं । अब तक 3152.70 टन के डब्लू० एम० डी० आर० प्राप्त हो चुके हैं, जो जांच के उपरान्त सही पाये गये और डेविट स्वीकार करने के उपरान्त समायोजन हेतु महालेखाकार को वापिस कर दिये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बिटुमिन की लोडिंग मथुरा रिफाइनरी में होती है । यहां आने पर बिटुमिन की मात्रा का सत्यापन एवं नाप लेकर उसकी प्राप्त दी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त सत्यापन के पश्चात् अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जो बल्क बिटुमिन प्रयोग किया गया है, वह हाट मिक्स प्लाण्ट से सम्पादित कराये गये कार्यों की मापी, हाट मिक्स प्लाण्ट तथा साईट पर कराये गये परीक्षणों से नियंत्रित रूप से सम्पादित किया जाता रहा है । अतः पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद वाराणसी के अनेई बाजार के पास बाई पास के निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

69–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-124 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करीब 200 मीटर बाई पास के लिये मिट्टी 10 वर्ष पूर्व ही डाल दिये जाने की जांच प्रश्नकर्ता की जानकारी को सही मान कर करायेंगे ? क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को मुआवजे के प्रश्न पर कार्य रोक कर मिट्टी डालना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पिछले 10/15 वर्षों में भूमि अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों अब अधिग्रहीत करने की कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि किसान बाई पास बनाने के लिये भूमि देने को तैयार हैं व मुआवजे की मांग कर रहे हैं ? क्या सरकार उक्त सभी तथ्यों पर जांच करा कर बाई पास बनाने की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आपसी समझौते के आधार पर भूमि न मिलने के कारण ही अध्याप्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की गई ।

बाईपास का निर्माण कार्य स्वीकृत है जिसे भूमि की अनुपलब्धता के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका है।

भूमि एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के परगना भदोही के ग्राम-डुडवा धर्मपुर रजबहा के निर्माण में अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर की धनराशि का भुगतान

70–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेंड एक्वीजीशन रिफरेंस संख्या-331 सन् 1988 में श्री ब्रह्मदेव पुत्र श्री छेदी लाल उर्फ धनराजपुरी, गांव डुडवा धरमपुर, परगना भदोही, जिला-वाराणसी की जमीन लेंड, एक्वीजीशन अधिकारी, वाराणसी ने एक्वायर कर ली थी, जिसका कम मुआवजा लगाने के संबंध में पक्षकार ने जिला जज वाराणसी के यहां एक वाद कलेक्टर, वाराणसी के खिलाफ दायर किया था ? यदि हां, तो क्या अष्टम अतिरिक्त जिला जज वाराणसी श्री यू० सी० दीक्षित ने डिग्री श्री ब्रह्मदेव पुत्र श्री छेदी लाल के पक्ष में दे दिया है, जो कि 1296607 रु० का है ? यदि हां, तो क्या कलेक्टर, वाराणसी ने जज साहब के उक्त फैसले का पालन करते हुये मुआवजे की रकम को अदा कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर मुआवजे की रकम को अदा कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम-डुडवा धर्मपुर-परगना-भदोही जिला- वाराणसी में भदोही रजबहा के निर्माण हेतु श्री ब्रह्म देव पुत्र श्री छेदी लाल की 1 बीघा 15 बिस्वा 4 धूर भूमि अर्जित की गई थी। प्रतिकर की धनराशि से असहमत होकर भू- स्वामी ने जिला जज वाराणसी के यहां भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा- 18 के अन्तर्गत संदर्भ प्रस्तुत किया था जिसमें मा० न्यायालय द्वारा संदर्भकर्ता के पक्ष में रूपये 9,62,347.93 की डिक्री पारित की गई तथा इस धनराशि पर नियमानुसार अनुमन्य ब्याज की अदायगी के भी आदेश दिये गये। डिक्री की धनराशि की मांग अध्याप्ति निकाय से की जा रही है और प्राप्त होने पर प्रतिकर की धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद फैजाबाद के श्री ताकिर हुसैन पुत्र श्री मेंहदी हसन को पेंशन के लिए पात्र न पाया जाना

71–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पत्र सं०-32/20214/72 एफ एफ (उ० प्र०) दिनांक 13 मई, 1980 के द्वारा उप सचिव गृह (सामान्य) अनुभाग-3, उ० प्र० शासन लखनऊ को, श्री ताकिर हुसैन पुत्र श्री मेंहदी हसन, जिला-फैजाबाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन व उनके परिवार की पेंशन के संबंध में जो पत्र लिखा था उसमें आज तक क्या कार्यवाही की गई ? इन्हें अभी तक पेंशन न मिलने का क्या कारण हैं ? इन्हें पेशन कब तक दिलवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

भारत सरकार के संदर्भगत पत्र दिनांक 13 मार्च, 1980 में केन्द्रीय पेंशन के संबंध में मांगी गई सूचना उन्हें शासन के पत्र संख्या 3863 जेड/ 6- वी- 6-83-273 के० पे०/76 दिनांक 15-12-1983 द्वारा भेज दी गई थी ।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना था किन्तु श्री हुसैन की पेंशन के लिए पात्रता भी सिद्ध नहीं हो सकी है ।

श्री गुलाब चन्द्र मौर्य नायब तहसीलदार जिला फैजाबाद द्वारा दी गई रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही

72–श्री बंशीधर राज–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के प्रथम शुक्रवार के अता० प्र० सं० 123 के बारे में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो श्री गुलाब चन्द्र मौर्य, नायब तहसीलदार, अकबरपुर, फैजाबाद की रिपोर्ट के संबंध मे क्या सूचना अब एकत्र की गयी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्ट में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि श्री नान्हूं, पुत्र मंगरू, निवासी ग्राम कौड़हा-अकबरपुर- फैजाबाद की जाति हरिजन है परन्तु राजनैतिक प्रभाव के कारण तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री शिव लाल पाठक ने जांचोपरान्त गलत आदेश देकर नान्हूं की जाति हरिजन के स्थान पर मुसलमान अंकित करवा दी ।

अपराध अनसुंधान विभाग का कथन है कि श्री पाठक सेवा निवृत्त हो चुके हैं, इसलिये उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संभव नहीं हो सकी, परन्तु जांच पत्रावली जिसके माध्यम से नान्हूं की जाति में परिवर्तन/संशोधन किया गया, को गायब करने/चार्ज में न देने के संबंध में श्री पाठक के विरूद्ध दिनांक 22-7-1989 को थाना अकबरपुर-फैजाबाद में अभियोग संख्या 407/89 धारा 409 भा० द० वि० पंजीकृत कराया गया ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर के ग्राम सभा ससपना के पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेटली के पत्र पर कार्यवाही

73–श्री बंशीधर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9-2-92 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेटली का पत्र ग्राम सभा ससपना, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संपूर्ण पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त जांच सी० आर० ओ० फैजाबाद से कराने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड माण्डा के ऊंचडीह (उपरौध) के निवासी श्री रामगोपाल सिंह एवं गोपाल शरण सिंह पुत्र गण अयोध्या प्रसाद का सत्यापन एस० डी० एम० से जांच कराने की मांग

74–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जिले में माण्डा विकास खंड के ऊंचडीह (उपरौध) राजस्व गांव में श्री अयोध्या प्रसाद सिंह के एक मात्र पुत्र श्री राम गोपाल सिंह हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गोपाल शरण सिंह, जिनके दो पुत्र राधे रमण सिंह एवं रुकिमणी रमण सिंह हैं जिनके नाम पर्याप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । यदि हां, तो क्या सरकार यह जांच करायेगी कि वास्तव में गोपाल शरण सिंह नामक व्यक्ति कौन है और उसका पता राजस्व अभिलेख में क्या अंकित है ? क्या उक्त गोपाल शरण सिंह के दोनों पुत्रों के शिक्षा रिकार्ड में पता जूनियर हाई स्कूल कुरहरा (कोरांव) में श्री राम गोपाल सिंह के पुत्र नि० ऊंचडीह होने की बात अंकित है ? क्या सरकार राम गोपाल सिंह एवं गोपाल शरण सिंह पुत्रगण अयोध्या प्रसाद होने का सत्यापन भी एस० डी० एम० स्तर के अधिकारी से मौके पर भेजकर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के विरुद्ध गम्भीर शिकायतों के कारण कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार लिया जाना

75–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर में आई० सी० डी० एस० के प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में जिला प्रोवेशन अधिकारी को कार्यरत किया गया है ? यदि हां, तो अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) जिला समाज कल्याण अधिकारी को उक्त कार्यक्रम का कार्यकारी अधिकारी न बनाये जाने का औचित्य क्या है ? क्या जिला प्रोवेशन अधिकारी को प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार सौंपा जाना विधि सम्मत व नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो उन्हें कार्यकारी अधिकारी बनाये जाने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी नियमानुसार उक्त पद का, ए० डी० डी० ओ० (समाज कल्याण) को कार्यभार दिला देंगे ? क्या सरकार इस प्रकार अनियमित तरीके से कार्यकारी अधिकारी बनाये जाने के औचित्य की जांच सक्षम प्राधिकारी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

तत्कालीन अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) के विरूद्ध गम्भीर शिकायतें होने के कारण उनसे कार्यक्रम अधिकारी का कार्यभार ले लिया गया ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहबाद की तहसील मेजा के ग्राम ऊंचडीह (उपरौध) चकरोड संख्या- 1516 पर श्री रामगोपाल सिंह व संयुक्त परिवार का अवैध कब्जा संबंधी वाद न्यायालय में विचाराधीन

76– श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद इलाहाबाद की मेजा तहसील के ऊंचडीह (उपरोध) गांव में चकमार्ग संख्या-1516 पर पत्थर की दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रश्नगत चकमार्ग पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रश्नगत चकमार्ग पर अतिक्रमण से पूरे गांव का आवागमन पूर्णतया बाधित है ? क्या मंत्री जी इस चकमार्ग से अतिक्रमण हटाये जाने के बावत प्रभावी आदेश देकर चकमार्ग से अतिक्रमण तुरन्त हटाये जाने का आदेश देंगे । यदि हां, तो उक्त चकमार्ग से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद इलाहाबाद के ग्राम ऊंचडीह (उपरोध) टप्पा डैया के चकरोड संख्या-1516 पर श्री रामगोपाल सिंह व उनके संयुक्त परिवार का अवैध कब्जा है । उन्होंनें चकरोड के एक भाग पर पत्थर घेर कर चाहरदीवारी बनाकर कब्जा कर लिया है । दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध तहसीलदार मेजा के न्यायालय में उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत तथा परगनाधिकारी, मेजा के न्यायालय में धारा- 133 दं० प्रक्रिया के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के सदन (कैण्ट) में फर्जी आगनबाड़ी का निरीक्षण की जांच रिपोर्ट

77–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-11 के संदर्भ में क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ सदर (कैण्ट) क्षेत्र के अंतर्गत फर्जी आंगन बाड़ी, जिसके संबंध में शासन द्वारा स्वीकार किया गया है कि जांच रिपोर्ट में प्रश्नगत केन्द्र बन्द पाया गया तथा अभिलेख फर्जी पाये गये, की कार्यकत्री को फर्जी अभिलेख रखने के कारण क्या उसके विरुद्ध एफ० आई० आर० संबंधित थाने में दर्ज करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन द्वारा अब तक उक्त फर्जी आंगन बाड़ी की कार्यकत्री को दिया गया मानदेय एवं उक्त आंगन बाड़ी हेतु दी गई अन्य धनराशियां क्या उक्त कार्यकत्री से वसूल करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी नहीं ।

आकस्मिक निरीक्षण में केन्द्र बन्द पाये जाने, निरीक्षणकर्ता अधिकारी के पहुंचने के बाद 7 बच्चों के आने तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री का कार्य असन्तोषजनक पाये जाने के कारण उसे मानदेय से हटाकर

अन्य व्यवस्था किये जाने के आदेश दिये गये । उक्त दण्ड के प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त माना गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । मानदेय समाप्त किये जाने से पूर्व की अवधि में दिये गये मानदेय की वसूली नियमानुकूल नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के 39 वां वृत में कार्यरत कार्मिकों का स्थानान्तरण

78–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि 39 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विद्युत अनुरक्षण खण्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वहां पर कार्यरत लिपिकों, अवर अभियंताओं और सहायक अभियंताओं के स्थानान्तरण माह सितम्बर/अक्टूबर, 1991 में कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के लिये 39 वां वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत कार्मिकों का स्थानान्तरण लम्बी अवधि तक तैनाती के कारण निर्धारित नीति के अनुसार किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय कोरांव के अधीक्षक श्री राम नरेश त्रिपाठी के विरुद्ध शिकायत

79–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सरकार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम नरेश त्रिपाठी, अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कोरांव, इलाहाबाद, के फर्जी यात्रा भत्ता बिल आहरित करने की जांच निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्कालीन उपनिदेशक, श्री सच्चिदानन्द दुबे, समाज कल्याण, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद द्वारा करवायी गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त मामले में श्री राम नरेश त्रिपाठी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश का अनुपालन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश

80–श्री श्याम लाल रावत–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-1265/सचिव/रा० एकी०/ 91, दिनांक 31 अक्टूबर, 1991 उनके विभाग में लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो शासनादेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां । प्रश्नगत शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के वर्तमान नायब तहसीलदार श्री राम मिलन सिंह को अन्तरिम आदेश के अनुपालन में पद पर रखा जाना

81–डा० अरविन्द कुमार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-51 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वरिष्ठता का कौन सा प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन है ? क्या सरकार संपूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

रिट याचिका संख्या-558/91-राम मिलन सिंह बनाम राजस्व परिषद एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

उक्त रिट याचिका में मा० उच्च न्यायालय ने दि० 30-1-1991 को अन्तरिम आदेश पारित किये हैं, जिसके अनुपालन में श्री राम मिलन सिंह को ना० तहसीलदार के पद पर कार्यरत रखा गया है ।

जनपद फैजाबाद में नायब तहसीलदार के पद पर प्रोन्नति का प्रकरण

82–डा० अरविन्द कुमार –

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या- 78 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कोटि क्रम संख्या- 1085 वाले कर्मचारी से 4 माह एवं कोटि क्रम संख्या-2017 वाले कर्मचारी की प्रोन्नति देने का औचित्य क्या है और उक्त अनियमित प्रोन्नति देने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कोटि क्रम संख्या- 1085 वाला कर्मचारी कोटि क्रम संख्या-2017 वाले कर्मचारी के प्रोन्नति के समान प्रोन्नति के लिये अर्ह नहीं था ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

राजस्व नियम संग्रह के प्रस्तर-808 के अन्तर्गत कार्यहित/जनहित में स्थानीय व्यवस्था में कोटि क्रम 2017 वाले उपयुक्त कर्मचारी को प्रोन्नति दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोटि क्रम संख्या 1085 वाले कर्मचारी को स्थानीय व्यवस्था में प्रोन्नति दी जा चुकी है ।

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील में कोटि क्रम संख्या 2017 के कर्मचारी की महत्वपूर्ण सीट पर नियुक्त किया जाना

83–डा० अरविन्द कुमार –

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरूवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 76 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि कोटि क्रम सं० 2017 वाले कर्मचारी ने अतिरिक्त

प्रोन्नति प्राप्त कर माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया ? यदि हां, तो स्थगन आदेश निरस्त कराने के लिये अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ? उक्त संदर्भ में क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस प्रकार अनियमित ढंग से प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारी को तहसील सदर में महत्वपूर्ण पद पर स्वतंत्र रूप से नायब तहसीलदार न्यायालय की सीट का कार्य करने को दे दिया गया ? क्या सरकार उक्त अनियमित ढंग से प्रोन्नति प्राप्त कर्मचारी को इस महत्वपूर्ण सीट से हटाकर सेल्स टैक्स/राजस्व वसूली का कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्रमांक-2017 पर अंकित कर्मचारी को राजस्व मैनुअल के प्रस्तर 808 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रोन्नति प्राप्त है और उसने मौलिक नियुक्ति को चुनौती देते हुए वरिष्ठता के आधार पर न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया है ।

स्थगनादेश निरस्त कराने हेतु रिट याचिका पर प्रस्तरवार टिप्पणी मुख्य स्थाई अधिवक्ता को प्रेषित की जा चुकी है परन्तु न्यायालय से कोई आदेश अभी पारित नहीं हुए हैं ।

प्रश्नगत कर्मचारी का संग्रह कार्य उत्तम और सदर तहसील में प्रकीर्ण देयों की मांग अन्य तहसीलों की अपेक्षा अधिक होने के कारण तथा राजकीय देयों की वसूली में प्रगति लाने हेतु सदर तहसील में तैनात किया गया है । मा० न्यायालय के स्थगनादेश को देखते हुये उन्हें उक्त स्थान से हटाना उचित न होगा ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भूकम्प पीड़ित विकास खण्ड प्रतापनगर के ग्राम-मुखेम में भूकम्प से हुई क्षति की जांच तथा पीड़ितों को राहत धनराशि का वितरण किया जाना

84–श्री लाखी राम जोशी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के भूकम्प पीड़ित विकास खण्ड-प्रतापनगर के ग्राम मुखेम में भूकम्प क्षति की जांच कितनी बार, कौन-कौन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा की गई ? सबसे अन्तिम जांच किस तिथि को, किन अधिकारियों द्वारा की गई ? अन्तिम रिपोर्ट के आधार पर, भूकम्प पीड़ित परिवारों को सहायता राशि वितरण क्यों नहीं की गई ? क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी एक माह की छुट्टी पर जाते समय अन्तिम जांच रिपोर्ट भी अपने साथ में ले गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप भूकम्प पीड़ित परिवारों को राहत/सहायता राशि का भुगतान न होने से अपार कष्ट सहने पड़ रहे हैं ? क्या जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुखेम के भूकम्प पीड़ितों को राहत कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड प्रतापगढ़ के ग्राम मुखेम में भूकम्प से क्षति की प्रारम्भिक जांच क्षेत्रीय पटवारी द्वारा की गयी, उसके पश्चात भूलेख निरीक्षक लम्बगांव तथा सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विकास खण्ड प्रतापगढ़ द्वारा संयुक्त जांच की गई । अन्तिम जांच दिनांक 25-12-91 से 28-12-91 की अवधि में मूंसरी, देहरादून विकास प्राधिकारी के अधिकारी तथा डिप्टी कलेक्टर सहारनपुर द्वारा की गई ।

अन्तिम रिपोर्ट में कतिपय कमियों के कारण उसके आधार पर सहायता राशि का वितरण नहीं किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम मुखेम के भूकम्प पीड़ितों को राहत धनराशि/सामग्री का वितरण किया जा चुका है ।

जनपद देवरिया के थाना रामकोला के अन्तर्गत गण्डक नदी के कप्तान गंज घाट पर निर्मित पुल का पथकर वसूल किया जाना

85—श्री दीप लाल भारती—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के थाना रामकोला अन्तर्गत गण्डक नदी के कप्तान गंज घाट पर बने लोक निर्माण विभाग द्वारा पीपे के पुल पर आने जाने पर ग्रामीणों से धन की वासूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा यह वसूली की जा रही है ? अगर हां, तो वसूली बन्द कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

नियमानुसार पथकर वसूली की जा रही है ।

जी नहीं । वसूली जिला परिषद् देवरिया द्वारा की जा रही है ।

प्रान्तीयकरण होने के उपरान्त लोक निर्माण विभाग द्वारा पथकर वसूली नियमानुसार की जायेगी । वर्तमान नियमों में वसूली बन्द करने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद लखनऊ के मोहल्ला मुफ्तीगंज चौक के निवासी श्री प्रिन्स एजाज कदर पुत्र प्रिन्स जावेद कदर द्वारा कब्रिस्तान पर अनाधिकार कब्जा संबंधी पत्रों का प्राप्त न होना

86—श्री बंशीधर राज—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रिन्स एजाज कदर पु० प्रिन्स जावेद कदर नि० मो० मुफ्तीगंज, मालकी स्ट्रीट, चौक, लखनऊ द्वारा माह 28-12-91 को व उससे पूर्व दो प्रार्थना पत्र इस आशय के उनको दिए गये थे कि लखनऊ स्थित मो० जनरलगंज में उसके खानदान को कब्रिस्तान पर कुछ लोग अनाधिकार कब्जा कर रहे हैं व कागज में गलत नामों का इन्दराज कराया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रार्थना पत्रों को मूल रूप से सदन के पटल पर रखते हुए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी, लखनऊ द्वारा क्या आदेश किये गये ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी—

श्री प्रिन्स एजाज कदर पुत्र श्री प्रिन्स जावेद कदर नि०-मो०-मुफ्तीगंज, चौक, लखनऊ का दिनांक 28-12-91 व उसके पूर्व के कथित दोनों प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के ग्राम ससपना के प्रधान के विरुद्ध पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली एवं श्री आर० पी० सुमन के पत्र पर कार्यवाही

87—श्री बंशीधर राज—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1988 के पहले मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या—26 के आधार पर क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पूरी हो गई है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचनाएं एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के ऊंचडीह के वर्णित कतिपय निवासियों की भूमि का सीलिंग के अन्तर्गत कटौती का मामला

88–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जिले के ऊंचडीह तहसील क्षेत्र के कितने बड़े-बड़े काश्तकार हैं, जिनके पास अत्यधिक भूमि के बावजूद सीलिंग ऐक्ट के तहत भूमि वापस लिये जाने की रिपोर्ट शासन को नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो श्री रामगोपाल सिंह, राधेरमण, रुकिमणी रमण तथा दिनेश सिंह, मतगैन सिंह, विष्णु प्रताप सिंह, जीवबोधन सिंह, प्रेम नारायण सिंह, भोला सिंह के पास वर्तमान में कितनी-कितनी एकड़ भूमि है ? अधिक भूमि होने के बावजूद भी उन पर सीलिंग न लागू करने का औचित्य क्या है ? उसके लिए दोषी कौन है ? क्या सरकार इन काश्तकारों की अधिक भूमि को सीलिंग के दौरान कटौती करेगी ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचनाएं एकत्र की जा रही है ।

जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा परासन के ग्रामीणों के पत्र पर मा० राज्य मंत्री के आदेश के पूर्व खेतों का कब्जा परिवर्तन

89–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा परासन की चकबन्दी क्रियाओं में अनियमिततायें पाये जाने के कारण राजस्व राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 13-9-91 को कब्जा परिवर्तन न किये जाने हेतु चकबन्दी आयुक्त को आदेशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का परिपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां । ग्राम परासन के कुछ ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13-9-91 को माननीय राज्य मंत्री राजस्व द्वारा खेत खाली होंने पर कब्जा परिवर्तन किए जाने के आदेश दिये गये थे । उक्त आदेशानुसार दिनांक 23-9-91 को संयुक्त संचालक (मुख्यालय) द्वारा ग्राम परासन का स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि कब्जा परिवर्तन का कार्य माननीय राज्य मंत्री जी के उक्त आदेशों के पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था । खेतों में फसल भी नहीं थी, केवल उन्हीं कुछ गाटों में छुटपुट फसल थी जो चकबन्दी से बाहर थे । उन्हीं काश्तकारों के चकों का सीमांकन शेष रह गया था जिन्होंने कब्जा परिवर्तन रोकने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्धारित अवधि में सम्पादित कराये गये कार्यों पर व्यय धनराशि का विवरण तथा निर्माण में विभिन्न संवर्गों के अभियन्ताओं का विवरण

90–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में कितने-कितने रुपये का सिविल कार्य सम्पादित कराया

गया है ? उपरोक्त वर्षों में उक्त कार्य को सम्पादित कराने के लिये निर्माण निगम में कितने-कितने उप अभियन्ता (सिविल), सहायक स्थानिक अभियन्ता (सि०), स्थानिक अभियन्ता (सि०), इकाई प्रभारी (सि०) एवं महाप्रबन्धक 7 (सि०) कार्यरत रहे थे क्या मंत्री जी पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम द्वारा वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में क्रमशः 86.86 करोड़, 86.40 करोड़, 93.51 करोड़ तथा 97.67 करोड़ रु० तक (फरवरी 1992 तक) के लागत के निर्माण कार्य कराये गये । इसमें से अनुमानतः औसतन 85% भाग सिविल कार्यों के निर्माण पर व्यय हुआ एवं शेष व्यय विद्युतीकरण आदि पर हुआ ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है । निगम में विभिन्न संवर्गों के अभियन्ताओं का कार्यों की आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण होता रहता है । मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों को भी अपने कार्य-क्षेत्र में स्थानान्तरण करने के अधिकार प्राप्त हैं । अतः संपूर्ण प्रश्नगत अवधि में सिविल कार्य पर कार्यरत अधिकारियों की संख्या देना संभव नहीं है । 31 मार्च, 1992 को निगम में निर्माण कार्यों पर निम्नवत अधिकारी कार्यरत थे:–

1-उप अभियन्ता	194
2-सहायक स्थानिक अभियन्ता	159
3-स्थानिक अभियन्ता	51
4-इकाई प्रभारी	82
5-महाप्रबन्धक (सिविल)	06

91–श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर के ग्राम पिपरौला की बिन्दल एग्रो कैमिकल्स द्वारा अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान

92–श्री नेतराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपरौला, तहसील सदर, जिला-शाहजहांपुर में बिन्दल एग्रो केमिकल्स द्वारा भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या रोड साइड पर स्थित इस भूमि का मुआवजा पिछली सरकार द्वारा 55,000 रु० प्रति एकड़ देने की घोषणा की गई थी ? क्या उसको वर्तमान सरकार द्वारा घटाकर रु० 41,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ? क्या ऐसा करने से बिन्दल एग्रो केमिकल्स लि० को लगभग 2 करोड़ रु० का फायदा हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिन कास्तकारों ने रु० 55,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजा प्राप्त कर लिया है ? सरकार उनका मुआवजा वापस करने के लिये उन्हें बाध्य करेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

बिन्दल एग्रो के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर के माध्यम से जनपद शाहजहांपुर की तहसील सदर में अन्य ग्रामों के अतिरिक्त ग्राम-पिपरौला में भी भूमि अर्जित की

गई थी और शासनादेश दिनांक 7-3-87 में विहित सिद्धान्तों के अनुसार क्षेत्र के लिए लागू स्टाम्प ड्यूटी के लिये निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर प्रति एकड़ रु० 55,000 की दर से प्रतिकर अवधारित करके कृषकों को 80% अन्तरिम प्रतिकर का भुगतान भी कर दिया गया था। कालान्तर में पूर्व सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किये गये शासनादेश दिनांक 14-5-1990 में विहित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए विक्रय पत्र के आधार पर प्रति एकड़ रु० 41,517.90 की दर से प्रतिकर अवधारित किया गया। चूंकि शासनादेश दिनांक 14-5-90 में विहित सिद्धान्त भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-23 में उपबन्धित प्राविधानों के अनुरूप है अतएव बिन्दल एग्रो केमिकल्स को लाभ-हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। जिन कृषकों को रु० 55,000 प्रति एकड़ की दर से 80% अन्तरिम प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है उनसे वसूली की कार्यवाही अधिनियम में विहित व्यवस्था के अनुसार की जा रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

93—श्री गंगा बक्श सिंह—

[दि० 27-3-92 को अता० प्र० सं० 122 द्वारा उत्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के अस्थाई खण्ड विभागीय निर्माण इकाई कामतागंज-शम्भूगंज मार्ग भदेया फीटर मार्ग तथा कुछमुछ लिंक रोड के निर्माण में पाई गई कमी के संबंध में सहायक अभियन्ता को चेतावनी

94—श्री गंगा बक्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई खण्ड विभागीय निर्माण इकाई (डी० सी० यू०), सुल्तानपुर के किस सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता ने कामतागंज-शम्भूगंज मार्ग, भदेया फीटर मार्ग तथा कुछमुछ लिंक रोड बनाया है ? क्या यह सत्य है कि विभागीय निर्माण निर्धारित स्तर का पीला ईंटा, कम मिट्टी, कम तारकोल लगाकर कराया गया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग—

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण श्री बलराम, सहायक अभियन्ता एवं श्री अशर्फीदास, अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया है।

मामले में जांच करायी गयी। कामतागंज-शम्भूगंज मार्ग में प्रयुक्त सामाग्रियां विशिष्टियों के अनुरूप पायी गयीं। भदैया रेलवे फीटर मार्ग के कुछ भागों में कहीं-कहीं सामान्य से कुछ निम्न स्तर के ईंटों का प्रयोग पाया गया। अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता को चेतावनी दे दी गयी है। कुछमुछ लिंक मार्ग पर कुछ स्थानों पर ब्रिक लाइनिंग में सामान्य से अधिक गैप पाये गये जिसके लिये ठेकेदार से रु० 450.00 की कटौती की गयी। इसी प्रकार टाप कोट की गिट्टी में निर्धारित आकार से अधिक की मात्रा भी पायी गयी जिसके लिये रु० 699.00 की कटौती की जा चुकी है। उक्त मार्गों में प्रयुक्त शेष सामग्री विशिष्टयों के अनुरूप पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग के अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई द्वारा पखरौली (दो मुहवा) मार्ग का निर्माण श्री जी० डी० गर्ग कार्य अधीक्षक तथा श्री मानिक चन्द स्थानिक अभियन्ता द्वारा कराया जाना

95—श्री गंगा बक्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग, डी० सी० यू०, सुल्तानपुर के अन्तर्गत सुल्तानपुर पखरौली (दो मुहवा) मार्ग पर कितनी-कितनी दूरी का कार्य, किन-किन इंजीनियरों

द्वारा कब-कब कराया गया है ? क्या उक्त मार्ग पर खड़ंजा बिछाने का कार्य नं० 1 की ईंटों को प्रयोग करके कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई, लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर द्वारा सुल्तानपुर-पखरौली मार्ग के कि० मी०-4 से 8 तक का निर्माण श्री जी० डी० गर्ग, कार्य अधीक्षक, श्री मनिक चन्द, स्थानिक अभियन्ता एवं श्री अली अहमद अन्सारी, अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 86 से 89 के बीच कराया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर सा० नि० वि० के अस्थाई विभाग नि० ई० हलियापुर बेलवई मार्ग तथा सेमरी बिरमुलपुर मार्ग के निर्माण में अनियमितता की जानकारी

96–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अस्थाई विभाग नि० ई०, सा० नि० विभाग, सुल्तानपुर-हलियापुर बेलवई मार्ग के कि० मी० 51 से 56 तक, सेमरी बिरमलपुर मार्ग के कि० मी० 1 से 5 तक व अकबरपुर कटका मार्ग के निर्माण कार्य में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी द्वारा घोर अनियमितता बरती गई है ? क्या यह भी सत्य है कि विभाग के मापदंड के हिसाब से, कार्य नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं, कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई ।

जी, नहीं । कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुसार कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर जनपद से मुरादाबाद तक के राष्ट्रीय राज मार्ग वांछित स्तर का न पाये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण

97–श्री प्रमोद कुमार–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रामपुर जनपद से मुरादाबाद तक गुजरने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग की दशा बहुत ही खराब है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र के अधिशासी अभियन्ता का कर्तव्य पालन में ढिलाई बरतना व भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करना है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही कराके एवं इस स्थान से उसका स्थानान्तरण अन्यत्र करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां । मार्ग की दशा वांछित स्तर की नहीं है ।

शिथिल नियंत्रण के लिये अधिशासी अभियन्ता का स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो गया है । उनके स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियन्ता, बरेली की आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्नगत कार्यवाही अन्तिम जांच आख्या के आलोक पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड–सिकन्दरपुर कर्ण के अन्तर्गत मोरहाई नदी पर पुल का निर्माण

98–श्री गंगा बक्श सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–उन्नाव के विकास खण्ड–सिकन्दरपुर कर्ण के अन्तर्गत देवपुर, अदनखेड़ा के निकट मोरहाई नदी पर पुल निर्माण हेतु कब व कितना धन स्वीकृत हुआ ? निर्माण कार्य पूरा किये जाने का लक्ष्य कब निर्धारित था ? निर्माण कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं एवं अवशेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मोरहाई नदी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किसी पुल का निर्माण स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में निर्धारित अवधि में जिलाधिकारी बांदा द्वारा की गयी नियुक्तियों को निरस्त करके आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी अध्यक्ष बी०एस०पी० के पत्र पर कृत कार्यवाही

99–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति बिना विज्ञापन एवं जिला सेवायोजन कार्यालय, बांदा को सूचित किये बगैर गोपनीय ढंग से जिलाधिकारी, बांदा द्वारा भर्ती अगस्त, 1991 से फरवरी, 1992 तक की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी को बाबूलाल कुशवाहा अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी बांदा का शिकायती पत्र दिनांक 1-12-1991 जांच हेतु दिया गया है ? तो क्या जिलाधिकारी, बांदा ने अर्धशासकीय पत्रांक–48/आशु/दिनांक 2-1-1992 को शिकायतकर्ता बाबूलाल कुशवाहा द्वारा दिनांक 10-1-92 को लिखित साक्ष्य प्रेषित किया गया है ? क्या इसकी जांच की गयी तथा जांच उपरान्त क्या परिणाम निकला ? कौन-कौन दोषी पाये गये ? क्या नियुक्तियों को निरस्त कर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड जसपुरा में नियुक्त मिट्टी तेल वितरक द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में जमा प्रतिभूति की धनराशि का जब्त किया जाना

100–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री गया चरन दिनकर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, बांदा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार सम्बन्धी दिनांक 14-12-91 को परगनाधिकारी, बांदा द्वारा कोटेदार से रिश्वत लेकर राशन संस्तुति करने विषयक पत्रांक–क–200726, दिनांक 4-2-92/5-2-92 पत्रांक–ख–562506 शासन के मानक के विरुद्ध ब्लाक वितरक मिट्टी तेल सिन्दवारी में नियुक्त करने सम्बन्धी तथा माह जनवरी, 92 में जसपुर ब्लाक के मिट्टी तेल वितरक द्वारा गत कई महीनों से पूरा मिट्टी के तेल का स्टाक न रखने से गांवों में हो रही परेशानी के विषय में पत्र प्राप्त हुए

हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि की गई तो कौन-कौन दोषी पाये गये तथा अब तक क्या व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां ।

मा० सदस्य श्री विशम्भर प्रसाद निषाद के पत्र संख्या–क–200726, दिनांक 14-12-91 में प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में जांच करायी गई और जांच आख्या के आधार पर सम्बन्धित उचित दर के दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

मा० सदस्य के ही पत्र संख्या–ख–562506 दिनांक 4-2-92 के सम्बन्ध में भी जांच करायी गयी जांच के फलस्वरूप विकास खण्ड तिन्दवारी में केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार को मिट्टी तेल ब्लाक वितरक के रूप में नियुक्त किये जाने में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी ।

विकास खण्ड जसपुरा में नियुक्त मिट्टी तेल ब्लाक वितरक साधन सहकारी समिति जसपुरा द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं एवं आदेशों का अनुपालन न करने के कारण सम्पूर्ण जमा प्रतिभूति की धनराशि जब्त कर ली गई है तथा भविष्य में नियमित कोटा उठाने एवं एक माह के अन्दर कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु चेतावनी भी दी गयी है ।

ग्राम सभा अहमारा तथा ग्राम सभा बरावां, परगना रुदौली, तहसील राम सनेही घाट, बाराबंकी की ग्राम समाज आदि की भूमि पर अवैध कब्जे एवं बेदखल की कार्यवाही

101–श्री राम देव आचार्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1989 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा बरावां में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे की कोई सूची दी गयी है ? यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर कितना-कितना जुर्माना किया गया है ? क्या उक्त जुर्माना की वसूली कर ली गयी है ? क्या उन्हें ग्राम समाज की भूमि से बेदखल कर उक्त भूमि पर ग्राम प्रधान को कब्जा दे दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर के फर्जी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की जिलाधिकारी से जांच करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

102–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या कारागार मंत्री को ज्ञात है मिर्जापुर जनपद में फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उच्च स्तरीय जांच के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–4086 उनके कार्यालय में ता० 10-2-89 को प्राप्त हुआ था, जिसको प्रमुख सचिव, राजनैतिक पेंशन विभाग को भिजवा दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

जिलाधिकारी की जांच आख्या को दृष्टिगत रखते हुए अन्य किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझी गयी ।

जनपद गोरखपुर के थाना-सहजनवां के ग्राम—पिपरा के हवलदार मेजर श्री चौथी प्रसाद को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव के पत्र पर कार्यवाही करने की मांग

103—श्री हरिशंकर तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पिपरा, थाना सहजनवां, जिला—गोरखपुर के हवलदार मेजर श्री चौथी प्रसाद जो कि भारतीय सशस्त्र सेना में कार्य करते हैं, को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में उनके पुत्र श्री सुभाष श्रीवास्तव का दिनांक 3-1-1992 को कोई आवेदन पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

104—श्री दीपलाल भारती—

[7 वें बुध में अता० प्र० सं० 198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फैजाबाद की तहसील—टाण्डा के बजदहिया पाईपुर ग्राम सभा के मौजा गधौपुर की चकरोड संख्या—141 को खाली कराने की मांग

105—श्री बी० आर० वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद जनपद के टाण्डा तहसील के बजदहिया पाईपुर ग्राम सभा के मौजा गधौपुर की चकरोड संख्या—141, जिसके खाली कराने हेतु उ० प्र० जमींदारी उन्मूलन अधि० की धारा—122 बी के तहत फैसला हो चुका है ? क्या उक्त निर्णयानुसार उक्त चकमार्ग पैमाइश करके खाली कराया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्डित करते हुये इस चकरोड को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखनऊ स्थित आवश्यक वस्तु निगम, कर्मचारी कल्याण निगम व गोदामों का आकस्मिक निरीक्षण तथा अनुपस्थित पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

106—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री ने माह नवम्बर, 91 में आवश्यक वस्तु निगम, कर्मचारी कल्याण निगम व गोदामों का निरीक्षण किया है ? यदि हां, तो निरीक्षण में उन्होंने क्या-क्या कमियां पायीं ? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गयी हैं, तो कब तक की जावेगी ?

श्री एजाज रिजवी—

जी हां ।

निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तु निगम में 26 कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये जिन्हें निन्दात्मक प्रविष्टि दी गयी । निगम के चौलखखी (लखनऊ) स्थित गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 16-11-91 को किया गया । गोदाम में स्टाक की कमी पाये जाने के कारण सम्बन्धित गोदाम प्रभारी को निलम्बित किया गया तथा जिला प्रबन्धक एवं ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक को शिथिल नियन्त्रण हेतु एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए उन्हें निन्दात्मक प्रविष्टि भी दी गई । इसी क्रम में दिनांक 12-11-91 को रायबरेली जिला कार्यालय तथा गोदाम का भी निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित जिला प्रबन्धक तथा अन्य दो कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये । इनके विरूद्ध भी निन्दात्मक प्रविष्टि दी गई। गोदाम प्रभारी द्वारा लेखा-जोखा न दिखाये जाने एवं रख रखाव ढंग से न रखने के कारण इन्हें भी निन्दात्मक प्रविष्टि भी दी गई । इसी क्रम में गोण्डा जनपद तथा उन्नाव जनपद में स्थित गोदामों का निरीक्षण दिनांक 13-11-91 को तथा दिनांक 20-11-91 को किया गया । इन दोनों गोदामों में पायी गई कमियों के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध निन्दात्मक प्रविष्टियां एवं वेतन वृद्धि रोके जाने जैसी कार्यवाही की गई ।

खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा दिनांक 18-11-91 को कर्मचारी कल्याण निगम के मुख्यालय एवं जवाहर भवन स्थित डिपो का निरीक्षण किया गया । उक्त निरीक्षण के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा जवाहर भवन डिपो के प्रबन्धक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया क्योंकि उपस्थिति पंजिका पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। इसी प्रकार श्रीमती माया वसाक, विक्रेता को दो दिन आगे की तिथियों में हस्ताक्षर करने का दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी ।

आवश्यक वस्तु निगम के प्रबन्धकों के स्थानान्तरण का प्रकरण

107–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री ने पत्र सं०–1445 वी० आई० पी०/91 दिनांक 17-8-91 द्वारा आवश्यक वस्तु निगम के प्रबन्ध निदेशक से निगम के दो प्रबन्धकों का स्थानान्तरण करने के बारे में सूचना पूछी थी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों प्रबन्धकों का, किस उपयोगिता के आधार पर एक दशक से तबादला नहीं किया गया है ? क्या अब इनका तबादला कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

जी हां, श्री ए० पी० भटनागर और श्रीमती रश्मि कुमार के स्थानान्तरण के आदेश दिये गये थे । परन्तु चूंकि शासन की नीति 31 जुलाई के बाद स्थानान्तरण की नहीं थी, अतः यह संज्ञान में आने पर स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किये गये ।

श्री ए० पी० भटनागर की सेवा निगम में वर्ष 1981 में प्रतिनियुक्ति पर ली गयी थी । यह उपवाणिज्य प्रबन्धक के पद पर आये थे और मुख्यालय से बाहर यह पद न होने के कारण इनका स्थानान्तरण मुख्यालय से बाहर सम्भव नहीं था । इनका संविलयन वर्ष 1985 में निगम में कर दिया गया था । इनका स्थानान्तरण अब झांसी कर दिया गया है ।

श्रीमती रश्मि कुमार की पारिवारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इनका 8-4-92 को जनपद बाराबंकी के लिए किया गया स्थानान्तरण रोक दिया गया है ।

जनपद लखनऊ के अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा चौलखखी गोदाम के प्रभारी का निलम्बन

108–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी ने माह नवम्बर, 91 में आवश्यक वस्तु निगम के चोलखखी गोदाम पर छापा मारा था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन द्वारा अब तक की गयी है ? कितने लाख रुपया का घोटाला पाया गया ? क्या उन्हीं को घोटाला के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) लखनऊ द्वारा चौलख्खी गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 18-11-91 को किया गया । निरीक्षण के दौरान 454,94.500 कु० लेवी गेहूं विक्रय दर रुपया 255 प्रति कुण्टल, मूल्य रुपया 1,16,010.97 एवं 30,26.500 कु० कामन चावल विक्रय दर रुपया 320 प्रति कु० मुल्य रूपया 9,684.80 पैसे के लगभग की कमी पाई गई । इस सम्बन्ध में गोदाम प्रभारी को दिनांक 22-11-91 से निलम्बित कर दिया गया । सम्बन्धित जिला प्रबन्धक एवं ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक को उत्तरदायी ठहराते हुए स्थायी रूप से वेतन वृद्धि रोकी गयी तथा निन्दात्मक प्रविष्टि दे दी गयी ।

इस प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह तत्परता पूर्वक किया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में बाईपास हेतु अर्जित भूमि पर अवैध कब्जे का न पाया जाना

109–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद जनपद सीतापुर में बाईपास के किनारे की लोक निर्माण विभाग की जमीन व पेड़ों पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? क्या खांईं बंधवाकर तारों द्वारा भी कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त जमीन पर किसका कब्जा है ? इस जबरिया कब्जे को कब तक हटा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत बाईपास हेतु अर्जित भूमि के उस भाग पर, जो लोक निर्माण विभाग के कब्जे में है, किसी प्रकार का अतिक्रमण कर अवैध कब्जा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में महमूदाबाद के अन्तर्गत निरीक्षण भवन हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की शर्तों तथा अन्य स्थानों हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भुगतान किया जाना

110–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद सीतापुर के अन्तर्गत निरीक्षण गृह, रामपुर, मथुरा, कतूरी घाट पुल पैतेपुर बाईपास, बंसूरा बाईपास की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उन्हें मुआवजा दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

निरीक्षण भवन रामपुर, मथुरा के निर्माण हेतु ली गयी भूमि किसानों की नहीं है बल्कि यह "ठाकुरद्वारा महाराज मुरलीधर" संस्था की भूमि है जिसके मुआवजे के भुगतान हेतु नियम एवं शर्तें तय की जा रही हैं ।

कतूरीघाट सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी धारा–4 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है तथा धारा–6 की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव प्रगति पर है । इस हेतु रुपया 1.00 लाख का आंशिक भुगतान विशेष अध्याप्ति अधिकारी को कर दिया गया है ।

बांसुरा एवं पैतेपुर बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी धारा–4 एवं 6 की अधिसूचनायें जारी कर दी गयी हैं तथा प्रतिकर वितरण हेतु क्रमशः रुपया 2,00,000 एवं 3,71,700 का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने पर निर्भर करता है ।

जनपद लखनऊ में लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड–नं० 2 के वरिष्ठ लिपिक स्वर्गीय मो० शफीक सिद्दीकी के समस्त बकाये भुगतान उनके आश्रित का किया जाना

111–श्री गंगा बख्श सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय मो० शफीक सिद्दीकी, वरिष्ठ लिपिक, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड नं०–2, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की मृत्यु किस तिथि में हुई ? क्या उक्त कर्मचारी के पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान उनके आश्रित को हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक भुगतान आश्रित को कर दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

मो० शफीक सिद्दीकी की दिनांक 4-9-88 को मृत्यु हुई थी ।

उक्त कर्मचारी के आश्रित को पारिवारिक पेंशन व मृत्यु उपादान के भुगतान की स्वीकृति का प्राधिकारपत्र जारी किया जा चुका है । स्व० मो० सिद्दीकी की विधवा श्रीमती समसुन्निशां को अवशेष वेतन तथा मृत्यु उपादान की धनराशि का भुगतान चेक द्वारा उनके उन्नाव स्थित आवास पर भेजा जा चुका है । अवकाश नकदीकरण का भुगतान भी स्व० मो० सिद्दीकी के वारिसान को किया जा चुका है ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (विद्युत) पदों के सृजन का प्रस्ताव न होना

112–श्री छोटे लाल मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत विद्युत अभियन्त्रण जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यो को कुशलता पूर्वक सम्पादित कराने एवं उनकी मुख्यालय से विधिवत् मानीटरिंग कराने एवं नियंत्रण को प्रभावशाली बनाने को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम दो महाप्रबन्धक (विद्युत) के पद सृजित कराकर मंत्री जी नियुक्ति करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सम्प्रति प्रश्नगत पदों के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० में कार्यरत अभियन्ताओं का विवरण एवं प्रदेश के अन्दर व बाहर की इकाइयों में सामान्यतः सिविल, विद्युत तथा यान्त्रिक कार्य अभियन्ताओं से कराया जाना

113–श्री छोटे लाल मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड की प्रदेश के अन्दर एवं बाहर स्थित किन किन इकाइयों पर विद्युतीय कार्य सिविल इंजीनियरों से एवं सिविल कार्य विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरों से कराया जा रहा है ? क्या सरकार वास्तविक स्थिति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० की प्रदेश के अन्दर एवं बाहर स्थित इकाइयों पर सामान्यतः सिविल, विद्युत तथा यांत्रिक कार्य सम्बन्धित अभिन्ताओं से ही कराया जाता है। चूंकि राजकीय निर्माण निगम एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। अतः कार्य की आवश्यकता एवं निगम के हित को देखते हुये यदा-कदा विशेष परिस्थितियों में वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में दूसरे संवर्ग के अभियंताओं से भी कार्य करा लिया जाता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

114–श्री छोटे लाल मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कुल कितने उप अभियन्ता हैं ? कहां कहां वे कितने कितने समय से कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी पूर्ण सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कुल 298 उप अभियंता कार्यरत हैं।

सूचना अत्यन्त विस्तीर्ण है, इसलिए संलग्न करना सम्भव नहीं है। इसकी एक प्रति मेरे कार्यालय में मा० सदस्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ प्र० राजकीय निर्माण निगम में निर्धारित अवधि में कार्यरत उप अभियन्ताओं की सहायक स्थानिक अभियन्ता के पदों पर पदोन्नति

115–श्री छोटे लाल मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 एवं 1991-92 में किस किस इंजीनियरिंग शाखा के कितने कितने उप-अभियन्ताओं की पदोन्नति सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर की गयी है ? इन पदोन्नतियों के कारण उप अभियन्ताओं के कितने कितने पद, कितने कितने समय से रिक्त हैं ? क्या मंत्री जी सदन के पटल पर वस्तुस्थिति का विवरण प्रस्तुत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

वांछित सूचना संलग्न है।

इन पदोन्नतियों के कारण उप अभियंताओं के रिक्त हुए पदों के विरूद्ध नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप कोई पद वर्तमान समय में रिक्त नहीं हैं

विवरण उपर्युक्त के अनुसार है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 239 पर)

जनपद जालौन की तहसील–कालपी के ग्राम परसन के मजरे सरसई अलमोरी कुनेहठा को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने सम्बन्धी प्रार्थना पर राजस्व परिषद से आख्या मांगा जाना

116–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम परासन मौजा का अधिक रकबा तथा काश्तकारों की परेशानी को देखते हुए, उनमें सम्मिलित ग्राम "सरसई", कुन्हेटा, अलमोरी मौहरदेवी को पृथक राजस्व ग्राम मौजा घोषित किये जाने हेतु वर्ष 1990-91 में शासन को कार्यवाही की प्रार्थना की गई थी ? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी जालौन की आख्या शासन को प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त मजरा ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जनपद जालौन की तहसील कालपी के अन्तर्गत स्थित ग्राम परासन के मजरे सरसई, अलमोरी, कुन्हेटा को पृथक राजस्व ग्राम घोषित किये जाने विषयक ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र शासन को अक्टूबर, 1991 में प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन तथा राजस्व परिषद् से आख्या मांगी गयी है, जो अभी प्रतीक्षित है वांक्षित आख्या प्राप्त होने पर ही शासन द्वारा विचारोपरान्त कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

जनपद जालौन की तहसील–कालपी के मौजा–परासन में फर्जी आदेशों द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर काश्तकारों के चक कायम करने तथा चकबन्दी क्रियाओं का समुचित परिपालन किये जाने का प्रकरण

117–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के मौजा परासन में की जा रही चकबन्दी क्रियाओं के आधार पर वर्ष 1381 (लगायत) 385 फसली की खतौनी के खाता संख्या–1495 में अंकित नईपरती, कुल रकबा 634.96 एकड़ पर, बिना किसी मुकदमें के फर्जी आदेश द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर काश्तकारों के चक कायम किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

118–श्री श्रीराम (जालौन)–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जालौन की तहसील कालपी के ग्राम परासन में चकबन्दी क्रियायें अनियमित ढंग से किये जाने के कारण सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, झांसी कैम्प–उरई ने वाद सं०–779/975 श्री ओम नारायण बनाम श्री शिवपाल सिंह आदि पर तारीख फैसला 17/10-87 के द्वारा आदेश पारित करके नदी, नाले बेहड़, कृषि अयोग्य भूमि को चकबन्दी प्रक्रियाओं से पृथक करवाने हेतु, चकबन्दी अधिकारी को नये सिरे से पुनः चकबन्दी क्रियायें करने के निर्देश पारित किए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम में पुनः की गई चकबन्दी क्रियाओं में उक्त निर्देशों का समुचित परिपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सोनभद्र गोविन्दपुर बनवासी आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

119–श्री तीरथ राज–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद स्थित गोविन्दपुर बनवासी आश्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत पर सन् 1977 में जनता पार्टी सरकार के उपमंत्री श्री बाबूलाल वर्मा द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपार्ट से क्या सदन को अवगत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? भ्रष्टाचार वहां पर होना सिद्ध होने पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया के थाना कप्तानगंज के ग्राम–खमराभार के श्री बाबूराम पुत्र श्री सरजू द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाना

120–श्री ओम प्रकाश तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूराम, श्री रामराज श्री उगई व श्री नगीना पुत्र श्री सरजू निषाद, ग्राम खभराभार, थाना–कप्तानगंज देवरिया का पक्का मकान व नांद व हैण्ड पम्प चारा मशीन को दिनांक 13-12-91 को श्री ओम प्रकाश उर्फ हीरा सिंह ग्राम प्रधान व परगनाधिकारी ने व तहसीलदार–तहसील हाटा, देवरिया व श्री रामदरस, थाना–अध्यक्ष–कप्तानगंज, देवरिया ने आराजी नं०–408 की भूमि में बने हुए मकान व नांद को खोदवा कर गिरवा दिया है ? क्या यह सत्य है कि हैण्ड पम्प व चारा मशीन खोदकर ले गये ? यदि हां, तो न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट कसया, देवरिया के स्थगन आदेश वाद संख्या–383/90, दिनांक 15-3-90 को क्या पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्या यह भी सही है कि तहसीलदार हाटा ने धारा–122 का मुकदमा दर्ज कर लिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार न्याय हित में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम खभराभार थाना कप्तानगंज तहसील हाटा की आराजी नं०–408 राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6 (4) होलिका दहन अंकित है, जिसके–10 डि० रकबे पर श्री बाबूराम पुत्र सरजू द्वारा अनाधिकृत रूप से नीव बना ली गई थी । प्रधान एवं जनता की आपत्ति पर दिनांक 13-12-91 को परगनाधिकारी हाटा, तहसीलदार हाटा एवं थानाध्यक्ष कप्तानगंज की उपस्थिति में ग्रामवासियों के सहयोग से मौके पर कब्जा हटाया गया है ।

जी नहीं । चारा मशीन व हैण्ड पम्प श्री बाबूराम उठा कर ले गये ।

न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट कसया का स्थगन आदेश वाद संख्या–383/90 दिनांक 15-3-90 प्राप्त नहीं था और न तो मौके पर ही दिखाया गया ।

जी हां । उ० प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–122 बी के अनुसार नियम–115 सी के अन्तर्गत ।

उक्त कार्यवाही जनहित में अवैध कब्जा हटाने के लिये की गई है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व तहसील वाराणसी के ग्राम बरही नेवादा के निजामुद्दीन पुत्र दीन मोहम्मद द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में तहसीलदार के आदेश की प्रति की जानकारी की मांग

121–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री निजामुद्दीन पुत्र श्री दीन मोहम्मद, गांव बरहीं नेवादा, प० पन्द्रह, तह० व जिला वाराणसी का गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जा है ? क्या यह सही है कि तहसीलदार-वाराणसी ने ता० 12-2-92 को बरहीं नेवादा में जाकर भूमि बेदखल करने का आदेश न देकर मात्र 26 हजार मूल्यांकन लेकर उसके साथ प्रबन्ध करने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि श्री निजामुद्दीन के पास इस मकान के अलावा भी मकान है ? क्या सरकार तहसीलदार द्वारा दि० 12-2-92 को पारित आदेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद व तहसील वाराणसी के ग्राम- बरही नेवादा के श्री फखरुद्दीन पुत्र शाह मुहम्मद द्वारा अवैध कब्जे के संबंध में

122–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फखरुद्दीन गांव बरही नेवादा, प० पन्द्रह त० व जिला वाराणसी का मकान पुरानी आबादी में 1 डि० पर बना है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि संख्या 434/1143, गांव बरही नेवादा की जांच व माप किसी सक्षम अधिकारी पर ए० डी-एम (ई) वाराणसी से करायेगी ? क्या यह सही है कि तहसीलदार वाराणसी ने दि० 12-2-92 को श्री फखरुद्दीन के खिलाफ अवैध कब्जा के बारे में 8,500/- मूल्यांकन करके जमा करने का आदेश दे दिया है ? क्या सरकार श्री फखरुद्दीन के पास उस घर के अलावा कोई सम्पत्ति होने अथवा न होने की भी जांच करायेगी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

श्री फखरुद्दीन पुत्र शाह मुहम्मद निवासी ग्राम बरही नेवादा का मकान आराजी सं० 434/1143 मि० रकबा-1 डि० जो राजस्व अभिलेखों में नाली अंकित है, पर बना है ।

प्रश्नगत भूमि की जांच एवं नाप ए० डी० एम० (ई) वाराणसी द्वारा की गयी है ।

जी हां, वर्तमान में मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 30-3-92 के अनुसार तहसीलदार का आदेश दिनांक 12-2-92 निरस्त हो गया है ।

श्री फखरुद्दीन के पास आ० नं० 434/1143 तथा आबादी की भूमि में बनाये हुए घर के अलावा अन्य कोई सम्पत्ति नहीं है ।

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना-पन्द्रह के ग्राम बहरी नेवादा की भूमि को नोनार की सम्पत्ति के रूप में दर्ज करने के संबंध में कार्यवाही करने की मांग

123–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संख्या-395, गांव बरहीं नेवादा, परगना पन्द्रह, त० व जिला वाराणसी, रकबा-12 डि० नोनार और गांव समाज की सम्पत्ति के रूप में दर्ज है ? क्या यह सही है कि उक्त नंबर पर मौजूदा प्रधान के पिता स्व० हनीफ भू० पू० प्रधान ने अपना निजी दो मंजिला मकान बनवा लिया है ? क्या इस संबंध में आयुक्त वाराणसी को दि० 26-9-91 को श्री मोतीलाल वगैरह, नि० बरहीं नेवादा की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ दिया था ? क्या यह सही है कि दि० 12-2-92 को तहसीलदार त० वाराणसी ने अपने आदेश में लिखा है कि नोनार शब्द का मतलब किसी ने नहीं बताया है और प्रधान श्री शमीम के चाचा श्री कुतुबद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट की गयी है ? क्या सरकार नोनार शब्द का अर्थ बतायेगी और तहसीलदार व जिलाधीश वाराणसी को वहां भेजकर उक्त प्रधान के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार तहसील के उक्त आदेश के संदर्भ में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत वाद को रद्द करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद व तहसील वाराणसी के परगना पन्द्रह के ग्राम बरही-नेवादा के श्री बवऊ के पक्ष में आवास योजना में आवंटित भूमि की जांच

124–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संख्या-752-50 डि० गांव बरहीं, नेवादा, प० पन्द्रह, त० व जिला वाराणसी को श्री इस्लाम पुत्र श्री फागू नि० बरहीं नेवादा के नाम कृषि के लिये आवंटित है ? क्या उसका नाम सरकारी कागजात में दर्ज है ? क्या उक्त 752 नं० में 1/1/2-डि० पर श्री बवऊ नि० गांव बरहीं नेवादा के नाम भूमि आवंटित नहीं है ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार वाराणसी ने दि० 12-2-92 को बरहीं नेवादा में अदालत लगाकर निर्बल आवास योजना में श्री बवऊ के नाम उक्त भूमि आवंटित मानकर 122 बी की कार्यवाही को स्थगित कर दिया ? क्या यह सही है कि श्री बवऊ गांव बरहीं नेवादा का निवासी है ? यदि नहीं, तो क्या उसका लड़का प्रधान का ड्राइवर है ? क्या सरकार श्री बवऊ के नाम उक्त जमीन निर्बल आवास योजना में दि० 12-2-92 के पूर्व आवंटित होने की जांच करायेगी ? क्या सरकार भूमि प्रबन्धक समिति बरहीं नेवादा की भी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

श्री इस्लाम पुत्र फागू का नाम बतौर कृषि आवंटी 0.35 डि० पर अंकित है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

राजबली पुत्र बवऊ वर्तमान प्रधान ग्राम बरहीं नेवादा का प्रायः ट्रैक्टर चलाता है ।

श्री बवऊ के पक्ष में निर्बल आवास योजना में दिनांक 12-2-92 से पूर्व आवंटन नहीं हुआ है । तहसीलदार वाराणसी द्वारा निर्बल आवास योजना में बवऊ के नाम भूमि आवंटित मान लिये जाने के संबंध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

जांच की जा रही है ।

जनपद वाराणसी परगना पन्द्रह के ग्राम सभा बरहीं नेवादा की ग्राम सभा की भूमि अतिक्रमण संबंधी वाद तहसीलदार वाराणसी के न्यायालय में लम्बित

125–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरहीं नेवादा, प० पन्द्रह, त० व जिला-वाराणसी के श्री मोतीलाल वगैरह की दरख्वास्त को आयुक्त वाराणसी को अपने पत्र के साथ 26-9-91 को प्रश्नकर्ता ने दिया था ? यदि हां, तो क्या उस पत्र एवं प्रार्थना पत्र की जांच ए०-डी० एम (ई) वाराणसी ने दिनांक 26-10-91 को बरहीं नेवादा गांव में जाकर की है ? यदि हां, तो ए-डी०-एम (ई) ने आयुक्त को शिकायतों के बारे में क्या रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी वाराणसी को प्रेषित जांच आख्या में ए० डी० एम० (ई) द्वारा कहा गया है कि ग्राम सभा की भूमि पर पूर्व प्रधान एवं शिकायतकर्ता श्री मोतीलाल के ही कार्यकाल में अतिक्रमण किया गया था। पाये गये अतिक्रमण के विरुद्ध तहसीलदार वाराणसी के न्यायालय में वाद लम्बित थे, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर परगना-शादियाबाद अन्तर्गत ग्राम तिलसड़ा में हुई चकबन्दी में चकों की पैमाइश तथा कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही

126–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिलसड़ा, परगना शादियाबाद, त० सैदपुर जिला गाजीपुर की चकबन्दी सन् 75 से हो रही है ? क्या चकों की नाप भी 10 वर्षों से की जा रही है ? यदि हां, तो चकों की नाप अब तक पूरी तरह से न कराये जा सकने का कारण क्या है ? क्या सरकार यहां के चकों की नाप शीघ्र पूरी करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्राप्त सूचना अनुसार जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर, परगना शादियाबाद अन्तर्गत ग्राम तिलसड़ा में विज्ञप्ति दिनांक 12-11-83 द्वारा दोबारा चकबन्दी प्रसार किया गया और दिनांक 31-3-88 तक चक निर्माण का कार्य पूरा किया गया। चक आपत्तियों का निस्तारण भी कर दिया गया है। चक अपीलों के निर्णीत हो जाने पर ही चकों की नाप एवं कब्जा परिवर्तन की कार्यवाही संभव है।

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर व जलालपुर में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिये दुकानों का आवंटन

127–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अकबरपुर व विकास खण्ड जलालपुर में "स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना" अन्तर्गत बेरोजगार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के युवकों को अपना व्यवसाय करने के लिये दुकानें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से दुकानों का निर्माण और अभ्यर्थियों में दुकानें आवंटित किये जाने का कार्य सरकार द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो दुकानों का निर्माण कार्य कब कराया गया तथा किन-किन अभ्यर्थियों को कब दुकानों का आवंटन किया गया है ?

श्री रमापति शास्त्री–

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु विकास खण्ड अकबरपुर तथा जलालपुर में दुकानों का निर्माण/आवंटन कराया गया है।

उक्त दुकानों का निर्माण वर्ष 1983-84 से वर्ष 1986-87 तक सामूहिक दुकान निर्माण योजना तथा वर्ष 1987-88 से वर्ष 1990-91 के मध्य व्यक्तिगत दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को उक्त दुकानें आवंटित की गई उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 240-245 पर)

जनपद लखनऊ के होम गार्ड विभाग में अवैतनिक पदों पर पदोन्नति व भर्ती न होने का प्राविधान

128–श्री छोट लाल मिश्र तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

क्या कारागार एवं होमगार्ड मंत्री को जानकारी है कि होमगार्ड विभाग में (लखनऊ) प्लटून कमाण्डर व कम्पनी कमाण्डर जैसे तमाम महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोग तैनात हैं जो अन्य सरकारी विभाग में लाभप्रद पदों पर कार्यरत हैं क्या अवैतनिक सेवा के नाम पर प्रत्येक होमगार्ड्स से दो सौ रुपया प्रतिमाह लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस कारण विभाग में पदोन्नति नियमानुसार नहीं हो पा रही है और छोटे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों को तत्काल सेवा से अलग करने पर विचार करेगी जो कि अन्य कर विभाग में सेवारत हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

अवैतनिक पदों पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है । सभी अवैतनिक पद पात्रता/श्रेष्ठता के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाते हैं । किसी के शोषण होने का कोई प्रश्न नहीं है ।

उ० प्र० होमगार्ड्स अधिनियम 1963 की धारा-7 में निहित प्राविधानानुसार अस्थायी सेवा अथवा राज्य के अधीन सेवा के कर्मचारियों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती पर कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के जिलाधिकारी द्वारा कनिष्ठ लिपिकों के पदों पर अनियमित ढंग से की गई नियुक्तियों की जांच

129–श्री श्रीराम–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सचिव उ० प्र० शासन कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश/पत्र संख्या 20/1/91-का-2-1991 दिनांक 17-7-91 के प्राविधानों के विरुद्ध जनपद जालौन के राजस्व अधिष्ठान में दिनांक 19-7-91 को कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर जिलाधिकारी जालौन द्वारा अनियमित ढंग से की गयी नियुक्तियां आयुक्त झांसी मण्डल झांसी ने अपने पत्र सं० 993 द्वारा दिनांक 6-1-92 को निरस्त कर दी थी ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 1ले गुरुवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 187 के उत्तर में राजस्व मंत्री ने दिनांक 19-7-91 को की गयी नियुक्तियों को निर्वाचन कार्य से छंटनी शुदा कर्मचारियों का उक्त पदों पर समायोजन किया जाना बताया है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश पत्र दिनांक 20-1-91 का 2-1991 में उक्त प्रकार छंटनी शुदा कर्मचारियों को समायोजित किये जाने की व्यवस्था थी ? यदि नहीं, तो क्या उक्त नियुक्तियां/समायोजन अनियमित हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

इस प्रकरण में जांच करने के आदेश आयुक्त,झांसी मण्डल को दे दिये गये हैं । उनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर स्थिति से अवगत कराया जा सकेगा ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड-बड़ोखर खुर्द के ग्राम भुरेड़ी व त्रिवेनी को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना

130–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खण्ड बडोखर खुर्द, जनपद बांदा के ग्राम भुरेड़ी, त्रिवेनी क्रमशः कोड संख्या-1555, 157 को जिला योजानान्तर्गत त्रिवेणी वाया भुरेड़ी सम्पर्क मार्ग से वर्ष 1992-93 में जोड़ दिया जायेगा ? यदि हां, तो उक्त कार्य योजना का विवरण क्या है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

कार्य पूर्ण कराया जाना जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

131–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड-2 के चिरैया कोट मेहनाजपुर मार्ग पर प्रश्नगत वर्षों में मरम्मत/निर्माण पर व्यय धनराशि का विवरण

132–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में निर्माण खण्ड-2 के अन्तर्गत चिरैया कोट मेहनाजपुर मार्ग पर सन् 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91 में उक्त मार्ग पर मरम्मत एवं निर्माण में कितना धन दिया गया है और वहां प्रत्येक वर्ग में कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं ? क्या शासन को जानकारी है कि उक्त मार्ग की स्थिति दयनीय है ? यदि हां, तो क्यों और इसे कब तक ठीक कराया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद आजमगढ़ में चिरैया कोट मेहनाजपुर मार्ग पर प्रश्नगत वर्षों में आवंटित/व्यय की गयी धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

प्रश्नगत मार्ग की स्थिति दयनीय नहीं है । लेकिन यातायात के दबाव को देखते हुए विशेष मरम्मत मद में रु० 6.00 लाख 1991-92 में स्वीकृत किए गए हैं । सुधार कार्य प्रगति पर है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 246 पर)

133–श्री अंगद सिंह यादव–

[7वें बुध में अता० प्र० सं० 181 के अतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद रामपुर, मथुरा में पुरैनी नदी पर पुल बनाने की मांग

134–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के महमूदाबाद तहसील में रामपुर मथुरा में पुरैनी नदी का पुल वर्ष 1990-91 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ महमूदाबाद कुर्सी स्वीकृत मार्ग के पुनर्निर्माण की योजना विचाराधीन न होना

135–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ-महमूदाबाद कुर्सी स्वीकृत मार्ग कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? क्या इस मार्ग की जीर्ण हालत हो देखते हुये पुनर्निर्माण की योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो कब तक ? इसका पुनर्निर्माण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

लखनऊ-महमूदाबाद कुर्सी मार्ग के कि० मी० 19 से 31.50 कि० मी० तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शासनादेश दिनांक 17-1-1989 द्वारा 125.70 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत है जिसमें से 4 कि० मी० भाग को छोड़कर शेष कार्य पूर्ण है । उक्त 4 कि० मी० अर्थात् कि० मी० 22 व 24 में सुदृढ़ीकरण तथा कि० मी० 21 व 23 में चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के कार्य शेष है । अवशेष कार्य को पूर्ण किया जाना पुनरीक्षित स्वीकृति एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भाग के पुनर्निर्माण की कोई योजना स्वीकृति हेतु सम्प्रति विचाराधीन नहीं है । पूरा मार्ग यातायात हेतु उपलब्ध है ।

उ० प्र० भूदान यज्ञ समिति के पुनर्गठन व सरकारीकरण की मांग

136–श्री लाल चन्द्र मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० भूदान यज्ञ समिति के पुनर्गठन के अभाव में जनहितकारी कार्यों के सम्पादन में बाधायें उत्पन्न हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार समिति का पुनर्गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । अतः सम्प्रति शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

137–श्री लाल चन्द्र मौर्य–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० भूदान समिति के सरकारीकरण की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा उसकी सरकारीकरण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी-

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित

138–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के चायल विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से मई, 1991 तक कुल कितने कि०मी० डामर (पेन्टिंग) सड़क बनायी गयी है ? क्या यह सही है कि जमुनापार क्षेत्र की करछना, बारा एवं मेजा, विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में वहां कम सड़कें बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या चायल विधान सभा क्षेत्र में अधिक से अधिक डामर (पेन्टिंग) सड़कों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

8 किलोमीटर ।

जी हां ।

जमुनापार क्षेत्र की करछना,बारा व मेजा विधान सभा क्षेत्रों की तुलना में चायल विधान सभा क्षेत्र में कम सड़कों की स्वीकृत के कारण ।

चायल विधान सभा क्षेत्र में अब तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों में जून 1991 से जून 1992 तक लगभग 10 कि० मी० तक सड़क निर्माण कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।

जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर से बालावाली-रायसी मार्ग पर अर्ध-निर्मित बाण गंगा के पुल को पूरा करने के संबंध में

139–श्री आचार्य जगदीश मुनि–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर से बालावाली-रायसी मार्ग पर अर्ध निर्मित बाण गंगा के पुल को पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वर्कचार्ज में होने पर रोक

140–श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतन कर्मचारियों को दैनिक वेतन से वर्कचार्ज में होने के लिये रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या रोक हटाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम सभाओं को निर्धारित मानक के अनुसार चीनी का वितरण

141–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में गांव सभाओं को निर्धारित मानक के अनुसार चीनी न मिलने की जांच सक्षम अधिकारी से कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

परगनाधिकारी सगड़ी द्वारा जांच करायी गयी व चीनी निर्धारित मानक के अनुसार वितरित की जाना पाई गई । अतः किसी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर व मऊ के बीच बहादुरगंज टौंस नदी पर पुल बनवाने की मांग

142–श्री घूरहू–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर एवं जनपद मऊ के बीच बहादुरगंज टौंस नदी पर पुल स्वीकृत है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल को सरकार इस वित्तीय वर्ष में बनवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी, हां ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के स्थायी मस्टर रोल में लिया जाना

143–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक नि० वि० के पत्रांक 25 पी० डब्लू/1869 एम० टी/52 एम०-28/89/265 व्यग 80 व्यग/88 दिनांक 13-4-89 के द्वारा समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को यह आदेश दिये गये थे कि दिनांक 1-3-87 को 3 वर्ष पूरा करने वाले स्थायी

मस्टर रोल/कार्य प्रभारित अधिष्ठान में दिनांक 1-7-89 से लिये जायें ? यदि हां, तो इसके अनुपालन में जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों में दिनांक 1-3-87 को 3 वर्ष पूरा करने वाले स्थायी मस्टर रोल कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि 1-3-87 को 3 वर्ष पूरा कर चुकने वाले तथा अब तक स्थायी मस्टर रोल पर ही कार्य करते चले आ रहे लोगों का स्थायी सेवा का अवसर कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रमुख अभियन्ता के पत्र दिनांक 13-4-89 द्वारा 1-3-87 तक अस्थायी मस्टर रोल पर तीन वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण करने वालों को स्थायी मस्टर रोल अथवा अनियमित वर्कचार्ज में लिये जाने के आदेश दिये गये थे ।

उक्त पत्र के अनुपालन में जनपद फैजाबाद के विभिन्न खण्डों में कुल 179 दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को स्थायी मस्टर रोल में ले लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासनादेश संख्या-6732/23-4-89-145 एन जी/88, दिनांक 12-2-90 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया है । सम्प्रति अन्तिम निर्णय के स्वरूप और तिथि के संबंध में अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग के अकुशल/सामान्य श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बीस रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित किया जाना

144–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि "अधीक्षण अभियन्ता 23 वां वृत, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद" द्वारा पत्रांक 2534/13 एम-23/91, दिनांक 1-7-91 के द्वारा चेप्टर 2 में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से कुशल/अकुशल/सामान्य श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की देय दरों को पुनरीक्षित करते हुये, सभी तरह के कर्मचारियों हेतु 20/- (बीस रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक मजदूरी निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो हैमरमैन, फिटर, मेट, बेलदार, चौकीदार, माली सभी के लिये 20/ (बीस रुपया) ही दैनिक मजदूरी निर्धारित किये जाने का औचित्य क्या है ? क्या इससे पूर्व देय दैनिक मजदूरी में श्रेणीवार अन्तर रखा जाता रहा है ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी हां, केवल अकुशल/सामान्य श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये 20 रु० प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गयी है ।

यह सभी मजदूर अकुशल सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ।

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के संग्रह अमीनों को लैण्ड रिकार्ड के प्रशिक्षण हेतु न भेजने के संबंध में

145–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा जारी किये गये शासनादेश संख्या 3078/332 डी० 7/89 राजस्व 7 जुलाई 1990 के आधार पर राजस्व परिषद् द्वारा पत्र संख्या 8405/2-संग्रह 11 बी०/83 दिनांक 15-5-90 भेजकर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को यह आदेश भेजे गये हैं कि संग्रह अमीनों को लैंड रिकार्ड के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाये ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद एवं फैजाबाद मण्डल के अन्य जिलों में कार्यरत संग्रह अमीनों में से मई 91 से अब तक कितने कितने संग्रह अमीन लैण्ड रिकार्ड के प्रशिक्षण हेतु, कहां-कहां और कब-कब भेजे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

संग्रह अमीनों को लैण्ड रिकार्ड के प्रशिक्षण पर भेजने हेतु शासन द्वारा राजस्व परिषद् को एक निर्धारित नीति के आधार पर संग्रह अमीनों में से चयन करके लैण्ड रिकार्ड प्रशिक्षण दिलाने हेतु आदेश निर्गत किये गये थे, उक्त नीति निर्धारण में वांछित पूर्ण सूचनायें परिषद को जिलास्तर से प्राप्त न होने के कारण अभी तक संग्रह अमीनों को लैण्ड रिकार्ड प्रशिक्षण हेतु नहीं भेजा गया है ।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नागर क्षेत्र में भूमि सीमांकन के विरुद्ध लम्बित अपील

146–श्री तीरथ राज–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "टाड़ का डौर" उर्फ राबर्ट्सगंज टाउन, जनपद सोनभद्र के जमींदारी संबंधी मामला जमींदारी उन्मूलन के प्राविधान के विरुद्ध राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश में लम्बित होने के बाद समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से और कब ? क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को सरकार दण्ड देने के साथ ही माल कागजात दुरुस्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज नागर क्षेत्र में कृषि का सीमांकन किया जा चुका है जिसके विरुद्ध राजस्व परिषद् में अपील लम्बित है । अपील के निस्तारण के बाद ही निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा तेजगढ़ तथा चवर के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच तथा लेखपाल का स्पष्टीकरण

147–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री द्वारिका प्रसाद यादव, जनपद सिद्धार्थनगर ने ग्राम सभा तेजगढ़ तथा चवर, परगना बांसी पूरब के ग्राम प्रधान के विरुद्ध उनको प्रेषित दिनांक 13-9-91 के पत्र में ग्राम सभा की भूमि आराजी नं० 96 अपने लड़के एवं ग्राम सभा के सदस्यों के नाम करवाकर ग्राम की सम्पत्ति का निजीकरण करने का कार्य किये जाने की स्थिति से

अवगत कराया है ? इस गम्भीर भ्रष्टाचार के प्रकरण में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

148–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी ने दिनांक 14 दिसम्बर, 89 को परगनाधिकारी बांसी, जिला सिद्धार्थनगर का ग्राम प्रधान व हल्का लेखपाल ग्राम सभा तेजगढ़ तथा चवर, परगना बांसी, पूरब के विरुद्ध पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार से संबंधित कोई निर्देश, परगनाधिकारी बांसी, जिला सिद्धार्थनगर को दिया है ? यदि हां, तो उक्त निर्देश पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि की जायेगी, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर ने तहसील बांसी की ग्रामसभा तेजगढ़ तथा चंवर के प्रधान व हल्के के लेखपाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर प्रधान को आरोपित किया गया तथा संबंधित लेखपाल का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राजकीय निगम के दैनिक वेतन भोगी डिग्री/डिप्लोमा अभियन्ताओं को नियमित करने की मांग

149–श्री अनिल कुमार–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के द्वितीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राम ललित चौधरी द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 165 व 166 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अक्टूबर, 1987 में किन-किन डिग्री/डिप्लोमा धारक अभियन्ताओं को बिना किसी लिखित परीक्षा के नियमित कर दिया गया था ? क्या शासन को यह जानकारी है कि इसी प्रकार से कुछ अन्य डिग्री डिप्लोमा धारकों को भी वर्ष 1989-90 एवं वर्ष 1991 में भी तदर्थ/नियमित रूप से निगम की सेवा में बिना किसी लिखित परीक्षा के नियुक्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम में शेष दैनिक वेतन पदों पर वर्षों से कार्यरत डिग्री/डिप्लोमा धारकों को भी इसी प्रकार नियुक्ति प्रदान किये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

अक्टूबर, 1987 में डिप्लोमा (विद्युत) धारक अप्रेन्टिस श्री अखिलेश कुमार, जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, को उनकी कार्य संबंधी तिमाही प्रगति आख्या के आधार पर तदर्थ नियुक्ति दी गई थी ।

ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक मण्डल के निर्णयानुसार ऐसे डिग्री/डिप्लोमा धारक, जिन्होंने 31-7-90 तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया था, की लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में नियमित नियुक्ति मार्च, 1991 में की जा चुकी है ।

जिला योजना के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण कराने हेतु आवंटित धन का प्रकरण

150–श्री पूर्ण मासी पंकज–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत समस्त सदस्यों से 40 लाख रु० के मार्गों को निर्मित कराने का प्रस्ताव शासन द्वारा मांगा गया था ? यदि हां, तो वह धन कब विधान सभा क्षेत्रों को आवंटित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि आवंटित किया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रुखाबाद के मोहल्ला मौलवी बदन खां निवासी श्रीमती जाहिदा बेगम के अभ्यावेदन के संबंध में राजस्व परिषद् के निर्णय को लागू करने की मांग

151–श्री अभिमन्यु सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद की निष्क्रान्ति सम्पत्ति के बाद सं० 60/58 में राजस्व परिषद् के निर्णय हो जाने के बाद वादीगणों को संबंधित भूमि मकान एवं दुकान दी गयी ? यदि नहीं, तो क्या श्रीमती जाहिदा बेगम, मोहल्ला मौलवी बदन खां, फर्रुखाबाद के अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या राजस्व परिषद् को निर्णय दिनांक 20-4-70 को लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के कोडार-दीनयांव मोटर मार्ग को पूरा करने की मांग

152–श्री दीना नाथ सिंह यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल में कोडार-दीनयांव मुख्य मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य विगत 8 वर्षों में पूरा हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसे पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के थाना मुगरा बादशाहपुर के ग्राम रामपुर के श्री सदल को भूमि का कब्जा दिया जाना

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के ग्राम रामपुर थाना मुगरा बादशाहपुर के श्री सदल ने परगना अधिकारी, मछली शहर को दिनांक 31-1-92 को पट्टीशुदा भूमि पर अनधिकृत हस्तक्षेप रोकने हेतु पत्र दिया है ? क्या परगना अधिकारी, मछली शहर ने थाना अध्यक्ष मुगरा बादशाहपुर को पट्टे वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने के विरुद्ध धारा 19-ए के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करके कार्यवाही का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्या मुकदमा पंजीकृत करा दिया है ? यदि

हां, तो कब व किस धारा के अन्तर्गत ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या पट्टेदार को संरक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता की शिकायत आपसी सुलहनामे से दूर हो गयी और भूमि पर श्री सदल का कब्जा प्राप्त हो गया है, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लखनऊ की जनपद प्रभारी कु० अनुसूया शर्मा द्वारा कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

154–श्री छोटे लाल यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की लखनऊ जिला प्रभारी, कु० अनुसूया शर्मा को निगम प्रबन्धकों ने वर्ष 1990 में एम० एल० ए० का चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी ? यदि नहीं, तो कर्मचारी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

155–श्री यदुनाथ सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जिला पूर्ति अधिकारी यमुना प्रसाद मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित बिन्दु

156–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान शासन ने जिला पूर्ति अधिकारी, श्री जमुना प्रसाद मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार को जांच को खत्म करवा दिया है और उनकी गाजियाबाद में नियुक्ति करा दी है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 47 मुख्य मंत्री को तारीख 23-8-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र में किन-किन बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी थी ? क्या उक्त जानकारी सदन पटल पर रखी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

श्री जमुना प्रसाद मिश्र नाम का कोई जिला पूर्ति अधिकारी नहीं है । एक जिला पूर्ति अधिकारी यमुना शंकर मिश्र है जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करायी गयी तथा कतिपय जांच लम्बित है । उनका गाजियाबाद में प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरण किया गया था ।

प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 47 दिनांक 26-8-91 को मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ था ।

पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं एवं उन पर जानकारी हेतु विवरण संलग्नक एक में हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 247 पर)

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ग्राम-खेड़ा परसपुर के चकबन्दी बस्ता तथा चकबन्दी बन्दोबस्त को सील्ड किया जाना

157—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेगे कि गांव रेवड़ा परसपुर, प० भदोही, त० भदोही, जिला वाराणसी की आराजी 48-49, 50-51 के बन्दोबस्त का पन्ना फाड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच पड़ताल के बाद बन्दोबस्त में नया पन्ना जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसके बाद उक्त गांव की आराजी नं० 51 ख, जिसका रकबा 6 बिस्वा था, इसको श्री विश्वनाथ नि० गांव लखनपुर उर्फ अभ्यनपुर प० व त० भदोही वाराणसी ने अपने नं० में अनियमितताओं से शामिल करवा लिया है ? क्या इस संबंध में खेवड़ा परसपुर के सभी रेवन्यू कागजात सील कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसको जांच कराकर कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जी हां ।

जी हां । गाटा संख्या 49 क से संबंधित पृष्ठ सं० (93-94) नया तैयार करवा कर जोड़ दिया गया है ।

जी हां, श्री विश्वनाथ आदि ने गाटा सं० 51 ख रकबा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा पर अपना नाम आदेश दि० 29-5-89 द्वारा दर्ज करा लिया था जिसे रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र के आधार पर दिनांक 24-2-92 के आदेश से निरस्त कर दिया गया है और राज्य सरकार तथा गांव सभा को आपत्ति दाखिल करने का अवसर दिया गया है ।

ग्राम रेवड़ापरसपुर के समस्त रेवन्यू अभिलेख सील नहीं किये गये हैं, बल्कि अपर जिलाधिकारी (प्र०),ज्ञानपुर के आदेश दिनांक 17-2-91 द्वारा चकबन्दी बस्ता तथा चकबन्दी बंदोबस्त मय भू-चित्र सील्ड कर दिया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की तहसील-भदोही के ग्राम खेवड़ा परसपुर का आराजी नं० 51 फर्जी आदेश के तहत श्री विश्वनाथ द्वारा अपने नाम दर्ज कराने के संबंध में एस० डी० एम० भदोही की रिपोर्ट तथा उस पर कार्यवाही

158—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं० 51 ख गांव खेवड़ा परसपुर, प० भदोही, जिला वाराणसी जो कि गांव सभा की सम्पत्ति है, जिसको तहसील भदोही में 14 बिस्वा का 19 बिस्वा बताया गया है इसकी फर्जी तरीके से कागजात दुरुस्त कराने का आदेश परगनाधिकारी भदोहीं ने दिया है ? क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति श्री विश्वनाथ नि० गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, प० भदोही, त० भदोही, जिला वाराणसी ने अपने नाम दर्ज करा लिया है ? क्या इस संबंध में श्री राम प्रसाद सिंह, विधायक ने जिलाधीश, वाराणसी को पत्र लिखा है ? क्या एक पत्र पूर्व राजस्व मंत्री को भी लिखा है ? क्या इस संबंध में जिलाधीश वाराणसी ने अपने पत्र संख्या-1012 दिनांक 10 सितम्बर, 91 में एस० डी० एम०, भदोही को लिखा है कि वे सभी रिपोर्ट भेजें ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिलाधीश

वाराणसी को एस० डी० एम०, भदोही, वाराणसी ने क्या रिपोर्ट भेजी है ? इस बारे में अब तक क्या रिपोर्ट भेजी है ? इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

159–श्री गामाराम शास्त्री–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील-डुमरियागंज के ग्राम बोवहामुसतहक के रास्ते पर अवैध निर्माण के संबंध में कार्यवाही की मांग

160–श्री मो० मुकीम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 13-8-91 को नियम 301 में दी गयी सूचना जो ग्राम बोवहामुसतहक तहसील डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम प्रधान द्वारा आराजी नं० 150 जो कागज में रास्ता दर्ज है, पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है, के संबंध में था, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसूचित आवास निगम के महा प्रबन्धक के विरुद्ध खुली सतर्कता जांच के आदेश

161–श्री विश्वनाथ तथा श्री शिवपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र के 1992 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर से संबंधित क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत जांच किन विषयों पर हो रही है तथा यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति जांच हेतु कब गठित की गयी थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अब तक जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त न हो पाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि संबंधित अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी को वांछित सामग्री देने में हीलाहवाली करने के कारण ही जांच पूरी नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये संबंधित महाप्रबन्धक को निलंबित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनुसूचित आवास निगम के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच पर कृत कार्यवाही

162–श्री विश्वनाथ तथा श्री शिवपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिये नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के संबंध में क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन अभियंताओं (अधिकारियों) के विरुद्ध विभागीय/गैर विभागीय जांच चल रही है ? उन पर क्या-क्या आरोप है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनकी नियुक्तियां कहां-कहां हैं ? उक्त जांच कब-कब बैठायी गयी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों व अभियंताओं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है, की जांच

निष्पक्षता की दृष्टि से वहां से स्थानान्तरित या निलम्बित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

सूचना संलग्न है ।

जिन अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच चल रही है उनमें से मात्र एक अधिशासी अभियन्ता को छोड़कर अन्य कोई उस जनपद में तैनात नहीं है, जिस जनपद की अनियमितताओं के लिए उनके विरुद्ध जांच की जा रही है । जिन 4 अभियन्ताओं के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या गंभीर आरोप लगाये गये हैं उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । अन्य 25 अभियन्ताओं के विरुद्ध भी विभागीय जांच की जा रही है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित आवास निगम के पी० एल० ए० खाते में जमा धनराशि के ब्याज को हड़पने वाले अधिकारी को दण्डित करने की मांग

163–श्री पवन कुमार पाण्डेय तथा श्री घनश्याम शुक्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० एल० ए० से प्राप्त ब्याज को किस उपयोग में लगाया गया है ? यदि नहीं, तो उसे कहां समायोजित किया गया है ? क्या उसमें से धन बैंक में जमा किया गया है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री–

पी० एल० ए० में जमा धनराशि पर ब्याज अनुमन्य नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के तहसील-रुदौली के ग्राम सभा फिरोजपुर मखदमी में गलत वरासत दर्ज किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

164–श्री रामदेव आचार्य–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाता संख्या-330 तथा 6060 स्थित आराजी ग्राम-सभा फिरोजपुर मखदमी, परगना व तहसील-रूदौली, जनपद-बाराबंकी का गलत वरासत दर्ज किये जाने संबंधी ग्राम प्रधान श्री तुलसीराम व अन्य सदस्यगण का कोई शिकायती पत्र जो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी

† छापी नहीं गई ।

बाराबंकी के कार्यालय में क्र० सं० 1934 पर दिनांक 13-2-90 को पंजीकृत हुआ है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में शिकायतें क्या हैं और उस पर अब क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? इसके लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ की तहसीलों में चेनमैन के पदों का सृजन न किया जाना

165–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में तहसीलों में चेनमैन पद के पदोन्नति के लिये कोई पद सृजित किया गया है ? यदि नहीं, तो किस पद पर ? इस पद के लिये क्या शैक्षिक योग्यता निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद कानपुर निवासी श्री रामचरण भरतिया का स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पुष्टि न होना

166–श्री सत्य देव पचौरी–

क्या कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री को जानकारी है कि कानपुर निवासी श्री रामचरण भरतिया ने वर्ष 1989 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुदान हेतु कोई आवेदन किया था ? यदि हां, तो उस पर दिनांक 24-2-92 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उमानाथ सिंह–

जी हां ।

उनकी सजायाबी की पुष्टि कराई गई जो अभी तक नहीं हो सकी है ।

गोण्डा की ग्राम सभा गुरसड़ा की भूमि पर श्री चुनमुन का अवैध कब्जा

167–श्री राम प्रसाद सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 76 व विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–46 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ व श्री ऊदल तथा श्री चन्द्रभान मौर्य, विधायक के पत्र दिनांक 28-7-90, 31-3-90 व 21-8-91 के साथ संलग्न, श्री बाबूराम, श्री राम प्रसाद आदि ग्राम गुरसड़ा, तहसील करनैलगंज, जिला गोण्डा के प्रार्थना पत्रों की जांच किस दिनांक को, किस अधिकारी द्वारा की गयी ? क्या जांच में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा बनाम चुनमुन उर्फ परमेश्वर आदि के वाद के सम्बन्ध में जिलाधिकारी व तहसीलदार गोण्डा के आदेश के विरुद्ध विधायक श्री विश्वनाथ के पत्र पर जांच

168–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव सभा बनाम चुनमुन उर्फ परमेश्वर आदि वाद रिवीजन नं० 13/21/51 धारा 122 बी जिला अधिकारी व तहसीलदार–गोण्डा के फैसला दिनांक 16-10-84 के आदेश के विरुद्ध श्री विश्वनाथ, विधायक के पत्र पर जांच करके रिपोर्ट शासन को गुमराह करने तथा श्री ऊदल व श्री चन्द्रभान मौर्य, विधायक के पत्रों की जांच रिपोर्ट दबवाने में कौन से व्यक्ति दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करके जिलाधिकारी व तहसीलदार के उपरोक्त आदेश के अनुसार नक्शा तथा रिकार्ड में अमल दरामद करके विवादित भूमि से आम रास्ते की पैमाइश व सरहद अलग करके स्थानीय पुलिस के समक्ष गांव वालों को कब्जा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील सदर के ग्राम–बीरवाहपुर में राजस्व अभिलेखों में रास्ते का इन्द्राज न होना

169–श्री भागवत पाल–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बीरवाहपुर, तहसील सदर, जिला मिर्जापुर में अ० जा० की बस्ती में जाने का निर्धारित रास्ता कुछ दबंग लोगों ने जोत लिया है ? क्या यह भी सही है कि 15 अक्टूबर, सन् 1990 को अपर जिलाधिकारी, विकास, मिर्जापुर के पत्रांक 2983 में परगनाधिकारी को रास्ते की पैमाइश हेतु स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी रास्ता नहीं नापा गया है ? यदि हां, तो क्या रास्ते की पैमाइश करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं । राजस्व अभिलेखों में रास्ते का इन्द्राज नहीं है ।

अपर जिलाधिकारी (विकास) मिर्जापुर के पत्रांक 2983 दिनांक 15 अक्टूबर, 1990 में रास्ते की पैमाइश हेतु निर्देश नहीं थे, अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

आगरा पश्चिम में अर्जुन नगर तिराहे के रोड से फतेहपुर–सीकरी रोड पर पुल निर्माण

170–श्री किशन गोपाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा पश्चिम में अर्जुन नगर तिराहे के रोड से फतेहपुर–सीकरी रोड पर, आवागमन की बाधायें दूर करने व जनहित में लोगों के निकलने हेतु एक पुल का निर्माण कब तक करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत पुल के निर्माण की कोई योजना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर निवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व० श्री जयराम माली को स्वीकृत चिकित्सा अनुदान की जांच

171–श्री बच्चा पाठक तथा शिव दर्शन–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर जिला फैजाबाद निवासी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व० जयराम माली का निधन कब हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम वर्ष 1991 में चार हजार रुपये शासन द्वारा सहायतार्थ स्वीकार हुआ था ? यदि हां, तो उक्त धन को क्या स्व० जयराम माली के हस्ताक्षर से ही निकाला गया है ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा उनके हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया और कब उक्त धन को निकाला गया ?

श्री उमानाथ सिंह–

मामले में जिलाधिकारी फैजाबाद द्वारा जांच कराई जा रही है ।

जनपद फैजाबाद के तहसील अकबरपुर के ग्राम मीरानपुर निवासी श्री जयराम पुत्र श्री जगेसर को शासन द्वारा वर्ष 1990 में रु० 4,000 का चिकित्सा अनुदान उनके उपचार हेतु स्वीकृत किया गया था ।

इसकी स्थिति जांचोपरान्त ही स्पष्ट हो सकेगी ।

जिला पूर्ति कार्यालय, आगरा द्वारा आगरा महानगर के राशन विक्रेताओं से पंजीकरण शुल्क लिये जाने का प्रकरण

172–श्री किशन गोपाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जिलापूर्ति कार्यालय, आगरा महानगर के राशन विक्रेताओं से पंजीकरण शुल्क 2 रुपये के स्थान पर 500 रुपये प्रति वर्ष लिया जाता है व राशन दुकानदारों से 300 रुपये प्रति माह एतदर्थ वसूल किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस वसूली को रोकने हेतु अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां,तो कब ? यदि नहीं, क्यों ? क्या पंजीकरण शुल्क 100 (सौ रु०) लेकर आजन्म पंजीकरण की व्यवस्था करायेंगे ?

एजाज रिजवी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

मिट्टी का तेल विक्रय करने की निर्धारित व्यवस्था

173–श्री किशन गोपाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि मिट्टी का तेल कन्ट्रोल की दुकान से न बिक्रीकर बाजार में खुले आम अधिक मात्रा में जारी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इस मिट्टी के तेल पर दाम बढ़ाकर कन्ट्रोल हटाकर खुले रूप से बेचने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एजाज रिजवी–

(क) मिट्टी तेल के विक्रय के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था में केवल उचित दर की दुकानों एवं मिट्टी के तेल के लाइसेन्स धारक फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से कार्ड धारकों को वितरित कराने की हैं।

(ख) शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा की तहसील–विधुना के मौजा रठगांव के कतिपय खेतिहर मजदूरों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाने का मांग

174–श्री राम लखन –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा–रठगांव तहसील विधुना जनपद इटावा के खेतिहर मजदूर रामनरेश पुत्र श्री रूप लाल, पाती राम पुत्र श्री जगन्नाथ, सूरज मुखी बेवा श्याम बाबू, गोमती बेवा प्रकाश, छेदा मृतक राम औतार पुत्र श्री सोने लाल, बाबू राम पुत्र श्री राम लाल, लालता प्रसाद पुत्र मेवा राम, अन्तू पुत्र श्री चेटे लाल, मोती लाल पुत्र श्री पंथी, जालिम पुत्र श्री झुन्नी, गया प्रसाद व सूबेदार, सुखलाल पुत्र श्री मेवा राम, राम पाल पुत्र श्री छेदा लाल, राम औतार पुत्र श्री सोने लाल, सत्य राम पुत्र श्री महिपाल, श्याम लाल पुत्र श्री राम भरोसे आदि की पट्टे की भूमि पर उपरोक्त व्यक्तियों को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र माह फरवरी, 92 के अन्तिम सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उल्लिखित खेतिहर मजदूरों को पट्टे की भूमि पर कब्जा प्राप्त करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सभी को कब्जा कब तक प्राप्त करा दिया जायेगा ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिर खाना के ग्राम कचनाव के निवासी श्री मठगू दास पुत्र गुरुचरन का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने की मांग

175–श्री राम स्वरूप वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम गुरुवार दिनांक 13-2-92 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा सिन्धनकलां से लसड़ा तक के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण कार्य स्वीकृत न होना

176–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में सिन्धनकलां से लसड़ा तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992-1993 में पूरा कराया जायगा तथा उसका डामरीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य फिलहाल स्वीकृत नहीं है । यह कार्य जिला योज़ना की परिधि में आता है जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा में ग्राम दोहतरा से ग्राम डिघवट मार्ग खड़ंजा स्तर तक निर्मित

177–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम दोहतरा से ग्राम डिघवट तक सम्पर्क मार्ग कब तक बनवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग सैकटोरल आर० एल० ई० जी० पी० योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के अनुसार खड़ंजा स्तर तक निर्मित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में ग्राम–तिन्दवारी गोधनी से मौदहा विलवर्ड सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण का प्रकरण अस्वीकृत

178–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में ग्राम तिन्दवारी, गोधनी से मौदहा विलवर्ड सम्पर्क मार्ग का अधूरा कार्य वित्तीय वर्ष 1992–93 में पूरा करके डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य फिलहाल स्वीकृत नहीं है । यह कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा में बांदा–चिल्ला मार्ग से तिन्दवारी तक, जसपुरा से झंझरी तक तथा ग्राम–पैलानी से पलसे तक के सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण का कार्य अस्वीकृत

179–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में बांदा–चिल्ला मार्ग से बिछवाही बिडोरा से होकर तिन्दवारी तक के सम्पर्क मार्ग के अधूरे कार्य को वित्तीय वर्ष 1992–93 में पूरा करके डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

जनपद बांदा में बांदा–चिल्ला मार्ग से बिछवाही ग्राम तक (लम्बाई 2 कि० मी०) के सम्पर्क मार्ग का कार्य वर्ष 1990–91 में जिला योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तक स्वीकृत है जिसके सापेक्ष खड़ंजा स्तर तक का कार्य पूर्ण है तथा शेष कार्य प्रगति पर है । बिछवाही से भिंडौरा होते हुए तिन्दवारी तक के सम्पर्क मार्ग (कुल लम्बाई 8.30 कि० मी०) के डामरीकरण के कार्य अभी तक किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है । कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिस की स्वीकृति जिला नियोजन एवं

अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृति के लिए अनुमोदन किए जाने एवं कार्य किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

180–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में जसपुरा से झंझरी पुरवा सम्पर्क मार्ग को 5 किमी० लम्बाई के अधूरे कार्य को वित्तीय वर्ष 1992–93 में पूरा करके डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य फिलहाल स्वीकृत नहीं है । यह कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

181–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में ग्राम–पैलानी से ग्राम नरी होकर–पलरी तक के सम्पर्क मार्ग का अधूरे कार्य को वित्तीय वर्ष 1992–93 में पूरा करके डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

स्वीकृति अनुसार खड़ंजा स्तर तक कार्य पूर्ण है । डामरीकरण कार्य किसी भी योजना में अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है ।

कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद बांदा में जसपुरा से गड़रिया तक के सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण का कार्य धन की उपलब्धता पर निर्भर करना

182–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में जसपुरा से गड़रिया तक सम्पर्क मार्ग का अधूरे कार्य को वित्तीय वर्ष 1992–93 में पूरा करके डामरीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण का कार्य फिलहाल स्वीकृत नहीं है । यह कार्य जिला योजना की परिधि में आता है, जिसकी स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

183–श्री बच्चा पाठक–

[दि० 2-4-91 को अ० प्र० संख्या 196 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के परगना–पलिया के ग्राम–मकनपुर के जनजातियों की भूमि हड़पने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

184–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1841/91 ग्राम प्रधान श्री विश्वनाथ कपूर, ग्राम सभा मकनपुर, परगना पलिया, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा

जनजातियों की जमीन हड़पने विषयक प्रार्थना-पत्र सहित जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को दिनांक 30-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि विवादित भूमि कुर्क किये जाने का एक वाद परगनाधिकारी के न्यायालय में धारा 145/146 के अन्तर्गत विचाराधीन है । नायब तहसीलदार द्वारा आख्या दे दी गयी है । श्रीमती हाजिरा पुत्री फकीर हसन सक्षम न्यायालय में पैरवी करके न्याय प्राप्त कर सकती है । श्री विश्वनाथ कपूर के नाम सीलिंग का वाद सं०–3/2/81/26/1989–90 अन्तर्गत धारा–11(2) सीलिंग ऐक्ट सोमनाथ (मृतक) वारिस संदीप धवन बनाम सरकार आदि चल चुका है, जिसका निर्णय न्यायालय नियत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17-5-90 को हो चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा तहसील तुलसीपुर के तप्पा पचपेड़वा और गैसड़ी के प्रधानों एवं लेखपालों द्वारा अपात्र व्यक्तियों को साधारण आवास/हरिजन आवास एवं भूमि आवंटित करने सम्बन्धी जांच

185–श्री बाला प्रसाद–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 जून, 91 से 31 दिसम्बर, 91 के बीच में जनपद गोण्डा के तहसील तुलसीपुर के तप्पा पचपेड़वा/गैसड़ी में किस-किस ग्राम सभा के प्रधान के विरुद्ध तथा लेखपाल के विरुद्ध किन-किन लोगों की शिकायतें परगना अधिकारी तुलसीपुर/मुख्य राजस्व अधिकारी, गोण्डा/तहसीलदार तुलसीपुर को अनधिकृत कब्जेदारों के विरुद्ध तथा अपात्र-व्यक्तियों की कृषि योग्य भूमि का आवंटन करने तथा अपात्र-व्यक्तियों को साधारण आवास/हरिजन आवास आवंटन करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई और जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? दोषी कौन-कौन लोग पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

प्रश्नगत तहसील के तप्पा पचपेड़वा और गैसड़ी के कुल 35 ग्राम सभा के प्रधानों एवं लेखपालों के विरुद्ध सर्वश्री अब्दुल अजीज खां आदि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कुल 55 शिकायतें की गयी थीं, जिन पर क्षेत्रीय नायब तहसीलदार और भू-लेख निरीक्षक से मौके की जांच कराई गई । जांच परिणाम के अनुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम मुन्ना लाल पुरवा के श्री मखबूल पुत्र सलाक के आश्रितों के नाम वरासत तथा पट्टे की भूमि का कब्जा

186–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1590/91 श्री मखूल नि० ग्रा० मुन्ना लाल पुरवा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र पर परगनाधिकारी, निघासन को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच कराई गयी । जांच में यह तत्य प्रकट हुआ कि मखूल के बजाय सही नाम मखबूल है । श्री मखबूल पुत्र सलारू की मृत्यु हो गयी है । उसके लड़कों के नाम वरासत की जा चूकी है और पट्टे की भूमि की पैमाइश करके उन्हें कब्जा दिलाया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील–निघासन के ग्राम ढखेरवा खालसा के निवासी श्री सुन्दर लाल के पट्टे की भूमि की पैमाइश तथा भूमि संबंधी विवाद न्यायालय में विचाराधीन

187–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1635/91 श्री सुन्दर लाल नि० ग्रा० ढखेरवा खालसा, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र पर परगनाधिकारी, निघासन को 13-10-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि श्री सुन्दर लाल पुत्र नोखे नि० चकपुरवा मजरा ढखेरवा खालसा के पट्टे की भूमि पर पैमाइश की जा चुकी है । राम सिंह बनाम सुन्दर लाल का मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । वाद निर्णीत होने के बाद विधिवत् कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम नौरंगाबाद के निवासी श्री बिन्द्रा प्रसाद पुत्र बेनी की पट्टे की भूमि की पैमाइश करके कब्जा किया जाना

188–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1593/91 बिन्द्रा प्रसाद नि० ग्रा० नौरंगाबाद, तहसील निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच कराई गयी । श्री बिन्द्रा प्रसाद पुत्र बेनी की पट्टे की भूमि सं०–1877 क्षेत्रफल 2.94 एकड़ की पैमायश करके उन्हें कब्जा दे दिया गया । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर चमुखी के प्रधान श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच आख्या

189–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम प्रतापपुर चमुखी के प्रधान श्री भानु प्रताप सिंह के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के बारे में तहसीलदार

अकबरपुर द्वारा अपनी जांच आख्या पत्र संख्या मेमो 20 का०/वि० का० प्रधान/90-91 दि० 1-11-91 द्वारा परगनाधिकारी अकबरपुर को कार्यवाही हेतु प्रेषित करायी गयी है ? यदि हां, तो तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गयी जांच आख्या का बिन्दुवार विवरण क्या है तथा आख्यानुसार प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही किन-किन अधिकारियों द्वारा की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

तहसीलदार, अकबरपुर द्वारा प्रेषित की गई जांच आख्या का बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित है:–

(1) प्रधान के विरुद्ध जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सामग्री खरीदने में रु० 2724/- का घपला पाया गया ।

(2) गांव सभा के, नंबर 7719 में फसल बोवाने और आवंटन हेतु दिये गये आदेश का पालन न करने का आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया ।

(3) भूमि सं० 7486 पर भवन निर्माण कराकर सार्वजनिक पुलिया को बन्द करने के संबंध में आरोप सिद्ध न होना ।

(4) श्रीमती कृष्णा देवी सिंह, जो प्रधान के परिवार की हैं तथा पंचायत निर्वाचन से पराजित श्री अशफाक खां को अवैध रूप से सदस्य मनोनीत करने का आरोप सिद्ध न पाया जाना ।

(5) पर्चियां काटकर चीनी बंटवाने का आरोप (जिसके कारण सही व्यक्तियों को चीनी नहीं मिल सकी) प्रधान पर सिद्ध होना ।

(6) गांटा सं० 4477 के संबंध में पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को मुकदमें में फसाना (परन्तु प्रकरण दीवानी न्यायालय में होने से विवेचना करना उचित नहीं) ।

(7) खण्ड विकास अधिकारी के आदेश का पालन न करके ग्राम के विकास को प्रभावित करना प्रधान के विरुद्ध उत्तर न देने से आरोप सिद्ध होना ।

(8) जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप प्रमाणित रूप से पुष्ट न होना ।

अभी तक प्रधान के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी । मामले की पुनः जांच अपर परगनाधिकारी, अकबरपुर को दी गयी है ? शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम लालपुर, ढाका पलिया के निवासी श्री लल्लू पुत्र श्री भुलई को पट्टे की भूमि का कब्जा न दिया जाना

190–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1644/91 श्री लल्लू पुत्र श्री भुलई, नि० ग्राम लालपुर, ढाका पलिया तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना-पत्र सहित परगनाधिकारी, निघासन, लखीमपुर खीरी को 14-10-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच कराई गयी । जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि जिस भूमि के पट्टे किये गये थे उस पर अपर आयुक्त (न्याय) लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा स्थगन आदेश दिये जाने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में परिकल्प शोध-अनुसंधान, नियोजन अन्वेषण सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण में कार्यरत प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अर्दली/चपरासी भत्ता लेने के संबंध में

191–श्री राम सरन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को अर्दली/चपरासी तैनाती न होने की दशा मे भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो अन्वेषणालय के अधीनस्थ खण्ड/क्वालिटी प्रमोशन सेल एवं लखनऊ के अन्य अकार्यकारी खण्डों में कार्यरत उच्च अधिकारियों के साथ कौन-कौन से चपरासी नियमित/दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं तथा किन-किन अधिकारियों को अर्दली/चपरासी भत्ता दिया जा रहा है ? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के वेतन से उक्त शासकीय धन हानि की वसूली करते हुए उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

लोक निर्माण विभाग में परिकल्प शोध, अनुसंधान, नियोजन, अन्वेषण, सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण से संबंधित जिन शाखाओं/पदों के लिये स्वीकृति दी गयी है, उनमें कार्यरत ऐसे प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अभियंत्रण अधिकारियों जिन्हें अर्दली/चपरासी नहीं मिले हैं या वापस लिये जाते हैं, को सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता देय है ।

विवरण संलग्न है ।

अनुमन्य न होते हुए उक्त भत्ता प्राप्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के निदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के ग्राम मसान खम्भ के निवासी राम बिशुन पुत्र मोती राम के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

192–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1499/91, राम विशुन पुत्र मोती राम, नि० ग्राम मसान खम्भ, परगना पलिया थारू क्षेत्र चन्दन चौकी, तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगना अधिकारी, निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

---

† छापी नहीं गयी ।

जांच की गयी । श्री रामकिशुन के पिता मोली पुत्र असई के नाम बन्दोबस्त खतौनी के खाता संख्या- 41 पर गाटा सं०-91/10-12 एकड़ दर्ज कागजात है । मोली की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रगण रामकिशुन व रामदनी व जग्गा के नाम वरासत से दर्ज हो चुकी है एवं भूमि पर इन्हीं का कब्जा है । श्री पुत्तू लाल व मथुरा पुत्रगण सातन के नाम गाटा संख्या- 139/20-13 एकड़ दर्ज कागजात है, जिस पर पुत्तू लाल आदि का ही कब्जा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील -निघासन के परगना-खैरीगढ़ के ग्राम- बरसोला कलां के निवासी श्री हनीफ साईंबाबा के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि का दर्ज न होना

193–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र सं० 1500/91 हनीफ साईंबाबा नि० ग्राम बरसोला तिकुनिया, परगना खैरीगढ़, तहसील निघासन, लखीमपुर खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी हां ।

जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि हनीफ साईंबाबा, निवासी बरसोला कलां के नाम राजस्व अभिलेखों में कोई भूमि दर्ज नहीं है जो उसे दी जा सके अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के ग्राम सभा गौरा कमाल के श्री रामकुबेर का गाटा संख्या 342 पर कब्जा

194–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा गौरा कमाल, तहसील जलालपुर, जनपद फैजाबाद के गाटा सं० 342 रकबा 9 विस्वां 1 धुर पर वर्तमान समय में अवैध कब्जेदार काबिज हैं ? क्या यह सही है कि ग्राम सभा की जमीन पर ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? संबंधित ग्राम प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जी नहीं ।

श्री राम कबेर (अनुसूचित जाति) जून, 1985 के पूर्व से प्रश्नगत ग्राम सभा के गाटा सं० 342 के रकबा दस विस्वां पर काबिज हैं । उक्त श्री राम कुबेर वर्ष 1988 से ग्राम प्रधान हैं ।

परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 22-10-91 द्वारा श्री राम कुबेर अनुसूचित जाति को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 122-बी (4-एफ) का लाभ देकर उन्हें उनके द्वारा काबिज भूमि 0-10-0 का असंक्रमणीय भूमिधर बना दिया गया है । अतः श्री रामकुबेर, अनुसूचित जाति जो वर्ष 1988 से ग्राम प्रधान भी हैं, के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के ग्राम बल्लीपुर के श्री गोकई पुत्र श्री तिलक के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही करने की मांग

195–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं० 1553/91 श्री गोकई पुत्र श्री तिलक, ग्राम बल्लीपुर, परगना तहसील निघासन, खीरी के प्रार्थना पत्र सहित परगनाधिकारी निघासन

खीरी को 2-12-91 को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील जलालपुर के परगना- सुरूहरपुर के ग्राम सभा--लाभापार के भू० पू० प्रधान द्वारा अवैधानिक ढंग से किये गये बयनामा के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

196–श्री राम लखन–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा लाभापार, परगना सुरूहरपुर, तहसील जलालपुर, फैजाबाद के भू० पू० प्रधान व ग्राम के कुछ प्रभावी व्यक्तियों तथा लेखपाल आदि की सांठ-गांठ से फर्जी मुकदमा चला कर लोगों को ऊसर, बंजर, तालाब एवं आबादी की भूमि को अवैधानिक ढंग से बयनामा करके खतौनी में अमल दरामद करवाया गया है ? क्या यह सही है कि जो मुकदमे चलाये गये थे ? वे फर्जी थे ? यदि हां, तो क्या तत्काल समस्त अमल दरामद खारिज करके सभी भूमि/तालाब को ग्राम सभा में दर्ज करने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कराकर कार्यवाही कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के 245-विधान सभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग द्वारा अधूरी सड़कों को पूरा कराने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

197–श्री ऊदल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 245- विधान सभा क्षेत्र वाराणसी की लोक निर्माण विभाग की अधूरी सड़कों के लिये पूर्वांचल विकास निधि से धन देने हेतु प्रश्नकर्ता ने परियोजना निदेशक, वाराणसी को पत्र संख्या- ग 4723-41 व 472340-ग 472343 के द्वारा प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो क्या उसको 91-92 की योजना में ले लिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि परियोजना निदेशक, वाराणसी ने अपने पत्र संख्या-5642/ ज० रा० पा०-17, दिनांक 1-1-93 के द्वारा प्रश्नकर्ता को सूचित किया है कि वर्ष 92-93 में इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार कुछ मार्गों के लिये इस वित्तीय वर्ष 91-92 में भी धन देने की अनुमति प्रदान करेगी ताकि उन पर अधूरे पड़े कार्यों को पूरा किया जा सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

245– विधान सभा क्षेत्र वाराणसी की अधूरी सड़कों के लिये पूर्वांचल विकास निधि से धन उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक ग 472341 तथा 472340 मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी को प्राप्त हुये हैं । पत्रांक ग–472343 मुख्य विकास अधिकारी अथवा परियोजना निदेशक को प्राप्त नहीं हुआ है । उक्त सन्दर्भित प्राप्त पत्रों में वर्णित कार्यों को सीमित संसाधनों के कारण वर्ष 1991-92 की योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सका है ।

प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ग–472342 दिनांक 19-12-91 में प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी द्वारा अपने पत्र संख्या-5642/जरोयो.17, दिनांक 1-1-92 के माध्यम से मा० सदस्य पर जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 92-93 के अन्तर्गत विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 1991-92 समाप्त हो जाने के कारण धन उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित अधिकारों से अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही

198–श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्रांक 2939 लेखा रु० लखनऊ 28-6-88 द्वारा कोई सर्कुलर निकाला था ? यदि हां, तो क्या ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची बनायी गयी जिन्होंने वित्तीय हस्त पुस्तिका में दिये गये अधिकारों से अधिक खर्च किया ? क्या इन सभी लोगों का स्पष्टीकरण मांगा गया एवं कार्यवाही की गयी ? बिना सभी का स्पष्टीकरण मांगे इस पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का क्या कारण है ? क्या प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों की सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उस सूची को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

कथित निर्देश जारी किए गए थे ।

इस प्रकार से जो मामले प्रकाश में आये, उन पर कार्यवाही की गई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक समाज कल्याण विभाग द्वारा रिक्त प्लाटों के आवंटन का विचाराधीन प्रकरण

199–श्री हरिवंश सहाय–

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ० प्र० ने अपने पत्रांक 30-74 (7)/विकास/स० क० 91-92 लखनऊ दिनांक 13 नवम्बर, 1991 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर के अनुसूचित जाति के रामपाल व राजू पुत्र बल्देव 181, आवास-विकास कालोनी, नूहमहल, रामपुर को फ्लोर इण्डस्ट्री एवं राइस इण्डस्ट्री स्थापित करने हेतु औद्योगिक आस्थान में रिक्त प्लाटों में रिक्त प्लाटों को आवंटित करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये भेजा था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त रिक्त प्लाट का आवंटन कर दिया गया है ? यदि नहीं, किया गया है, तो उसे कब तक कर दिया जायेगा ? क्या यह भी सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर ने कुछ ऐसे लोगों के नाम वर्ष 1988, 1986, 1982 में रिक्त प्लाटों को आवंटन किया है, वे सरकारी सेवाओं में कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि वे लोग दूसरे जनपदों के रहने वाले हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री रमापति शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

रिक्त प्लाट के आवंटन का प्रस्ताव उप निदेशक, समाज कल्याण मुरादाबाद मण्डल के स्तर पर विचाराधीन है ।

वर्ष 1982 एवं 1988 में कोई आवंटन नहीं किया गया है । वर्ष 1986 में एक प्लाट का आवंटन जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर तथा 6 प्लाट का आवंटन उप निदेशक, समाज कल्याण, मुरादाबाद मंडल द्वारा किया गया जिसमें कोई भी आवंटी सरकारी सेवा में नहीं है ।

दो आवंटी जनपद मुरादाबाद के निवासी हैं ।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम पमोली की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा किये जाने का प्रकरण

200–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद तहसील अकबरपुर की ग्राम सभा पमोली में ग्राम समाज की भूमि जिसका रकबा 11/ (दस बिस्वा) है का पट्टा कल्लू राम लगन, रामफेर काशी, हरिश्याम, राम चेत, राम किशोर, भागी व राम आसरे को वर्ष 1990 में ग्राम प्रधान चन्द्र पाल सिंह व संबंधित लेखपाल श्री जय राम वर्मा व ब्रद्री प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या पट्टा करने की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

ग्राम पमोली, परगना मिझौड़ा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में ग्राम समाज की भूमि सं० 715 रकबा 0-9-5 का आवासीय पट्टा काशी व कल्लू को छोड़कर अन्य सभी को किया गया है । भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष श्री चन्द्रपाल सिंह, ग्राम प्रधान व मंत्री श्री जयराम वर्मा लेखपाल थे ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील हाथरस के ग्राम गढ़ीतमन्ना के निवासी स्व० श्री चुन्नी लाल (परिगणित जाति) की भूमि की नीलामी से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाना

201–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़ी तमन्ना, तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ निवासी स्व० चुन्नी लाल (परिगणित जाति) व्यक्ति की लगभग 3 लाख रुपये की भूमि को, हाथरस तहसील के अधिकारियों ने नियम विरुद्ध कागजों में धोखाधड़ी व हेरफेर करके केवल रु० 8295.50 पैसे की विद्युत वसूली हेतु केवल 75000.00 रुपये में नीलाम कर दिया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गई एवं जांच आख्या दिनांक 19-8-90/91 में तहसील के अधिकारियों को दोषी पाकर, उनके विरुद्ध धारा 420-465-467 एवं 171 तथा 120 के अन्तर्गत अभियोजन पंजीकृत किये जाने की संस्तुति की गई थी ? क्या राज्य सरकार द्वारा उक्त जांच में संस्तुति किए गए समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम करा दिया गया है ? क्या उनमें से रिपोर्ट में कुछ लोगों का नाम छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या समस्त विवरण सदन की मेज पर रखने की आज्ञा करेंगे ? यदि नहीं, तों क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

स्वर्गीय श्री चुन्नीलाल, निवासी ग्राम गढ़ीतमन्ना, तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ की भूमि विद्युत देय रुपया 8295.50 +10 प्रतिशत संग्रह व्यय की वसूली हेतु रुपये 75000 में नीलाम की गयी ।

जी हां ।

संबंधित 4 राजस्व कर्मचारियों में से 3 के विरुद्ध मुकदमा कायम करा दिया गया है तथा श्री हुलासी रामसगर, तत्कालीन तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही नियुक्ति विभाग के विचाराधीन है । उपरोक्त के अतिरिक्त किसी कर्मचारी का नाम छोड़ा नहीं गया है । राजस्व विभाग के तीन कर्मचारी श्री सुरेश चन्द्र जैन, संग्रह अमीन, श्री भगवत, संग्रह चपरासी एवं श्री नत्थाराम, तत्कालीन सहायक

वासिल बाकी नवीस के विरुद्ध दिनांक 16-5-91 को थाना हाथरस गेट में अपराध संख्या 90/91 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

मामले से संबंधित विवरण उत्तरालेख्य के प्रस्तर-1 व 3 में दे दिये गये हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

कहिए क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जागेश्वर जी, आप चिकित्सा विभाग के उप मंत्री रह चुके हैं । आज आपके विभाग से संबंधित बजट है तो मेरा आपसे अनुरोध है बाद में अपनी बात कह लीजियेगा ।

डा० अम्बेडकर मार्ग पर यातायात पुलिस द्वारा ध्यान न देने तथा मार्ग में गन्दगी होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? कहिए ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, हम लोग विधायक निवास-1 में रहते हैं । विधायक निवास-1 और 2 से सारे माननीय विधायकों को विधान भवन आने के लिये सामने वाले रास्ते डा० अम्बेदकर माग से आना पड़ता है । प्रायः यह देखा जा रहा है कि हम लोग जल्दी करते हैं कि समय से 11 बजे तक सदन में पहुंच जायं जैसे ही वहां पर आते हैं यातायात का इतना प्रवाह रहता है कि उसको पार करने में बहुत दिक्कत होती है । वहां पर खड़े ट्रैफिक पुलिस और अन्य सिपाही होते हैं वह जरा भी हम लोगों का ख्याल नहीं करते हैं कि यह माननीय विधायकगण सदन में जा रहे हैं, इनको समय से पहुंचा दिया जाय । जब उनसे कहा जाता है तो वह कहते हैं कि जब वहां से ट्रैफिक बन्द हो जायेगा तब क्रास कर लीजियेगा । विधायक निवास-1 से आते समय रास्ते में इतनी गन्दगी है, पानी भरा रहता है और उसकी सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है । मान्यवर, इस पर व्यवस्था दें । सरकार को इसके लिये निर्देशित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने मेरे संज्ञान में बात ला दी है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इस विषय पर बात कर लूंगा । कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान हो जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

स्वतन्त्र चेतना के संपादक की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष–

एक-एक करके अपनी बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सदन में, इस सत्र में लगातार यह बात उठाई जा रही है कि विपक्ष के विधायकों और सम्मानित पत्रकारों पर प्राण घातक हमले हो रहे हैं । मुख्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर कहा कि सरकार चिन्तित है । आपकी तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था हेतु कहा जा चुका है । मान्यवर, 19 तारीख को स्वतन्त्र चेतना.....

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इस समय ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था के खिलाफ चल रहे हैं इसलिये व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, 19 तारीख को स्वतन्त्र चेतना के प्रधान सम्पादक श्री आ० बी० गुप्ता पर..

श्री अध्यक्ष–

यह विषय सदन में आ चुका है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, उन पर कातिलाना हमला किया जाता है । उन की रीढ़ की हड्डी टूट गई । एफ० आई० आर० लिखाने गये तो लिखी नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार को निर्देशित कर दें । अखबारवालों के ऊपर, उनके स्वतंत्र कलम के ऊपर रोक न लगायें ।

विधायकों द्वारा हरिजन शब्द का प्रयोग करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह तो आपके संज्ञान में है कि इस सरकार ने 5-6 महीने पहले हरिजन शब्द पर रोक लगा दी थी । मान्यवर, सत्ता पक्ष के और विरोध पक्ष के भी कई माननीय सदस्य हर बात में हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं । अब मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि जब सरकार ने "हरिजन" शब्द पर रोक लगा दी है तो सभी सदस्य इस शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं । मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिये सभी माननीय सदस्य ध्यान कर लें । माननीय सदस्य को आपत्ति भी है और फिर शासन का निर्णय भी है कि यह शब्द प्रयोग न किया जाय ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, यह भी निर्देश दें कि बाकी के सरकारी काम-काज में भी इसका ध्यान रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निर्देश दे दिये हैं ।

श्री रामऔतार शाक्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निदेश जो विधान सभा सचिवालय द्वारा 1991 में प्रकाशित हुए हैं हमको प्रदान किया गया है । मैं निदेश 166 में....

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना दे दीजियेगा ।

प्रक्रिया संबंधी निदेश में मुद्रण की त्रुटि की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री रामऔतार शाक्य–

मान्यवर, 165 के बाद 167 छपा है । 166 इसमें नहीं छपा है ।

श्री अध्यक्ष–

यह छपाई की भूल है इसको देख लिया गया है । जो "सदन में शासन की ओर से दी जाने वाली सूचना की सत्यता का दायित्व" इसके नीचे जो (1) लिखा है उसको आप 166 पढ़ लें । यह गल्ती से छप गया है इसको दिखवा लूंगा ।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने पर आपत्ति

श्री मोहम्मद मुकीम-

मान्यवर, दिनांक 13-8-91 के नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी जिसका जवाब मान्यवर एक महीने के अन्दर मिलना चाहिए लेकिन मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिला । मैंने 25-2-92 को पुनः प्रश्न किया । माननीय राजस्व मंत्री जी का जवाब आया "सूचना एकत्र की जा रही है"। मान्यवर, 13-8-91 में 301 की सूचना दी और उसका जवाब एक माह में मिलना चाहिए लेकिन यह 25-2-92 तक नहीं मिला और जब जवाब मिला तो यह कि "सूचना एकत्र की जा रही है" ।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचना लिखकर दे दें । इसमें शासन और संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर मंगा लेंगे ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचना ले रहा हूं । 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं शलाका के आधार पर सात सूचनायें स्वीकार की गई हैं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून) की है इन्होंने देहरादून में रामपुर

विकास खण्ड के ग्राम थानों में 33 के० वी० सब स्टेशन को संचालित कराने के संबंध में सूचना दी है। दूसरी सूचना श्री गिरधारी लाल की है इन्होंने गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर के ग्राम असावर एवं डेहमा में जवाहर रोजगार योजना में हो रहे दुरुपयोग के संबंध में सूचना दी है। तीसरी सूचना श्री सतीश भाटिया की है इन्होंने कानपुर रोड (लखनऊ) के आशुतोष नगर में पानी की निकासी हेतु नाली बनवाने तथा टूटी सड़कों की मरम्मत के संबंध में सूचना दी है। चौथी सूचना श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह की है इन्होंने बहराइच के भिन्गा क्षेत्र के 18 गांवों में दि० 1-4-92 से 11-4-92 के बीच हुई अग्निकांडों से पीड़ितों को सहायता देने के संबंध में सूचना दी है। पांचवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की है इन्होंने जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में सूचना दी है। छठी सूचना श्री भागवत पाल की है इन्होंने जनपद बांदा की अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण कराने व बांदा नगर में बोल्टेज बढ़ाने के संबंध में सूचना दी है। सातवीं सूचना श्री विक्रमादित्य मौर्य की है इन्होंने इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद, धन्नूपुर व प्रतापपुर, हंडिया में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध मे सूचना दी है। यह सभी सूचनायें स्वीकार की गई हैं।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद देहरादून में रायपुर विकास खण्ड के ग्राम थानों में 33 के० वी० विद्युत सब स्टेशन संचालित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, जनपद देहरादून में विकास खण्ड रायपुर के अंतर्गत ग्राम थानों में विद्युत विभाग द्वारा 33 के० वी० का सब स्टेशन वर्ष 1989 में निर्मित किया गया था, परन्तु इस सब स्टेशन को अभी तक संचालित नहीं किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को अनियमित विद्युत आपूर्ति की समस्या से झूझना पड़ रहा है।

अतः जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के ग्राम थानों में निर्मित उपरोक्त सब स्टेशन को अविलम्ब संचालित कराने हेतु कार्यवाही की कृपा करें।]

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर के ग्राम असावर एवं डेहमा में जवाहर रोजगार योजना में धन दुरुपयोग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरधारी लाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड बाराचवर के ग्राम असावर एवं डेहमा में जवाहर रोजगार में दुरुपयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

ग्राम असावर में लगभग 90 हजार तथा डेहमा में 13 हजार की गड़बड़ी पायी गयी असावर के प्रधान को निलम्बित कर दिया गया। परगना मजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद श्री के० एन० लाल कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षण में भेजे गये थे। इसी बीच श्री वेतुल्ला अन्सारी, अतिरिक्त परगनाधिकारी को कार्यभार सौंपा गया इन्होंने असावर के निलम्बित प्रधान को अनाधिकृत रूप से बहाल कर दिया। बहाली के कुछ दिन बाद ही लगभग 34 हजार रुपया उतार लिया तथा ग्राम प्रधान, डेहमा को निलम्बित कर दिया। श्री के० एन० लाल ने प्रशिक्षण से वापिस आकर परगना मजिस्ट्रेट का कार्यभार संभालते ही निलम्बित

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ग्राम डेहमा के प्रधान को यह कह कर बहाल कर दिया कि श्री वैतुल्ला अन्सारी लिंक अफसर थे, अतः उनको निलम्बित या बहाल करने का अधिकार नहीं था ।

इन मामलों में के० एन० लाल द्वारा लिया गया निर्णय अनुचित अवैधानिक एवं भेदभाव पूर्ण है । इससे पूरे क्षेत्र की जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त मामलों की जांच आयुक्त से करायें । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें, जिससे लोगों को न्याय मिल सके ।]

कानपुर रोड (लखनऊ) के आशुतोष नगर में नालियों तथा टूटी सड़कों की मरम्मत के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश भाटिया–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शासन का ध्यान राजधानी में असमान्य रूप से हो रहे विकास की ओर दिलाना चाहता हूं । जहां शहर में गोमती पार के क्षेत्रों का विकास त्वरित गति से हो रहा है वहीं दूसरी ओर केन्द्र एरिया एवं कानपुर रोड स्थित आवासीय क्षेत्र अविकसित ही रह गया है । कानपुर रोड स्थित कृष्णानगर थाने में आशुतोष नगर, भोला खेड़ा, पुराना सिन्धुनगर को जाने वाली खस्ताहाल सड़क की ओर दिलना चाहता हूं । कृष्णानगर थाने इंद्रलोक कालोनी को जाने वाली सड़क पक्की हो रही है तथा उसके किनारे से बरसाती पानी के निकास हेतु नाली बनी है । लेकिन उस रोड से लगी आशुतोष नगर कालोनी बरसात में पानी से भर जाती है जिसका पानी सड़क में फैल जाता है और पक्की बनी हुई सड़क जगह-जगह से टूट जाती है । इस जलभराव से तरह-तरह की बीमारियां भी फैलती हैं । अतः आशुतोष नगर से पानी की निकासी हेतु सड़क के साथ-साथ निकासी हेतु नाली बनाकर मुख्य सड़क के नाले से जोड़ दी जाय तो समस्या का समाधान हो जायगा तथा इस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को राहत भी मिल सकेगी ।]

बहराइच के भिन्गा क्षेत्र के गांवों में हुए अग्निकांडों से पीड़ितों को सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र मणि कान्त सिंह–

[मान्यवर, मैं अपने जनपद बहराइच के भिन्गा क्षेत्र की इस ज्वलन्त समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र के 18 ग्रामों (सूची संलग्न) में दिनांक 1-4-92 से 11-4-92 के मध्य कई भीषण अग्निकाण्ड हुए जिनमें मेरी निजी जानकारी के अनुसार लगभग दो सौ चालीस से अधिक परिवार प्रभावित हुए एवं अनुमानतः 10 लाख रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई । मेरा क्षेत्र पिछड़ा और अति निर्धन है और आज तक अग्निकाण्ड से प्रभावित लोगों को कोई राहत नही दी गई इससे जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही की तुरन्त मांग करता हूं ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्त सूचना

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

[मान्यवर, जनपद मऊ के अंतर्गत नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में बालकों के शिक्षा हेतु कम से कम 15 विद्यालय इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल स्तर के संचालित हैं जबकि बालिकाओं के शिक्षा हेतु कोई इण्टरमीडिएट तथा महाविद्यालय नहीं है जिससे इस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जो लड़का शिक्षा प्राप्त करता है वह तो मात्र अपने को बनाता है, जबकि नारी शिक्षा प्राप्त करती है तो वह एक परिवार को बनाती है, शासन द्वारा भी इसकी पुष्टि सदन में कई बार की गयी है ।

अतः इस अत्यन्त महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये मेरे निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर, जनपद मऊ के अंतर्गत श्री रामसुन्दर पाण्डेय सर्वोदय इण्टरमीडिएट कालेज, गाजियाबाद, मऊ के बगल में कन्या महाविद्यालय खोलने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करें ।]

जनपद बांदा की अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण कराने व बांदा नगर में वोल्टेज बढ़ाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भागवत पाल–

[मान्यवर, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा जनपद में कभी भी 90 से अधिक वोल्टेज बांदा नगर की 75 फीसदी आबादी में नहीं आता जिससे बिजली लगवाने का कोई लाभ नगरवासियों को नहीं मिल पाता है । बिल बराबर भेजा जाता है । कृपया तत्काल तीन ट्रान्सफार्मर 250 के० वी० ए० के और दो ट्रान्सफार्मर 400 के० वी० ए० के बांदा नगर में भेजने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें । बांदा नगर के ही निम्नलिखित ग्रामों में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली नहीं है और किसी-किसी गांव में बिजली पहुंची ही नहीं है तो यहां बिजली पहुंचाने के निर्देश करने का कष्ट करें ।

ग्राम लमहेटा मडावं, अमवां, वधिनियां का पुरवा, विसन्डा नगर के सभी पुरवे कुर्रही, तरोष मोहल्ला, सिन्डा लखमी थोक, बाधा तेन्दुरा, बलान, केरी, सिकलोढी, डभनी, चन्द्रायल, रसूलपुर, इकोना, बैल्दान, बरौली, आजम, कुसमा, यह सभी ग्राम सिन्डा ब्लाक के हैं ।

ददरिया ग्राम सभा जोरही, जमनीपुर का पुरवा ग्राम सभा महोखर, डडियन के सभी पुरवे ग्राम सभा महोखर, रामचरन का पुरवा ग्राम सभा महोखर भज्जूर का पुरवा ग्राम सभा गुरेह, छोटी पलहरी, निवादा, पडुई, अरवाई, भिन्गा का पुरवा ग्राम सभा गुरेह, यह सभी ग्राम बडोखर खुर्द के हैं ।

कुरौली, गढी जरर, गोविन्दपुर, पैगम्बरपुर, महुवा, जमरेही, मकरी, नाई, नदना, भग्गूर का पुरवा, छियांव, ये सभी ग्राम ब्लाक महुआ के हैं ।

अलिहा, बडागांव, मिलाथू, यह सभी ग्राम ब्लाक बबेरू के हैं । डाडी का पुरवा ग्राम सभा बडोखर बुजुर्ग ब्लाक महुआ]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इलाहाबाद के विकास खण्ड सैदाबाद तथा प्रतापपुर के ग्रामों में उत्पन्न पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सैदाबाद के ग्राम फतूहां, कहरा, बरेठी, बसगिद, पकरी, मुमतलीपुर, पुरुषोत्तमपुर, छेडी का तालाब, मलेथुआं आदि विभिन्न ग्रामों का जल-स्तर बिल्कुल नीचे चला गया है, कुएं सूख रहे हैं इसी तरह से विकास खण्ड प्रतापपुर का दक्षिणी भाग आराकलां, आराखुर्द, गोरिगों, जनुआडीह आदि ग्रामों में भीषण पेयजल की समस्या व्याप्त हो गई है । विकास खण्ड प्रतापपुर में एक गांव महरक्षा है जहां पर इस समय 40 पम्पिंग सेट कार्यरत थे और ये सबके सब सूख गये । जल-स्तर इतना नीचे चला गया है कि कुएं भी सूख रहे हैं यहां पर पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाती है । सैदाबाद के उक्त ग्रामों तथा प्रतापपुर के ग्रामों में भीषण पेयजल की समस्या व्याप्त हो गयी है । सरकार का ध्यान कई बार इस मामले में आकृष्ट किया गया और अधिकारियों से भी हैण्ड पम्प आदि के बारे में कहा गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिससे इस भीषण समस्या से जनमानस अस्त-व्यस्त हो गया है और उसमें आक्रोष एवं रोष व्याप्त हो गया है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर शासन से मांग करता हूं कि पेयजल समस्या को दुरुस्त कराने के लिये अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करे तथा इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करें ।]

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, नियम 301 की जब सूचना दी जाती है उसका जवाब आता है तो हमें मालूम नहीं पड़ता है या तो यह जवाब नहीं देना चाहते हैं कुछ दिनों से यह प्रवृत्ति हो रही है कि जवाब नहीं मिल पाता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । नियम 301 की सूचना के जो उत्तर नहीं मिल रहे हैं इसको दिखवा लें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

हम पूरा प्रयास करेंगे ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत आज कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो विधान सभा की कार्यवाही से कहीं न कहीं संबंधित हैं । मैं इनके संबंध में ग्राह्यता पर सुनूंगा । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 2-2 मिनट में अपनी बात कह दें ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, यह आदरणीय सदन जन भावनाओं के प्रतिबिंबन का सर्वोच्च स्थान है । इसमें जन-भावानायें और जन-समस्यायें प्रतिबिंबित होती रहती हैं । जब नियम 51, 52 और 56 नाकाफी रहे तो यह नियम 301 का प्राविधान किया गया था । नियम 301 में जो शासन और प्रशासन का कदाचार, अनाचार है उसको प्रतिबिंबित करने के लिये जब 301 का सहारा लिया गया तो मान्यवर, इसमें विलम्ब होने लगा । पिछले सत्र में जुलाई अगस्त के दौरान 89 सूचनायें दी गयीं । इसमें से केवल एक सूचना को छोड़कर बाकी सब सूचनाएं 6 महीने तक विलम्ब से उत्तरित हुईं । तो मान्यवर, यह प्रतिबिंबन का जो अधिकार माननीय सदस्यों का था वह हमसे छीन लिया गया है । इसी सत्र में 28-2-92 को मैंने एक सूचना दी थी जिसका उत्तर नहीं मिला है । 3 बार अनुस्मारक भी भेजा है । पहले नियम 301 की सूचना पर अंतरिम उत्तर 7 दिन के अंदर और पूर्ण उत्तर 30 दिन में मिल जाता था । लेकिन अब अंतरिम उत्तर समाप्त कर दिया है । जब एक महीने के अंदर पूर्ण उत्तर नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार को बने रहने का हक क्या है । 89 सूचनाओं में से एक सूचना का उत्तर समय से दिया गया है । 88 सूचनाओं में लिखा गया है कि अपरिहार्य कारणों से विलम्ब हुआ । एक आध सूचना का उत्तर देने में विलम्ब हुआ होता तो समझा जाता कि अपवाद है । लेकिन मान्यवर, अब नियम बन गया है अपवाद और अपवाद बन गया है नियम । मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें आप अपनी व्यवस्था दें कि कितने दिनों के अंदर सरकार उत्तर दे दे ताकि हम लोगों का अधिकार अक्षुण रहे ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनाएं दी जाती हैं उसके संबंध में नियम है कि उनका उत्तर एक माह के अंदर अवश्य आ जाना चाहिये । मैं श्री राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा दी गयी सूचना को इस प्रकार निस्तारित कर रहा हूं, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आंकर्षित करता हूं और यह आग्रह करता हूं कि भविष्य में जब तक कोई बहुत अपरिहार्य स्थिति न आ जाये नियम 301 के अंतर्गत प्राप्त हुई सूचना का उत्तर एक माह में दे दिया जाय ।

जनपद मऊ की किसान सहकारी चीनी मिल घोसी के बन्द हो जाने से किसानों को हुई असुविधा के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है । इस सरकार को किसान विरोधी कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । संसदीय कार्य मंत्री जी को [x x x] नहीं आती । इसलिये नहीं आती कि सदन में स्पष्ट रूप से कई बार घोषणायें की गयीं कि चीनी मिलों को तब तक नहीं बंद किया जायेगा जब तक किसानों का पूरा गन्ना नहीं पेर लिया जाता । परन्तु पूरे प्रदेश मे चीनी मिलों को बंद किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश की इस विधान सभा में कई बार इस बात की घोषणायें की जा चुकी हैं कि मिलें नहीं बंद की जायेंगी लेकिन जनपद मऊ में घोसी चीनी मिल बन्द कर दी गयी हैं यह मिल पिछले साल 3 मई तक पूरे क्षेत्र का गन्ना पेरने के बाद बंद हुई थी और इस सदन में कई बार घोषणायें करने के बाद भी वह चीनी मिल बन्द कर दी गयी ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियमावली के किस नियम के निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में बोल रहे हैं ?

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, बार-बार यहां विधान सभा में आपके संज्ञान में आया है कि घोसी चीनी मिल को बन्द नहीं किया जायगा, जब तक कि किसानों का गन्ना पूरा पेरा नहीं जाता है, इसलिये औचित्य बनता है कि सदन में बार-बार घोषणा की गयी, सरकार की ओर से, फिर भी, उसके बाद भी दि किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी को बन्द कर दिया गया है । इसलिये औचित्य का प्रश्न बनता है कि सदन के संज्ञान में आने के बाद अमल नहीं किया गया । इस पर व्यवस्था दे दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, नियम 300 में इसका औचित्य बनता है कि नहीं, इसकी व्यवस्था आप देंगे, लेकिन जिस बिन्दु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, इस संबंध मे जानकारी देना चाहूंगा । यह जानकारी सही नहीं है कि मिल बन्द कर दी गयी है या पांच लाख टन गन्ना पड़ा है । यह सही है कि वह चीनी मिल काफी पुरानी है और यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बन्द होती रही है । इसका 18 लाख टन का सट्टा था, 17 लाख टन पेरा जा चुका है । चारों ओर प्रचार किया जा रहा है कि लोग गन्ना लेकर आयें । मिल बन्द हो गयी थी लेकिन फिर चल गयी । गन्ने की मात्रा बढ़ाई जा रही है । लेकिन जो सट्टा था 18 लाख टन का उसकी पेराई सुनिश्चित है । यह सूचना सही है कि बन्द हो गयी थी । पुरानी मिल है । माननीय सदस्य को जानकारी है कि यांत्रिक गड़बड़ी के कारण बन्द थी । वैसे नियम 300 में यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, घोसी चीनी मिल बन्द कर दी गयी है, क्या संसदीय कार्य मंत्री इसकी जांच करायेंगे । वहां पांच लाख कुन्तल गन्ना खेतों में पड़ा है, क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजपाल त्यागी के भाई की हत्या के प्रकरण पर बातचीत के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं । अगली सूचना माननीय श्री नरेश अग्रवाल की है । उसी विषय पर नियम 311 में माननीय श्री मोहम्मद आजम खां महोदय और एक माननीय सदस्य जिन का नाम स्पष्ट नहीं है, उन्होंने भी सूचना दी है । तो मैं दो माननीय सदस्यों को सुनूंगा ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं पहले एक व्यवस्था चाहूंगा कि कल माननीय सदस्य श्री राजपाल त्यागी के भाई की हत्या के प्रकरण पर कहा गया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी दलों के नेताओं से बात करके निर्णय ले लेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था । लेकिन इसको कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं कि किसी दल के नेता को अभी तक बुलाया नहीं, न बात की गयी । मैं चाहता हूं कि व्यवस्था कर दें कि आपके कक्ष में मुख्य मंत्री जी आ जायं, नेतागण आ जायं, तो बात हो जायगी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार-गुप्त)–

मान्यवर, आज बात हो जायगी ।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार से मांगी गयी सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने पर आपत्ति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मेरा जो औचित्य का प्रश्न है, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक प्रेस कान्फ्रेंस करके यह घोषणा की कि वह केन्द्र सरकार के पटवारी नहीं है कि जब केन्द्र सरकार चाहे खतौनी मंगाए और वह देने के लिये तैयार रहें । श्रीमन्, मुख्य मंत्री के इस बयान से प्रदेश के सामने संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । जो औचित्य के प्रश्न का मामला है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद 52 में स्पष्ट है कि राष्ट्र का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में दिया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का कैसे इस्तेमाल करेगा । अनुच्छेद 74 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिये केन्द्रीय मंत्रि-परिषद् का गठन किया गया है और जो मंत्रि-परिषद् का गठन होता है, यह मानकर होता है कि मंत्रि-परिषद् राष्ट्रपति को सलाह देगी और यह भी है कि मंत्रि मण्डल जो कार्य करेगा वह राज्यपाल के बिहाफ पर करेगा । श्रीमन्, आप अनुच्छेद 257(1) को उठाकर देखें, उसमें दिया हुआ है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या उस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो । और श्रीमन्, अनुच्छेद 261 में यह भी दिया हुआ है कि "भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जायगी" । श्रीमन्, अभिलेख प्राप्त करने का अधिकार हमारे महामहिम राष्ट्रपति और इस सरकार को भी है ।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के आमंत्रण पर राष्ट्रीय एकता समिति की टीम उत्तर प्रदेश में भेजी गयी और अयोध्या में जांच करने आई । माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं घोषणा किया, उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने आमंत्रित किया, वे मौके पर गये । मान्यवर, पहले तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आमंत्रित किया, अब माननीय मुख्य मंत्री जी का कहना है कि वे पहले से ही दुराग्रस्त होकर इस प्रदेश में आये हैं और उनकी जो भी रिपोर्ट होगी, वह प्रदेश सरकार के विरुद्ध होगी, इसके कारण केन्द्र सरकार ने जिन-जिन बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी, वह रिपोर्ट इन्होंने देने से मना कर दिया । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 356 में स्पष्ट लिखा हुआ है । मान्यवर, अगर प्रदेश और केन्द्र सरकार में टकराव होगा, तो मजबूर होकर अनुच्छेद 356 का उपयोग करना पड़ेगा और सदन का अस्तित्व और प्रदेश की चुनी हुई सरकार खतरे में पड़ जायगी और जिस जनता की रक्षा के लिए हम इस सदन में आये हैं, उस जनता की रक्षा हम कैसे करेंगे ? मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर संविधान का इस तरह से उल्लंघन करते रहेंगे, तो आप तो जायंगे ही जायंगे, लेकिन आपको जनता के अधिकारों को छीनने का कोई अधिकार नहीं है । कृपया वह स्थिति स्पष्ट करें कि केन्द्र सरकार ने किन-किन बिन्दुओं पर रिपोर्ट मांगी है और क्या कारण है कि यह सरकार वह सूचना नहीं दे सकती है न्यायालय से ले लें । इससे प्रदेश सरकार पर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, आप हम और यह सरकार असुरक्षित हो गये हैं, तो मेरे इस प्रश्न पर सरकार से स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें आपने अनुच्छेद 287 का उल्लेख किया है, इसको स्पष्ट कर दें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, वह 257 है, गलती से 287 लिख गया है ।

मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, 287 में तो बिजली के बारे में चर्चा है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी, सदस्य, हरदोई ने एक संवैधानिक सवाल उठाया है । मुख्य मंत्री जी आज बड़े पशोपेश में हैं, इन्होंने कई बार घोषणा की कि हमारी सरकार ट्रांसपरेंट सरकार है, खुली हुई सरकार है, और इन्होंने, एन० आई० सी० की जो टीम आई थी, उसका स्वागत भी किया और इन्होंने कहा कि जो कागज, जो सामग्री वह चाहेंगे, वह हम उन्हें उपलब्ध करायेंगे, लेकिन हमें जो सूचना है कि इन्होंने उसे उपलब्ध नहीं कराया । मान्यवर, संवैधानिक संकट इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, क्योंकि ये स्वयं चाहते हैं कि इनकी सरकार भंग हो जाय । इस लिये मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने वादा किया था, वह भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं । न तो वह मंदिर ही बनवा पा रहे हैं और जो समस्यायें उभर कर सामने आयी हैं, उन्हीं को हल कर पा रहे हैं । यह चाहते हैं कि इनकी सरकार को भंग कर दिया जाये । नरेश जी ने सवाल उठाया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है, वह दिल्ली की सरकार पर दबाव डालें कि इस सरकार पर अनुच्छेद 356 का उपयोग करें और इस सरकार से मुक्ति दिलायें और जनता को नई सरकार चुनने का मौका दें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैंने यह सूचना नियम 311 के अन्तर्गत दी है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो सरकार सत्ता में है, उसके सामने यह मुद्दा नहीं है कि मंदिर बने या न बने, लेकिन पूरे देश में आज जिस तरह का माहौल बना है, उसमें कोई बदलाव न आने पावे । यह चाहते हैं कि जिस नारे पर ये सत्ता में आये हैं वह कैसे भी बना रहे । चुनाव के समय अपने भाषणों में यह जनता से कहते थे कि जैसे-जैसे वोट के बक्से खुलेंगे, बाबरी मस्जिद की ईंट सरजू नदी में बहा दी जायेगी, लेकिन बाबरी मस्जिद तो वैसी ही खड़ी है मगर इसके विपरीत 8 मंदिर तोड़ दिये गये हैं । आज जनता के मन में नये-नये सवाल उठ रहे हैं, नये-नये बिन्दु पैदा हो रहे हैं कि जो दल जनता से यह वादा करके सत्ता में आया था कि वह सत्ता में आते ही राम का मंदिर बनवा देगा, वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है, और अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे है । मान्यवर, आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में मैंने राम दीवार का मामला उठाया था । इसका मकसद यह है कि जनता की याद ताजी बनी रहे और इसी कारण इन्होंने राम दीवार का सहारा लिया । मान्यवर, आज पूरा देश आतंकवाद से घिरा है, कश्मीर से कन्या कुमारी तक आतंकवाद फैला है, आसाम का मामला हो, पंजाब का मामला हो और कश्मीर का मामला हो और इसी तरह से बहुत से राज्य हैं जिन्होंने बगावत का एलान कर दिया है और कुछ ऐसे भी हैं जो देश से अलग होना चाहते हैं । अगर यह संविधान को नहीं मानेंगे और केन्द्र सरकार के प्रति जवाब देही नहीं करेंगे, तो यह संविधान 246/247 धारा का खुला उल्लंघन होगा । यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, इसीलिये मैने इसको नियम 311 के अन्तर्गत आपके समक्ष रखा था । जिस विधान सभा में आज हम बैठे हैं, यह भारत की ही एक विधान सभा है या उत्तर प्रदेश एक आजाद विधान सभा है ।

मुख्य मंत्री के इस तरह के बयान के बाद उत्तर प्रदेश इस देश का हिस्सा बना रहेगा या नहीं, एक संवैधानिक सवाल पैदा हो गया है। अगर इस वसूल को दूसरे प्रदेशों ने अपने ऊपर लागू कर लिया और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की तरह दूसरे प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने भी एलान बगावत करना शुरू कर दिया तो वह दिन दूर नहीं है, जब पंजाब का मुख्य मंत्री भी कह देगा कि अब पंजाब हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है और यह आजाद रियासत है। मान्यवर, पंजाब ही नहीं, कश्मीर, आसाम और मेघालय हमारे देश का हिस्सा नहीं रहेंगे और हमारे देश की यह मजबूत कड़ी एक दिन टूट कर बिखर जायेगी। मैं चाहता हूं कि आप हिम्मत से कहें कि आप संविधान को नहीं मानते हैं और आपने जो पालिसी अपनायी है उसमें हिन्दू धर्म की सेवा करना नहीं, हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करना है। आप केवल अपने वोटर को संगठित करना चाहते हैं, जिसे आप साम्प्रदायिकता के नाम पर एक करना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप कहें कि इसे हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका यकीन नहीं है, इसलिये आप संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी आप राम दीवार की बात करते हैं कभी एक्यूजीशन की बात करते हैं और अब संविधान का उल्लंघन करके जनता के मन को शान्ति देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि राम मंदिर बनाया जा रहा है। जो दीवार आपने बनायी है, वह 7 फिट, 9 फिट, 10 फिट और 11 फिट ऊंची है। जिस तरह जमीन का टीला ऊंचा नीचा है, उसी प्रकार से दीवार ऊंची और नीची होती गयी है। आज तक दुनिया में कोई टेक्निक नहीं आयी है जिससे 11 फिट ऊंची दीवार पर 42 एकड़ के रकबे में मस्जिद के गुम्बद की ऊंचाई से गुजरता हुआ कोई लिंटर या बीम डाली जा सके। आप राम मंदिर के नाम पर जनता को बहका रहे हैं और कह रहे हैं कि दीवार पर मंदिर की छत डाली जायेगी।

संविधान का उल्लंघन करने वाली सरकार संविधान के अनुच्छेद 246 और 247 को नकारने वाली सरकार, जिसने खुले तौर पर यह कह दिया है कि केन्द्र को किसी जानकारी का जवाब नहीं दूंगा, वह सरकार यह माने और पूरे जुर्रत के साथ माने कि आप हिन्दू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं और अगर आप हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो मैं यह समझता हूं कि जिस दिन आपने शपथ ली थी उसी दिन उस शपथ का उल्लंघन किया था राम लला हम आयेंगे और मंदिर वहीं बनायेंगे। इसलिये जो सरकार पहले ही दिन से संविधान से मखौल कर रही है और आज तक करती चली आ रही है उस सरकार को कहां सत्ता में रहने का क्या अधिकार है ?

मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सामने इस प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए यह समक्षता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान की सरकार नहीं है, कानून की सरकार नहीं है और यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है या नहीं।

*श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मै सबसे पहले माननीय नरेश जी अग्रवाल, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मोहम्मद आजम खां को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सरकार को एक अवसर प्रदान किया। राम जन्म-भूमि प्रकरण के सम्बन्ध में जो राष्ट्रीय एकता परिषद् की टीम यहां आई उनके द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के बारे में चर्चा की कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार का दृष्टिकोण क्या है कदाचित वह प्रश्न इस सदन में न उठाते तो सदन के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर मुझे वह अवसर नहीं मिलता कि मै यहां अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं। बाहर तो सार्वजनिक तौर पर स्थिति स्पष्ट कर दी है इस सहयोग के लिये मैं एक बार फिर से विपक्ष के जिन नेताओं ने यह प्रश्न खड़ा किया है, धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं कुछ बातें आगे करूं उसके पहले दो तीन बातें कहना आवश्यक समझता हूं। माननीय नेता विरोधी दल को बड़ी चिन्ता है धारा 356 की, आपको धारा 356 के इस्तेमाल की पावर नहीं है, यह दुर्भाग्य से इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। माननीय नरेश जी से कहें कि वह केन्द्र सरकार पर दबाव डालें कि धारा 356 का प्रयोग करे। मैं समझता हूं कि केन्द्र में बैठे हुए लोग बड़े विवेकशील हैं और बड़ी सूझबूझ के हैं धारा 356 का दुरुपयोग करने की गलती नहीं करेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि धारा 356 का दुरुपयोग करने के बड़े दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। काश्मीर में डा० फारूख अब्दुल्ला की सरकार को भंग करके जो परिणाम सामने आये थे, एन० टी० रामाराव की सरकार को भंग करने के जो दुष्परिणाम सामने आये थे वह सबके सामने हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कोई इस प्रकार का कदम भारत सरकार सोचती भी होगी जैसा कि नेता विरोधी दल कई बार यहां पर आग्रह करते हैं।

धारा 356 कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि जब चाहा तब खेलेगा। जहां तक दृष्टिकोण और सिद्धान्त का प्रश्न है, हम अपने दृष्टिकोण पर अटल हैं और अड़िग है और हमें किसी धारा 356 की कोई चिन्ता नहीं है। अभी प्रश्न उठा कि हम संविधान की अवमानना कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान का पूरी तरह से सम्मान करती है। अब दीवार की ऊंचाई 10 फिट रह गयी कि 15 फिट रह गयी, इसमें संविधान कहां रहा। हम किसी भी प्रकार से इस समाज को अल्पसंख्यकवाद और बहुसंख्यकवाद के वर्गों में बांटना नहीं चाहते हैं। माननीय मोहम्मद आजम खां साहब को कई बार शिकायत रहती है कि क्या हम हिन्दू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। जो बना बनाया हो, उसे क्या बनाने जा रहे हैं। अब यह बात अलग है कि किसी को दिखायी न देता हो, समझ में न आता हो तो वह ताकत तो मैं नहीं दे सकता। मैने एक सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया। संविधान की प्रति मैं भी लाया हूं और जो संविधान की धाराओं या खण्ड का उद्धरण दिया गया है, उसे मैंने भी पढ़ा है। इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे सैद्धान्तिक प्रश्न खड़ा करना है। 2 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में जब बोल रहा था तो प्रधान मंत्री जी ने टोकते हुए कहा कि हमको भी तो दिखाइए क्या हालत है। मैंने कहा माननीय प्रधान मंत्री जी, आप सादर आमन्त्रित हैं और राष्ट्रीय एकता परिषद् के सदस्य भी सादर आमन्त्रित हैं। लोक सभा में चर्चा हुई, मैंने स्वयं निमन्त्रण भेजा। मेरी अपेक्षा थी कि गृह मंत्री जी स्वयं आते लेकिन नहीं आये, दुबारा फिर निमन्त्रण भेज दिया, उत्तर में उन्होंने कहा कि आना चाहता था लेकिन समय नहीं निकला। अब जब आने का कार्यक्रम बनेगा, सूचित करूंगा। मै अयोध्या माननीय गृह मंत्री जी के आगमन सम्बन्धी सूचना की प्रतीक्षा में अभी भी हूं लेकिन अभी कोई सूचना नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में 7 अप्रैल, 92 को राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य केवल इसलिये आये थे कि संसद में ही हुआ था कि उसमें कुछ सांसद भी जोड़ दिये गये। हमने उनका स्वागत किया। वहां पर जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, उनके सम्बन्ध में 15 सूत्रीय एक ज्ञापन दे दिया था। बायें हाथ में था कि भ्रम फैलाया गया है, दाहिने हाथ में था कि तथ्य यह है।

कल की प्रेस कान्फ्रेंस से शुरू करना चाहता हूं। गृह मंत्रालय की ओर से एन०आई०सी०आई० या संसद के कुछ सदस्य नत्थी कर दिये गये। इसको संसद की समिति की मान्यता प्राप्त है या नहीं। संसद की मान्यता भी प्राप्त होती जब संसद में कोई प्रस्ताव आता और पारित होता अथवा अध्यक्ष जी द्वारा

लोगों को मनोनीत किया जाता । एन० आई० सी० के तीन लोग आये, उनके साथ में सांसद भी आये, हमने स्वागत किया । हमारे दो वरिष्ठ मंत्री गये और सब चीजों से अवगत कराया । मुख्य बिन्दु यह है कि जो टीम आयी उसका कोई टर्म्स आफ रेफरेन्स नहीं है । कोई कार्य-क्षेत्र निर्धारित नहीं है, कोई कार्य-विधि, कोई कार्य-प्रक्रिया भी निर्धारित नहीं है । हमारे पास गृह मंत्री जी से जो पत्र आया और माननीय जैकब साहब का भी पत्र आया, उसमें भी किसी प्रकार का कोई टर्म रेफरेंस और कोई चर्चा नहीं है, प्रोसीजर मैथोडोलाजी की कोई चर्चा नहीं है, आना चाहते हैं, स्वागत है आयें । किसी भी प्रकार का कोई टर्म्स आफ रेफरेंस नहीं है उस समिति के सामने ।

श्री नरेश अग्रवाल–

प्वाइंट पढ़ दें क्या-क्या हैं, क्या-क्या मांगें ?

श्री कल्याण सिंह–

मैं तसल्ली से उत्तर दूंगा, चिन्ता न करें । जो कुछ भी था सूचना मांगने का क्रम जारी हुआ है । एक फैक्स आया 7 अप्रैल, 1992 को, दूसरा 8 अप्रैल, 1992 को आया । इस फैक्स में दो एनेक्सचर थे–एनेक्सचर (ए) और (बी) मेरे पास अंग्रेजी में मूल में मौजूद है । संक्षेप में उसका हिन्दी रूपान्तर पढ़े दे रहा हूं । एनेक्सचर ए में 9 सवाल हैं और एनेक्सचर बी में 15 सवाल हैं, यह 24 सवाल हो गये । एनेक्सचर ए में आप कहें तो मूल पढ़ दूं या मैं उसका भावान्तर पढ़े देता हूं । पहला सवाल है, जो भारत सरकार से गृह मंत्रालय से मैसेज फैक्स द्वारा आया, पहला सवाल था कि जो निर्माण हो गया उनका मौके पर नक्शा नजरी, दूसरा–विवादित भूमि/ढांचे का मौका नक्शा नजरी, तीसरा–अधिग्रहीत भूमि का नक्शा, जिसमें 2.77 एकड़ का जिक्र किया गया है, चौथा–चहर दीवारी का नक्शा, पांचवा–राम मंदिर का नक्शा, यदि कोई हो, छठा–1950 के न्यायालय का निर्णय, सातवां–वर्ष 1989 नवम्बर का निर्णय, इसकी प्रतिलिपि, आठवां–अक्तूबर, 1991 का कोई अन्तरिम आदेश हाई कोर्ट को हुआ है, उसकी प्रतिलिपि, नौवां–चहर दीवारी निर्माण हेतु अगर किसी नगरपालिका की कोई स्वीकृति ली गयी हो तो उसकी प्रतिलिपि । यह एनेक्सचर ए में 9 सवाल हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इन नौ सवालों का उत्तर मैंने भेज दिया । एनेक्सचर बी के जो सवाल हैं–उच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 5-2-92, दूसरा सवाल समस्त न्यायालयों के पूर्व निर्णय, यानि स्पष्ट नहीं है, अब तक जितने भी निर्णय हुए हैं, सबके दस्तावेज उसकी सर्टिफाईड कापी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

यह आप इन्टरप्रेटेशन कर रहे हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

मेरे पास मूल भी है ।

(3) क्या यह चाहरदीवारी विवादित भूमि में बनायी गयी थी ।

(4) क्या अधिकृत भूमि में ग्रेवयार्ड था ।

(5) मंदिर में चल रही पूजा का स्वरूप एवं पूर्व से वर्तमान में परिवर्तन कि पहले थाली इतनी बड़ी होती थी अब इतनी बड़ी हो गयी ।

(6) वर्ष 1990 में हुई कथित हानि की मरम्मत के बारे में ।

(7) वर्ष 1991 में हुई कथित हानि का स्वरूप और उसकी मरम्मत के बारे में ।

(8) क्या ढांचा कमजोर हो गया है, क्या यह गिरने वाला है, क्या कोई निर्माण या मरम्मत का कार्य प्रारम्भ हुआ है ।

(9) क्या राम चबूतरा और उसकी दीवार के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना की गयी है ।

(10) क्या फर्श पर भक्तों द्वारा पत्थर लगाये गये है और विस्तार होता जा रहा है ।

(11) नगरपालिका से चाहरदीवारी निर्माण के लिए क्या स्वीकृति ली गयी है ।

(12) 15-11-91 की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि ।

(13) 25-10-91 की उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि होनी चाहिए ।

(14) 26-10-91 की उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि होनी चाहिए ।

(15) सर्वे कमीशन की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट का आशय और जो आदेश हुआ है वह स्वीकार किया गया है या नहीं ।

यह 15 सवाल एनेक्सचर (बी) के थे और मैंने बड़े विस्तार के साथ इन 15 सवालों का जवाब भेजा है । इसके बाद 7-4-92 को फैक्ट्स आया था जिसमें नौ सवाल थे और यह 8-4-92 की सायंकाल को मिला और जो 8-4-92 को फैक्ट्स आया वह उसी दिन प्राप्त हुआ और इन दोनों का उत्तर मैंने 9-4-92 को भेज दिया है । अब श्रीमन्, केन्द्र का एक और टैलेक्स आता है 11-4-92 को । यहां की प्राप्ति है 13-4-92 को और उसका उत्तर 14-4-92 को दे दिया है । इसमें आठ सवाल फिर आ गये है । इन आठ सवालों में पहला–

(1) 2.77 एकड़ की गजट विज्ञप्ति ।

(2) 7-11-89 को उच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण आदेश नक्शाई एफ०जी०एच० की स्थिति ।

(3) 2.77 एकड़ भूमि में विवादित भूमि भी सम्मिलित है ।

(4) 2.77 एकड़ पर खसरा एवं नजूल प्लान नम्बर का आपसी सम्बन्ध ।

(5) न्यायालय में निर्माण हटाये जाने के विषय में जो वाद है तथा प्रति शपथ पत्र इत्यादि दाखिल किया गया है, उसकी प्रतिलिपि ।

(6) नक्शे पर निर्माण की दूरी की स्थिति ।

(7) क्या चाहरदीवारी के निर्माण की पूर्व स्वीकृति ली गयी थी ।

(8) वाद संख्या–4 वर्ष 1989 में विवादित भूमि का नक्शा दीजिये ।

इन आठ प्रश्नों का उत्तर भी हमने तत्काल 14-4-92 को दे दिया था । कुल 32 प्रश्नों का उत्तर, उत्तर प्रदेश की सरकार दे चुकी है । अब श्रीमन्, 13-4-92 को फिर एक फैक्स आता है, उसमें कुल 5 सवाल पूछे जाते हैं । इसमें पहला सवाल है भूमि अधिग्रहण अधिनियम की प्रति, जो इन्हें लाइब्रेरी में मिल सकती है, वह भी हमीं से मांग रहे हैं । दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय में हटाये निर्माण के विषय में विभिन्न वाद और सम्बन्धित अभिलेख, तीसरा है सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट, चौथा है राज्य सरकार द्वारा

उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये उत्तर की प्रतियां और पांचवा सवाल है प्रतिनिधि मण्डल को अन्य स्त्रोतों से मिली खसरा/नजूल नम्बर के आपसी सम्बन्ध तथा मौके पर वास्तविक स्थिति।

अब श्रीमन् एन०आई०सी० के सदस्यों को कहीं से कोई सूचना मिली होगी और हमसे पूछा जा रहा है कि यह खसरा, खतौनी, इसके नम्बर की जांच पड़ताल करके दीजिये। इसके पेज नं० 1, पेज नं० 2, पेज नं० 3, पेज नं० 4, पेज नं० 5, पेज नं० 6, पर यही पूछा गया है कि इसके खसरा खतौनी नं० मिलाकर दीजिये और पेज नं० 7 पर खसरा खतौनी की नकल मांगी गयी है। इसी पर मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार की पटवारी नहीं है। मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार की क्लर्क नहीं है, भारत सरकार की मुंशी नहीं है।

अब श्रीमन्, 13-4-92 को एक और फैक्स आ गया और उसी दिन 13-4-92 को एक और फैक्स आया। पहले में 5 सवाल थे, वह इस प्रकार हैं। पहला है वर्ष 1950 में दाखिल वाद के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जायें। दूसरा है वाद से सम्बन्धित समस्त आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जायें। तीसरा वाद संख्या 1 वर्ष, 1989 के समस्त अभिलेख, इनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जायें। चौथा है समस्त अन्तरिम आदेशों की प्रतियां उपलब्ध करायें। पांचवा वाद संख्या 4 वर्ष 1989 के समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें जायें। छठा उपरोक्त वाद से समबन्धित समस्त आदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराई जायें। सातवां सवाल वाद संख्या 577 एवं 972 वर्ष 1991 के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये जायें। आठवां उपरोक्त से संबंधित समस्त आदेश नवावाद संख्या 3540 वर्ष, 1991 के समस्त अभिलेख, दसवां उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त न्यायालय के आदेश उपलब्ध कराये जायें। ग्यारहवां सवाल वाद संख्या 3579 वर्ष 1991 के समस्त अभिलेख बारहवां उपरोक्त से संबंधित समस्त न्यायालय के आदेश, तेरहवीं नक्शा नजरी जिसमें भूमि संख्या 238, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 190, 593, 594, 595, 603, 607, 606, 610, 619, 620, 621 एवं 628 की मौके पर स्थिति दिखाई जाय एवं न्यायालयों में इससे सम्बन्धित वाद की स्थिति से अवगत करायें (14) सर्वे नम्बर एवं भूमि अधिग्रहण जो कि विवादित नम्बरों से लिये गये। (15) विवादित ढांचे की स्थिति तथा नक्शा नजरी पर स्थिति।

श्रीमन्, इसके बाद 21-4-92 को एक और फैक्स आ गया।.....

श्री ऊदल–

कहीं आप और केन्द्र के बीच में कोई मिली भगत तो नहीं है।

श्री कल्याण सिंह–

हमारी किसी से मिलीभगत नहीं है। अब इस फैक्स में 6 सवाल और दाग दिये। जिनका संक्षेप इस प्रकार है–

(1) स्वीकृत चाहरदीवारी का प्लान था आदेश की प्रति,

(2) राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि के नम्बर और अधिगृहीत भूमि के नम्बर

(3) वाद में प्लाट नम्बर तथा अधिगृहण में खसरा नम्बर के सम्बन्ध,

(4) चहर दीवारी के प्लाट नम्बर एवं मुकदमें में इससे सम्बन्धित प्लाट नम्बर,

(5) नक्शे पर विवादित प्लाट नम्बर एवं अधिग्रहीत प्लाट नम्बर का स्पष्ट

(6) क्या 5-2-92 के बाद किसी न्यायालय में कोई निर्णय और भी दिये गये ।

श्रीमन्, 32 प्रश्न हमने पाये और उनका उत्तर हमने दे दिया । परन्तु 13-4-92 को जो 5 प्रश्न आये, उनका उत्तर हमने नहीं दिया, फिर 15 सवाल आये, उत्तर हमने नहीं दिया और उसके बाद 21-4-92 को 6 सवाल आये, उनका उत्तर हमने नहीं दिया । लेकिन इस बीच 20 अप्रैल, 1992 को मैंने भारत सरकार के गृह मंत्री जी को एक ढाई पेज की चिट्ठी लिखकर भेजी है । इसमें मैंने कुछ सैद्धान्तिक प्रश्न उठाये हैं । मैंने उनसे कहा है कि एक बार भारत सरकार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दे कि ये सूचनायें किस उद्देश्य से और किस हेतु से मांगी जा रही हैं । अब जो सैद्धान्तिक प्रश्न उठायें है, उनमें ये हैं–पहला, एन०आई०सी० और संसद की मिलीजुली जो कमेटी आई थी इसको न्यायाधिकरण और किसी न्यायालय के अधिकार प्राप्त नहीं हैं । दूसरा, यह जो सारी सूचनायें हमसे पूछी जा रही हैं, इसमें अधिकांश मामले वे हैं जो किसी न किसी वाद के रूप में न्यायालय में लम्बित हैं। हमारे द्वारा पूछे गये अभिलेखों के आधार पर इन मुद्दों पर अगर कोई कमेटी टिप्पणी करती है तो जो मामले न्यायालय में लम्बित हैं, इससे न्यायालय की अवमानना होगी और इस प्रकार से इन जानकारियों के आधार पर अगर वह कोई रिपोर्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर न्यायालय के निर्णयों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । श्रीमन्, ऐसे अनेक मामले हैं, अगर भारत सरकार चाहती है तो अपने किसी भी अधिकारी को भेज करके सार्टीफाइड कापी अपनी ले लें ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

हमें इससे क्या कोई आपत्ति हो सकती है । यह कमेटी रिपोर्ट देने जा रही है मैं साफ कहना चाहता हूं 7 अप्रैल, 92 का जब अयोध्या भ्रमण कर लिया तो कमेटी के अनेक सदस्यों ने अपने-अपने पूर्वाग्रहों से प्रेरित हो कर वहीं पर टिप्पणियां कर दी, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अपने-अपने दलों के दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई कमेटी रिपोर्ट देती है तो कल को यह हैडिल लेना चाहते हैं कि "दिस रिपोर्ट इज सबमिटेट वेस्ड आन दि डाकूमेंट्स प्रोवाइडेड बाइ दि स्टेट गवर्नमेंट," यानी इस समिति की यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर है । तब दिमागी भ्रम हो सकता है तो उस रिपोर्ट को मानने में मैं साफ कहना चाहता हूं कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित किसी रिपोर्ट के साथ किसी भी प्रकार इस रिपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार अपने को नत्थी नहीं कर सकती, एसोसियेट नहीं कर सकती है । मै फिर दोहराना चाहता हूं मेरी मंशा यह कभी नहीं है कि संविधान की किसी धारा की अवहेलना हो । मैने गृह मंत्री भारत सरकार को कुछ बिन्दुओं पर पत्र लिख कर भेजा है और कहा है कि उन बिन्दुओं पर कुछ नजरिया साफ हो जाय उस समिति का कार्यक्षेत्र क्या है टर्मस आफ रिफरेंस में अभी तक यह नहीं था क्या अब तय हो गया है । समिति ने अनावश्यक रूप से अपने कार्यक्षेत्र को बहुत व्यापक मान लिया है, मेरी आपत्ति है मैं छिपाता नहीं जिस प्रकार से प्रश्नों के सारे समूह दिये गये हैं उसका कोई लेना देना समिति से नहीं है, कहीं लेना देना हो सकता है तो वह न्यायालय है । उत्तर प्रदेश की सरकार ने यदि न्यायालय के निर्णय की अवहेलना या संविधान का अतिक्रमण किया है तो उसके लिये न्यायालय खुला हुआ है हम न्यायालय में जवाब देंगे ।

उच्चतम न्यायालय के अन्दर हमारे विरूद्ध एक याचिका आ गयी है हम उत्तर वहां देंगे । लेकिन समितियों को अधिकार कहां से आ गया कि वह न्यायाधिकरण या न्यायालय के रूप में टिप्पणी करें । कल को उत्तर प्रदेश सरकार कटघरे में खड़ा कर कहें कि यह डाक्यूमेंट उपलब्ध कराये थे उसके आधार पर रिपोर्ट दी है । तो यह गलती उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी । मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं भारत सरकार से मेरे इस ढाई पेज का उत्तर प्राप्त हो तभी स्थिति स्पष्ट होगी । उत्तर प्रदेश की सरकार जरूर

सहयोग करना चाहती है मैंने लिख कर भेज रखा है । इस नाते से किसी भी प्रकार से (व्यवधान) कल जो कुछ भी मैंने प्रेस में कहा है इसी संदर्भ में कहा है । भारत सरकार की ओर से मेरे पत्र का स्पष्टीकरण आयेगा मेरी अपेक्षा है मैंने कहीं-नहीं कहा है कि हम असहयोग करेंगे, हमने कहा है हम सहयोग करना चाहते हैं । लेकिन जिस प्रकार प्रश्न दर प्रश्न चले आ रहे हैं जो आवश्यक हो सकते हैं किसी न्यायालय में । हां न्यायालय में कोई उठाये मुझे कोई आपत्ति नहीं वहां उत्तर देंगे । लेकिन एन०आई०सी० या पार्लियामेंट की जो मिला जुला प्रतिनिधि मण्डल आया था वह इन सारी सूचनाओं को अपनी रिपोर्ट का आधार बनाये मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा ऐसी स्थिति में इस प्रकार किसी भी कमेटी के एक तरफा रिपोर्ट के साझीदार बनने के लिये हम तैयार नहीं हैं ।

मान्यवर, हमने किसी न्यायालय की अवहेलना नहीं की, उसके किसी निर्णय की अवहेलना नहीं की और संविधान की किसी धारा का अपमान नहीं किया है । हम संविधान को मानकर चलते हैं उसके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है । न्यायालय के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है । इसलिये यह औचित्य का प्रश्न जो है, कोई औचित्य का नहीं, नितान्त अनौचित्यपूर्ण है ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के बयान को सुना और मुझे लगा ऐसा कि उनके बयान में विरोधाभास है, उनके बयान में हमे साफ विरोधाभास नजर आता है । एक तरफ तो उन्होंने कहा कि संविधान का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं । सम्भवतः संविधान की उन धाराओं को मुख्य मंत्री जी ठीक से पढ़ा नहीं है । हमारे देश के संविधान में फेडरेल स्ट्रक्चर जो है उसमें संविधान ने यह व्यवस्था की है कि एक केन्द्र सरकार होगी और कई प्रादेशिक सरकारें होंगी । उसके तहत ही केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकारें काम करती हैं । इनके अधिकार क्षेत्र और दायित्व का भी साफ-साफ उल्लेख किया गया है। दोनों के अधिकार क्षेत्र और दायित्व पृथक-पृथक दिये हुए हैं और साथ यह भी दिया गया है कि कान्करेन्ट लिस्ट क्यों होगी दोनों के बीच में । एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम संविधान का कोई उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं और साथ-साथ यह भी कह रहे हैं कि केन्द्र सरकार जो हम से सूचनाएं मांग रही है उनको हम देने के लिये बाध्य नहीं हैं । आप ने इसको लेकर यह आशंका प्रकट की कि वह उस का आपके खिलाफ उपयोग कर लेंगे । यह तो चोर की दाढी में तिनके वाली बात हो गई । अगर आपने कोई गलत या अवैधानिक नहीं किया है तो आप डर क्यों रहे हैं एक तरफ आपने यह भी कहा है कि केन्द्र के मंत्री और गृह मंत्री लोग बड़े विवेकशील है । तो यह दोनों बातें कैसे चल सकती हैं । आपको मालूम होना चाहिए कि जो यह दल प्रदेश के दौरे पर आया था उसका केन्द्र ने गठन किया था और उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि थे आपका यह कहना कि एन०आई०सी० कोई न्याय संगत बाडी नहीं है जिसको हम यहां से इन्फार्मेशन दें । तो यह इन्फार्मेशन आपसे एन०आई०सी० ने नहीं मांगा है यह इन्फारमेशन भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने आपसे मांगी है । तो भारत सरकार और उसके गृह मंत्रालय ने आपसे यह सूचनाएं मांगी हैं और इन्हें देने के लिये आप पूरी तौर से बाध्य हैं । आप सूचनायें देने में क्यों कतरा रहे हैं । वह एक नहीं सौ जवाब आपसे मांग सकते हैं । कावेरी जल विवाद चल रहा है उसका भी बार-बार अनेका अनेक बिन्दुओं पर दोनों राज्य सरकारें जवाब दे रही हैं । आप शायद रखना नहीं चाहते हैं । इसीलिए आपने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ढाई पेज का पत्र भेज दिया । इससे आपने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है । आप जवाब देने के लिये बाध्य नहीं हैं, यही सब प्रदेश कहने लगें और यही कर दें तो यह फेडरेल स्ट्रक्चर एक दिन भी नहीं चलेगा और देश सोवियत रशा की तरह खण्ड-खण्ड में विखण्डित हो जायेगा ।

आप यह पहले से ही क्यों मान लेते हैं कि केन्द्र सरकार उसको मानकर आपके खिलाफ फैसला कर देगी । यदि कोई ऐसा वैसा फैसला होता है तो उन आधारों पर, न्यायालय खुले हुए हैं आप वहां पर उसे चुनौती दे सकते हैं । लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपकी बात सही है और आप उस पर जमें रह पायेंगे । आपने कह दिया कि वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग थे । आखिर एन०आई०सी० के लोग तो हर दल के लोग थे । उस दिन मैं देहरादून में था । अपने दल की यात्रा के सम्बन्ध में श्री बोम्मई ने एक बयान दिया था जो समाचार पत्रों में छपा था और हमने पढ़ा था । दल के चेयरमैन ने उसमें कहा था कि हम लोगों के दलों को चाहे जो विचारधारा रही हो हम लोग इस बारें में सर्वसम्मत्ति से अपनी रिपोर्ट देंगे बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हुए । आपने पहले ही मान लिया कि वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग थें ।

यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि आप जो सोचें वह सही हो और केन्द्र एन० आई० सी० के लोग जो सोचें जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह गलत हैं । कोई भी नियम दोनों तरफ लागू होते हैं । लेकिन आपको जे चीज अच्छी नहीं लगे आप उसको नहीं मानेंगे । इसलिये प्रार्थना है कि आप ऐसा उदाहरण न प्रस्तुत करें जो देश में आपका उदाहरण मानकर दूसरे राज्यों के लोग कह दें कि केन्द्र को कोई अधिकार नहीं है हमसे बात पूछने का । तो यह भारत देश जिसकी अखंडता की शपथ लेकर हम यहां बैठे हैं उस संविधान की धज्जियां आप मत उड़ायें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है । मान्यवर, जो इन्होंने कहा है उससे देश और प्रदेश में भ्रम पैदा हो गया है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे । इसलिये इस धींगा कुश्ती में फैसला कैसे होगा ? इसलिये फैसला ऐसा होना चाहिये जो लगे तर्कसंगत है और एन० आई० सी० की जो रिपोर्ट आवेगी वह प्रिजुडिस नहीं होगी । किन्तु इतने दिनों तक जो रिपोर्ट नहीं आयी है उसका कारण है कि वह आपसे बारबार सूचनायें मांग रहे हैं जिससे उसी के आधार पर जो फैसला हो वह न्याय और तर्क संगत हो । मैं चाहूंगा कि भविष्य में जैसा आपने कहा है इस तरह की पुनरावृत्ति न हो तो बेहतर होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक जानकारी चाहता हूं कि उसे चाहे नेता सदन बता दें या नेता विरोधी दल बता दें । राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का गठन संविधान के किसी प्राविधान के अन्तर्गत हुआ है अथवा केन्द्र सरकार के कार्यपालिका के अधिकार के अन्तर्गत हुआ है ।

कुंवर रेवती रमण सिहं–

मान्यवर, इसका गठन केन्द्र सरकार के कार्यपालिका के अधिकार के अन्तर्गत इस परिषद का गठन किया गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया लेकिन मैंने जिन बिन्दुओं को उठाया था उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया । हमें तो लगता है कि पूर्वाग्रस्त हैं क्योंकि जैसा बयान मुख्य मंत्री जी ने दिया है वैसा हीं बयान सरकार के महाधिवक्ता श्री चौधरी ने मद्रास में दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्र सरकार बाध्य नहीं कर सकती है । मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी निजी जागीर नहीं है और न बहुमत से आप सरकार में है । मान्यवर, जैसा नेता विरोधी दल ने अभी कहा था कि हमारी इनकी नूरा कुश्ती है, तो ऐसा नहीं है । केन्द्र सरकार चाहती है कि मंदिर मस्जिद मसले पर यह सूचनायें दें और यह नहीं दे रहे हैं, इसलिये मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सरकार में रहने का एक पल भी औचित्य नहीं है । मान्यवर, यह देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उत्तरांचल का

बंटवारा करके प्रदेश को तोड़ने का काम कर रहे हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि यह सफल नहीं होगें । मान्यवर, सरकार की गुंडागर्दी रवैये के विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(मा० सदस्य और उनका दल सदन का त्याग किया)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन् अपनी बात कहने के बाद सच्चाई सुनने की क्षमता चाहिये । लेकिन खेद है कांग्रेस मित्रों में न धैर्य है और न साहस कि सच्चाई को वह सुन सके ....।

श्रीमन् मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसा माननीय नेता विरोधी दल मे कुछ सवाल किये । माननीय नरेश जी ने कुछ संविधान की धाराओं का उल्लेख किया । मैंने अपने भाषण के दौरान स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान का पूरी तरह से सम्मान करती है । 32-32 सवालों के जवाब भी दिये परन्तु उसके पश्चात् कुछ संवैधानिक मुद्दे आपने खड़े किये हैं । 20 अप्रैल को केन्द्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है । अगर आपकी अनुमति तो हो मैं पढ़कर सुना दूं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप पढ़कर सुना दीजिये ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं पढ़ कर सुनाता हूं । प्रिय श्री चौहाण जी, केन्द्रीय गृह मंत्रालय से दिनांक 8 अप्रैल, 1992 को दो फैक्स संदेश उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गये थे, जिनमें 32 बिन्दुओं पर सूचनाएं मांगी गई थीं । प्रदेश सरकार द्वारा सूचनाएं क्रमशः दिनांक 9 अप्रैल, 1992 व 14 अप्रैल, 1992 को उपलब्ध भी करा दी गयी है । पुनः दिनांक 13 अप्रैल, 1992 को गृह मंत्रालय से दो फैक्स प्राप्त हुए हैं जिनमें राम जन्म भूमि प्रकरण पर 22 अन्य बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है और कुछ दस्तावेज भी मांगे गये हैं ।

इसके पश्चात् जो फैक्ट हैं उनकी चर्चा इसमें नहीं है क्योंकि वह मुझे बाद में मिले हैं । पैरा-2 में कहा है कि जन मानस में केन्द्र की निष्पक्षता एवं न्यायप्रियता के प्रति विश्वास बना रहे, इस दृष्टि से में कुछ महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

3–आप दिनांक 2 नवम्बर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में अयोध्या भ्रमण के प्रस्ताव की पृष्ठिभूमि से भलीभांति अवगत हैं । इस बैठक में मैंने राज्य सरकार के पक्ष को स्पष्ट करते हुए सभी को आश्वस्त किया था कि विवादित ढांचे को न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरी तरह से सुरक्षित रखा जायेगा । यह भी अवगत कराया था कि प्रदेश में किसी प्रकार से तनाव की स्थिति नहीं है एवं प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रित है । राष्ट्रीय एकता परिषद् में मेरे बयान के दौरान हीं माननीय प्रधान मंत्री जी ने हस्तक्षेप करते हुए इच्छा जाहिर की थी कि अयोध्या की जानकारी मौके पर दिलाई जाय तो अच्छा होगा । तद्नुसार मैंने निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं और उन्हीं के साथ हीं एकता परिषद् के सदस्यों को भी मैंने अयोध्या आने के लिये आमंत्रित किया था । मैंने यह बात भी दोहरायी थी कि प्रदेश सरकार ने केवल विवादित ढांचे की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध कर रही है, अपितु यह भी सुनिश्चित करेगी कि न्यायालय के किसी आदेश की अवमानना न हो ।

4–उपरोक्त से स्पष्ट है कि एकता परिषद् को अयोध्या आने का निमंत्रण उसी परिप्रेक्ष्य में था जिससे कि राष्ट्रीय एकता परिषद् आश्वस्त हो सके कि विवादित ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित है । यह कदापि उद्देश्य नहीं था कि राष्ट्रीय एकता परिषद् ऐसे मुद्दों पर निर्णायक के रूप में बैठकर कार्यवाही करेगी अथवा टिप्पणी करेगी जो कि न्यायालय के संबंधित हों एवं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के निर्णय पर प्रभाव पड़े ।

5–यद्यपि यह आमंत्रण केवल राष्ट्रीय एकता परिषद् के लिये ही था किन्तु संसद में चर्चा के पश्चात् केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ कुछ सांसदों को भी सम्मिलित कर लिया । राज्य सरकार को यह भी आशा थी कि जिस पृष्ठभूमि में आमंत्रण दिया गया है उसका आदर करते हुये यह मिला-जुला प्रतिनिधि मंडल अपनी यात्रा का उद्देश्य तद्नुसार सीमित रखेगा । राज्य सरकार इस मत पर पूरी तरह से आश्वस्त थी क्योंकि इस मिले-जुले प्रतिनिधि मंडल के लिये किसी प्रकार कार्य परिधि (टर्म्स आफ रेफरेंस) निश्चित नहीं की गयी थी एवं कार्य प्रक्रिया (प्रोजीजर एण्ड मेथोडालोजी) भी निर्धारित नहीं थी । इन सभी कारणों से प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था पर आपत्ति नहीं की थी ।

6–यह दल जब अयोध्या आ रहा था तो केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को एक मात्र सूचना दी कि एक मिला-जुला दल अयोध्या भ्रमण के लिये आ रहा है । इस दल के अयोध्या पहुंचने पर प्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा इनका स्वागत किया गया था तथा राम जन्म भूमि प्रकरण की पृष्ठिभूमि एवं मौके पर वास्तविक स्थिति से पूरी तरह से अवगत भी करा दिया था । वार्ता के दौरान सभी जिज्ञासाओं के उत्तर भी दे दिये गये थे ।

7–अब जिस क्रम एवं निरन्तरता से प्रदेश सरकार से विभिन्न बिन्दुओं पर प्रतिनिधि मंडल द्वारा सूचनाएं एवं दस्तावेज की मांग की जा रही है उससे ऐसा संकेत मिलता है कि यह दल अपने कार्यक्षेत्र को अत्यन्त व्यापक मानकर एवं एक प्रकार से प्रदेश सरकार के सभी निर्णयों की जांच पड़ताल कानूनी एवं विधिक दृष्टि से करना चाहते हैं । यह भी आभास मिलता है कि संभवतः प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अपना मन बनाकर एक निश्चित दिशा को उजाकर करने के लिये दस्तावेज एवं सूचनाओं की मांग कर रहे हैं । यह विशेष रूप से आपत्ति जनक है, क्योंकि इस प्रकरण से संबंधित अनेक मुद्दे न्यायालय के सम्मुख लंबित है एवं यह प्रतिनिधि मंडल किसी प्रकार से न्यायालय के मुद्दों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारधारा के अनुकूल रिपोर्ट देना चाहते हैं । ऐसी परिस्थिति में एक ओर न्यायालय की अवमानना भी संभावित है दूसरी ओर ऐसे एक तरफा निर्णय से राज्य सरकार को किसी न्याय की आशा नहीं है । आप सहमत होगे कि राज्य सरकार को ऐसे किसी प्रयास में हिस्सेदार नहीं होना चाहिए जो एकतरफा हो, जिससे माननीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा हो अथवा पूर्वाग्रह के आधार पर बनी रिपोर्ट हो ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस मामले पर सही पृष्ठिभूमि में केन्द्र सरकार का स्पष्ट नजरिया रखें । इस संदर्भ में यह परीक्षण आवश्यक है कि प्रतिनिधि मंडल जो सूचनाएं व दस्तावेज की मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं उसका आधार क्या है और किस उद्देश्य से कर रहे हैं । यदि आपके माध्यम से स्थिति स्पष्ट हो सके तो राज्य सरकार निश्चित रूप से सहयोग करना चाहेगी ।

मेरे विचार से दल का मुख्य उद्देश्य विवादित ढांचे की सुरक्षा प्रबन्धों को देखना था और जो भी सूचनाएं इसके अतिरिक्त मांगी जा रही है उनका अयोध्या भ्रमण से कोई ताल्लुक होना प्रतीत नहीं होता है । कल्याण सिंह यह पत्र 20 अप्रैल, 1992 का यह पत्र है । इसका उत्तर नहीं आया है । इसको

दलगत प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, तो उसका सम्मान होना चाहिए मैं उसका पक्षधर हूं, लेकिन राज्य सरकार को टाउन एरिया का दर्जा देने से राज्य का ढांचा कमजोर होगा । हमने बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है । हमने उनको लिखा है लेकिन उत्तर नहीं आया है । केन्द्र सरकार के हम पटवारी नहीं है कि उनकी मुंशीगिरी, क्लर्की करने के लिये हम तैयार हैं कि तुम लिखकर भेजो, फिर हम लिखकर भेजें । यह सरकार संविधान की धारा, उपधारा, खंड, उपखंड, का सम्मान करती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश अग्रवाल जी ने और माननीय आजम खां जी ने नियम-300 के अन्तर्गत सूचना दी है वह सूचना इस आधार पर दी है कि उनके अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार के कतिपय प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है । जिसमें उनका कहना था कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है । माननीय श्री नरेश अग्रवाल की सूचना में संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख है और उन्होंने अपने भाषण में कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया है । परन्तु उनमें से कोई अनुच्छेद संविधान का ऐसा नहीं है जिससे इस सदन का कार्य विनियमित होता हो या उसके निर्वचन या प्रवर्तन का प्रश्न उठता हो । इसलिये नियम 300 की इस सूचना पर, शासन की ओर मुख्य मंत्री जी का उत्तर आने के पश्चात् मैं इसको निरस्त कर रहा हूं क्योंकि इससे कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

वर्तमान सत्र 1992 के पहले और सातवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 187 व 129 का गलत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री श्रीराम–

मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुसार समय-समय पर सरकार द्वारा शासनादेश निर्गत किये जाते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में एक शासनादेश 17 जुलाई, 91 को कार्मिक अनुभाग-2 से दिनांक 20-1-91 का 4-2-1991 निर्गत किया गया है । इस शासनादेश के अनुसार सेवा नियमावली के अधीन नियमित नियुक्तियां होनी थीं जिससे कर्मचारियों के आश्रितों को, निगमों के छंटनी शुदा कर्मचारियों को, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्तियां होनी थीं । यह शासनादेश हर जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है लेकिन जिलाधिकारी जालौन ने इस शासनादेश के निर्गत होने के बाद 19 जुलाई, को कलेक्ट्रेट के राजस्व अधिष्ठान में 10 नियुक्तियां की हैं और उन 10 नियुक्तियों में 17 जुलाई के शासनादेश के अनुसार एक भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है । इस संबंध में मैंने इसी सत्र के पहले गुरूवार को एक प्रश्न संख्या 187 द्वारा यह जानना चाहा कि शासनादेश के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है और क्या इस वर्ग के लोगों की नियुक्तियां की गयीं हैं । उत्तर में बताया गया है कि निर्वाचन कार्य से जो कर्मचारी अलग हुये हैं उनको रखा गया है । शासनादेश की जो मंशा थी उसका पालन नहीं किया गया और जवाब गोलमाल दिया गया है । इसके बाद मैंने इसी सत्र के 7 वें गुरूवार यानी कल एक अतारांकित प्रश्न संख्या 129 के द्वारा यह जानना चाहा, और इस प्रश्न का उत्तर आने के पहले 6 जनवरी, 92 को आयुक्त झांसी मंडल द्वारा यह अनियमित नियुक्तियां जो कलेक्टर द्वारा की गयी थीं उनको निरस्त कर दिया गया है । 6 जनवरी को आयुक्त का आदेश होने के बाद, यह जो प्रश्न का उत्तर आया है उसमें कहा गया है कि आयुक्त झांसी जांच कर रहे हैं । मेरे पास आयुक्त के पत्र की मूल प्रति की फोटो कापी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इस तरह से जानबूझकर अफसरशाही को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है । कलेक्टर द्वारा अवैध नियुक्तियां की गयीं हैं, उनको बचाने के लिये झूठा और गलत उत्तर दिया जा रहा है । इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । शासनादेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है । संविधान में जो व्यवस्था की गयी है उसके प्राविधानों के अनुसार शासनादेश निर्गत किये जाते हैं उस संबंध में स्पष्टीकरण दिलवायें और यदि जिलाधिकारी जालौन द्वारा अनियमितता की गयी है तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री राम ने नियम 300 के अंतर्गत यह जो प्रश्न उठाया है, इस पीठ से कई बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि यदि कोई माननीय सदस्य उत्तर से असंतुष्ट है कि उत्तर त्रुटिपूर्ण हैं तो उसके लिये निदेश संख्या 165 और 166 के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं । नियम 300 के अंतर्गत इस सूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं ।

जनपद शाहजहांपुर के थाना कोट के श्री संतोष कुमार एवं प्रेम नारायण को संरक्षण प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद शाहजहांपुर की ओर आकर्षित कर रहा हूं जो कि वैसे ही आतंकवाद से प्रभावित है । वहां पुलिस के संरक्षण में असामाजिक तत्व आम आदमी का जीना दूभर कर रहे हैं । मैं उदाहरण दे रहा हूं । वहां नन्हें और गजराज मुखिया के दो गिरोह हैं जिनके पास तमाम अवैध शस्त्र और लाइसेंस हैं । गत 29-10-92 को संतोष कुमार नन्हें का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया और 12-3-92 को गजराज का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, लेकिन अफसोस है कि पुलिस के संरक्षण के कारण उनके लाइसेंस अब तक जमा नहीं कराये गये । इसका परिणाम यह हुआ कि 8-10 दिन हुए संतोष कुमार ने भरे बाजार में चौक कोतवाली के अन्तर्गत तीन आदमियों को राइफल से भून दिया । उनको मरणासन्न स्थिति में अस्पताल ले जाया गया । इसी प्रकार गजराज द्वारा मात्र 2500 रूपये के लिये एक कत्ल किया गया । उसको 302 में जेल भेजा गया, लेकिन पुलिस ने राइफल नहीं ली ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना 300 में नहीं आती, लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं चूंकि घटना हो गयी है, इसलिये शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । श्री देवेन्द्र पाल सिंह की सूचना नियम 300 में नहीं आती, इसलिये निरस्त कर रहा हूं, लेकिन शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं ।

जनपद आजमगढ़ में पेयजल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, यह जनपद आजमगढ़ की समस्या है । मान्यवर, इससे पहले भी मैंने प्रश्न किया था अतारांकित प्रश्न संख्या 17 जिसमें मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पेयजल की पूरी सुविधा नहीं है । इसके बाद भी मान्यवर, पहले भी आपसे आग्रह किया था कि हमारे यहां पानी का स्तर नीचा है । आज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समस्या यह है कि लाखों आदमी पानी के अभाव में परेशान है । लेकिन सरकार को पत्र लिखने के बाद भी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी । दूसरे एक ग्राम सभा है अमिलो, जो आजमगढ़ जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा है । वहां 1971 से 1992 के बीच केवल २ हैण्ड पम्प इंडिया मार्क लगे हैं । वहां की आबादी के हिसाब से कुछ नहीं तो 90 या 95 हैण्ड पम्प लगने चाहिये थे । आपके माध्यम से सरकार से यह व्यवस्था चाहूंगा कि वहां पर किसी न किसी तरह तत्काल पेयजल की समस्या का समाधान किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

श्री अब्दुल ए० सलाम की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती, लेकिन जो समस्या का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, सार्वजनिक समस्या है, इस ओर शासन का ध्यान, इस सूचना को निरस्त करते हुए, आकर्षित कर रहा हूं ।

प्रथम सत्र 1992 के सातवें गुरूवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 52 का अन्तरिम उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय खाद्य रसद मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मान्यवर, आप देख लें, 18-2-92 को एक सवाल किया गया । प्रदेश स्तर का नहीं था । एक जिले में एक नगरपालिका से संबंधित था, जनपद देवरिया की नगरपालिका से संबंधित था कि देवरिया में सस्ते गल्ले के दुकानदारों को 24-10-92 को कितना गल्ला दिया गया, 25-10-92 के छापे में कितना गल्ला बरामद हुआ, बरामद हुआ कि नहीं, उक्त छापे जो मारे गये उसमें जनता केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार की दुकान वार्ड नं० 2 व 5 से ही बरामद हुआ, उसमें जो सामान कोतवाली लाया गया, उसमें कौन सी कार्यवाही की गयी । आप देख लें कि छापा मारा तो निश्चित रूप से जानकारी मिली होगी, चूंकि आपका कहना है कि तस्करी और कालाबाजारी करने वालों के लिये छापे मार कर व्यवस्था बनाते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि बार-बार पीठ से निदेश दिये जाते हैं, 2-2 माह हो गये छापा मारे, कौन सी कार्यवाही की गयी, उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है । आपके निदेशों के बावजूद सरकार न सदन में सही बोलती है न बाहर में । कम से कम इस सदन में तो भाजपा सरकार को गम्भीरता बनानी चाहिये ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, यह सही है कि 4-4-92 को शासन को इस संबंध में जानकारी मिली, तत्काल पत्र लिखा गया । दूरभाष से भी संपर्क किया गया, देवरिया के जिलाधिकारी की सूचना 22-4 को मिली, विलम्ब हुआ, फिर भी उत्तर अपूर्ण था इसलिये अन्तरिम उत्तर दे दिया गया ।

सच में स्थिति दुखद है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि माननीय सदस्यों को कोई बाधा न उत्पन्न हो पाये इस संबंध में जिलाधिकारी, देवरिया को सचेष्ट कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, इसलिये मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

दिनांक 21 अप्रैल, 1992 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या-2 के उत्तर के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, जो मैंने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है, वह इसी विधान सभा सत्र में 21 अप्रैल, 1992 के उपवेशन में मेरे एक अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 से संबंधित है, उसके उत्तर में माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो हमें और इस माननीय सदन को उत्तर दिया था, उसके दो पैराग्राफ में विरोधाभास है और उनके उत्तर से ऐसा लग रहा है कि हम इस सदन के जो सदस्य हैं, उनकी हैसियत को कम किया गया है। प्रश्न यह था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि आत्म सुरक्षा हेतु अग्नेयास्त्रों के लाइसेंस देने संबंधी सरकार की वर्तमान नीति क्या है ? नीति उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने बताया कि प्रतिबंध से 8 श्रेणी के आवेदकों को मुक्त रखा गया है और उन्होंने 8 श्रेणियों को इस आदरणीय सदन में घोषित किया, किन्तु उन 8 श्रेणियों में विधायक कहीं भी नहीं है। मान्यवर, दूसरे पैराग्राफ में जो मेरा प्रश्न था, वह यह था कि विधायकों को अग्नेयास्त्र के लाइसेंस देने हेतु किन-किन औपचारिक्ताओं को पूरा करने की आवश्यकता है। उसके उत्तर में माननीय गृह राज्य मंत्री ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 एवं 14 का उल्लेख कर दिया और विधायकों के आत्म सुरक्षार्थ लाइसेंस देने की स्पष्ट घोषणा नहीं किया, जबकि हमारे इलाहाबाद में बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक श्री राम सेवक सिंह पटेल जो बारा क्षेत्र के विधायक हैं, उनको पिछले कई महीनों से लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है तथा जिलाधिकारी ने कह दिया है कि आपको लाइसेंस नहीं मिल पायेगा, आप अपने 3-4 आदमियों का नाम दे दें, उनको लाइसेस मिल जायेगा इसलिये मान्यवर, यह विधायकों से संबंधित मामला है, इसलिये औचित्य का प्रश्न बनता है, इसे औचित्य का प्रश्न मानकर स्वीकार करें और चर्चा करायें।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेंन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय विधायकों का स्तर कम कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता, जो 8 श्रेणियां शासन ने विभाजित की है, उसमें सभी सदस्यों को लाइसेंस मिलने का पूरा-पूरा अधिकार है, लेकिन जो बिन्दु यहां पर रखा है, प्रश्नों के माध्यम से, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष–

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसको अस्वीकार करता हूं।

श्री जागेश्वर प्रसाद स० वि० स० अपने विधान सभा क्षेत्र में आवंटित भूमि पर शक्तिशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने के मामले की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, यह सरकार गरीबों के विषय में खूब लम्बी चौड़ी बाते करती है। मान्यवर, 3 साल हो गये जो कलेक्टर साहब की दी हुई जमीन है, कानूनगो, लेखपाल मौके पर नाप गये ग्राम सभा की जमीन पर वह शक्तिशाली जो है वह पहले से जमीन पर कब्जा किये हुए हैं वह धान भी कटवा ले गया है और गेहूं भी कटवा रहा है यह मेरे क्षेत्र का मामला है, कप्तान साहब ने आदेश दिया था फिर भी वह जबरन वहां के एस० ओ० से मिलकर बन्दूक की नोक पर जबरदस्ती फसल कटवा रहा है तो मेरा निवेदन है

कि इसके लिये जिलाधिकारी को सूचना देने की कृपा करें कि उनकी फसल कटवा ली गयी है अगर उनकी जमीन है तो उनकी मदद करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

राजस्व मंत्री जी के संज्ञान में आपकी समस्या आ गयी है वह उसका निराकरण करने की कृपा करेंगे।

श्री भगवन्त प्रसाद, स० वि० स० के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, मझे अभी-अभी श्री भगवन्त प्रसाद जी का पत्र मिला है, बड़ा गंभीर चिन्ता का विषय है कि उनके मकान पर कुछ असमाजिक तत्वों ने उनके मकान में घुसकर कब्जा किया है और वहां के लोकल एक आफिसर उनका नाम नहीं लूंगा उन्होंने उसमें मदद करके उनकी मिलीभगत से यह कार्य कराया है उन्होंने यह भी लिखा है कि हमारी जान व हमारे परिवार की जान खतरे में है। उन्होंने यह भी लिखा है कि यह बात आपके संज्ञान में लाकर व्यवस्था करा दी जाय वैसे तो मैं इसे कल विधिवत् लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने पत्र के साथ इसे मुझे दे देगें तो मैं शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर दूंगा।

मद संख्या 4,5 और 6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरः स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

जो कार्यस्थगन के प्रस्ताव आये हैं इसमें पहला कार्यस्थगन प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल का और माननीय नेता विरोधी दल के साथ श्री स्वामी नाथ यादव, श्री सोमांश प्रकाश, श्री लाल जी वर्मा

और श्री इजहार आलम खां ने हस्ताक्षर किये हैं प्रदेश के बुनकरों के संबंध में है। इसके बाद श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की सूचना है।

मैंने नियम 311 की सभी सूचनाओं को 56 में परिवर्तित कर दिया था और उसी के अनुसार निस्तारण कर रहा हूं यह पहली ही की तरह प्रदेश के बुनकरों से संबंधित है। इसके बाद श्री हरिवंश सहाय की सूचना है शीतगृहों के संबंध में, तीसरी श्री राम औतार शाक्य की सूचना है चौथी श्री ऊदल और श्री दीनानाथ सिंह की सूचना है और पांचवी श्री नवाब सिंह जी की सूचना है, इन पर मैं ग्राह्यता के बारे में सुनूंगा।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने 311 में दिया था प्रदेश के एक मंत्री के कहने पर झुग्गी झोपड़ी जला दी गयी उसमें एक मरा और 9 घायल हुए हैं मान्यवर, शलाका में नहीं आया लेकिन यह एक गंभीर प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य और श्री अंगद यादव की छठवीं सूचना है, सातवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री स्वामी नाथ यादव की है, आठवीं सूचना श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह और श्री भोला सिंह की है, नवीं सूचना माननीय नरेश अग्रवाल और सुरेन्द्र नाथ अवस्थी जी की लखनऊ की घटना के संबंध में है, यह शलाका में आई है।

मैं श्री राम लखन जी को सुन लूंगा। आपकी सूचना शलाका में आयी नहीं है। आपने विशेष रुप से आग्रह किया है, तो मैं उसे सुन लूंगा।

श्री विजयपाल सिंह तोमर–

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी थी। मेरठ में एक अल्प समुदाय के लड़के की हत्या कर दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

कल आप शलाका निकाल लें।

पहली सूचना ले रहा हूं। कुंवर रेवती रमण सिंह जी तथा इन्हीं के दल के सदस्यों की है।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, जो सूचना मैंने दी है, वह उत्तर प्रदेश के बुनकरों के बारे में है। बुनकरों की आज जो दयनीय स्थिति हो गयी है, उसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। बजट के दौरान माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, जब वह अपना भाषण दे रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में आज बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं और अगर इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया, तो जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश में बुनकर आत्म हत्या करने के लिये मजबूर हो गये थे, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी बुनकर आत्म हत्या करने के लिये मजबूर हो जायेगे। मान्यवर, आप जानते हैं कि बुनकर छोटे से लेकर बड़े तक को कपड़ा पहनाता है और दुनिया के देशों में कपड़ा भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। मान्यवर, आज लगभग डेढ़ करोड़ लोग इस व्यवसाय में लगे हुये हैं, किसानी के बाद बुनकर उद्योग में लगे हुये हैं। जितना बड़ा उद्योग यह है, उतना बड़ा उद्योग और कोई नहीं है। आप नये उद्योग खोल नहीं पा रहे हैं और दूसरी ओर जो पुराने उद्योग हैं, उनको आप चला नहीं पा रहे हैं,

लोगों को आप काम नही दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी ओर जो बुनकरों के उद्योग चल रहे हैं, वह मुफलिसी की हालत में पहुंच गये हैं । सरकार बराबर घोषणा कर रही है कि उनको सुविधायें दी जायेगी, लेकिन इनकी घोषणाओं का कहीं पर भी कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, इसलिये वह आन्दोलित है । मैं यह उम्मीद करता था कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेगी, लेकिन 10 महीने हो गये हैं सरकार ने इसे गंभीरता के साथ नहीं लिया है और कोई काम नहीं किया है जिससे बुनकरों को राहत मिले, उनका उद्योग बढ़े और चले । माननीय राज्य मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ लिख रहे हैं, वह उत्तर भी नहीं देंगे । मान्यवर, आज जो हालत है, अगर इसका निराकरण नहीं होगा, तो बुनकरों की हालत सुधर नहीं सकती है । मान्यवर, सूत के दाम आसमान को छू रहे हैं और बुनकर उस सूत को खरीदकर कपड़ा नहीं बना पा रहा है । जब निकासी नहीं हो रही तो उसका कपड़ा नहीं बिक रहा है और जब कपड़ा नहीं बिक रहा है तो वह भुखमरी के कगार पर है । रूई और धागे का मात्रा निश्चित नहीं की कि कितना धागा इस प्रदेश के बुनकरों को आवश्यकता है और कहां से धागा मिलेगा ।

आज तक सरकार ने यह कोटा निर्धारित और निश्चित नहीं किया है इसके साथ-साथ आज बुनकरों की सबसे बड़ी दिक्कत जो सहकारी समिति आपने बनायी है उसमें सचिव सरकारी बना दिया है । वह सचिव ही उनकी सहकारी समितियों को चलने नहीं दे रहा है । वह घोटाला करता है और नुकसान बुनकर का होता है । इसके अतिरिक्त बिजली के कनेक्शन में बुनकरों को कोई सुविधा नहीं है । पावरलूम चलवाने की आपने घोषणा की थी वे कनेक्शन उनको अभी तक नहीं मिले हैं । चूंकि इसमें एक-सवा करोड़ लोगों की जीविका का सवाल है अतः सस्ती दरों पर बिजली दी जाय । सब्सिडी जो जनता वस्त्रों में मिलती थी उस पर सरकार ने कटौती कर दी है । मैं चाहूंगा कि सब्सिडी को तत्काल दें । धोती या साड़ी के लिये इसे फिर से चालू कर दें जिससे बुनकरों के माल की बिक्री हो सके । इसी तरह बिक्रीकर की समस्या है । बिन्दी में सिन्दूर में 100 करोड़ रुपये की बिक्री कर की छूट दे दी है इसी तरह बुनकरों का बढ़िया कपड़ा जो विदेशी मुद्रा लाता है उसमें केवल उ० प्र० में बिक्रीकर लगता है । इस बिक्री कर को समाप्त कर दें जिससे वही बुनकर का कपड़ा सस्ती दरों पर बाजार में उपलब्ध हो सके और मिलों के कपड़ों से कम्पटीशन कर सके । केवल यह कहें कि कार्यवाही करेंगे, इससे नहीं होने वाला है । इसका निराकरण नहीं हुआ तो बुनकर मजबूर होकर आत्महत्या कर लेगा । बुनकर रिक्शा तो चला ही रहा है लखनऊ में भी और सीतापुर में भी । उद्योग भले ही तेज न हों लेकिन तत्काल ध्यान देकर इस मामले को तय कराना चाहिये था ।

* श्री लाल जी वर्मा–

आज पूरे प्रदेश में बुनकरों की हालत खराब होती जा रही है । उनको मिलने वाला धागा एक तो सही मात्रा में मिल नहीं पा रहा है । धागे का दाम मंहगा हो गया है । चाहे वह सिन्थेटिक धागा हो, चाहे (इस समय 2 बजकर 14 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए) रेशम का हो या सूती हो सबके दाम बहुत बढ़ गये हैं । जब दाम बढ़े तो उत्पादन की मात्रा में गिरावट आ गयी कपड़े की सब्सिडी भी घटा दी गयी । उत्पाद सही दाम पर बिक नहीं पा रहा है । बिजली के भी दाम बढ़े हैं ।

20 रु० प्रति हार्स पावर मिनिमम चार्ज था और 1.57 रु० प्रति यूनिट, उसको बढ़ाकर 27 रु० मिनिमम चार्ज कर दिया और बिजली की दर भी बढ़ा दी उस पर दोहरी मार पड़ गयी जिसके कारण प्रदेश के बुनकरों की बहुत दयनीय स्थिति हो गयी है । तमाम बुनकरों के जो पावर लूम पर बनाकर या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लघु कुटीर उद्योग में हाथ से बनाते थे, उनके उद्योग धंधे पूरी तरह से बंद हो गये हैं। वे दूसरों के घरों में बुनाई करने मज़दूरी करने जाने लगे हैं।

मान्यवर, टांडा की, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, स्पष्ट जानकारी है, बुनकरों की हालत विद्युत दरों को बढ़ाने के कारण खराब हो गयी है। एक ओर पुरानी सरकार ने घोषणा किया कि बुनकरों के 10 हजार तक के कर्जे माफ किये जायेंगे उनके सारे कर्जो की अदायगी पर रोक लगा दी गयी, बुनकर यह समझे कि कर्ज माफ कर दिया गया। एक तरफ कर्ज माफ नहीं किया गया दूसरी तरफ अदायगी न होने के कारण उस पर लगातार ब्याज बढ़ता चला गया और बढ़ता चला जा रहा है। और आज दूसरी तरफ सरकार कड़ाई से वसूली का काम कर रही है सरकार की तरफ से जवाब आता है कि नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं, नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। एक तरफ कहा गया कि माफ करेंगे कि वह नहीं किया, उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। यह जो आज बुनकरों की दशा है, यह सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रही है मान्यवर इस पर चर्चा करायें तो इस पर तमाम सुझाव आ सकते हैं समाधान के लिये। एक तरफ घोषणा हुई कि कर्ज माफ होगा वह नहीं हुआ ब्याज बढ़ता जा रहा है मैं कहूंगा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह जो हुआ उस ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जाय। मान्यवर यह लगभग डेढ़ करोड़ लोगों के भविष्य का सवाल है। जो मिनिमम विद्युत दर और प्रति यूनिट दर में वृद्धि की है उसमें मेरा सुझाव है कि जो 27 रु० मिनिमम चार्जेज लगा है उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाय प्रति यूनिट जो चार्ज होता है उसको लेने के लिये ही कार्यवाही की जाय। प्रदेश को किसानों के बाद सबसे ज्यादा आय बुनकर ही मुहैय्या करा रहा है इस पर दो घंटे की चर्चा करा दें।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, अभी जिस समस्या पर अभी नेता विरोधी दल ने ध्यान दिलाया, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सत्तापक्ष के लोग इस बात को बहुत ही अनुसुनी बात कर रहे हैं यह ऐसी समस्या है जो एक करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है। आज इस प्रदेश में बुनकर बिल्कुल गरीबी की उस लाइन पर खड़े हैं जहां पर उसके पास पेट भरने के लिये रोटी नहीं है बच्चों को पहनाने के लिये कपड़ा नहीं है। यह वह बुनकर हैं जो सारे देश को कपड़ा देते हैं और उनके खुद के बच्चे नंगे घूमते हैं यह बड़ी शर्मनाक बात है। आज हालत यह है कि सूत के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिये गये हैं जिससे उनकी समस्या यह पहले उनके सामने आ रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 1947 के बाद से यह पहला मौका था जब बुनकर बचाओ सम्मेलन लखनऊ में किया गया। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सम्मेलन नहीं हुआ था जिसमें यह स्थिति आ गयी हो कि जिसमें बुनकर बचाओ सम्मेलन करने की जरूरत पड़ी हो। उसमें जो समस्यायें रखी गयीं, एक समस्या यह रखी गयी कि जितनी सहकारी समिति है जिसको वे खुद चलाते थे इन समितियों में जो सचिव नियुक्त किये गये हैं वे सरकारी कर दिये गये हैं।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

उन समितियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, क, ख, ग और अब लेन देन का सौदा यह शुरू हो गया है कि जो क–कैटेगरी के संबंधित समिति है अगर उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है तो वह ख में आ जाती है वरना ग में रखी जाती है तो यह शोषण हो रहा है। इसी के साथ- साथ जो सेल्स टैक्स की बात कही थी जो उत्तर प्रदेश में सूत पर लगाया गया है और कहीं नहीं लगाया गया है उसकी वजह से बरबादी हो रही है। एक बात और आपके सामने रखना चाहूंगा आज उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत सूत मिलें बंद हैं। मैं खास तौर से कायमगंज में कम्पैल सूत मिल है वह एक साल से बन्द पड़ी है और वहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा है और उसमें जो नौकरियों पर लोग थे वह बरबादी की कगार पर पहुंच गये हैं। इसी के साथ एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जो कर्जा उन्होंने लिया था और जो कर्जा माफी की दो साल पहले बात कही गयी थी व कर्जा माफी नहीं की गयी, तो आज उनके ऊपर दो साल का टैक्स ब्याज लगाया जा रहा है उनके ऊपर पैसे का बोझ बढ़ गया है तो उसको पूरी तरह से माफ किया जाये या फिर छोटी-छोटी किश्तों के रूप में उनसे वसूल किया जाये जिससे वह आसानी से दे सकें।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि आज जो छोटे-छोटे बुनकर हैं, जो गांवों में हो रही बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है, उनके सामने कठिन समस्या पैदा हो गयी है। उनके बच्चे रिक्शा चला रहे हैं, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। सरकार ने यह कहा था कि बैंक के माध्यम से लघु उद्योग देंगे, लेकिन आज छोट-छोटे उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। सरकार ने उनकी समितियों में आपने अधिकारियों को बैठा दिया है, वहां पर सचिवों की नियुक्ति कर दी है, तो जो पैसा इनको मिलता है, तो वहां पर बैठे हुए हैं, उन बिचौलियों के माध्यम से, नको पैसा नहीं मिल पा रहा है। सरकार अगर चाहती है कि बुनकरों की समस्या का समाधान हो तो उन सचिवों को वहां से हटाया जाये और उन्हें सस्ते दाम पर सूत मुहैय्या कराया जाये। सरकार ने जो सब्सिडी में भारी कटौती की है, वह उचित नहीं है। इसी के साथ-साथ हथकरघा निगम को न तोड़ा जाये जो राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट है इसको लागू किया जाये। अगर सरकार इस रिपोर्ट को लागू करती है तो निश्चित ही बुनकरों की समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है और इसमें एक करोड़ लोग बेरोजगारी के कगार पर हैं, आप स्वयं सोच सकते हैं, उनकी बीबी है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई की समस्या है तो इसको ध्यान में रखा जाये। मान्यवर, इसी तरह से भूमि विकास बैंक की स्थापना की गयी है किसानों को ऋण देने के लिये आज प्रदेश में करीब-करीब 6 करोड़ लोग बुनकर पर निर्भर हैं तो कम से कम भूमि विकास बैंक की तरफ से इन बुनकरों को बैंक की सहायता देने के लिये किसी बैंक की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार करें। इसी तरह से हथकरघा और पावर लूम के विकास के लिये एक बोर्ड का गठन करें। बहुत सी ऐसी समितियां बनी है जो केवल समितियां बनी हैं जिनमें पावर लूम नहीं है तो उन्हें ऋण न दिया जांये, कुछ लोग इस प्रकार की समितियां बनाकर शोषण कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या है इस समस्या को देखें। इस समस्या को देखते हुये नियम 56 में आप कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करें और इस पर कम से कम 2 घंटे की चर्चा अवश्य करायें।

श्री सोमांश प्रकाश–

मान्यवर, हमारे बहुत से साथी भी इस विषय पर अपनी भावनाओं का इजहार करना चाहते हैं, उन्हें भी मौका दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप असली बात रख लें। जो पेशे से बुनकर हैं, उनको मैं दो-दो मिनट का समय दूंगा।

श्री सोमांश प्रकाश–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जो बुनकर हैं, वह हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इनकी दशा आज बहुत खराब हो गयी है और यह गरीबी, भुखमरी के बीच में मरे जा रहे हैं और प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वह इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इससे हमारे जो आर्टीजन्स लोग हैं, जो कुटीर उद्योग के बेस हैं, उनको हम प्रोत्साहन नहीं देगें, तो इससे बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी और भुखमरी भी पैदा होगी। अभी नेता विरोधी दल ने जो बात कहीं, उसी पर बल देते हुये यह कहना चाहूंगा कि आज इनकी समस्या को दूर न किया गया तो यह निश्चित बात है कि इनके परिवार भूखों मर जायेंगे। इनके जो घर के लोग हैं, जो इनके बच्चे हैं, वह जब इनसे खाना मांगेंगे और खाना नहीं होगा, तो इनके सामने सिवाय आत्महत्या के कोई दूसरी बात नहीं रह जायेगी अन्यथा चोरी डकैती जैसी समस्यायें पैदा होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा स्वीकार की जाय।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, बुनकरों की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसका उल्लेख अभी तक किसी सदस्य ने नहीं किया। बुनकरों का मुख्य व्यवसाय जनता धोती जोड़ा तैयार करना है। यह योजना सन् 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी। योजना के आरम्भ में बुनकरों से 7 जोड़ा धोती प्रतिदिन खरीदा जाता था, उसके बाद सन् 1980 में 5 जोड़ा धोती खरीदा जाने लगा।

श्री उपाध्यक्ष–

दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, उसके बाद आज यह स्थिति है कि केवल दो जोड़े ही प्रति बुनकर प्रतिदिन खरीदे जाते हैं और उसका 30 प्रतिशत नकद भुगतान 5-6 महीने बाद किया जाता है और 70 प्रतिशत का सूत दे दिया जाता है। यही कारण है कि बुनकर भुखमरी के कगार पर है। अगर सारे जोड़ों का सही समय पर भुगतान करवा दिया जाय तो यह भुखमरी खत्म हो सकती है। एक जोड़े पर आठ रुपये की मजदूरी होती है और बुनकर का पूरा परिवार जनता धोती जोड़ा तैयार कराने में लगा रहता है तो मान्यवर, आप सरकार को यह निर्देशित करने की कृपा करें कि यह उसका भुगतान समय पर करवा दिया करें। यू० पी० हैण्डलूम, यूपिका जो जनता धोती खरीदते हैं, यह जो सूत बुनकरों को देते हैं यह महँगा दे रहे हैं, जबकि बाजार में सूत का रेट इससे कम है। यूपिका तथा यू० पी० हैण्डलूम इनके द्वारा दिये गये सूत पर एक्साइज ड्यूटी भी नहीं है, फिर भी 15-16 रुपये का फर्क है। इसी प्रकार मान्यवर, पहले यू० पी० हैण्डलूम ने वर्ष 77 में कोड नं० बुनकरों को दिये थे और यह तय हुआ था कि जिनके पास कोड नं० होगें, उसी से जनता धोती जोड़ा खरीदा जायेगा, लेकिन अब कोड नं० देना बन्द कर दिये गये हैं। जो जिलों में पी० ओ० होते हैं, वह भी इसमें धांधली करते हैं। हमारे मुरादाबाद जिले में जो पी० ओ० है, वह भ्रष्ट है और स्वयं खरीदारी कर लेता है तथा नं० 2 में काला धन कमा रहा है उसकी जांच करा ली जाये।

श्री जाहिद हुसैन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आज बुनकरों के सामने बहुत बड़ी समस्या है। गरीब बुनकर जो इस उद्योग में लगे हुये हैं और छोटे-छोटे घरों में रहकर, माल तैयार कर बाजार में बेचने आते हैं, आज उनके सामने रोजी-रोटी का सवाल पैदा हो गया है। 50 रूपये किलो जो सूत बिक रहा है, उसकी रुई 12 रुपये किलो मिल रही है। यह रुई जब विदेशों को एक्सपोर्ट की गई थी और उस वक्त जो इसके दाम बढ़े थे, उसके बाद आज तक इसके दाम वही हैं और जो कपड़ा बुनकर बनाते हैं, वह कपड़ा मंदे दाम पर बिकता है। बुनकरों के पास मकान नहीं है और उनकी हमेशा उपेक्षा होती रही है। जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिये थी, उनसे वे हमेशा वंचित रहे हैं। जनता जोड़ा जो बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, उसमें बिचौलिये बीच में आ जाते हैं। जो वहीं पर उनसे सस्ते दाम पर इसे खरीदकर सेन्टर पर उन बुनकरों के नाम से बेच देते हैं। जिससे जो प्राफिट बुनकर को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिल पाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप सीधे लाभार्थी को चेक से उसका भुगतान कर दीजिये। इससे जो लाभ है, वह असली आदमी को मिल जायेगा।

श्री अब्दुल ए० सलाम–

मान्यवर, जब से यह बी० जे० पी० की सरकार आई है, तब से बुनकरों की उपेक्षा की जा रही है । अप्रैल, 1991 में जिस रेशम का दाम 800 रुपये प्रति किलोग्राम था, वह अब 2200 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है । दिन दूने रात चौगुने के हिसाब से दाम बढ़े हैं ताकि बुनकर तबाह हो जायं । इस संबंध में कई पत्र लिखे गये और माननीय मुख्य मंत्री जी को भी अवगत कराया गया । मुबारकपुर विधान सभा क्षेत्र में लाखों बुनकर हैं । नगर पालिका मुबारकपुर एवं जहानागंज में 1.5 टन रेशम प्रति वर्ष आप उपलब्ध कराते हैं, जबकि एक दिन में ही वहां पर डेढ़ क्विंटल रेशम लगा जाता है । 1,000 बुनकरों के रजिस्ट्रेशन वहां पर हुए हैं । बनारस की साड़ी के नाम से इसे जाना जाता है । यहां पर आपने 33 लाख रुपये दिये हैं, जबकि बनारस में आपने 1.50 करोड़ रुपये दिये हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । नगर मुबारकपुर ग्रामीण अंचल एवं जहानागंज में उत्पादित रेशम साड़ियों के क्रय हेतु एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का लक्ष्य सुनिश्चित कराया जाय ।

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, विरोधी दलों के नेताओं ने बुनकरों की समस्या उठाई । विषय बड़ा गंभीर है । पहले भारत सरकार ने यह योजना चलाई थी । 1990-91 में 132 मिलियन मीटर जनता वस्त्र उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था और जो खरीदा भी जाता था परन्तु अब उसे 100 मिलियन मीटर कर दिया गया है । स्वाभाविक है कि उसका कुछ प्रभाव अवश्य पड़ेगा । यह भी कहा गया कि रिबेट नहीं दिया जा रहा है । भारत सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया है । अब जब यह योजना ही समाप्त हो गयी तो रिबेट का प्रश्न नहीं उठता ।

एक बात और माननीय सदस्य ने उठाई कि बुनकर जो वस्त्र तैयार करता है उस वस्त्र को बिचौलिये खरीद लेते हैं फिर उसे बेचते हैं तो यह बात हो सकती है अगर बुनकरों को वास्तव में लाभ मिलना है तो इसके लिये बुनकरों की रजिस्टर्ड समितियां बनायें और सीधे उनके द्वारा पैसा मिले । यह व्यवस्था होने से उनको लाभ होगा । अब माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें भी गड़बड़ी आयेगी तो उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा ताकि किसी बुनकर का शोषण न हो । दाम बढ़ने की जो बात कही गयी है तो इस तथ्य को कोई इन्कार नहीं कर सकता है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अब्दुल ए० सलाम साहब बीच में इस प्रकार बोलने की व्यवस्था नहीं है आप बैठ जायं । माननीय सोमांश प्रकाश जी आप भी बैठें । पहले उनकी बात पूरी हो जाने दें ।

श्री मयंकर सिंह–

जब 60 रू० के०जी० 24 नम्बर का था तो जोड़े का दाम 7.80 पैसे था । यह बात सही है कि अब 231 पहुंच गया है तो उसमें आज 27.68 पैसे दिया जा रहा है । साथ ही 24 रु० जोड़ा खरीदा जा रहा था आज 60.60 पैसे के हिसाब से खरीद रहे हैं और 10 रु० 30 पैसे मजदूरी आती थीं आज 12.74 पैसे है । इस प्रकार पहले 20.60 पैसे मिलता था आज 25.40 पैसे मिल रहा है । पहले पांच जोड़े सात जोड़े खरीदे जाते थे आज एक जोड़ा खरीदा जाता है । इसमें इसका भी प्रभाव है कि पहले 132 मिलीयन मीटर केन्द्र सरकार ने लक्ष्य रखा उसके विरुद्ध आज एक सौ मिलीयन मीटर कर दिया है ।

इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि कोई भी बुनकर एक दिन में दो जोड़े से अधिक धोती तैयार नहीं कर सकता है । अगर दो की जगह 5, 6 जोड़े लेने की बात निर्धारित होती है तो स्वाभाविक है कि उसमें बिचौलियों को ताकत मिलती है । यहां पर यह बात कही गयी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से बुनकारों की उपेक्षा की जा रही है, उनको कीमत नहीं दी जा रही है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछली सरकारों का तमाम बकाया पड़ा था, तीन-तीन चार-चार महीने का बकाया पड़ा था तब शायद तमाम बुनकर आपसे मिलते होंगे और पुरानी बात आपके सामने रखते होंगे वहीं बात आपको याद आ रही है । आज फरवरी का एक भी पैसा बकाया नही है, हम बुनकारों को एक महीने में भुगतान कर रहे हैं । पिछले महीने का अप्रैल में और अप्रैल का मई में हो जायेगा । लेकिन जनवरी, फरवरी का रह गया है सही नहीं है ऐसा कहना भी उचित नहीं है कि बुनकरों की उपेक्षा की जा रही है, बुनकरों की पूरी चिंता की जा रही है । उनका समय-समय पर सहयोग किया जा रहा है ।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा उनकी गम्भीरता कम नहीं है उनके अनुसार कार्य करने का प्रयास किया जायेगा और उनकी दिक्कतें दूर हों यह हमारा प्रयास है । यह ऐसा मामला नहीं है जो कार्यस्थगन का हो ।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बुनकरों की उपेक्षा नहीं की जा रही है । मैंने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया था कि जो कर्जा 10 हजार तक का माफ किया था उसकी वसूली रोक दी गयी माफी की कोई बात नहीं हुई । तो वसूली रोकने से दूसरी तरफ उस पर ब्याज पर ब्याज बढ़ता गया । आज वसूली हो रही है जिससे उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । तो उनको 10 हजार तक कर्ज माफ करने की जो घोषणा की थी उस कर्ज को माफ करने की कृपा करें ।

दूसरी बात रखी थी कि बुनकरों के धागे के दाम बढ़ गये चाहे वह रेशम के हों या सूत के उनके दाम दुगुने तिगुने बढ़ गये हैं और उस हिसाब से कपड़े के दाम नहीं बढ़े हैं । जिसके कारण बुनकरों की हालत आज बद से बदतर होती जा रही है । तो क्या उसे धागा सस्ते में मुहय्या कराने का आप प्रयास करेंगे और जो अभी आपने बिजली का मिनिमम चार्ज बढ़ाया है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करेंगे ।

श्री मयंकर सिंह–

हमारी सरकार ने कोई कर्ज माफी की घोषणा तो की नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह तो राज्य मंत्री हैं और इन राज्य मंत्री पर मुझे तो तरस आता है । इनके पास कोई अधिकार नहीं है । इसके मंत्री तो माननीय मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह हैं और संसदीय कार्य मंत्री ने जानबूझकर इस सूचना पर जवाब नहीं दिया है । सीतापुर में इतने बुनकर हैं उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि उससे बाहर रहा जाए, इस मामले में मौन रहा जाए तो अच्छा है । सरकार एक निरन्तर प्रक्रिया है । हमारी सरकार, इनकी सरकार उनकी सरकार इसमें यह नहीं होता है, सरकार-सरकार होती है । सरकार ने जो घोषाणाएं की है उनको क्रियान्वित होनी है चाहे जो भी सरकार हो आने वाली हर सरकार उसको करने के लिये बाध्य है । आप पहले की सब घोषणाएं लागू कर रहे हैं, जिसको किसी सरकार ने किया हो तो इसमें यह आनाकानी क्यों ? बुनकरों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है उसका कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है । वह देने में असमर्थ है । जो यहां सहकारी कताई मिलें है उसमें आप दिखवा लीजिए । वह

बुनकरों के पैसे से ही बनी है और उस समय तय हुआ था कि प्रबन्धतन्त्र बुनकरों के पास ही रहेगा और बुनकर ही इन मिलों को चलाएंगे । सस्ते दाम पर उनको धागा उपलब्ध नहीं होता है । यह जो मिलें हैं यह अपने मिल प्राइज पर ही बुनकरों को सूत उपलब्ध करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा लेकिन उसे बिचौलिए खरीदते हैं, उसे किसी तरह ले जाते हैं और प्रदेश के बाहर बम्बई, अहमदाबाद आदि जगहों पर वह चला जाता है लेकिन बुनकरों को नहीं मिलता है ।

मैं यह बात बार-बार कर रहा हूं । आप उसका निराकरण नहीं कर सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री जब तक नहीं चाहेंगे नहीं हो सकता है । आप कहते हैं कि बुनकरों में कोई भुखमरी नहीं है । आप हमारे साथ टांडा, फैजाबाद, मऊ, आजमगढ़ या और कहीं चले चलिए या फिर सीतापुर चले चलिए । मैं आपको बीसों जिलों में दिखा दूंगा कि वहां पर उनकी भुखमरी की नौबत है । वह आज फटेहाल है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है । हम उसकी समस्या का निराकरण चाहते हैं लेकिन आप यह नहीं करना चाहते हैं । बिजली का रेट आप की ही सरकार ने बढ़ा दिया है, उसको क्यों नहीं कम करना चाहते हो । खेती के बाद इससे बड़ा प्रदेश में और कोई उद्योग नही है । वह आप के प्रदेश की उन्नति के लिए यह कर रहे हैं । हर बात में आप केन्द्र सरकार की बात करते हैं । उसने कर दिया तो आपने उनको इन समस्याओं के बारे में क्या बताया, उनके साथ कोई मीटिंग की हो तो बता दें कि कब की है, कब पत्र लिखा है, कब आपके अधिकारी उनके साथ इस पर बातचीत करने गये हैं । कब आपके मंत्री केन्द्र सरकार से बात करने गये । यह इस तरह से नहीं चलने वाला है कि इस तरह से जवाब दे दें । यह प्रदेश के एक-दो करोड़ लोगों की बात है । आपका यह कहना कि उनकी तरक्की हो रही है, गलत है । आज जैसे हालात में हैं, उनको देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जायेंगे । किसी ने भी उनकी यह हालत की हो । आज वे समस्या ग्रस्त हैं । आप इतना ही कह रहे हैं कि समस्या गम्भीर है, हम देखेंगे, विचार करेंगे । आज हम उसका निदान यही चाहते हैं, आज आप बता दो कि निदान क्या है और यदि नहीं है तो वह भी बता दो ।

वित्त, संस्थागत वित्त,संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल जी की बात को सम्मान से सुनते हैं और उनके मूल्यवान सुझावों पर विचार करते हैं । मान्यवर, यह सही है कि पिछले अनेक वर्षों से जो बुनकरों की हकतलफी के कारण उनकी स्थिति खराब है जिससे राज्य मंत्री जी ने सहमति प्रकट किया है । लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उनसे उबारने की जिम्मेदारी हमारी है । हमने क्या-क्या प्रयास किये हैं इसकी जानकारी अभी राज्य मंत्री जी ने दिया । यह सही है कि बुनकरों की हालत बहुत खराब है यदि उनके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया जायेगा तो उनकी और स्थिति खराब होगी । लेकिन नेता विरोधी दल को पता है कि पिछले साल रूई के उत्पादन में कमी आई जिससे कीमतें बढ़ी हैं । बुनकर के कपड़े में आज कम्पटीशन है उसके कारण बुनकरों की हकतलफी हो रही है । इसलिये सरकार ने प्रयास किया है कि 200 टन कृत्रिम रेशम का धागा विदेशों से और रूई का भी आयात करने का प्रयास किये जा रहे हैं । मान्यवर, सूती मिलें बन्द थीं उनको चालू करवाया है यह इसलिये कराया है कि जिससे सूत का उत्पादन बढ़ जाये । मान्यवर, हमारे पास आकड़े हैं जिसके अनुसार सरकारी मिलों में एक्स मिल दर 3-4-92 को 24 नं० 227 से 230 रु० रेट है। जो यूपिका में इस्तेमाल कर रहे हैं । 40 नं० 286 एक्स मिल है जो 305 से 310 रु० का बाजार भाव है लेकिन 280 रेट में सप्लाई कर रहे हैं । इसी तरह और सूत की स्थिति है । इस प्रकार बुनकरों की स्थिति को हमने सुधारने का प्रयास किया है ।

मान्यवर, जानकर खुशी होगी कि, जैसा राज्य मंत्री जी ने बताया, हम पुराने एरियर पिछले वर्ष अक्तूबर-नवम्बर का फरवरी में भुगतान कर दिया है। मान्यवर, सस्ते कपड़े के उत्पादन पर हमारा विशेष बल है कि नयी-नयी तकनीक बुनकरों को सिखायें जिससे उनका उत्पादन बाजार में अच्छे भाव में बिक सके।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात कही गयी वह यह है कि सूत की आपूर्ति के बारे में बुनकरों की यह मांग थी कि ताने के लिये पूरा सूत एक साथ होना चाहिये इसलिये उनकी मांग को ध्यान में रखकर 70% सूत के रूप में उन्हें देंगे और 30% नगद देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं इसलिये आप लोग बीच में न बोलें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अब हमारा बैंक लाग बहुत कम है.....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दें। श्री रिजवानुलहक जी आप बैठ जायें।

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

20 लाख का माल पकड़ा गया। आज स्थिति बिगड़ गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं इस बात का दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जिस बात के लिये मैंने अनुमति नहीं दी है उसके बारे में बोलने का औचित्य नहीं बनता। आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे जारी रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्षमा करें। मान्यवर, दो बातें कही गई हैं। कर्जा माफ करने की और बिजली की आपूर्ति के बारे में। बुनकरों की गरीबी को दूर करने के लिए तमाम योजनाएं हैं जिन समस्याओं के तहत हम उनका जीवन स्तर उठाने के लिये, उनके उत्पाद की बिक्री के लिये, मार्केटिंग के लिये प्रयास कर रहे हैं। इसमें काफी सफलता भी मिली है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं, माननीय नेता विरोधी दल को अपनी बात कह लेने दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि हर साल सैकड़ों, करोड़ रुपया व्यापारियों का बट्टा खाते में चला जाता है तो जब व्यापारियों का बट्टे खाते में डाला जा सकता है तो जो बुनकर इस प्रदेश की विभूति और खुशहाली में शिरकत करते हैं। कपड़ा बुनते हैं। कपड़ा एक्सपोर्ट के लिये भेजते हैं वे आज भुखमरी की हालत में पहुंच गये हैं। उनकी स्थिति की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। बिजली का रेट बढ़ा है। जब से आपकी सरकार आई है पावर लूम पर रेट बढ़ा दिया है। मिनिमम चार्ज करें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

मान्यवर, यह सरकार बुनकरों की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रही है। आज बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मोहम्मद रिजवानुलहक सदन त्याग कर चले गये)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बात कह दी है। आप लोग कृपया बैठ जायं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। इसे भी कम किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आप लोग बैठ जायं।

(श्री लाल जी वर्मा, श्री स्वामीनाथ यादव, श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री ठाकुर वीरेन्द्र सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री अब्दुल ए० सलाम, श्री इजहार आलम खां आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे [xxx])

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, 18 तारीख को एक डेलीगेशन मुख्य मंत्री से मिलना चाहता था परन्तु उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष–

वेल में कोई बात नहीं सुनी जायेगी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य वेल में खड़े होकर बोलते रहे)

वेल में जो माननीय सदस्य हैं वह कृपया सदन छोड़ दें।

वेल में जो भी माननीय सदस्य हैं वह सदन छोड़ दें।

(घोर व्यवधान)

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(इसके बाद 2 बजकर 55 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 5 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी।

तत्पश्चात् 3 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों को आपने बाहर जाने का निर्देश दिया था उन्होंने आपके आदेश का पालन कर लिया है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उन्हें सदन में आने के लिये आप आदेशित कर दें। दूसरी बात मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो आपने जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप बुनकरों के प्रतिनिधियों को बुला लें, आप बैठ लें और हममें से जिसको बुलाना चाहें बुला लें और उनकी समस्याओं का निराकरण करा दें। अगर उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं करायेंगे तो वह जेल भरो आन्दोलन के लिये मजबूर हो जायेंगे। मै चाहता हूं कि ऐसी स्थिति प्रदेश में न बने।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो निवेदन किया, माननीय सदस्यों को जो किन्हीं कारणों से आपने बाहर जाने के लिये निर्देशित किया था उस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप निर्देशित कर दें कि वह सदन की सेवा में आ जायं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अनुरोध किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। जिन माननीय सदस्यों को मैंने बाहर जाने के लिये निर्देशित किया था उन्हें सदन में आने की अनुमति दी जाती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी नेता विरोधी दल ने एक सुझाव दिया था कि बुनकर भाइयों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे शासन स्तर पर वार्ता हो जाय। मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि एक बार उनके प्रतिनिधियों से मेरी बड़े विस्तार के साथ बात हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि नेता विरोधी दल वार्ता करने का सुझाव दे रहे हैं, उनकी 2-3 संस्थायें हैं, यह जिम्मेदारी मैं माननीय नेता विरोधी दल को दूंगा, वह तय करके जिनको बतायेंगे उनको, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं प्रार्थना कर लूंगा, माननीय उद्योग मंत्री रहेंगे, बैठकर उनके साथ विचार कर लिया जायेगा ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। यह शासन की प्राथमिकता है कि वे सम्मान की जिंदगी आर्थिक सुधार के साथ जी सकें।

श्री उपाध्यक्ष–

इस सूचना की ग्राह्यता के सिलसिले में मैंने सुना। कार्यस्थगन के रूप में अग्राह्य किया जाता है।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत हमने जो सूचना दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । कानपुर में हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट है वहां के छात्र पिछले एक साल से संघर्षरत होकर अपने हक के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं ।.....

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना तो प्रदेश के शीतगृहों में रोगग्रस्त आलू के भण्डारण किये जाने से सम्बन्धित थी, आप बोल किस पर रहे हैं । इस सूचना की अनुमति नहीं दी जाती है । आप कृपया बैठें ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, मैंने एक महत्वपूर्ण सूचना दिया है कि इस प्रदेश में शीतगृहों में जो आलू का भण्डारण किया गया है वह रोगग्रस्त है । 1987 में शीतगृहों के मालिकों ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके 3 रुपया क्विंटल आलू का प्रभार बढ़वाया था और वे हाई कोर्ट भी गये थे और हाई कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया था । उसके बाद वह सुप्रीमकोर्ट गये । प्रदेश के किसानों पर साढ़े 8 करोड़ रुपया जो भण्डारण का लगने वाला था वह किसानों का बच गया ।

इसके बाद शीतगृह मालिकों ने 1988, 1989 में कोई हरकत नहीं की । सन् 1990 में प्रदेश के उच्च अधिकारियों को मिलाकर शीतगृह मालिकों द्वारा प्रभार बढ़वाया गया और एक लेटेस्ट आर्डर करवा दिया, लेकिन तत्कालीन मुख्य मंत्री ने रोक दिया । लेकिन शीतगृह मालिक हाईकोर्ट चले गये और उसके बाद जो उस विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने पैरवी की और हाई कोर्ट से वह आदेश समाप्त करवा दिया और किसानों पर जो साढ़े तेरह करोड़ रुपये का प्रभार लगना था, बच गया । इसके बाद सरकार ने जांच की और इसके बाद तत्कालीन हार्टीकल्चर के निदेशक को हटा दिया और उप निदेशक (आलू) को निलम्बित कर दिया । उसके बाद शीतगृह मालिक और प्रदेश के उच्च अधिकारी इस चक्कर में पड़े कि कैसे अपने काम को पूरा करावें । यह सरकार आयी तो एक सेवा नियमावली बनायी और शीतगृह मालिकों के बिल्कुल चंगुल में आकर और प्रदेश के अधिकारियों के चंगुल में फंसकर ऐसी नियमावली बनायी जिसमें उद्यान विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निदेशक न हो सकें ।

ऐसा नियम बनाया कि विभाग में अधिकारी नहीं मिलते हैं तो दूसरे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लिये जांय । फिर 23 सितम्बर को नियमावली की घोषणा होती है । उसमें लिखा है कि प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय । प्रतिनियुक्ति पर जब नहीं मिले तो सावधि संविदा या टाइम बाउन्ड कान्टेक्ट यानी ठेके पर हार्टीकल्चर का डायरेक्टर नियुक्त किया जाय । तो प्रतिनियुक्ति पर किसी भी विभाग में सरकारी अधिकारी नहीं मिला । एक यूनीवर्सिटी से प्रोफेसर को बुला कर डायरेक्टर बनाया गया उसको जानकारी नहीं रही । उसको ठेके पर डायरेक्टर बनाया गया और तीन और जो पी०सी०डी०एफ० संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और उद्योग अधिकारी नियुक्त किये गये और दो रुपया प्रति कुन्तल और प्रभार बढ़ाए गये। इन चारो अधिकारियों को ज्ञान नहीं रहा कि प्रदेश के अन्दर आलू रोग की रोकथाम कैसे कर सकते हैं, रोग रहित आलू का भण्डारण कैसे करावें । मेरा कहना है कि अधिकारियों से मिल कर और ठेके पर डायरेक्टर की नियुक्ति करके 5 करोड़ किसानों को मरवा दिया और रोगग्रस्त आलू रखा गया । ग्राह्यता का इसलिये भी प्रश्न उठता है कि तीन अधिकारियों की जो नियुक्ति की, तत्काल जानकारी में आने पर उनको बर्खास्त कर दिया । मेरा कहना है कि आपके विभाग में कोई निदेशक नहीं मिलता है तो सरकारी विभाग से जिसको जानकारी हो उसको नियुक्त करें और जो आलू का भण्डारण किया गया है,

उसकी व्यवस्था करें ताकि रोग रहित आलू रह सके और किसानों का आने वाले दिनों में कल्याण हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है उनको नही सुनूंगा ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने जिन मुद्दों को सदन में उठाया है, इनमें पहले बुधवार को और दूसरे बुधवार को प्रश्नोत्तर भी हो चुका है । इस सम्बन्ध में पिछले 9 और 10 को शून्य प्रहर में भी उठ चुका है फिर भी आपके निर्देश के ऊपर मैं कुछ उत्तर देना चाहता हूं ।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

सेवा नियमावली किसी के दबाव में नहीं बनाई गयी है, नियमानुसार बनाई गयी है और उस सेवा नियमावली के तहत जो अपर निदेशक विधिवत नियुक्त हों और दो साल कार्य कर चुके हों, वही निदेशक के पद धारक बन सकते हैं, सेवा नियमावली के तहत पर भी मान्य है कि यदि इस तरह के योग्य व्यक्ति विभाग में नहीं उपलब्ध हैं, तो सावधि संविदा पर अन्य विभाग से लिये जा सकते हैं, उसी के तहत डा० आर० के० पाठक, जो कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद में, उद्यान विभाग के अध्यक्ष हैं, एक वर्ष की संविदा पर उनको लिया गया है । मान्यवर, जहां तक आलू के सड़ने की बात कही गयी है, यह कहना सही नहीं है कि जितने आलू भण्डारण हैं, सब रोग-ग्रस्त हैं । मान्यवर, जो आलू भण्डारण हो रहा है, वे सब शुद्ध हैं, उनमें कोई रोग नहीं है । मेरा निवेदन है कि नियम 56 के अन्तर्गत यह प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आलू भण्डारण से ही सम्बन्धित एक दूसरी भी सूचना थी, मैं एक-एक मिनट आप लोगों को भी सुनना चाहूंगा ।

* श्री भोला सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद जनपद का गंगा पार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादन का क्षेत्र है, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री, एम० एल० ए० रहे थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू वहां के सांसद रहे, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह, वहां के सांसद रहे, माननीय राम पूजन पटेल तीसरी बार वहां के सांसद हैं, पूरे प्रदेश से सबसे ज्यादा यहां पर आलू वहां पैदा होता है आज सबके घर पर आलू सड़ रहा है जितना आलू वहां पर पैदा होता है वहां पर भण्डारण क्षमता कुल स्टोरेज की 22 प्रतिशत है, 78 प्रतिशत किसान ले जाकर कहीं बाहर बेंचे आलू सबके घर पर सड़ रहा हैं, कोई नहीं खरीद रहा है । आपके माध्यम से शासन से, माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप इस आलू को विदेश भिजवाने का कष्ट करें, विदेश जाय । इसके अलावा उनके पास और कोई चीज नहीं पैदा होती है, आलू की हालत यह हो रही है कि जो उन्होंने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया है, उसका ब्याज देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है, वे गाय-भैंस बेंच कर ही खाद और बीज का कर्ज चुका सकते हैं । आपसे आग्रह है कि आप शासन से इसके बारे में कार्यवाही करवायें कि यह आलू विदेश भेजा जाय, अन्यथा वहां के किसान भुखमरी के कगार पर आ जायेंगे ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आलू के ऊपर चर्चा लगी हुई है और तीन बार वह चर्चा स्थगित कराई गयी है, उसके लिए समय कभी मिल ही नहीं पा रहा है, मान्यवर, न नियम 49 पर, न नियम 51 पर और न नियम 52 पर चर्चा हो पा रही है, तो मेरा अनुरोध है कि इसी बहाने इसी समय आलू के ऊपर चर्चा ले लें। यह किसानों की बहुत बड़ी समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, उनको ग्राह्यता पर सुना जा रहा है और उसके बाद निर्णय होगा। जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, उन्हीं को सुना जा रहा है और जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं, उनको समय दे पाना सम्भव नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, गन्ना पर चर्चा लगी हुई है। अगर आप नियमावली की बात करते हैं तो इस पर चर्चा हो ही नहीं सकती है। नियमावली के अनुसार तो आपको सुनना ही नहीं चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष–

बात आपकी सही है, लेकिन जिन्होंने सूचना दी है, उनको सुन लिया है।

* श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इस समय आलू की समस्या तो पूरे प्रदेश में है, लेकिन इलाहाबाद में आलू की समस्या बड़ी जटिल है। मैं गंगापार क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है और यही उनका जरिया है जिससे वह शादी विवाह करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जबसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है आलू उत्पादकों की घोर उपेक्षा हो रही है। इस सरकार ने बड़ा लुभावना नारा दिया है, लेकिन जिस प्रकार से आलू उत्पादकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, उससे किसान बहुत ही असंतुष्ट हैं। किसान जब आलू बोता है, तो उस समय उसे 300 और 400 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बीज मिल पाता है और उसके साथ ही साथ खाद के दाम और कीट नाशक दवाओं के दाम भी बढ़ गये हैं। इसके बावजूद आलू-किसानों का आलू उनके घरों पर सड़ रहा है, वह कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा जा रहा है। आलू व्यापारियों का रखा जा रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा लगी हुई है। इसका ध्यान रखना चाहिये। रोज-रोज सूचना देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, फर्रुखाबाद के बाद आलू उत्पादन में इलाहाबाद का ही स्थान है। मान्यवर, एक तो प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बहुत कम हैं, जितना आलू पैदा होता है, उसके मुताबिक कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। इन स्टोरों की क्षमता केवल २२ प्रतिशत आलू रखने की है। मेरे क्षेत्र में केसरवानी कोल्ड स्टोरेज सहसों और सोरांव में जो कोल्ड स्टोरेज है वहां पर मनमानी 10 रुपया प्रति बोरा चार्ज लिया जा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहा है और उसकी रसीद नहीं दी जा रही है , इससे किसानों में बड़ा रोष व्याप्त है । मान्यवर, आलू के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार को आलू पर आधारित उद्योगों को लगाना चाहिये और उनको बढ़ावा देना चाहिये और इसके साथ ही आलू के निर्यात की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे किसानों को आलू का सही मूल्य मिल सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने इलाहाबाद की समस्या के बारे में जो ध्यान आकृष्ट किया है इसके बारे में हमने तत्काल जिले से जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की क्योंकि वास्तव में यह शिकायत बड़ी गम्भीर है कि 10 रुपया अतिरिक्त प्रभार किसानों से लिया जा रहा है लेकिन माननीय विधायक जी, अपनी इस बात की पुष्टि कर लें और वार्ता से कुछ और बातें बतायें । मान्यवर, सोरांव तहसील में अपर जिलाधिकारी के साथ ब्लाक के अधिकारी और आलू उत्पादक किसानों आदि की बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि जो किसान अतिरिक्त प्रभार देना चाहें भण्डारण के लिए, वह दे सकते हैं, उसकी रसीद मिलेगी । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह निर्देशित किया है कि स्वेच्छा से रसीद देकर पैसा ले लें लेकिन अगर एक पैसा भी अतिरिक्त प्रभार लिया जायेगा तो इसकी जानकारी मिलने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी, यह निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं । मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे यहां इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि जितना आलू का उत्पादन होता है उसको यथास्थान रख सके। मेरी जानकारी के अनुसार इस समय की जो स्थिति है, करीब-करीब 70 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन होने की सम्भावना है मिली जानकारी के अनुसार 28 लाख मीट्रिक टन आलू भण्डारित हो चुका है । किसी काश्तकार की स्वेच्छा न हो तो अतिरिक्त पैसा न लिया जाय इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

जो आलू भण्डारण क्षमता से बचता है उसका क्या करें ? इसके अलावा 10 रुपया अतिरिक्त चार्ज हो रहा है वह किस बात के कटवा रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह घटना आज ही यहां जानकारी में आई है इसमें कार्यवाही की जायेगी और सम्पूर्ण प्रदेश में इस आशय की जानकारी मिलने पर ही यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि अतिरिक्त प्रभार लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, जैसे इलाहाबाद में ले रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसके बारे में माननीय सदस्य अगर साक्ष्य देंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपने चर्चा शुरू करा दी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने ग्राह्यता पर सुना है, चर्चा नहीं हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 70 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ है और 28 लाख मीट्रिक टन भण्डारित हो चुका है और शेष आलू जो है उसका 12 लाख टन आलू खराब होता है प्रदेश में, तो शेष आलू को खरीदने के लिए क्रय केन्द्र खोले जाते रहे हैं, आपकी सरकार ने अभी तक आलू के क्रय केन्द्र नहीं खोले हैं इसका क्या कारण है ? आलू के अतिरिक्त भंडारण और खपाने के लिए सरकार की संस्था है तो क्या आलू क्रय केन्द्र खोलवाये जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, क्रय केन्द्र खुले हैं किन्तु उसका निर्धारित रेट है 80 रुपया कुन्तल ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, क्रय केन्द्र है, का क्या मतलब है ?

श्री धनराज यादव–

यह कोआपरेटिव के द्वारा एवं और भी संस्थाएं हैं । वह खरीदती हैं लेकिन उसका जो रेट है उससे ज्यादा रेट किसान को बाजार मे मिलता है इसलिए किसान वहां नहीं बेच रहा है ।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस सूचना पर अनुमति नहीं दे रहा हूं । मेरी अनुमति के बिना जो बोल जायेगा लिखा नहीं जायेगा ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मैं आपका ध्यान आगरा कालेज आगरा, सेन्ट जान्स कालेज और दयाल बाग की तरफ ले जाना चाहता हूं । आगरा विश्व विद्यालय व उससे सम्बद्ध उक्त महाविद्यालयों में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशों का पालन नहीं किया जा रहा है । मैं आपके संज्ञान में कुछ शासनादेशों का जिक्र करना चाहता हूं उ० प्र० सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या-736/40-1-91-12/40-78 तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के पत्र संख्या-डी० ओ० एफ० एफ० 1-6/89- एस० सी० सी०, दिनांक 30 जुलाई, 89 एवं कार्मिक विभाग के उत्तर प्रदेश के सचिव द्वारा जारी शासनादेश 22/20/82 (1), दिनांक 11 अप्रैल, 91 की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । इन शासनादेशों के माध्यम से शासन की मंशा यह रही है कि संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति और जनजाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छूट दी गयी है । इन महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के बारे में वर्ष में जो प्रवेश की नीति अपनाई गयी है, उन शासनादेशों का खुला उल्लंघन किया गया है ।

अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । यह प्राविधान संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत हैं इसीलिये नौकरियों में और प्रवेश कक्षाओं में आरक्षण दिया गया है । इस उल्लंघन से छात्रों में असन्तोष है । आर० बी० एस० कालेज में प्रवेश पाने के लिये एक छात्र ने कोर्ट का सहारा लिया है, मुन्सिफ महोदय के निर्णय के अनुसार आर० बी० एस० कालेज को निर्देश दिया गया है कि उस छात्र का प्रवेश लिया जाये । छात्रों के पास इतना रुपया नहीं है और समय नहीं है कि न्यायालय में न्याय के लिए भीख मांगें । इसलिये आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आगरा विश्वविद्यालय में बोर्ड आफ ट्रस्टी हैं उसके सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, वहां का आयुक्त उस बोर्ड का सेक्रेटरी होता है ।

आगरा कालेज में बोर्ड आफ ट्रस्टीज की 91 के बाद आज तक मीटिंग नहीं बुलायी गयी । अगर वहां मीटिंग हो गयी होती तो आगरा कालेज में अनियमितताओं के संबंध में बोर्ड आफ ट्रस्टीज ने फैसला ले लिया होता । जो वहां नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन नियमों का उल्लंघन रुकता । बहुत से छात्रों का भविष्य रुका हुआ है, यदि मान्यवर आप या माननीय अध्यक्ष निर्देश दे दें तो सैकड़ों छात्रों का भविष्य वहां बन सकता है उनको प्रवेश दिया जा सकता है । यह प्रश्न अविलम्बनीय और लोक महत्व का है मान्यवर कार्यवाही कराकर छात्रों का भविष्य सुनिश्चित करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अन्य जिनका भी आरक्षण की सुविधा प्राप्त है उनको पूरा हक मिलना चाहिये यह शासन की नीति है । लेकिन मान्यवर, जो कार्य स्थगन की सूचना माननीय सदस्यों ने दी है मैंने उसको बार-बार पढ़ा ध्यान से उनकी बातें सुनी । अब मैं सोच रहा था कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आखिर उन्हें आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं मिली । मैं इसे देखकर क्या वायदा करूं । माननीय सदस्य कोई एक सूची उपलब्ध करा दें । विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियम बने हुए हैं, वे शासनादेश तो हमारे पास उपलब्ध हो जायेंगे लेकिन वे कौन-कौन से छात्र हैं, जिन्होंने महाविद्यालयों मे प्रवेश के लिये वहां आवेदन पत्र दिया और आरक्षण की सुविधा के रहते प्रवेश नहीं मिल सका । आप उनके नाम उपलब्ध करा दें । मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे मामले की जांच करायी जायेगी । आपने कहा कि वहां बोर्ड आफ ट्रस्टीज की मीटिंग नहीं हुई है, मैं इसको दिखवा लूंगा । आप सूची दे दें जांच करा लूंगा आपको भी जानकारी दे दूंगा । किसी वेग बात पर कोई सुनिश्चित बात नहीं है, अगर चर्चा प्रारम्भ कर दें तो कोई लाभ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम औतार शाक्य कृपया बैठ जायं, उन्होंने ध्यान से बात सुनी ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरी समझ से मंत्री जी ने मेरी बात को फालो नहीं किया । योग्यता के आधार पर जो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के छात्र जाते हैं उसके बाद उनको शासनादेश के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा, लेकिन उस मूल भावना के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य की सूचना पर ग्राह्यता पर सुना, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य किया ।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, एक दर्दनाक घटना की तरफ इस सूचना के माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । 3-4-92 को, एक मान्यवर, गांव है खारपत्थर, गेहूंपुर जनपद सोनभद्र में है, वहां आदिवासी लोग रहते हैं, उस गांव में एक वनरक्षक नरेन्द्र कुमार उपाध्याय, एक मलेरिया विभाग का कर्मचारी एस० के० पाण्डेय, इसी तरह से दो व्यक्ति और जिसमें एक पुलिस विभाग का है, एक व्यक्ति के घर गये । उसको मारा पीटा । विश्वनाथ को मारा, फिर उसके लड़के को पकड़ ले गये । फिर शाम को यह चार व्यक्ति पुनः पहुंचे, उसकी अविवाहित लड़की बुलका जिसकी उम्र 16 वर्ष थी उसको उठा ले गये । ले जाकर के बगल के नाले में उन चारों ने मिलकर श्रीमन् बलात्कार किया और उसको अचेतावस्था में छोड़ा इसकी रिपोर्ट रेणुकुट थाने में 4 तारीख को लिखित रूप में की गयी । लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की । पुनः भाग दौड़ करने पर 8 तारीख को पिपरी थाने के थानेदार वहां गये और वहां जांच पड़ताल की तब जाकर इस घटना की रिपोर्ट लिखी गयी और आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इससे श्रीमन् उस क्षेत्र के आदिवासियों में, जनजाति के लोगों में और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक असंतोष है अगर इसी तरह से घटनाएं होती रहेंगी तो यह जो गरीब लोग हैं, जिनकी इज्जत आबरू खतरे में पड़ गयी है और उनका जीवन दूभर हो गया है, यह गांव छोड़कर पलायन कर जायेंगे इसीलिये आपकी आज्ञा से इस लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहता हूं और चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये । यह बड़ी ही लोमहर्षक घटना है और इससे बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, इससे पुलिस की निष्क्रियता का पता चलता है । इसमें दो सरकारी कर्मचारी हैं अगर पुलिस ही इस प्रकार का कार्य करेगी, रक्षक ही भक्षक बन जायेगा तो किसी की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं रहेगी इसलिये मैं इसकी ग्राह्यता पर बल देता हूं ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, यह तीन तारीख की घटना है । सोनभद्र जिला ऐसा जिला है जहां आधे से ज्यादा इलाके पें आदिवासी रहते हैं और पिछड़े हुए लोग हैं । दूर-दूर तक उनकी बस्तियां हैं और जंगल विभाग की जगह-जगह चौकियां हैं । इस इलाके की घटना की सूचना भले ही पहली बार दी जा रही है । मगर ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं । तीन तारीख को यह घटना हुई । चार लोग एक लड़की को पकड़ कर ले गये । ये चारों आदमी सरकारी कर्मचारी थे, इसमें दो जंगल विभाग के एक पुलिस का दीवान तथा एक स्वास्थ्य विभाग का आदमी था । वे चारों सरकारी कर्मचारी शाम को वहां आये और बूढ़े दादा को मारा, उनसे मुर्गा मांगा जब मुर्गा नहीं मिला तो वह बूढ़े दादा को उठा ले गये और जंगल में पेड़ से बांध दिया उसके बाद फिर कहीं से बकरा उठाकर ले आये और उसे काटा, पकाया और खाया शराब पिया और फिर लौटकर उसी घर में पहुंच गये । वहां पर दो तीन बूढ़े और बुढ़िया थीं तथा उनकी एक लड़की थी । उस लड़की को उठाकर वे लोग ले गये और एक झाड़ी के पीछे जहां नाला था उसके साथ पशुवत् व्यवहार किया, उसके बाद बलात्कार किया । वह लड़की चीखी चिल्लायी तो कुछ लोगों ने दौड़ाया परन्तु उन्होंने कट्टे से फायर किया तो लोग वापस लौट गये । उसके एक घंटे बाद जब लोग फिर से वहां पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गये तो उन्होंने देखा कि लड़की बेहोश थी । लोगों ने इस घटना की रिपोर्ट रात को और सुबह जाकर लिखानी चाही, दर्जनों लोग गवाही में थे, मगर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक नहीं लिखी गयी । बाद में सी० ओ के पास गये तब उसने एक दरोगा को आदेश दिया कि मौके पर जाकर मुआयना करो । तब पांच दिन बाद दरोगा द्वारा 13, 14 लोगों का बयान लेने के बाद, रिपोर्ट लिखी गयी । रिपोर्ट लिखने के बाद भी एक भी कर्मचारी नहीं पकड़ा गया है । मान्यवर, यह बड़ा ही संगीन मामला है । यह सरकार बार-बार कहती है कि हम आदिवासियों की सुरक्षा करेंगे पिछड़े हुए लोगों की सुरक्षा करेंगे मगर यह उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं । पुलिस के लोग इस तरह से जघन्य अपराध कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है इसलिये मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि यह लोक महत्व का सवाल है और बहुत गम्भीर सवाल है, इसलिये सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिये और जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखी है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार–

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण घटना को कार्यस्थगन प्रस्ताव का माध्यम बनाया गया है, उस संबंध में जो जानकारी हमें मिलती है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं । मेरा समाधान उससे नहीं हुआ है, इसलिये हम फिर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं । माननीय ऊदल जी को व माननीय सदस्य को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मामले की पूरी जांच, पूरी मुस्तैदी के साथ होगी और जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष –

इस सूचना की ग्राह्यता के बारे में सुना गया और कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में अस्वीकार किया गया । अगली सूचना नवाब सिंह की है ।

(श्री नवाब सिंह उपस्थित नहीं थे)

श्री राम लखन वर्मा अपनी सूचना पर बोलें ।

श्री राम लखन वर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया । श्रीमन् फैजाबाद जनपद की टांडा तहसील में दहियावर एक गांव सभा है । आज से 4 महीने पहले इस गांव में बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गयी थी । कुछ आसामाजिक तत्वों ने मूर्ति को चोरी कर लिया, उसकी नामजद एफ० आई० आर० हुयी, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसका परिणाम यह हुआ कि 14-15 की रात में उनका सिर काट लिया गया, जबकि उसी 14 अप्रैल को पूरे देश में डा० साहब का जन्म दिन मनाया जा रहा था । श्रीमन् इस तरह की घटनायें आये दिन सुनने में और देखने में आती रहती हैं, लेकिन सरकार इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है श्रीमन् इसी के तहत फैजाबाद में ही गुगोरापुर गांव है, वहां थाना बसखारी की पुलिस एस० डी० एम० के आदेश पर मूर्ति को थाने उठा लाई, जबकि जिस स्थान पर मूर्ति लगी थी, वह भूमि दलितों की निजी जमीन है और न किसी का कोई इससे संबंध है और न शिकायत थी । उस मूर्ति को एस० डी० एम० के आदेश पर बसखारी के थाने में रखवा दिया गया । श्रीमन् एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के प्रति बड़ी हमदर्द है और आज कहीं सिर काट लिया जाता है, कहीं पैर और रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, यह अत्यन्त गंभीर विषय है । मैं आपके

माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा करा दें और जो दोषी लोग हैं, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे जनता के लोग हों, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जिस घटना की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है, उसे दिखवा लिया जायेगा ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी है, उस पर भी मुझे सुन लें । कल चौक स्थित नीबू पार्क के पास गरीब श्रमिकों की एक हजार झोपड़ियां अपनी दमनकारी नीति के तहत इस शासन के एक मंत्री के आदेश पर आग लगवाकर जलवा दी गयीं और आग भी ऐसे मौके पर लगाई गयी, जब घरों के सभी आदमी लोग नौकरी करने गये थे घर में औरतें व बच्चे थे । एक बच्ची रुक्मिणी मर गई है और 9 बच्चें घायल हैं तथा 50 के करीब लोग अस्पतालों में भर्ती हैं । मैं मौके पर गया था । वहां पर इस बात की आम चर्चा है कि तीन दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के घर पर, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, कुछ पूंजी-पतियों, बिल्डर्सों, नगर महापालिका के अधिकारियों, प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई । उस बैठक के तीन दिन के बाद वे सारे के सारे पूंजीपति व मंत्री जी के गुंडे वहां पहुंचे और आग लगा दी । दैवी प्रकोप से आग लग सकती है, वह अलग बात है । परन्तु आग वहां पर लगाई गई ताकि जो गरीब लोग हैं और उनकी जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनको हटाया जा सके । यह इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि इसमें एक मंत्री का हाथ है । यह एक दर्दनाक घटना है । उन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है । उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया । इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरकार का कोई भी मंत्री मौके पर नहीं पहुंचा । उन्हें कुछ आश्वासन देते, उन्हें मेडिकल एड देते और उन्हें कुछ सरकारी सहायता देते । हमारे कांग्रेस के कुछ लोग वहां गये और उन्हें खाने के लिये आटा, चावल आदि चीजें मुहैय्या करवाई । यह पूंजीपतियों की सरकार है । आज पूंजी पतियों के ऊपर इतनी लम्बी रकम बकाया है, उसे वसूल नहीं रही है । नजूल की लीज समाप्त हो गई है, परन्तु उनसे सरकार खाली नहीं करवा पा रही है । परन्तु गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है । इसलिये मान्यवर, इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवाने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि गंभीर मामलों को भी ऐसे हल्के ढंग से कभी-कभी लेने की चेष्टा की जाती है । उस लम्बे स्थान पर काफी समय से अनधिकृत कब्जा करके लोग रह रहे थे । उनको समझाया गया । उनको वैकल्पिक स्थान भी दिया जा रहा है कि वहां हम जमीन दे रहे हैं, इसलिये आप वहां चले जाइये । जब वे हमारे समझाने के बाद भी नहीं गये....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह मेरा आरोप है कि सरकार ने आग लगाई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उसके बाद जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं, हमारे सामने बैठे कई माननीय सदस्यों ने सभासद की जिम्मेदारियों को भी निभाया है, उनको वहां से हटाने के लिये नियमानुसार व

विधिवत विकास प्राधिकरण का स्टाफ वहां गया था । उनसे बातें हो ही रही थी कि इतने में आग लग गई । उसे बुझाने का प्रयास किया गया । मेरी जानकारी के हिसाब से ढाई सौ झोपड़ियां वहां पर हैं, 100 झोपड़ियों को बचा लिया गया । यदि श्री नरेश अग्रवाल जी की सूचना को सही मान लेते हैं जैसा उन्होंने कहा कि 1000 झोपड़ियां वहां उन्होंने देखी । वह उन एक हजार झोपड़ियों की लिस्ट हमको दे दें, हम उन्हें सहायता देंगे । हमारी ओर से प्रत्येक झोपड़ी में रहने वाले को 500 रुपये अहेतुक, 1000 रुपये गृह अनुदान दिया गया है और जिस बच्ची की मृत्यु हो गई है । 10,000 रुपये दिये गये हैं । यदि श्री नरेश अग्रवाल जी एक हजार की लिस्ट नहीं देंगे तो मैं यह समझने के लिये मजबूर हो जाऊंगा कि जानबूझकर उन्होंने सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है ।....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट कर दें कि उनसे वह जमीन खाली तो नहीं करवाई जा रही है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

लेकिन श्री नरेश अग्रवाल जी ने हमारे एक मंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगाये हैं, वे बिल्कुल अनर्गल, सत्य से परे और जानबूझकर राजनैतिक विद्वेषपूर्ण भावना से लगाये हैं ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी मेरा चैलेन्ज स्वीकार करें । तीन दिन पहले मीटिंग मंत्री के यहां हुई थी और उन्हीं के इशारे पर आग लगाई गई है । ..

इनके इशारे पर पुलिस प्रशासन की सहायता से आग लगा दी । मेरा चैलेंज है तीन दिन पहले इनके घर पर मीटिंग हुई थी (व्यवधान) शुक्ला जी भी आग लगाने वालों में थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस प्रकार उत्तेजनात्मक बातों से अगर इधर से कोई सदस्य बोलता है तो आप कहेंगे कि सत्ता पक्ष के लोग गड़बड़ी पैदा करते हैं । तो जानबूझकर इस तरह की बातें करेंगे तो कहां तक उचित होगा । अगर कोई बात रह गयी हो तो मैं उसका स्पस्टीकरण दूंगा । लेकिन जो बात मैंने कही है कि इनका आरोप बिल्कुल निराधार है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं सिद्ध करने के लिये तैयार हूं । मेरा चैलेंज स्वीकार करें इनके एक मंत्री के घर पर तीन दिन पहले मीटिंग हुई थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, माननीय मंत्री जी आप भी बैठ जायं । मैं इस सूचना को ग्राह्यता पर सुनने के बाद कार्यस्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री विक्रमाजीत मौर्य और श्री अंगद सिंह यादव की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह श्री स्वामीनाथ यादव की सूचना पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। अन्य निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें नियम-56 के अंतर्गत स्वीकार नहीं की गयीं, अतः अस्वीकार की गयीं—श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री अखिलेश सिंह, श्री राम लखन वर्मा, श्री विजयपाल सिंह तोमर उसी के साथ श्री जाहिद हुसैन, श्री इकबाल महमूद डा० बृजभान यादव, श्री स्वामीनाथ यादव, और श्री अब्दुल सलाम, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री भोला सिंह, श्री देवेन्द्र पाल सिंह तथा श्री राम ललित चौधरी यह सब सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

(मद संख्या 10 पुकारने पर)

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है उस पर सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री नवाब सिंह–

[x x x] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस पर नहीं सुनेंगे। (व्यवधान)

आप कृपया बैठ जायं मैंने अगली मद ले ली है।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

बिल्कुल नहीं सुनूंगा, आप कृपया बैठ जायं (व्यवधान) जो कुछ कह रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा। मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री नवाब सिंह–

[x x x] (व्यवधान) [x x x]।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय आजम खां और माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने कुछ दिन पहले इस मामले की ओर ध्यान आकृष्ट किया।

(व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा सचिवालय

श्री नवाब सिंह–

[xxx] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं।

श्री विजय सिंह राणा–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो कुछ सूचनाएं माननीय सदस्यों के द्वारा पेटी में डाली जाती हैं जो डाल दी गयी वह सूची में आ गयी उन पर आपने बुलवाया जिनको आप चाहें उनको बुलाने का अधिकार आपको है उनकी सूची भी सदन में प्रस्तुत कर दी गयी और मालूम हो गया कि इतनी सूचनायें मिलीं। उसमें जिन सदस्यों ने सूचना डाली उनके नाम आ गये कि इनके नाम ग्राह्यता पर हैं और इनके नाम अग्राह्यता पर हैं। हमारे नवाब सिंह जो स्वयं सूचना डाल कर आये हैं तो इतना जानना चाहते हैं कि उसके लिये वह क्या करें। उनकी सूचना न ग्राह्यता में है न अग्राह्यता में है।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस समय मैंने इसे लिया और नवाब सिंह जी का नाम पुकारा, उस समय नवाब सिंह जी यहां नहीं थे, इसलिये वह व्यपगत हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पिछले दो तीन दिनों से लगातार माननीय आजम खां और हृदय नारायण दीक्षित ने इस बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि रामपुर में और काशीपुर में उनकी पार्टी के कार्यकर्त्ता अपनी पार्टी का ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उसे नहीं लिया गया। हमने कहा था कि जो देना चाहेंगे, हमारे शासन के अधिकारी उसे स्वीकार करेंगे। इस संबंध में हमारे पास जो सूचना जानकारी में आई है उससे मैं सदन का अवगत कराना चाहता हूं। 18-12-92 को रामपुर में समाजवादी जनता पार्टी का एक प्रदर्शन हुआ था, यह लोग ज्ञापन देने गये थे। उस दिन शनिवार था, इसलिये जिलाधिकारी शासकीय कार्य से बाहर गये थे, प्रवास पर गए थे, किन्तु अन्य जिले के अधिकारी उपस्थित थे। इन लोगों ने नीचे के अधिकारियों को ज्ञापन देना उचित नहीं समझा और बिना दिए वापस चले आए। जिलाधिकारी जब अपना प्रवास पूरा करके कार्यालय में आये तो वह जा चुके थे। अब स्थिति यह है कि अब अगर वह लोग ज्ञापन देने जिलाधिकारी के पास जायेंगे तो वह अवश्य लेंगे।

इसी तरह काशीपुर का मामला है। यहां पहले यह घोषणा हुई थी कि प्रदर्शन नैनीताल में होगा, लेकिन बाद में यह प्रदर्शन काशीपुर में हुआ। यह लोग काशीपुर में एस० डी० एम० के कार्यालय पर गये, लेकिन ज्ञापन देने नहीं गये। 400 गज की दूरी पर धरना दिया, वह प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन वह ज्ञापन देने कार्यालय में नहीं आए। वह एस० डी० एम० के खिलाफ़ अशोभनीय और गन्दे नारे लगाते रहे। यह लोग बराबर यह कहते रहे कि ज्ञापन लेने एस० डी० एम० अधिकारी यहां आयें। किन्तु वह अपने आफिस में बैठे बराबर उनका इंतजार करते रहे लेकिन वह नहीं आये। वह लेने के लिये तैयार हैं।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपको याद होगा और हम सभी जानते हैं कि जब किसी दल के कार्यकताओं को कोई ज्ञापन देना होता है तो हमेशा अधिकारी उनके बीच में जाकर मौके पर उनसे उसे स्वीकार करते हैं लेकिन उसका जिद करना कि कार्यालय में आकर दे तो यह तो उसका अपमान है । हमेशा मैंने यह देखा है कि जिलाधिकारी हमेशा मौके पर पहुंचा है । अब नयी परम्परा पड़ने जा रही है । जिलाधिकारी तो दूर रहा एस० डी० एम० भी अब कहेगा कि यहां हमारे कार्यालय में आकर दो । यह बहुत ही चिन्ता की बात है और लोक तंत्र के लिये अशोभनीय बात है ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992

* पशुधन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ।

उत्तर प्रदेश राज्य में गाय और गोवंशीय पशुओं के वध का निषेध करने और उसको रोकने के लिये उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, दिसम्बर, 1955 अधिनियमित किया गया था जिसे बाद में विधान परिषद् द्वारा 31 दिसम्बर, 1955 को स्वीकृत किया गया था महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत सरकार की स्वीकृत के पश्चात् 6 जनवरी, 1955 से यह प्रदेश में लागू हुआ । समय-समय पर इसको अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता अनुभव हुई, फलतः वर्ष 1958, 61 एवं 1979 में अधिनियम में तथा इसके अन्तर्गत 1964 में बनी नियमावली में वर्ष 1979 में संशोधन किये गये परन्तु फिर भी अधिनियम व नियमावली में कुछ ऐसी कमियां बनी रहीं जिसके कारण उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम एवं इसकी नियमावली जन-भावनाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप प्रभावी ढंग से कार्य करने में असमर्थ रहे तथा गोवंशीय पशुओं का अवैध वध एवं प्रदेश के अन्दर से प्रदेश के बाहर अन्य स्थानों को अवैध रूप से गोवशंज का परिवहन किया जाता रहा ।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक में गोवध का आशय, इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है । इसके पहले सदन में प्रश्न भी किया था और बराबर कहता रहता हूं लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं की गयी । मान्यवर, नीलगाय को इन्होंने गाय मान लिया है जबकि वह हिरण की श्रेणी में आती है । जो जन्तु विज्ञान है उसके अनुसार नीलगाय हिरण की श्रेणी में आती है । मान्यवर, हमारे जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नीलगायों ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया है । हमारे यहां तो किसानों ने नीलगायों के कारण अरहर, अरंडी, भिंडी और अन्य सब्जियों की खेती करना ही बन्द कर दिया है जिससे हमारे जिले में बहुत नुकसान हो रहा है और यही स्थिति पूरे प्रदेश में है । मान्यवर, नीलगाय को समाप्त करने और उसको मारने के लिये किसान जाते हैं तो कहा जाता है कि लाइसेंस लें तभी उसे मार सकते हैं, इसलिये मेरी मांग है कि सरकार नीलगायों का शिकार करने वालों को लाइसेंस दे लेकिन यह काम भी यह ढोंगी सरकार नहीं करेगी और धर्म का पिटारा सर पर लिये घूमती है । किसान नीलगायों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को मारते हैं तो कहा जाता है कि मत मारो । इसलिये नीलगायों से किसानों की फसलों की सुरक्षा की जाये अन्यथा किसानों की क्षति पूर्ति सरकार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले । इसलिये मान्यवर, आपसे मांग है कि जब तक गोवध की परिभाषा स्पष्ट न कर दी जाये तब तक यह विधेयक पास न किया जाये ।

श्री किशोरी श्याम–

मा० उपाध्यक्ष महोदय, यह गाय केवल धार्मिक नहीं है । हमारे पूर्व पुरखाओं ने गाय को वैज्ञानिक दृष्टि से इतना उपयोगी पशु बताया है जितना दूसरा पशु नहीं हैं । आप देखें कि गाय का दूध मनुष्य के लिये बड़ा उपयोगी होता है....।

गायों से हमें दूध मिलता है जो सब रोगों को ठीक करता है । पीली गाय का दूध पीने से मनुष्य को ज्वर नहीं आता । काली गाय का दूध पीने से कफ नहीं आता । सफेद गाय का दूध पीने से मनुष्य को खांसी नहीं होगी । इसके अलावा गाय का पेशाब है वह जहां छिड़का जाय वहां के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

किशोरी श्याम जी, अब आप समाप्त करें ।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मुझे इसमें बोलने दें । गाय का जो गोबर होता है उसे भी पवित्र माना जाता है, उससे चौका बनाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह जो विधेयक आया है, इस विधेयक की उपयोगिता तब तक सार्थक नहीं होगी जब तक कि गायों के संरक्षण देने के लिये व्यवस्था न की जाय । जैसा कि अभी माननीय किशोरी श्याम जी ने कहा कि गाय से दूध प्राप्त होता है । मान्यवर, आज देखा जाय तो हमारे देश में और प्रदेश में गाय की संख्या और दूध के अनुपात का निर्धारण करें तो निश्चित रूप से यह एहसास होता है कि गाय अनुपयोगी साबित होती जा रही है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री लाल जी वर्मा–

अगर आप गायों की रक्षा करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि गायों की हिफाजत के लिये गौशाला का निर्माण किया जाय । गायों के और अधिक उन्नतशील प्रजातियों के लिये क्रास ब्रीड के आधार पर अच्छी नसलों की गायों का सुधार किया जाय । गौशाला का निर्माण कराया जाय । जो तमाम गायें बिना चरागाह के इधर-उधर भटकती रहती हैं उनके लिये अच्छी व्यवस्था की जाय । जब तक इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा । तब तक यह विधेयक लाना

सार्थक नहीं होगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि गायों के संरक्षण के लिये सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि अच्छी प्रजाति की गायों का विकास किया जाय, चरागाह की सबसे बड़ी समस्या है । गौशालाओं का निर्माण किया जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा अभी हमारे माननीय राणा जी ने कहा नीलगाय के बारे में । मान्यवर, आज नील गाय किसानों के लिये अभिशाप बन गई हैं । अभी किशोरी श्याम जी दूध की बात कर रहे थे । गाय है नहीं । शायद यह नील गाय का दूध पीते हों । आज नील गाय अभिशाप हैं किसानों के लिये । इन गायों को मरवाने, पकड़वाने या उनको पकड़ कर जंगल में भिजवाने की जब तक व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक प्रदेश में इससे क्षति होती रहेगी । । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक को पास कर देने से गायों की हिफाजत नहीं हो सकती है । इस लिये मै चाहता हूं कि ..

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, अब आप समाप्त करें । बहुत हो गया ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं यह अनियमित है । ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनता ।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि ये सरकार वाले गाय को माता और बैल का पिता मानते हों, सवाल इसका नहीं है । सवाल है यह गोवंश विधेयक जो यह लाये हैं । मान्यवर, आज नील गायों ने किसान की क्या हालत कर रखी है । यह आप देखें तो पता चलेगा । किसान की खड़ी फसल उस समय नष्ट हो जाती है जब झुण्ड के झुण्ड नील गाय खेतों में प्रवेश करते हैं । किसान खून के आंसू बहाता रह जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह बात तो आ गई है ।

[समय 4 बजकर 20 मिन्ट]

श्री पूरन प्रकाश–

मेरा निवेदन है कि इसको इनके संज्ञान में डाल देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर चर्चा की ज्यादा जरूरत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं इसको पारित कर दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें, जो माननीय सदस्यों ने भावनायें रखी हैं तो कहें ।

(व्यवधान)

(मंत्री जी के न खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं मद संख्या 10 ले रहा हूं।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, गाय भारतीय संस्कृति में पशु नहीं है इसे हमने गोमाता कहा है। यह आर्थिक पशु नहीं है यह राष्ट्रीय परिभाषा से जुड़ा है। यह राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा है यह हमारी धार्मिक मान्यता ही नहीं अपितु राष्ट्रीय मान्यता है इसके लिये जो अब तक अधिनियम बना था उसमें अनेक कमियां थीं। जिसके कारण गो-वध का निवारण नहीं हो सका। आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है गोवध हो रहे हैं। तो इस गोवध को रोकने हेतु आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में क्रांतिकारी विधेयक पेश किया गया है आज का दिन ऐतिहासिक है जो यह युगान्तकारी संशोधन पेश किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में गाय का वध किसी भी रूप में वर्जित माना जायेगा।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

एक जानकारी माननीय राणा जी को गाय की परिभाषा बताना चाहूंगा। गाय की परिभाषा में गाय, बछिया, बछड़ा, बैल, और सांड सम्मिलत कर दिये गये हैं। नील गाय, गाय की परिभाषा में नहीं है।

आज जो अधिनियम ला रहे हैं यह गाय, बछिया, बैल और सांड़ के ऊपर है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अब तक व्यवस्था थी कि गाय में बछिया सम्मिलित थी बैल और सांड के बारे में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र लेकर वध किया जाता था मैं पढ़ना चाहता हूं कोई सांड़ या बैल का वध सक्षम प्राधिकारी के लिखित प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जा सकता है वह पहले था लेकिन मान्यवर, अब गोमांस की परिभाषा में, वर्तमान उपबन्ध के अनुसार गो मांस का तात्पर्य गाय तथा ऐसे सांड़ अथवा बैल के मांस से है किन्तु इसके अधीन ऐसा गोमांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हो और उसी दशा में आयात किया गया हो। इसे संशोधन करके यह व्यवस्था की जा रही है कि मूल अधिनियम की धारा-3 को डिलीट कर दिया जाय।

मान्यवर, जो नयी धारा 3 प्रस्तावित की है यह है "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उ० प्र० में किसी स्थान पर किसी गाय का न तो वध करेगा और न वध करायेगा, न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा और न वध के लिये प्रस्तुत करायेगा।"

एक सदस्य–

गोवंश में किसको रखा है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

गाय, बछिया, बछड़ा, बैल, सांड़ इसमें आते हैं। मान्यवर, अभी तक यह व्यवस्था थी कि कतिपय शर्तो के अधीन वध की व्यवस्था थी। अगर कोई गाय रोगी हो, अनइकोनामिक समझ ली जाय, संक्रामक रोगों से ग्रसित हो या दवा के लिये उसकी आवश्यकता हो तो कतिपय शर्तो के अधीन वध किया जा सकता है। लेकिन अब धारा 3 के अंतर्गत किसी रूप में गाय का वध नहीं किया जा सकता है। गाय को हमने मां का सम्मान दिया है। अगर किसी की मां बीमार हो जाय तो ऐसा कुपूत हो सकता है कि मां की सेवा न करे लेकिन कोई स्लो प्वाजनिंग द्वारा मां को निष्प्राण कर दे ऐसा कोई नहीं हो सकता। जब हमने गाय को मां के रूप में माना है तो किसी रूप में उसके वध को वर्जित कर दिया है। हमने गोमांस को बेचने को प्रतिषिद्ध कर दिया है। हमने गोमांस के विक्रय के संबंध में व्यवस्था की है- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति किसी रूप में गोमांस या तज्जन्य पदार्थ का न तो विक्रय करेगा, न परिवहन करेगा न विक्रय या परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा, न विक्रय या परिवहन करवायेगा। इस प्रकार की नयी व्यवस्था की जा रही है। जैसा की अभी माननीय लालजी वर्मा ने कहा वह बात अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गोवध पर आपने प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन क्या केवल प्रतिबंध लगाने से ही गोवंश की वृद्धि हो जायगी, यह बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने उठाया है।

मैं बताना चाहता हूं कि इसके बारे मे भी हमने व्यवस्था कर दी है। जो गाय अलाभकर हो जाय, हालांकि मेरा मत है और वैज्ञानिकों का भी कहना है, अर्थशास्त्रियों का भी कहना है कि गाय कितनी ही क्यों न बूढ़ी हो जाय गाय कभी अनइकोनामिकल नहीं हो सकती। जितना वह खायेगी उतना गोबर आदि चीजें देगी, गाय कभी अनइकोनामिकल नहीं होती। लेकिन यदि कोई गाय को नहीं रख पा रहा है तो गौशाला में रख सकता है। सरकार गौशाला खोलेगी, इसके लिये हम नियम बनायेंगे। हमें यह भी चिंता है, कोई नियम बना दिया जाय और उसका पालन न किया जाय तो वह नियम बेकार होगा। इसीलिये नियमों में संशोधन किया गया है और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से व्यवस्था इसमें की जा रही है। अभी तक 1000 रुपया जुर्माना और 2 वर्ष की सजा का प्राविधान था। यदि वह धारा 3 तथा 5 का उल्लंघन करता था। धारा-4 (2) का या धारा 5 (1) का उल्लंघन करने पर अब तक एक वर्ष की सजा और 200 रुपये जुर्माने का प्राविधान था। लेकिन मान्यवर, अब हमने गोवध को संज्ञेय अपराध, कागनिजिबिल आफेंस घोषित कर दिया है। यदि कोई धारा 3 का उल्लंघन करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से जो धारा 5 या 5 (क) का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा या 5 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। यदि कोई ऐसा अपराध करने का प्रयास करता है तो अपराध का प्रयास करने पर नियत दंड के आधे दंड का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, हमने गौशालाओं के संबंध में व्यवस्था की है।

हमने 20.30 लाख रुपये, जो अभी गौशालाएं चल रही हैं, उनकी जर्जर स्थिति को देखते हुए, अनुदान स्वीकृत किया है। श्री पंचायती गौशाला, वृन्दावन, मथुरा, श्रीमद बल्लभ गोशाला गोकुल, मथुरा, श्री हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट समिति गोशाला, मथुरा, श्री काशीजीव दया विस्तारिणी गोशाला, वाराणसी, श्री पिंजराबोल गोशाला पडरौना, देवरिया, दी मुजफ्फरनगर नई मंडी गोशाला, मुजफ्फरनगर, श्री गोपाल गोशाला, बागपत गेट, मेरठ, श्री पांगागणपति गोशाला, बृजघाट, गाजियाबाद, श्री पंचायती गोशाला, हापुड़ गाजियाबाद, श्री सीतापुर पिंजरापोल सोसाइटी गोशाला, सीतापुर, इन लोगों को हमने 20.30 लाख रुपया दिया है।

इसके अलावा राज्य सरकार की गोशाला सुधार योजना में 50 लाख रुपये का प्राविधान है । पुरानी गोशालाओं के लिये 30 लाख रुपये का प्राविधान किया है । साथ ही इस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिये प्रदेश के 4 संवेदनशील क्षेत्रों के लिये पर्यवेक्षक सेलों के गठन हेतु 15 लाख रुपये तथा वाहन के क्रय हेतु 12 लाख रुपये की व्यवस्था की जायेगी । आप यह जानकर संतुष्ट होंगे, बुन्देलखण्ड के सहयोगी विधायक विराजमान हैं, वहां, गरीबी के कारण या चारे के कारण या किसी कारण से रबी की फसल के बाद पशु छट्टा छोड़ दिये जाते हैं । उनके बारे में व्यवस्था की गयी है कि गोपाल क्षेत्र विकास योजना बनाकर इसके लिये एक करोड़ रुपये की गोपाल विकास योजना प्रस्तावित की गयी है जिससे इसे बुन्देलखण्ड के 5 जिलों में प्रथम चरण में लेंगे । यह भी व्यवस्था की गयी है कि गायें छुट्टा न घूमने पाएं । जो लोग घरों में नहीं रख सकते, उनको गोशालाओं में रखें । यह मैंने विधेयक के बारे में संक्षेप में जानकारी दी । इसमें किसी पार्टी या मजहब की बात नहीं है । इतिहास बताता है कि अनेक हिन्दू राज्यों में और तमाम मुसलमान राज्यों में गोवध प्रतिबंधित रहा है । हम कहना चाहते हैं कि इस ऐतिहासिक निर्णय को सर्वसम्मति से स्वीकार कर ऐसी मिसाल बनावें कि पूरे प्रदेश में जो गोवंश के वध का कलंक लगा है, वह समाप्त हो जिससे कि वह हमारी अस्मिता का चिह्न बन जाये । एक काम और किया है कि निकासी कैसे हो । उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हमें पता है कि अनेक प्रदेशों में बड़े-बड़े बूचड़खाने हैं जहां पर यहां से गायें ले जायी जाती हैं । पुलिस के लोग पकड़ कर उनको छोड़ देते हैं कि उनको खिलाएं कहां से । अब उनको पकड़ कर गोशालाओं में ले जाया जायगा । वहां राज्य सरकार अलग से खर्च देगी । हम यह भी जानते हैं कि गायें बाहर जाती हैं । व्यापार के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिये ले जाया जाता है । उनको किसी भी काम के लिये ले जायं, लेकिन वध के लिये ले जाने को प्रतिबंधित किया गया है और इसमें अपराधी केवल ले जाने वाला ही नहीं है, उसकी सहायता करने वाला और प्रेरित करने वाला भी है ।

श्री विजय सिंह राणा–

इससे पुलिस को अधिकार मिल जायगा कि किसी भी गाय को ले जाते किसान को पुलिस पकड़ लेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसी तरह से संक्षेप में मैंने बात की । मैं अपील करना चाहता हूं कि सब मिल कर सर्वसम्मति से इस पवित्र ऐतिहासिक संशोधन को स्वीकार कर इसे ऐतिहासिक बनावें । इसके साथ ही जो राज्य मंत्री ने संशोधन रखा है, उस पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा एक निवेदन सुन लें । अभी माननीय राज्य मंत्री पारित किये जाने का प्रस्ताव रखेंगे । उस समय जो स्पष्टीकरण चाहेंगे, पूछ लीजियेगा । अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 11, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1955 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (क), (ख), (ग) और (गग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(क) "गोमांस" का तात्पर्य गाय के मांस से है,

(ख) "गाय" में सांड़, बैल, बछिया और बछड़ा सम्मिलित हैं,

(ग) "गोशाला" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत गोशाला से है,

(गग) "संस्था" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन स्थापित संस्था है।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"3-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी प्रथा या रूढ़ि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर किसी गाय का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा, न उसे वध के लिये प्रस्तुत करेगा और न वध के लिये प्रस्तुत करवायेगा।"

गोवध का प्रतिषेध

धारा 4 का निकाला जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 4 निकाल दी जायेगी।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"5–तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई व्यक्ति किसी भी रूप में गोमांस या तज्जन्य पदार्थ का न तो विक्रय करेगा, न परिवहन करेगा न विक्रय या परिवहन के लिये प्रस्तुत करेगा, न विक्रय या परिवहन करवायेगा।"

6–मूल अधिनियम की धारा 5-क में–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर वध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है," निकाल दिये जायेंगे, गोमांस बेचने का प्रतिषेध धारा 5-क का संशोधन

(ख) उप धारा (2) और (3) में, शब्द "सांड़ या बैल", जहां कहीं भी आये हों, निकाल दिये जायेंगे। धारा 6 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 6 में, शब्द "स्थानीय प्राधिकारी (लोकल अथारिटी)" के पश्चात् शब्द "या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिष्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा राज्य सरकार की पूर्वानुमति से ऐसे निबन्धकों और शर्तों पर जैसे विहित किये जायें" बढ़ा दिये जायेंगे।

8–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्– धारा 7 का प्रतिस्थापन

अलाभकारी गायों का रख-रखाव

"7-(1) कोई व्यक्ति अपनी अलाभकर गाय को किसी गोशाला या संस्था को अभ्यर्पित कर सकता है जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार ऐसी अलाभकर गाय को स्वीकार करेगी। इस प्रकार से अभ्यर्पित कोई अलाभकर गाय किसी व्यक्ति को वापस नहीं की जायेगी।

(2) राज्य सरकार ऐसी अलाभकर गायों की देखभाल के लिये ऐसी अन्य वैकल्पिक और अतिरिक्त व्यवस्था कर सकती है, जैसी कि वह आवश्यक समझे।

(3) कोई गोशाला या कोई संस्था किसी गाय को पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति से अस्थायी अभिरक्षा के लिये स्वीकार कर सकती है जो उसके स्वामी को ऐसी रीति से और ऐसे प्रभार का भुगतान करने पर जैसा विहित किया जाय, वापस की जा सकती है।"

9–मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्– धारा 8 का प्रतिस्थापन

"8–(1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करता है कठोर कारावास का जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, या अर्थदण्ड का जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

शास्ति

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 5 या धारा 5-क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित, करता है, कठोर कारावास का जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है या अर्थ दण्ड का जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करता है, कारावास का, जिसकी अवधि उस अपराध के लिये उपबन्धित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकती है, या ऐसे अर्थ दंड का जो उस अपराध के लिये उपबन्धित है, या दोनों का दण्ड दिया जायेगा ।''

धारा 9 का प्रतिस्थापन

10–मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेंगी, अर्थात्–

''9-दण्ड प्रक्रिया, संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ।''

अपराध संज्ञेय व अजमानतीय होंगे धारा 10 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में :–

(क) खण्ड (क), (कक), (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

''(घ) अलाभकर गायों का अभ्यर्पण और उनके स्वीकार करने की प्रक्रिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 11 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र शेखर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण जानना चाहें तो पूछ सकते हैं ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, जो व्यवस्था इस विधेयक के द्वारा सदन में प्रस्तुत की गयी है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यह प्रस्ताव प्रैक्टिकेबुल नहीं है । सर्व प्रथम अनुपयोगी गोवंश का रखने की व्यवस्था सरकारी तौर पर होनी चाहिये थी, ताकि लोग अपने अनुपयोगी पशुओं को उसमें रख सकते । माननीय गुप्ता जी ने बड़ी बुलंदी से इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किये, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि अनुपयोगी गोवंश को जिसे गरीब किसान अपने पास नहीं रख सकते, वैसे तो माननीय भा० ज० पा० के माननीय सदस्य भी अनुपयोगी गोवंश को अपने पास आज भी नहीं रखते और भविष्य में भी नहीं रखेंगे । इसलिये जब तक इन अनुपयोगी गोवंश को तहसील वाइज रखने की सरकारी व्यवस्था न हो, तब तक यह विधेयक बेकार है । इसलिये इसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिये कि प्रत्येक तहसील पर बड़े पैमाने पर अनुपयोगी गोवंश के पशुओं को सरकारी तौर पर रखने की व्यवस्था हो ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपको मैंने केवल स्पष्टीकरण के लिये अनुमति दिया था।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, उत्तर तो दिलवा दें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जो मैंने स्पष्टीकरण चाहा है, उसका उत्तर मुझे नहीं मिला।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया था, और पृष्ठ 2 पर धारा 7 का रिप्लेसमेंट देखें–कोई व्यक्ति अपनी अलाभकर गाय को किसी गोशाला या संस्था को अभ्यर्पित कर सकता है जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार ऐसी अलाभकर गाय को स्वीकार करेगी। इस प्रकार से अभ्यर्पित कोई अलाभकर गाय किसी व्यक्ति को वापस नहीं की जायेगी। इसको आप देखें, इसमें पूरी व्यवस्था की गयी है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा एक ही जगह पर विरोध है, हम लोग रोज देखते हैं कि कहीं-कहीं पर नील गायों के टोल के टोल घूमते हैं और वह किसानों की फसल को नष्ट करते हैं।

(व्यवधान)

सुन तो लें। चूड़ियों के शहर में रहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, सुन लें। मेरा निवेदन है कि इसमें 2–3 चीजों की व्यवस्था नहीं की गयी है। जब मान्यवर नील गायें घूमती हैं और खेतों को नष्ट करती हैं वही स्थिति वहां पर होती है जहां पर लोगों ने गाय को रख छोड़ा है और भूसाघास न होने के कारण उसको छोड़ देते हैं और इस प्रकार से वह गायें जंगली बन गयी हैं, वन-गायें बन गयी हैं और वह टोल के टोल घूमती रहती हैं और किसानों की फसल को नष्ट करती हैं, उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शहर के आस पास जो गांव की बस्तियां हैं, वहां पर यह देखा गया है कि शहर के जो घोसी हैं.....

श्री उपाध्यक्ष–

राणा जी आपकी बात आ गयी है, अब आप समाप्त करें ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी एक बात रह गयी । मैं कहना चाहता हूं कि जो गांव शहरों के करीब हैं, वहां पर रहने वाले किसानों की बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो शहर के घोसी हैं, वह अपनी गायों को शाम को दुह लेते हैं और रात में छोड़ देते हैं और वह किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाती हैं और जब सुबह होती है, तो घोसी उन गायों को पकड़ लाते हैं और फिर दूध दूह लेते हैं । अगर गांव के लोग उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो उल्टे उन्हीं को पकड़ा जायेगा । आप उनकी सुरक्षा करने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय राणा जी ने दो बातें कही हैं । जहां तक गायों के छोड़ देने का प्रश्न है, तो शासन की नीति उनके बारे में स्पष्ट है और शासन इसकी व्यवस्था करने जा रहे है । अभी बुन्देलखण्ड को लिया है और धीरे-धीरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जायेगा । गायें गरीबी के कारण छोड़ दी जाती हैं । दूसरी बात माननीय राणा जी ने यह कही की शहर में रहने वाले जो घोसी होते हैं उनकी गायें गांवों में चली जाती हैं और फसलों को नष्ट करती हैं । जो विधायक छोटे शहरों से आते हैं, चाहें तो सीतापुर को ले लें, वह इस बात को जानते हैं कि यह उत्पात होता है, यह समस्या है और ला एण्ड आर्डर की प्राव्लम है। जो लोग गाय पालते हैं, वह उनको अपने घरों पर रखें, इसका यह निदान नहीं है कि गोवंश के वध को जारी रखा जाये । गोवध पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज पर शंका व्यक्त कर रहा हूं गोवध बन्द हो इसका हम विरोध नहीं करते हैं । गाय-गाय की बात तो सब बहुत करते हैं लेकिन गाय तो हमने पाली हुई है और गोबर कोई नहीं उठाता होगा, गोबर हम उठाते हैं तो केवल भाषण से गोवध बन्द कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय, हम लोगों के घर बिहार सीमा पर स्थित हैं हम लोगों की रिश्तेदारियां भी हैं कभी-कभी वे लोग बैल इधर से ले जाते हैं या उधर से लाते हैं, गाय, भैंस, बछिया भी जाती हैं तो ऐसा संदेह है कि जो सीमाओं पर पुलिस है वह उसे रोकेगी, मान्यवर अगर बैल जा रहा है तो उसे हमारा रिश्तेदार ले जा रहा है वह खेती के लिए ले जा रहा है तो उसको रोक लिया जाय तो मामला फंस जायेगा तो इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय यादव जी की मैं पूरी बात तो समझ नहीं पाया जितना समझ पाया हूं उसके अनुसार आप संदेह न करें, लेकिन परिवहन पर हमने बाहर ले जाने पर परमिट सिस्टम जारी रखा है जो आवश्यकता को दर्शायेंगे । लेकिन आप समझ लें कि इस कानून की कमी को ध्यान में रखकर इस व्यवस्था का संदर्भ नहीं लेने दिया जायेगा । जैसे रामपुर के जिला मैजिस्ट्रेट ने हजारों गायों के परमिट एक साथ दे दिये तो क्यों दे दिये । एक दो की अनुमति देने में कोई बाधा किसी स्तर से नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को पुकार लिया है आप कृपया बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैं 5-6 बार अनुमति मांग चुका हूं ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,66,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,70,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,32,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,16,000रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35– चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,88,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,74,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग अपने में कितना महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत विस्तृत विभाग है और इसमें तीन पैथियां हैं–एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी । जन्म से लेकर मृत्यु तक सब तरह यह विभाग हमसे जुड़ा हुआ है । दूसरे विभागों के बारे में कुछ इधर-उधर हो सकता है, लेकिन यह विभाग जीवन के लिए प्राण वायु जैसा विभाग है । इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता । फिर भी जिस रूप में सत्ता में आने के बाद जैसा कि मुख्य मंत्री जी कहते हैं जैसी व्यवस्था मिली उसको चुस्त दुरस्त और ठीक करने के लिए हम समझते हैं कि सबकी चिन्ता एक है । इसमें कोई मतभेद नहीं है । इसकी उपयोगिता को देखते हुए मैं यही चाहूंगा कि जो बातें हैं हमारी नीयत क्या है, खामियां क्या हैं यह चीजें रखना चाहता हूं । सबकी एक ही राय है कि जितना अच्छा जनता के लिए कर सकें और आपके जो बहुमूल्य सुझाव होगें उसकी भी अपेक्षा करुंगा लेकिन यह न कहें कि 91-92 में यह 90-91 में एक पैसे की दवाई नहीं खरीदी गयी, ऐसे सुझाव नहीं होने चाहिए । मान्यवर, यह तीन विभाग हैं इस तरह से मनुष्य इसमें कल्पना करता है ।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः

"सर्वे सन्तु निरामया"

जीवन का महत्व स्वास्थ्य से है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मननीय सदस्य शांति बनायें रखें ।

डा० अमर सिंह–

सब चाहते हैं कि निरोग होना चाहिये जीवेम् शतं शरदं । सब चाहते हैं कि हम सौ साल जियें, स्वस्थ्य जियें । यह सारी कल्पना इसलिये की गयी कि मानव सब तरह से सुखी रहना चाहिये, सुख से सुख उपजता है, हम सुखी हैं सुख की कल्पना है तो हम दूसरों को सुख दे सकते हैं । जब इस विभाग के बारे में दायित्व मिला तो लगा कि बहुत कुछ करना है । कुछ उपेक्षायें थीं उत्तरांचल के बारे में । वहां के लिये खासतौर से चिकित्सा के लिये डाक्टरों की नियुक्ति की गयी, हमेशा वहां से यह शिकायत आती रही कि लोग भेजे गये, सिफारिश दबाव जो भी तरीके अख्तियार किये गये पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टर लोग

नहीं गये । इसका समाधान निकाला । इसमें एक तरह से लक्ष्मण रेखा बनायी, ऐसा निर्णय लिया कि जिन लागों को भेजा गया, फिर उस पर कोई विचार ही नहीं किया । इस तरह से लोगों को वहां भेजा गया ।

जो अंशकालिक चिकित्सक थे, कमी के कारण वहां भेजे गये । 5-6 साल से वे परेशान थे उनको पिछली सरकारों ने कोई राहत नहीं दी, उसमें निर्णय नहीं लिया, हमने 591 इस तरह के लोगों के लिये निर्णय लिया, तदर्थ नियुक्ति दी । जो कुछ दूसरी दिक्कतें विधिक हैं उनसे भी निपटने की बात हो रही है । तृतीय चिकित्सा अधिकारी का मसला था, भारत सरकार ने समाप्त कर दिया ऐसे 800 लोग थे, यह समस्या है । आज न्यायालय में होने के कारण उसको सुलझाने में जरूर दिक्कत आ रही है । वो लोग थे आश्वासन दिया है कि न्यायालय से अपने मुद्दे को वापस ले रहे हैं, शीघ्र ही इस पर निर्णय हो सकेगा । अंशकालिक मैदानी जितनी महिला चिकित्सक हैं इनके सवाल पर निर्णय लेने की बात है । दूसरी चीज थी तीन तरह से बीमारियों के लिये चिकित्सा और उसकी रोकथाम और हमेशा के लिये बीमारियां न हो, इस तरह से सभी तरह से कार्यक्रम लिये जा रहे है । अभी उत्तरकाशी में जो भीषण भूकम्प आया उसमें मैं समझता हूं कि राणा जी अपने विपक्ष के धर्म को निभाते हुए क्या कहेंगे वे जानें लेकिन सब तरफ उत्तरकाशी में जो व्यवस्थायें हुई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसकी भूरि भूरि प्रशंसा हर निष्पक्ष व्यक्ति ने की, आपके द्वारा भी सराहा जायेगा । जो कुंभ मेला है उसमें व्यवस्था रही, वहां मच्छर मकड़ी की समस्या थी, उन सब चीजों पर जो निर्णय लिया गया उसको करके भी दिखाया वहां जो पत्रकार बंधु गये, आप में से भी बहुत को वहां जाने का अवसर मिला होगा, स्वास्थ्य विभाग का वहां प्रशसंनीय कार्य रहा । इस विभाग के लोगों पर जो दायित्व था अपने काम के लिये वे सब प्रशंसा के पात्र हैं । जो अभी भी रिक्तियां हैं वे करीब दो हजार से ऊपर रिक्तियां हैं उनको पूरा करने के लिये बहुत जल्दी ही हम कदम उठा रहे हैं । जो दूसरी शिकायत है, उस तरफ की, जो चुस्त दुरुस्त शब्द से हंसने वाले हैं, अपने अंदर झांककर देखें, आपको भी लगता है, तो जो शिकायतें आती हैं चाहे किसी भी स्तर की हों तो उसके लिए गम्भीरता से प्रान्त स्तर से लेकर जिला स्तर तक सी० एम० ओ० तथा डिप्टी सी० एम० ओ० दौरा करेंगे और जहां–जहां भी लोग अनुपस्थित पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । सफाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था यह चिन्ता के साथ हम ले रहे हैं । फर्जी नियुक्तियां और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं तो उन पर भी कार्यवाही की जा रही है । देवरिया में 177 फर्जी नियुक्तयां हुई, जो उसमें दोषी पाये गये उनको गिरफ्तार किया गया ।

इलाहाबाद में गबन के मामले में दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया । तीसरी जो अहम बात है कि औषधि नहीं खरीदी गयीं है, उसके बारे में यही कहूंगा कि औषधियों के क्रय की व्यवस्था हम बदल रहे हैं । ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं बढ़ाया जा सकता है, पैसा बढ़ाया जा सकता है और जरूरी होगा तो बढ़ायेगें क्योंकि स्वास्थ विभाग एक ऐसा विभाग है जिसे पैसे से बांधा नहीं जा सकता है इसलिए इसमें लचीला रुख अपनाया गया है । अब तक 60 और 40 का अनुपात था, पर अब जिला स्तर पर जो अधिकारी क्रय करेगा उसको 80 प्रतिशत और जो केन्द्रीय औषधि भण्डार है वहां 20 प्रतिशत खरीदी जायेंगी । इसके कारण जो शिकायत आती है वह नहीं आयेगी और दूसरा यह कि जो दवाइयां कीमती हैं वह नहीं खरीदी जायेगी सिर्फ जीवन रक्षक दवाइयां, अगर मानसिक बीमार है तो उस तरह की, अगर बच्चा है तो उस तरह की, अगर महिला है तो उस तरह की दवाइयां खरीदी जायेंगी और जो चिकित्सालय जिस स्तर का है उसी स्तर के हिसाब से दवाईयां रहेंगी । अब तक यह होता था कि एलोपैथी में आयुर्वेदिक दवाईयां शामिल की जाती हैं अब वह नहीं खरीदी जायेंगी । आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दो पैथियां हैं। आयुर्वेद में कुछ नये चिकित्सालय खुल रहे हैं, होम्योपैथी में भी खुल रहे हैं ।

आयुर्वेद में 100 चिकित्सालय खुले हैं और होम्योपैथ मे 40, 50 हैं उनका स्तर उठाने की बात है । सारी व्यवस्था जिनकी है अगर उनको हम लोगों को काम करने की जिम्मेदारी का एहसास हो तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ परेशानी आपकी और हमारी दूर होगी और जो शिकायतें आती हैं वह फिर नहीं आयेगी । यह कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता चाहूंगा । जो हम करना चाहते है, उसमें कुछ चीजें है, जैसा 1300 नये उपकेन्द्र, 165 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 37 सामुदायिक केन्द्र खोलने की बात है ।

इसके अतिरिक्त बिजनौर में 70 और पीलीभीत में 90 शैय्यायें और बढ़ाई जा रही हैं, इसके अलावा बड़े अस्पतालों में नई सुविधायें प्रारम्भ करने जा रहे हैं । बच्चों के लिये टीके सुविधायें बढ़ाई गयीं हैं, जिससे उनकी मृत्यु दर कम हुयी है और जो मृत्यु का अनुपात है, वह काफी नीचे आ गया है । इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण सब व्यर्थ साबित हो रहा है, वह है जनसंख्या नियंत्रण की बात । जनसंख्या के फ्लड को रोकने के लिये इसको हम जन आन्दोलन के रूप में लेना चाहते हैं और जो अभी तक नसबन्दी के बारे में फर्जी आंकड़े बाजी होती थी, उसको अब वास्तविक रूप दिया गया है, जो नई उम्र के लोग हैं, वह इसको स्वीकार कर रहे हैं तथा जनसंख्या के बढ़ते खतरे जो हैं, उसको निगाह में रखते हुये कई कार्यक्रम लिये जा रहे हैं । इसी के सम्बन्ध में केन्द्र से एक 10 वर्षीय योजना है, जिस पर 512 करोड़ का खर्चा होना है । यह सब चीजें बताकर मैं एक अपील के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो भी सुझाव आयेंगे, उसके लिये मैं आपको निमंत्रित करता हूं और यह कहकर कि

न शोहरत भली है न सीरत भली है,

भले हैं वो जिनकी नियत भली है ।

हम सब मरीजों को सुखी देखना चाहते हैं, दुखियों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसलिये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और सामूहिकता की भावना से हम भाग भी नहीं सकते । मैं तो बस यही कहूंगा

"न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना,

यही वर दे मुझे माता, रहूं दुखियों का दीवाना"।

इसलिये हम सब इसको पूरी जिम्मेदारी से लें और अच्छे-अच्छे सुझाव दें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, कृपया कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण अनुदानों की मांगों पर माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं आयेंगे और यहां पर अनुदान प्रस्तावों को रखेंगे । लेकिन उन्होंने माननीय राज्य मंत्री जी को इस काम के लिए नियोजित किया है । वह बहुत ही भले आदमी हैं और सहयोगी अधिकारियों ने जो कुछ उन्हें बनाकर दे दिया, उसको उन्होंने पूरी सदाशयता के साथ पढ़ दिया । डा० जौहरी इस सदाशयता को देखते ही चकित रह गये । श्रीमन्, अगर शरीर स्वस्थ्य रहे तो मन स्वस्थ रहता है, अगर मन स्वस्थ रहता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है और तब फिर आगे के द्वार खुलते हैं । जब से यह सरकार आई है तब से इनको न तो शरीर के संरक्षण से मतलब है और न मन से और बुद्धि से तो इनको कोई मतलब है ही नहीं । रामराज्य का नाम यह सरकार लेती है, इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई कहता हूं "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा ।" जब से यह सरकार आई है, दैहिक, दैविक और भौतिक–तीनों ताप प्रदेश में विद्यमान हैं । हमारे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मैं आगे की भी चौपाई कहूं ! इसलिए मैं आगे की चौपाई भी कह रहा हूं "जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप होई नरक अधिकारी ।" मान्यवर, सभी जानते हैं कि जिनेवा में एक सम्मेलन हुआ था । उसमें सन् दो हजार तक सबके लिए स्वास्थ्य सेवा देने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तय हुई थी । उसी नीति का हवाला, जो हमें ये प्रपत्र दिये गये हैं, उसमें है । परन्तु माननीय मंत्री जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा । नीति के साथ उनकी नियति क्या है, इसका भी स्पष्ट दिग्दर्शन होता है । मैंने उन सभी कागजों को बड़े ध्यान से पढ़ा । और उसमें कहीं कोई संकल्प नहीं है और जो सबके लिये स्वास्थ्य 2000 तक का लक्ष्य है वह कैसे कर लेंगे । इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्री जी के भाषण में नहीं कोई ऐसा सपना देखा गया है ।

मैं कहना चाहता हूं जो हमारे पूरे प्रदेश के चिकित्सक हैं, मैं गांव से आता हूं तो इसमें यह सुझाव जोड़ दिया जाय कि चिकित्सकों की गैरहाजिरी और भ्रष्टाचार तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी । इसका कारण क्या है कारण है सरकार की पकड़ उन पर ढीली है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि चिकित्सकों का रोल केवल पर्चा लिख देना और इशारा कर देना कि फलां फारमेसिस्ट के यहां से ले लीजिये या फलां दुकान से ले लीजिये नहीं है। चिकित्सक के पास जो भी पहुंचता है वह सामान्य नहीं होता है चाहे इलाज कराने वाला हो चाहे उसके परिवार वाला हो, जो भी जाता है वह सामान्य नहीं होता है परिवार वाला सामान्य इसलिये नहीं होता कि वह दुखी होता है और रोगी इसलिये सामान्य नहीं होता कि वह बीमार होता है । तो उनके साथ चिकित्सकों का व्यवहार ठीक नहीं है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का व्यवहार

बढ़िया है उनकी हम प्रशंसा करते हैं तो आप डाक्टरों को भी अपना जैसा व्यवहार करने के लिए बतायें । मैं एक लाइन पढ़ दूं अंग्रेजी में है फिर अनुवाद कर दूंगा यह श्री राज्यपाल के भाषण का अंश है "दि गवर्नर बी० सत्यनारायण रेड्डी स्ट्रेसेज दैट ए डाक्टर्स रोल वाज नाट लिमिटेड टू प्रेस्क्राइबिंग मेडिसिन फार हिज पेसेन्ट्स बट दैट ही सुड स्ट्राइक टु इनकरेज दि पेसेंट टु बी आप्टिमिसटिक एण्ड डैवलप हिज विल पावर टु ओवर कम हिज प्राबलम्बस"

चिकित्सकों का रोल केवल पर्चा लिखना ही नहीं है एक आशावादी दृष्टिकोण भी वह पैदा करें अपने मरीजों में कि वह ठीक हो जाय ।

आज अस्पतालों में छोटी-छोटी दवायें लायसाल एनैसथीसिया, मरहम पट्टी के लिये आवश्यक उपकरण भी नहीं हैं । तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे कह सकते हैं कि सरकार सब को स्वास्थ दे पायेगी । आपने स्वास्थ्य के मामले में किसी नयी नीति का परिचय भी नहीं दिया । मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्रामीण स्वास्थ्य की इकाई है उनको स्थापित करने का लक्ष्य 1990 में 523 था जिस सरकार की आलोचना करते हमारे मित्रगण थकते नहीं हैं । यह आपकी किताब के ही आंकड़े है तो उपलब्धि 639 रही । और 1991-92 में लक्ष्य था । 165 जब हमने बजट पास किया और फिर चुनाव में चले गये और जब लौटकर आये आप सरकार में मंत्री बनकर आये तो उस 165 लक्ष्य के विपरीत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल 13 स्थापित हुये और 1992-93 में लक्ष्य जो रखा गया है वह सिर्फ 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों का है । तो न तो आप कोई बढ़िया काम करना आप चाहते हैं और नहीं कोई बढ़िया सपना देखना चाहते हैं । आपने भाषण में कहा कि सबके लिये स्वास्थ्य आवश्यक है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 1990-91 में लक्ष्य था 19 का और उपलब्धि हुई 52 की और 1991-92 आपके शासन में लक्ष्य 38 और एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं हुआ ।

[समय–5 बजकर 20 मिनट]

इस सरकार के समय में सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एक भी नहीं बने हैं । तो मैं कैसे मान लूं कि जो रुपया आप मांग रहे हैं उसका आप बहुत समुचित प्रयोग करेंगे । सामुदायिक स्वास्थ्य भवनों, नये स्वीकृत भवनों का लक्ष्य नब्बे इक्यानबे में छब्बीस का था और स्वीकृतियां जारी हुई । और जब आप लोग आ गये तो लक्ष्य 20 का था और स्वीकृति जारी हुई सिर्फ एक को । आपको इन दस माह की जो कार्य शैली है उससे दृष्टिगोचर होता है कि जो भी लक्ष्य था उसका कहीं भी पचास फीसदी भी पूरा नहीं हुआ । मैं तो कहूंगा कि हाई स्कूल बोर्ड में 33% पास मार्क रखे हैं वह 33% भी पास मार्क का कार्य कहीं नहीं हुआ है तो कैसे मान लिया जाय कि आपका संकल्प है स्वास्थ्य के सम्बन्ध में । वर्ष 1991-92 में 12 सी०एच०सी० के भवन बने और लक्ष्य था 25 का यह भी कम बने । जहां से मैं चुनकर आता हूं, पूरवा से वहां के भवन का शिलान्यास चूंकि तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी ने किया था इसलिये वह भी नहीं बना । मैं यही समझ सका कि चूंकि उसमें बोर्ड लगा है हमारे नाम का और मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी के नाम का साथ-साथ इसीलिए यह नहीं बन पाया । मुझे आरोप लगाने में भी संकोच हो रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के स्वभाव को देखकर, लेकिन बात प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होती है कि उसमें नाम हमारा और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी का लिखा हुआ है, इसलिए उसका काम रुक गया है । 91-92 में उपकेन्द्र जो स्वास्थ्य विभाग की हड्डी है इनका लक्ष्य 2095 का था लेकिन उनकी प्रगति शून्य है । और जो अगला संकल्प लिया है 362 का, अब यदि यह सरकार बची तो इसकी भी प्रगति देखी जायेगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया शान्त बैठिए, टोकिए नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मैंने जितनी भी योजनाऐं गिनाई, उनमें सरकारी कार्यों की प्रगति बहुत कम है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण बहुत ही निराशाजानक है और बड़े

निकम्मेपन से भरा है । एक डा० पर 42 सौ रोगी होंगे यह लक्ष्य था । दवाओं के सम्बन्ध में अभी दो दिन पहले बहुत गम्भीर तरीके से बताया गया कि वह 27 करोड़ रु० था बजट ।

मान्यवर, दवाओं का 27 करोड़ का बजट था जिसमें 6 करोड़ रुपये की कटौती की गई, तो 21 करोड़ रूपये बचा, इसमें से 11.75 करोड़ सी०एम०ओ० और सी०एम०एस० को भेजा गया 9.25 करोड़ रुपये की सी०एम०एस०डी० नई नीति के तहत भेजा गया । 7.38 करोड़ रुपये सी०एम०एस०डी० को जिलों में भेजा गया और 5 करोड़ रूपये का उपयोग नहीं हुआ । इस तरह 14.11 करोड़ रूपये शेष बचा जिससे पुराने बकायेदारों के बिलों का भुगतान हुआ । इस प्रकार मान्यवर, 91-92 में कोई दवायें खरीदी नहां जा सकीं । मान्यवर, जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता भोजन, कपड़ा और उससे बड़ी आवश्यकता दवा की होती है जिसका प्रबन्ध यह सरकार नहीं कर पाई । तो कैसे मान लिया जाय कि यह सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति कोई बहुत बढ़िया दृष्टिकोण लेकर काम कर रही है ? मान्यवर, जीवन रक्षक दवाओं जैसे आक्सीजन, कोरामीन आदि दवाओं की जितनी कमी अब है उतनी इसके पहले कभी महसूस नहीं हुई थी । लखनऊ में आर्टिफिसियल लिम्ब सेंटर आक्सीजन न होने के कारण बन्द पड़ा है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नई खरीद की नीति की घोषणा की गई जिसके तहत 80% रूपया जिलों को और 20% यहां राज्य में रहेगा और यह भी कहा गया कि पब्लिक सेक्टर से ही दवाइयां खरीदी जायेंगी । यह भी कहा गया कि दवाओं की सूची में बैन्डेज और पट्टी होगी । मान्यवर, यह भी कहा गया कि नई नीति के तहत ब्राण्ड नेम्ड दवाइयां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से ही खरीदी जायेंगी । जैसे एन्टीबाइटिक दवाइयां बनाने की कम्पनियां लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि जगहों पर हैं, लेकिन इन कम्पनियों का उत्पाद सरकार नहीं खरीदेगी ।

मान्यवर, मैं एक बात की जानकारी और भी देना चाहता हूं कि इस सरकार की विचार धारा की बावत कि लखनऊ राजेन्द्र नगर से एक किताब का प्रकाशन हुआ है, जो स्वदेशी आन्दोलन के सम्बन्ध में है, उस किताब में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के द्वारा निर्मित दवाओं की सूची दी गई है । उस किताब में यह भी लिखा है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बना समान नहीं खरीदेंगे और न उनका प्रयोग करेंगे । यह बात सरकार में जाने के पहले आप लोग कहते थे लेकिन अब सरकार में जाने के बाद नीति बनायेंगे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ही उत्पाद सरकार खरीदेगी, इसलिये इस विरोधाभाष को आप दूर करें । मान्यवर, यह सरकार या तो अपनी इस नई नीति पर पुनर्विचार करे या स्वदेशी सामान के इस्तेमाल की प्रतिबद्धता से इन्कार करे ..... ।

मान्यवर, नतीजा यह हुआ है नई नीति का कि तमाम जिलों ने, जो प्रदेश में हैं, पब्लिक सेक्टर्स की कम्पनियां हैं, उनको अपने आदेश दिये । अब मैं कुछ जिलों के नाम बता रहा हूं । लखनऊ के, देहरादून के सी०एम०ओ० ने चिट्ठी लिखी है । मेरे पास प्रति है । आप देखें तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा ताकि सरकार के पास भेजी जा सके । मान्यवर, इन लोगों ने लिखा है कि हमने दवाइयों के जो आदेश भेजे हैं, पब्लिक सेक्टर को उन आदेशों के क्रम में हमें दवाइयां नहीं मिल रही हैं । मान्यवर, इस बारे में विचार करना चाहिए कि यदि पब्लिक सेक्टर की कम्पनियां दवाइयां नहीं दे पाती हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए । प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कम्पनियों में से गुणवत्ता के आधार पर जिनकी दवाइयां हो ।

स्वास्थ्य के प्रति गुणवत्ता रखती हों उनसे टेण्डर आमंत्रित करके दवाइयां ली जानी चाहिए । इस तरह से तो जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई है वह खर्च हो रही है । मान्यवर, यह जो यू०पी०डी०पी०एल० है इसके जो प्रमुख हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो प्रमुख हैं । यह सचिव स्वास्थ्य ही होते हैं । यही दवाइयां खरीदते हैं और यही बेचते हैं । क्रेता और विक्रेता दोनों एक यू० पी० डी० पी० एल० के प्रमुख होने के नाते यह विक्रेता होते हैं और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख होने के नाते क्रय करते हैं । इस तरह से यह बड़ा हास्यास्पद खेल है । जैसे कोई अकेले बैठकर ताश खेले । खुद जीते और खुद ही हारे । इस विसंगति को दूर करने के लिये, इसी आदरणीय सदन के सदस्य जो बाद में मंत्री भी हुए डा० कृष्णवीर सिंह कौशल की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी । उस समिति ने कहा था कि यह विसंगति दूर की जानी चाहिए कि विक्रेता और क्रेता एक ही न रहे । एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि बिना बजट के दवाइयों का खर्च लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से देनदारियां

बढ़ी हैं । मैं आपकी अनुमति से दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं । मान्यवर, परिवार कल्याण की बात है । चूंकि परिवार कल्याण एक ऐसा विषय है जो देश की बढ़ती हुई आबादी से जुड़ा हुआ है और स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है । बच्चों की मृत्यु दर घटे और उनकी जन्म दर भी घटे । मान्यवर, आप अवगत होंगे चीन की आबादी विश्व में सबसे अधिक थी और चीन ने तमाम तरह के साधनों के प्रयोग से अपने देश की आबादी पर नियंत्रण पा लिया है ।

हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने और सब जगह तो सफलता पाई है लेकिन इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। परिवार कल्याण का जो तात्पर्य है, उसका सही तरह से प्रचार न होने के कारण आज हम आबादी पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं । 1991-92 में परिवार कल्याण के लिये नसबन्दी के बाद और जो उसके समानान्तर चीजें होती हैं उसके लिये जो दवाइयां काम आती हैं उसके लिये 88 करोड़ का बजट जिलों के लिये रखा गया था । उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं हुआ 88 लाख की खरीद सी०एम०डी० से होनी थी, वह भी नहीं हुई । सुविधाएं जो दी जा रही हैं । आपकी अनुमति से जो पत्रक बांटा गया है उसी से पढ़ रहा हूं । ''ग्रीन कार्ड योजना'' 1985 से लागू है । एक ओर तो जो लोग नसबन्दी कराते हैं उनको तमाम तरह की छूट दी जाती है निर्बल आवास योजना या और जो योजनाएं हैं उनमें छूट दी जाती है । 12 क्लास तक निःशुल्क शिक्षा उनके बच्चे को दी जाती है ।

निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा, राजकीय चिकित्सालयों में प्राइवेट वार्डों में वरीयता । मान्यवर, जो आदमी नसबन्दी करा लेता है और ग्रीन कार्ड जेब में लेकर घूमता है पहले उसे बड़ी प्रसन्नता होती है लेकिन जब वह यथार्थ का सामना करता है तो उसे बड़ा दुख होता है । एक बात और नसबन्दी के बाद जो नस जोड़े जाने की सुविधा है उसका प्रचार गांव में कर लिया जाता तो अच्छा रहता । क्योंकि जिनके एक दो बच्चे होते हैं तो वह यह सोचते हैं कि यह न रहेंगे तो क्या होगा, तो इसका आप ठीक से प्रचार नहीं कर पाए हैं । परिवार कल्याण के लिये महिला हैल्थ वर्क्स, पुरुष हैल्थ वर्क्स के ट्रेनिंग के कार्यक्रम बन्द हैं । परिवार कल्याण के प्रचार पर आपको बल देना चाहिए । प्रचार के दो तत्व हैं । लोक सम्पर्क होता है और लोक शिक्षण इसके लिये सरकारी कार्यक्रमों में सूचना है । एजूकेशन संचार पूरी की पूरी योजना अधिकारियों के रुपया खाने का माध्य मात्र बन गई है । मैं नहीं जानता गांव में कोई प्रचार करते हों । लाल तिकोन दिखाई देते हैं जो बच्चे जगत में आए नहीं है उनका भय है लेकिन जो आ चुके हैं उनको लिए कुछ नहीं है । फर्जी नसबन्दियां होती हैं । एक सवाल मैंने उठाया था इस सरकार ने स्वीकार किया, उन्नाव जिले से संबंधित बताना चाहूंगा कि वहां कई फर्जी नसबन्दियां हुई । मुझे ठीक से जानकारी है कि जांच अधिकारी ने सरकार को सूचना भी दी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । प्रसंगवश मैं वहां के असोहा पी० एच० सी० के चिकित्साधिकारी की बात बता दूं । एक व्यक्ति को गोली मारी गई दिन में, गोली से छर्रा घुसा गर्दन तक तीन इंच चला गया । थानाध्यक्ष ने कहा, गोली लगी है मगर चिकित्साधिकारी ने कहा कि गोली नहीं है । उच्चधिकारी के पास गये, उन्होंने तीन डाक्टरों को दिखाया एक एक्सरे के थे दो और डाक्टर थे । तीनों डाक्टरों ने बताया कि गोली है, लेकिन उन चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । चिकित्साधिकारी तथा अन्य अधिकारी मेरे पास आए कि बाद में गोली डाली गई । गोली आपेरट करके वहां पहुंचाई गई है, लेकिन अगर गोली डाक्टर से डलवाई जाती तो ऊपर के हिस्से में ही डाली जा सकती थी चिमटी बगैरह से, उसे उतनी फोर्स से तो डाला नहीं जा सकता था । क्योंकि गोली में एक वेलासिटी होती है । यह बात मैंने प्रसंगवश बता दी । मैं नसबन्दी की बात कर रहा था इसमें संकल्प करना पड़ेगा इसमें सरकारें भी गई हैं ।

डा० अमर सिंह–

किस जगह के बारे में है नाम बता दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

असोहा चिकित्सा केन्द्र का मामला है जो सबसे बड़े डाक्टर हैं । मुझे उनका नाम नहीं याद है । तो मान्यवर, नसबन्दी के लिये प्रोत्साहन के लिये योजना होनी चाहिए । आपको इसके लिये संकल्प लेना पड़ेगा । जनसंख्या काफी बढ़ रही है । शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिलता है तो इसको नियंत्रित करने का संकल्प लेना पड़ेगा । सरकार संकल्प नहीं लाना चाहती है लेकिन लाना पड़ेगा ।

जो आप नसबंदी कराने पर धन देते हैं वह बंट जाता है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि धन आप जितना देते हैं दें वह आप अपने वित्तीय संशोधनों के अनुसार दे लेकिन जो भी धन दें वह एन० एस० सी० के रूप में दे तो 4-5 साल बाद वह धनराशि दूनी हो जायेगी और राष्ट्रीय बचत योजना में वह पैसा लग जायेगा और उस पैसे की छीना झपटी नहीं होगी । माननीय राजनारायण जी जब केन्द्र में थे, मैं उनका नाम लेकर बड़ा गौरान्वित होता हूं, उन्होंने एक योजना बनायी थी जन स्वास्थ्य रक्षक की । यह मिश्नरी योजना थी तो इस योजना पर आप पुनर्विचार करें । अंत में कुछ बातें मैं होम्योपैथी के बारे में कहना चाहता हूं । यह चिकित्सा पद्धति बहुत सस्ती है और केवल होम्योपैथी में ही व्यक्ति के स्वास्थ्य, चरित्र, दृष्टिकोण, रंगढंग के आधार पर चिकित्सक दवा देता है । बाकी में नहीं जो पेचिस हो जाय तो चाहे मा० ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी राजस्व मंत्री जी हों या जागेश्वर जी राम एम० एल० ए० हों क्लोरोस्टेप ही दी जायगी । महान विचारक अरस्तू बीमार हो या कोई अपराधी बीमार हो दोनों के लिये एक ही दवाई है । लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, मेरा नाम लिया है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय नेता सदन कल्याण सिंह जी हम लोगों का यह दुर्भाग्य है और उनका सौभाग्य है कि वह यहां उपस्थित नहीं हैं । जब वह स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने 6 होम्योपैथी कालेज को समाप्त किया । पता नहीं क्यों होम्योपैथी से नाराज हैं कि शेष कालेजेज को समाप्त करना चाहते हैं । प्रदेश के समस्त होम्योपैथिक कालेजेज में 80 अध्यापकों के पद रिक्त हैं लेकिन उन पर नियुक्तियां नहीं हो पायी हैं । आप अंशकालिक शिक्षकों से काम चला रहे हैं और उनको प्रति लेक्चर 10 रुपये दिये जा रहे हैं । आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह 10 रुपये में कैसे काम चलायेंगे । घोषणा की गयी कि उनको समायोजित किया जायेगा लेकिन उनका समायोजन नहीं हुआ । अंशकालिक अध्यापकों ने विधान सभा के सामने धरना भी दिया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला । होम्योपैथी के जो निदेशक हैं, मैं विषय से बाहर की कुछ बात कर रहा हूं, जब आप यहां बैठते थे और माननीय कल्याण सिंह बैठते थे और मैं बैठता था तो हम तीनों मिलकर डाक्टर निदेशक अविनाश चन्द्र सक्सेना के विरुद्ध तमाम आरोप लगाते थे । मा० राजेन्द्र गुप्त जी संसदीय कार्य मंत्री जी तथा आप सब लोग यहां से वहां उधर चले गये हैं मैं अकेला रह गया हूं इधर और आरोप लगा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने और किसी का नाम नहीं लिया लगता है कि आप दोस्ती निभा रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय कल्याण सिंह जी एक वाक्य कहा करते थे कि मैं डा० सक्सेना के सर पर कच्चे धागे से बंधी हुई नंगी तलवार अपने स्वास्थ्य मंत्रित्व काल में लटकाए रखता था । विभिन्न स्रोतों से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गये तो उन्होंने स्वयं जांच की मांग की । मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इसी आदरणीय सदन की 22 अगस्त, 1985 की कार्यवाही का अंश पढ़ता हूं । मान्यवर, आपका प्रश्न था, उसमें अनुपूरक में आदरणीय राजेन्द्र जी ने डा० सक्सेना के संबंध में पूछा कि क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सेलेक्शन में अनियमितता की बात की गयी है (उस समय लोकपति त्रिपाठी जी स्वास्थ्य मंत्री थे) मंत्री जी ने कहा कि आरोप निराधार पाये गये तो मैं जानना चाहता हूं कि उन

अधिकारियों की जांच किन अधिकारियों से आपने करवाई । इसमें डाक्टरों की नियुक्ति थी निदेशक होम्योपैथी ने और जो अंको की मार्क शीट थी, पढ़ाई लिखाई और इण्टरव्यू की इस समय जो इन्डेक्स बनाई गयी थी, उसमें ऐसे लोगों को रखा है, कम अंकों वाले को रख लिया और ज्यादा अंकों वाले को नहीं रखा, तो उन्होंने पूछा कि इन आरोपों की जांच किन से करायी । फिर पूछा कि क्या उन सेवाओं में उनको नियमित करने की कार्यवाही की जा रही है । लोकपति त्रिपाठी जी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसा नहीं कर रहे हैं । राजेन्द्र जी ने फिर पूछा कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष में कितने डाक्टरों को नियमित कर दिया जायगा ।

इसके बारे में यदि कोई मानक निर्धारित किया गया हो तो उसको बतायें । मैं बीच की बातें छोड़े दे रहा हूं । राजेन्द्र जी ने कहा कि जो मांग पत्र गया है उसकी एक कापी मेरे पास भी है । उसमें चयन में जो अनियमितता की बात दर्शायी गयी है, मैं उस संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जो आरोप लगे चयन में, उसकी जांच आपने किससे कराई । लोकपति त्रिपाठी जी ने फिर टाला तो आदरणीय कल्याण सिंह ने कहा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि चयन में अनियमितता हुई तो लिख कर दे दें, दे तो दें, लेकिन इस सदन से पवित्र स्थान और नहीं मिलेगा । उन्होंने कहा कि यहां पर कह रहे हैं तो लिख कर क्यों दें । 46 प्रतिशत के लोगों को लिया गया । तीन उदाहरण मेरे सामने हैं, डा० राजीव कुमार 47.4 प्रतिशत, उनको नहीं लिया गया । डा० उदय प्रताप सिंह 46.5 प्रतिशत उनको नहीं लिया गया और डा० पारस नाथ सिंह को नहीं लिखाया गया । तो क्या आप पूरी सूची पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे । मान्यवर, लोकपति जी ने कहा कि पूरा विवरण भेज दें । तो माननीय कल्याण सिंह जी ने इस संदर्भ में एक पत्र भेजा । वह मेरे पास है । नेता मा० ज० पा० विधान मंडल का लिखा है कि कृपया विधान सभा के द्वितीय सत्र के पांचवें गुरूवार के लिये निर्धारित श्री राम आसरे वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में मेरे द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों का संदर्भ लें । यह 7 फरवरी 1986 का पत्र है । उस पत्र में माननीय कल्याण सिंह जी ने तमाम बातें लिखी हैं और अंत में लिखा है कि अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समस्त बिन्दुओं की पुष्टि कराकर माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा द्वारा प्रक्रिया संबंधी करण के करण संख्या 219 में कराकर सदन में प्रस्तुत किया जाय । उचित तो यह होगा कि एक जांच समिति बनाकर जिसमें माननीय सदस्य भी हों, से जांच कराया जाय अन्यथा सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का कष्ट करें । उस समय कल्याण सिंह जी ने कहा, अब मैं कह रहा हूं कि डा० सक्सेना द्वारा किये गये कृत्यों की जांच आज जब उत्तर देने के लिये मंत्री जी खड़े हों, आप भले आदमी हैं, आप यदि अपने नेता में आस्था रखते हों तो जो आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा, वाकई में आस्था रखते हों तो, यह कापी मैं आपकी अनुमति से भेज दूंगा ।

यह विधान सभा की कार्यवाही का जो हवाला दिया, तो इसके लिये जांच के लिये विधायकों की एक समिति बना दें ।

उसमें इधर के विधायक हों और उधर के भी विधायक हों और मान्यवर, उन्हीं डा० सक्सेना की तमाम शिकायतों की जांच की मांग कई संघों ने की, शिक्षक संघ ने की, कम्पाउन्डर संघ ने की, डाक्टर संघ ने की, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा । उन्होंने अपना सम्मान समारोह आयोजित किया और जो डाक्टर इसमें सहयोग नहीं कर सके, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया । इस पर माननीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री जी, जिन्होंने अभी बजट भाषण पेश किया, इन्होंने शिकायत लिखी थी, अब मैं वह चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है । आप सामने बैठे हैं, आप इन्कार करेंगे, तो मैं वह चिट्ठी प्रस्तुत कर दूंगा । राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अनुसार स्थानीय सम्मान समारोह में भाग न

लेने पर कार्यवाही की जायगी । कोई अधिकारी अपना स्वागत समारोह आयोजित नहीं कर सकता या करवा सकता । डा० सक्सेना, जिन्हें चाहते हैं, उसको वहीं पोस्ट करते हैं । हरदोई में डा० कुलदीप माथुर और ए० पी० सिंह 15-15 साल से वहीं पर हैं, केवल 6 दिन के लिये दूसरी जगह स्थानान्तरण हुए थे और फिर वहीं पर आ गये । पहले बलरामपुर अस्पताल में बजट का रुपया 9 हजार का जाता था, चूंकि उनके एक सहयोगी डाक्टर पहुंच गये हैं डा० राम औतार, तो वहां रुपया हो गया साढ़े 3 लाख उन्होंने फर्जी नियुक्तियां भी कम्पाउन्डरों की कीं ।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ आरोप लगा रहा हूं कि फर्जी प्रमाण-पत्र लगा कर नियुक्ति पाये व्यक्ति पकड़े भी गये, एफ० आई० आर० भी हुई । जिन बिन्दुओं पर आपने और कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये, उन पर कोई भी कार्यवाही कभी नहीं हुई । चूंकि आप सामने बैठे हैं और बड़ी गम्भीरता वाले मामले हैं, मैं जब दूसरी बार कहूंगा, जो बातें रह गयी हैं, तो उस पर कहूंगा । दारुलशफा में होम्योपैथिक के केवल चिकित्साधिकारी बैठते हैं, उनके पास कोई दवा नहीं होती । इस पर विचार कर लें । मच्छर की बात आ रही है, वहां पर दारुलशफा में मच्छर बहुत हैं । दारुलशफा में जो होम्योपैथिक चिकित्सक बैठते हैं उनके पास अगर 100 रु० की ही दवा हो, तो वह दवा दे दें, वरना वह तो भूल जायेगे कि होम्योपैथिक क्या होती है । आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं । ये हमारे सरकारी पक्ष के लोग तो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, तो उनको तो आयुर्वेद के प्रति पूरी-पूरी प्रतिबद्धता होनी चाहिए । आयुर्वेद का वर्णन अथर्वेद में मिलता है, जो इस प्रकार है–ब्रह्मा ने दीर्घायु होने का यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, प्रजापति से यह ज्ञान अश्वनी कुमारों को मिला और अश्वनी कुमारों से यह देवर्षि इन्द्र को प्राप्त हुई और इन्द्र ने पुनः इस ज्ञान को भारद्वाज को दिया । इसी काल से आयुर्वेद का अनादित्य व उपादित्य बताया जाता है । उपचार से जुड़ा हुआ आयुर्वेद जो है, वह चिन्ता करता है आयु की कि किस तरह का दीर्घायु हों । माननीय मुलायम सिंह की सरकार में 100 चिकित्सालय, चार शैय्या युक्त एवं लगभग 10 चिकित्सालय 15 शैय्या युक्त को खोलने की बात तय हुई थी, उसके लिये क्या केन्द्र ने मना कर दिया है, क्योंकि केन्द्र की बात आप अक्सर कह देते हैं । उसे खोलने की, स्थापना को निरस्त कर 91-92 के बजट में धन को आवंटित न कर स्वीकृति नहीं दी । मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ । इन लोगों ने कहा कि रुपया खत्म हो गया । माननीय मंत्री जी जब खड़े हों, या आदरणीय द्विवेदी जी आप एक दिन का ओवर ड्राफ्ट हुआ हो, तो मैं मान लूंगा कि इनका रुपया खत्म हो गया । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, वह बड़ा ही सराहनीय है । यह कोई साधारण बजट नहीं है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं । यह बजट कष्ट निवारण बजट है । मैं एक-एक विषय पर आपको बताना चाहता हूं । मान्यवर, जब भी कोई दैवी आपत्ति आती है, रोग या महामारी फैलती है, चाहे जन्तु जगत हो या वनस्पति जगत हो, केवल स्वास्थ्य विभाग ही ऐसा है जो इन आपदाओं से जूझता है और मानव जाति को बचाता है और उनको जीवित करता है, इसलिये यह महत्वपूर्ण विभाग है ।

मान्यवर, मैं सबसे पहले दवाओं के बारे में आता हूं, क्योकि इनके बारे में कल भी चर्चा हुई थी और आज दीक्षित जी ने भी की है । मान्यवर, पिछली सरकार एक साल में एक बार दवायें इकट्ठी क्रय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर लेती थीं और उसका कारण यह था कि अधिक खरीद पर अधिक कमीशन मिलता है । कमीशन मिला तो खरीदने वाले खुश और बेचने वाले खुश, लेकिन आज जो दवायें खरीदी जा रही हैं, वह आवश्यकता की और जन जीवन की उपयोग की दवायें खरीदी जा रही हैं । दवायें सार्वजानिक क्षेत्र की जो इकाइयां हैं और जो डि० जी० एस० एन० डी० द्वारा एप्रूव होती हैं वह हीं खरीदी जाती हैं या डाइरेक्टर ई० एस० आई० इण्डस्ट्री से एप्रूव होती हैं, उनके अनुसार खरीदा जाता हैं । मान्यवर, गलत दवाओं की खरीद के कारण सी० एम० ओ० मैनपुरी को ससपेंड कर दिया गया है । इस सरकार की आपको तारीख करनी चाहिये । इसके अलावा आदरणीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी की स्थानान्तरण नीति के बारे में बताना चाहता हूं, वह 1978 में स्वास्थ्य मंत्री थे और उस समय उन्होंने स्थानान्तरण नीति पर कड़ा नियंत्रण रखा और उनकी यह नीति बड़ी सराहनीय नीति थी और आज उसी 1978 वाली नीति को अपनाया जा रहा है । मान्यवर, पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्तियों की बात कहना चाहता हूं । पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 2290 नियुक्तियां मेल डाक्टरों की और 167 नियुक्तियां फिमेल डाक्टरों की हुई हैं, कुल 2457 नियुक्तियां हुई हैं और 2286 नियुक्तियों पर विचार किया जा रहा है । हिल स्टेशन पर इनको नियुक्त किया गया हैं और उनको वहां से स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है । हिल स्टेशन पर कोई भी डाक्टर नहीं रहना चाहता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है । मुझे तो कम से कम 10 मिनट मिलने चाहिये । मात्र 3 मिनट और लूंगा । आप भूकम्प के क्षेत्र मे देखें, डाक्टरों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया हैं, वहां पर चिकित्सा राहत का कार्य बड़ी मुस्तैदी के साथ किया गया है और जिसके कारण भूकम्प के बाद वहां पर कोई भी महामारी नहीं फैली है ।

मान्यवर, गत वर्ष 'ए' श्रेणी के 27 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की और 18 को निलम्बित किया गया इसके अलावा 'बी' श्रेणी के 28 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की और 11 को निलम्बित किया गया और तृतीय श्रेणी की नियुक्ति में गड़बड़ी करने वाले 2 दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और 177 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी और 88 को पुलिस में गिरफ्तार कराया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं ।

श्री किशन गोपाल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री किशन गोपाल–

[x x x]

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, किशन गोपाल जी ने अभी चिकित्सा के बारे में भाषण दिया लेकिन आगरा अस्पताल के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके बारे में इनको सुन लीजिए ।

श्री किशन गोपाल–

[x x x]

श्री गंगा बख्श सिंह–

मान्यवर, आज यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से मैं जुड़ा रहा हूं । होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के इतने प्रचार प्रसार में जो संघर्ष हुआ उसमें आपका महान योगदान रहा है । मान्यवर, आज शहरों और देहातों में इस पद्धति की तरफ लोग ज्यादा मुखरित हो रहे हैं वह होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अपनाना चाहते हैं ।उसके दो कारण हैं । एक तो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति जटिल रोगों को समूल नष्ट करती है दूसरी बात यह है कि जो मार्डन चिकित्सा पद्धति है उसकी दवाओं का इतना रिएक्शन है कि एक मर्ज अच्छा होता नहीं और दूसरा मर्ज दवा खाने से तैयार हो जाता हैं । इसलिये मान्यवर, लोगों का रुझान होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की तरफ हुआ है और अधिकतर औषधालय जो हैं चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो उसमें अपार भीड़ रहती हैं । मैं कहना चाहता हूं, कि इस पद्धति की उपयोगिता को नजरन्दाज करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बजट में होम्योपैथिक की उपेक्षा की है, उसके लिये पर्याप्त बजट नहीं आवंटित किया गया है । मान्यवर, मैं यदि होम्योपैथिक चिकित्सा की बात कहूं तो इस वर्ष 95 होम्योपैथी चिकित्सालय को खोलने का प्राविधान है इसमें एक भी चिकित्सालय ऐसा नहीं है जो शैया युक्त हो ।

जैसे आयुर्वेद में शैय्याओं के चिकित्सालय का प्राविधान है वैसे होम्योपैथिक में शैय्याओं का प्राविधान नहीं है । सरकारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में जो औषधि आपूर्ति की जाती है वह मानक 1962-63 में बनाये गये थे जब प्रथम बार सरकार की ओर से यह चिकित्सलय स्थापित किए गये थे । 600 रुपये की दवाओं को वर्ष में क्रय करने का प्राविधान हैं । 1250 रु० की कंटीनजेन्सी को बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया लेकिन औषधि क्रय करने में 600 रुपये से बढ़ोत्तरी नहीं की गयी । मेरी मांग है कि समुचित बजट का प्राविधान किया जाय । होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये भवन का कोई प्राविधान नहीं है । केवल दो भवन बने हैं जो जनता के द्वारा बनाये गये हैं सरकार की ओर से नहीं बनाये गये हैं । दारुलशफा में "ए" ब्लाक में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी चलती है लेकिन दवा के नाम पर एक पैसा भी नहीं है । मा० मंत्री जी का कहना था कि चूंकि एम० एल० ए० को चिकित्सा भत्ता दिया जाता है इसलिये दवाओं का बजट नहीं दिया जाता है । मेरा कहना है कि कम से कम कुछ अति उपयोगी दवाएं जैसे–आर्निका, कैलेण्डूला, कालीफास की जरूरत है । ऐसी दवाओं का प्राविधान होना जरूरी है । एम० एल० ए० के अलावा वहां पर राजकीय कर्मचारी भी रहते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हैं । 40 जिला होम्योपैथिक अधिकारियों की नियुक्तियां की गयी हैं, शेष जिलों मे नियुक्ति करना बाकी है । उसका कोई प्राविधान बजट में नहीं है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री गंगा बख्श सिंह–

शिक्षित बेरोजगारों के लिये दो लाख रुपये का बजट में प्राविधान है और यह कहा गया है कि बजट पुस्तिका में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों को, जो बेरोजगार हैं, उनको भत्ता दिया जायेगा । वास्तव में 35 चिकित्सकों को 5,500 रुपये देने की बात है । जो जानवरों की चिकित्सा के लिये जो डाक्टर हैं और बेरोजगार हैं । उनका 2000 रुपये प्रति डाक्टर प्रतिमाह देने का प्राविधान है । मेरी मांग है कि हर होम्योपैथिक चिकित्सक को जो प्रशिक्षित हैं । डिस्पेंसरी खोलने के लिये 5,500 रु० देने का प्राविधान होना चाहिए । 10 कालेज होम्योपैथिक के हैं । केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् ने कह दिया कि डिग्री की मान्यता नहीं देंगे क्योंकि पर्याप्त भवन, साज-सज्जा स्टाफ नहीं है । इन होम्योपैथिक कालेजों में कानपुर और इलाहाबाद कालेज में भवन नहीं हैं आज तक भवन बनाने का आवंटन बजट में नहीं है । लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर कालेज बनाने के लिये वहां रक्षा विभाग से जमीन ली गयी है । इसका 11 लाख रुपया देना है और उसका बजट में कोई प्राविधान नहीं है । कानपुर होम्यो कालेज भवन निर्माण के लिये निर्माण निगम ने अपना इस्टीमेट दिया था जो एक करोड़ 92 लाख था । उसका बजट में प्राविधान नहीं किया गया है । चिकित्सालय खोलने का बजट 1986 से लैप्स हो रहा है । होम्योपैथिक के विषय में इस बजट की घोर आलोचना करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री उदय प्रताप–

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, स्वस्थ नागरिक सबल राष्ट्र का प्रतीक होता है । मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो कहा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा । मान्यवर, इस सरकार ने व्यक्ति के शरीर को, मन को और मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिये पूरी बात अपने बजट में कही है । मान्यवर, जो बजट माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पेश किया है, वह कल्याणकारी है । समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम स्वास्थ्य सेवायें पहुंचा सके, उस तरह का बजट इस सरकार ने पेश किया है । मैं इस बजट का समार्थन करते हुए, कुछ क्षेत्रीय समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा ।

मान्यवर, गाजीपुर में 300 शैय्याओं का अस्पताल प्रस्तावित है । उस अस्पताल को बनवाने का काम करना चाहिये । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जमुना देवी महिला चिकित्सालय के लिये, जिसमें एक लाख रुपया दानकर्ता ने भी दे दिया है, अब क्या कमी है, उसको दिखवाने का कष्ट करें, आज तक उसका निर्माण कार्य नहीं हुआ है । मान्यवर, बहुत से विधान सभा क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधूरे पड़े हुए हैं । उदाहरण स्वरूप हमारे यहां असरग में कई वर्षों से बन रहा है, हरिवास के लोग बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है ।

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने जो बात कही, वैसे इस सरकार की मंशा दवा खरीदने की है ताकि अधिक से अधिक लोगों को दवा मिल सके, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इस वर्ष दवा खरीदने में निश्चित रूप से कमी आयी वह कमी जिस अधिकारी की वजह से हो या अन्य जिस वजह से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो, यह बात सही है कि अस्पतालों में दवाओं की खरीद कम हुई है । जैसी आप लोगों ने यह परम्परा डाली थी, उसका ही यह प्रतिफल रहा । लेकिन यह बात सही है कि दवा की खरीद इस वर्ष कम हुई है । आयुर्वेदिक चिकित्सालय जिस अनुपात में अन्य स्थानों पर रहे हैं, उतने हमारे प्रदेश में नहीं हैं । उत्तर प्रदेश में मात्र दस हैं, महाराष्ट्र में 21 हैं, बिहार में 11 हैं, मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । आयुर्वेदिक की जौनपुर के संबंध में जो बात है, उसमें पैनल हो चुका है, डायरेक्टर साहब वहां जा चुके हैं, उसको देख लें । इसी के साथ-साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं । मान्यवर, मैं अधिक लच्छेदार भाषा न बोलकर, प्रदेश के सामने जो ज्वलंत समस्यायें हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहूंगी । मैं आशा करूंगी कि मेरे सामने बैठे हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, जो थोड़े सुझाव होंगे वे उन पर कोशिश करेंगे कि कुछ कर सकें ।

मान्यवर, मैं प्रथम बात यह कहना चाहती हूं कि मैं किंग जार्ज मेडिकल कालेज की छात्रा रही, 1956 में पास करके गयी और 1978 तक करीब हर वर्ष आई, उसके बाद परसों यहां देखने गयी थी । वहां क्या हालत है, इसको आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी । मेरे जो एक सहपाठी थे, जिनके साथ मैं देखने गयी थी, कालेज की हालत देखकर हमें आंसुओं का सामना करना ही पड़ा ।

उसकी हालत इतनी बदतर है कि वह इस जमीन पर नर्क का जीता जागता नमूना है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

उसकी जो समस्या है और ऐसी ही समस्याएं दूसरे मेडिकल कालेज में भी हैं, तो उनके निवारण के लिये माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान दें । पहली समस्या यह है कि जो वहां के सफाई कर्मचारी होते थे वह दैनिक वेतन में रखे जाते थे, कुछ परमानेन्ट होते थे लेकिन वहां पर सफाई करने के लिये जब जरूरत पड़ती थी तो दैनिक वेतन पर लोग रखे जाते थे किन्तु अब यह प्राविधान समाप्त कर दिया गया है और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज सब जगह कूड़ा करकट, दवाइयों की गन्ध और गन्दगी पूरे अस्पताल में फैली हुई है ।

दूसरी समस्या यह है कि अन्डर ट्रेनिंग नर्स का न होना । जब अन्डर ट्रेनिंग नर्स किसी अस्पताल से दी जायेंगी तो वहां पर मरीजों की देखभाल के लिये कोई नहीं होगा । कौन उनका टेम्परेचर लेगा, कौन उनकी पल्स देखेगा, कौन उन्हें दवाएं देगा यह सब खत्म हो गया है । जो सेम्पल पैथालोजी में भेजे जाते हैं वह सब खत्म, तो इन सब चीजों को देखते हुए, मरीजों के साथ गये परिवारजन, जो अशिक्षित होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं होती है कि किस समय पेशेन्ट को कोल्ड बाथ देना चाहिये किस समय फोमेन्टेशन देना चाहिये हाईफीवर हो तो क्या करना चाहिये, कौन सी दवाई देनी चाहिये ब्लड प्रेशर आदि की बात तो दूर रही तो उनके न होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है । एक बात और कहूंगी कि मरीजों को पूरी तरह से आराम चाहिए लेकिन मरीजों के साथ जो लोग आते हैं वह इन्हें आराम नहीं करने देते हैं, जिससे अशांति का वातावरण बना रहता है और उन्हें आराम नहीं मिल पाता है । एक बात और कहना चाहूंगी कि जो अस्पताल का वातावरण है वह अस्पताल का वातावरण न रहकर के रेलवे प्लेट फार्म का सा माहौल हो गया है । आज किसी भी अस्पताल में मैंने देखा है कि

चाहे वह के० जी० एम० सी० हो या बलरामपुर हो कहीं भी पैथालोजी का कार्य नहीं हो रहा है । एक्स-रे प्लेट नहीं है, इन्वेस्टीगेशन का कोई साधन नहीं है तो मरीज लोग बाहर से कराते हैं । मरीजों को खाना मिलना बन्द हो गया है, दूध मिलना बन्द हो गया है, फल मिलना बन्द हो गया है इसके कारण मरीज के साथ आये हुए लोग वहां पर खाना बनाते हैं आक्सीजन सैलेण्डर के पास भी स्टोप रखकर खाना बनाते हैं । जो कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकती है । कि के० जी० एम० सी० में 2600 बेड हैं और बलरामुपुर में 800 बेड हैं जबकि दोनों को एक ही तरह की मद मिलती है और हर पेशेन्ट की तीन रुपया प्रति रोज के हिसाब से पड़ता है और तीन रुपया रोज के हिसाब से कोई भी मरीज का इलाज हो सकता है क्या कई अस्पतालों में देखा, बम्बई में देखा, गुजरात में देखा, अगर आप सही मायनों में मरीजों को पूरी तरह से इलाज नहीं कर सकते हैं तो मैं इसके लिये एक सुझाव देती हूं उसको मानना या न मानना आपका काम है, अगर आप फ्री सेवायें नहीं दे सकते हैं तो 20 प्रतिशत शैय्याएं ऐसी कर दें जिस पर गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज हो और बाकी में भुगतान के आधार पर करें गरीबों के मुफ्त इलाज कराने का झूठा दावा न करें ।

[समय- 6 बजकर- 20 मिनट]

मान्यवर, यह एक बहुत अच्छा सुझाव है । वहां आप एक कैन्टीन खोल दें, उससे जो मरीजों के परिवारजन आते हैं, उनको भी खाना मिल सकेगा और मरीजों को भी खाना मिलेगा । इससे जो आक्सीजन सिलेण्डर के पास खाना बनाने से एक्सीडेंट की संभावना है, वह समाप्त हो जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मुझे और बहुत सी बातें कहनी हैं । मैं जो सुझाव दे रही हूं, वह आपके भले के लिये भी है और सबके भले के लिये है..

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । आप मेरी अनुमति के बिना अब बोल रही हैं ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मेडिकल कालेज सन् 1981 में पहले यूनिवर्सिटी के अंडर में था । वर्ष 1981 में सरकार ने इसे यूनिवसिर्टी से हटाकर अपने अधिकार में ले लिया, तब अधिकारियों के कहने पर गवर्नमेंन्ट ने इस समस्या को सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाय । सलेक्ट कमेटी ने नवम्बर, 81 में यह कहा कि इसे गवर्नमेन्ट से हटाकर यूनिवर्सिटी को हैण्डओवर कर देना चाहिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी, इस पर वहां के शिक्षक और अधिकारी हाईकोर्ट में चले गये । हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि यह के० जी० एम० सी० को गवर्नमेन्ट अधिकार में देना ही गलत है और इसे वापस यूनिवर्सिटी को सौंपना चाहिये । बिल्कुल गलत है लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गयी और वहां जाकर स्टे ले आई, तभी से दिन प्रतिदिन इसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है । मैं आपसे आशा करूंगी कि इसमें सुधार किया जाये । आपने जो एक अच्छा खासा मेडिकल कालेज चल रहा था, उसको नष्ट कर दिया । आप कुछ अच्छा करने से तो रहे, लेकिन जो ठीक चल रहा था, उसको भी समाप्त कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती ज्ञानवती सिंह–

मान्यवर, मेरी दो-तीन बातें और सुन लीजिये । मैं सुझाव यह देना चाहती हूं कि जो एन० पी० ए० है, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिये, क्योंकि एक तरफ डाक्टर्स एन० पी० ए० ले रहे हैं और दूसरी तरफ प्राईवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, इससे सरकार को बड़ा नुकसान होता है । इसके अलावा मेरा सुझाव है कि जो मंडलीय हास्पिटल हैं, वह केवल शहरों में ही खोले जा रहे हैं, अगर इनको ग्रामीण अंचलों में भी खोला जाय, तो इससे ग्रामीणों का भी भला होगा, क्योंकि अभी भी 80 प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है और केवल 20 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है । मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने गुजरात, बाम्बे, आन्ध्र प्रदेश के अस्पतालों में देखा है कि वहां पर हर हफ्ते किसी न किसी बीमारी को ठीक करने की टीम गांवो में जाती है, जैसे लैप्रोस्कोपिंग से नसबन्दी करने आई स्पेशलिस्ट्स की आदि । इस तरह की व्यवस्था आप लोग भी करें, तो सबका कल्याण हो सकता है । स्वैच्छिक सेवायें देने का वातावरण बनायें ।

श्री लाज कृष्ण गांधी–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है, मैं उस पर पूर्ण समर्थन देते हुये यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार दो कसौटियों पर पूर्णतः सफल रही है, मैं बधाई देना चाहता हूं कि उत्तरांचल में आये भूकम्प से आहत जनसमाज को चिकित्सा की विशेष समस्त सुविधायें उपलब्ध करवाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है । दूसरे अर्धकुम्भ के मेले में हरिद्वार के अन्दर समुचित स्वच्छता तथा चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करवाकर भी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, इसी वजह से कोई जनहानि नहीं हुयी है । मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं और दवाइयां के क्रय मूल्य में आमूलचूल परिवर्तन करके एक नई नीति निर्धारित की गयी है, जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी । इसके अलावा जो क्लेरिकल स्टाफ 15-15 सालों से एक ही जगह पर मौजूद है, उसको भी स्थानान्तरित कर दिया जाय, तो इससे भी काफी अच्छा काम हो सकता है और हम अपनी व्यवस्था परिवर्तन की सोच में कामयाब हो सकते हैं । इसी प्रकार कई बीमारियां ऐसी हैं, जिनका इलाज अभी तक शल्य क्रिया में ही है, इसके लिये होम्योपैथी में कई प्रकार की जीवन रक्षक औषधियां हैं । जो जादू का काम करती हैं । होम्योपैथी का सुदृढ़ीकरण व इसमें नये चिकित्सालय खोलकर, माननीय मंत्री जी ने एक सराहनीय कार्य किया है । मेरा एक सुझाव है कि सहारनपुर नगर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय । इसी के साथ ही प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, हमारे फर्रुखाबाद में जो जिला अस्पताल है, वहां एक भयानक कांड हुआ है । एक 14 साल की लड़की का बांया पैर खराब था और उसका आपरेशन होना था । डा० एस० के० गुप्ता ने जब उनसे पैसे मांगे और वह पैसे न दे सका तो उस लड़की का दांया पांव काट दिया गया और उसे पूर्ण रूप से विकलांग कर दिया गया । 8 मार्च, 1992 को वह लड़की अस्पताल में भर्ती हुई थी । इसे आप देखें । दूसरा, मेरे क्षेत्र कायमगंज में तम्बाकू का व्यापार होता है, जिससे प्रदूषण होता है । 50 प्रतिशत

लोग वहां पर टी० बी० से ग्रसित हैं । इसलिये वहां पर टी० बी० के डाक्टर व इसकी दवाइयां उपलब्ध कराई जायं, जिससे हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं । यदि माननीय मंत्री जी चाहेंगे तो मेरे पास उस लड़की की फोटो भी है । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री आचार्य जगदीश मुनि–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं । पूर्व की सरकारों में बहुत से ऐसे अस्पताल थे, जहां डाक्टर नियुक्त नहीं थे परन्तु हमारी सरकार ने सभी रिक्तियों को भरने हेतु दो हजार डाक्टरों को नियुक्त करने की एक चमत्कारिक योजना बनाई है । इसके साथ ही साथ 25 नये रोगी वाहन, नये चिकित्सालय और हर जिले में आटो एनैलाइजर की व्यवस्था की जा रही है । यह एक बहुत चमत्कारिक बजट है । जहां तक होम्योपैथिक का सवाल है, वास्तव में यह एलोपैथिक से अच्छा है । साथ ही आयुर्वेदिक के सुदृढ़ीकरण व राजकीय आयुर्वेदिक पद्धति के विकास हेतु भी कहा गया है । यह एक सराहनीय कदम है । आयुर्वेदिक हमारे देश की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है । इस पद्धति के अनुसार, आप इतिहास पढ़ते हैं उसमें मनुष्य के सिर पर हाथी का सिर आपरेशन करके जोड़ दिया गया, प्रजापति राजा थे उनके सिर पर बकरे का सिर चढ़ा दिया गया तो ऐसे बड़े-बड़े चमत्कारी कार्य आयुर्वेद से किये गये हैं । मान्यवर, इस काल में आयुर्वेद चिकित्सा का ह्रास हुआ है । इसके लिये मैं चाहूंगा कि शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां हों और शुद्ध आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करें । पूर्व सरकारों ने आयुर्वेद के नाम पर बी० एम० एस० की परीक्षा खोल कर बहुत नुकसान आयुर्वेद को पहुंचाया है, आयुर्वेद को धोखा दिया गया है । यह आयुर्वेद को मिटाने का षड़यंत्र है । आज हमारी यह सरकार इस चीज से चिंतित है वह आयुर्वेदिक पद्धति में शुद्ध आयुर्वेद को लाना चाहती है । आज एलोपैथिक मेडिकल कालेज अधिक से अधिक लग रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया समाप्त करें ।

श्री जगदीश मुनि आचार्य–

मान्यवर, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज खुलने चाहिये । एक मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं ।

श्री जगदीश मुनि आचार्य–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बिना अनुमति के बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा ।

श्री जगदीश मुनि आचार्य–

[x x x] (व्यवधान) मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

नोट:–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग का बजट है । देर रात तक सदन चलता है दो बजे तक चलाते हैं इससे सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ता है । मेरा रक्तचाप बढ़ जाता है, यह स्वास्थ्य के लिये गलत हो रहा है । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पर अगर कोई असर पड़ा हो तो कल बलराम पुर अस्पताल जाकर दिखा लें ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । वैसे तो हमारे विद्वान साथी माननीय दीक्षित ने आंकड़ों के द्वारा यह साबित कर दिया है कि इस सरकार की मंशा कोई सुधार करने की नहीं है । लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री जो नेता सदन भी हैं यहां नहीं हैं बेचारे राज्य मंत्री जी को यहां भेज दिया गया कहीं से पढ़ने के लिये वह इन्होंने पढ़ दिया । इनकी बात कहां तक चलने वाली है पता नहीं ।

मैं तीन चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग के लिये आवश्यक है वह है चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा और जो राष्ट्रीय कार्यक्रम परिवार कल्याण, मलेरिया इरैडिकेशन आदि । जहां तक चिकित्सा का जन स्वास्थ्य से संबंध है उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो देहात में गरीब किसान मजदूर के लिये हैं उनमें बड़ी दुर्दशा है । वहां दवा देखने को नहीं मिलती है । उधर के माननीय सदस्य बड़ी तारीफ कर रहे हैं जो जिलों में दवा खरीदने की व्यवस्था कर दी गयी है । लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें किसी भी प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र में दवा नहीं मिलती है ।

इसके अलावा जो सबसे बड़ा संकट है वह डाक्टरों की गैरहजारी का है । पहले प्राइमरी स्कूलों में मास्टर गैरहाजिर रहते थे लेकिन अब प्राइमरी स्वास्थ्यकेन्द्रों पर डाक्टर गैरहाजिर रहते हैं, वह अलग से नर्सिंग होम चलाते हैं, जब कभी कोई मरीज अस्पताल में जाता है तो कोई डाक्टर नहीं मिलता है ।

उसे दवाई मिलेगी नहीं, देखने को डाक्टर उपलब्ध नहीं उस बेचारे को भगवान का ही सहारा है उसी के सहारे जीना पड़ता है अस्पतालों की हालत देखते हुए यही कहना पड़ता है । उनकी जो बद्तर हालत है उसके संबंध में यह श्लोक कहना ठीक लगता है–''वैद्यराज्य नमस्तुभ्यम्, यमराज सहोदराः, यमस्तु हर्तुस्त प्राणानाम, वैद्य प्राण धनानि च'' यह हालत है आपके अस्पतालों की...(व्यवधान)...संस्कृत को दुहाई देकर आप यहां बैठे हैं । संस्कृत में न बोलूं तो क्या मैं अंग्रेजी में बोलूं । अस्पतालों की बड़ी दुर्गति है । अभी हमारे साथी किशन गोपाल जी बोल रहे थे, आगरा जिला अस्पताल में देखने से यह मालूम हुआ कि यह जैसे अस्पताल नहीं कोई बूचड़ खाना है । कहीं किसी रोगी को कोई पूछने वाला नहीं सारे के सारे डाक्टर्स नर्सिंग होम खोले हुए हैं । इसलिये इस गंभीर समस्या पर सरकार विचार करे और यह आदेश करे–सरकारी डाक्टर्स जो नर्सिंग होम चला रहे हैं इस पर सख्त रोक लगाई जाये । साथ ही जो नर्सिंग होम के चार्जेज हैं उसके लिये कोई नीति बनाई जाये कि इससे ज्यादा शुल्क कोई नहीं देगा ।

चिकित्सा शिक्षा का जहां तक सवाल है, शिक्षा चिकित्सा के मामले में पहले सारे देश में अपने प्रदेश का नाम बड़े आदर से लिया जाता था । लेकिन अब उसमें भी बड़ी बेईमानी और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है जिससे प्रदेश की बड़ी बदनामी हुई है सारे मिनिस्टर्स की चिट्ठियां पकड़ी गयी हैं कि हमारे कैण्डीडेट्स को पास कर दो । दो-दो बार परीक्षाएं हुईं, मेरिट लिस्ट में भी बड़ा गोल माल और

घपलेबाजी हुई । सब लोग रिट में चले गये । ऐसी बातों को देखकर हमें तो बड़ी शर्म आती है लेकिन इन्हें न तो अपनी कोई शर्म है न प्रदेश की बदनामी का कोई ख्याल है । इन्हें न अपनी इज्जत का ख्याल है न अपनी सरकार की इज्जत का । इन्हें योग्य डाक्टर नहीं मिलेंगे तो लोगों का स्वास्थ्य कैसे बनेगा मैं दूसरी बात राष्ट्रीय प्रोग्राम की कहना चाहता हूं । नसबंदी आपरेशन जो हो रहे हैं उनमें भी बड़ा घोटाला है । मेरे आस-पास के दो तीन जिलों के बारे में आप दिखवा लीजिए । फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी आदि के जिलों में नब्बे फीसदी नसबंदी फर्जी हो रही है ।

मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह कहीं से भी सौ आदमियों की सूची मंगवाकर जांच कर लें तो उन्हें उसमें से नब्बे आदमियों की नसबन्दी फर्जी मिलेगी । यह बात मैं निश्चित रूप से उनके संज्ञान में ला रहा हूं वह इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें । इससे दो नुकसान हैं, एक तो राष्ट्रीय कार्यक्रम की क्षति हो रही और दूसरी तरफ सरकार का पैसा बेकार में जा रहा है । जो रुपया इसके अंतर्गत मिलता है वह सारा रुपया डाक्टर्स लोग ले लेते हैं और फर्जी नाम लिख कर दे देते हैं । जो मलेरिया निवारण कार्यक्रम है वह भी खत्म हो गया है । उसका असर अब बिलकुल जाता रहा है गांव में मलेरिया फैला हुआ है । लाखों-लाखों और करोड़ों-करोड़ों लोग उससे ग्रस्त हो रहे हैं । उस प्रोग्राम को फिर से आप उसी तरह चलायें । मलेरिया को खत्म करने के लिये उसी तरह की प्रभावी दवा का छिड़काव आवश्यक है । अब मैं एक बात अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं हमारे यहां का करैल अस्पताल उच्चीकृत हो चुका है लेकिन आज तक उसमें स्टाफ नहीं है । कोई डाक्टर नहीं है, महिला चिकित्सक नहीं है । एक्सरे मशीन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके लिये आपरेटर और प्लेट्स नहीं पहुंची है । इस अस्पताल को बने पांच साल हो गये हैं । इसलिये वहां स्टाफ भेज दिया जाय । मै मंत्री जी का आभारी होऊंगा यदि वह यह घोषणा कर दें कि स्टाफ इसी महीने पहुंच जायेगा । इसके साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० महेन्द्र नाथ पांडेय–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, अभी श्री बाबू राम यादव जी संस्कृत में श्लोक बोल रहे थे और उन्होंने यमराज की स्तुति किया और पिछले दिनों कारसेवकों को अयोध्या में मार कर यमराज को तर्पण किया था ।

मान्यवर, दो दिनों से सदन में दवाओं की खरीद के संबंध में चर्चा हुई थी लेकिन मैं सदन को एक चौकाने वाली बात बताना चाहता हूं कि चीन में एक जड़ी होती है जिससे एक रिवाइटल नाम की दवा बनती है जो ताकत की दवा है और वह दवा वी० आई० पीज० जैसे जजेस, मंत्री अधिकारी आदि उसे प्रयोग करते हैं किन्तु हमारी सरकार ने उसकी खरीद पर रोक लगाकर 5 करोड़ रुपये की बचत की है । मान्यवर, दवा न खरीदने के संबंध में जैसा हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वैसा किसी सरकार ने नहीं लिया था । दवा न खरीदने के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा इसलिये हुआ कि नई नीति के तहत पिछले दिनों जो दवा क्रय की गयी थी उनके बिलों को केन्द्रीय स्तर पर परीक्षण के लिये नीति बनायी और जब तक परीक्षण न हो जाये तब तक यह रोक है और नई दवा क्रय करने पर मानक के आधार पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है । ऐसा इसलिये किया गया कि कहीं ऐसा न हो कि गाज पट्टी 50 प्रतिशत खरीद ली जाये और गांवों में पेचिस के लिये दवा भी जनता को न मिले, इसलिये उसी के मुताबिक नीति मुख्य मंत्री ने बनायी है ।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु हमारी सरकार ने बड़ा काम किया है और पहली बार उ० प्र० के ड्रग कंट्रोलर को सरकार ने सस्पैंड किया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठ जायं ।

डा० महेन्द्र नाथ पांडेय–

मान्यवर, आयुर्वेदिक औषधि खरीदने में पहले सरकार अपनी फार्मेसी से दवाओं की आपूर्ति करवाती थी लेकिन अब लोकल परचेज होती है जिससे दवाओं की गुणवत्ता और प्रमाणिकता प्रभावित होती है । अतः मेरा सुझाव है कि पहले जैसे ही आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद की जानी चाहिये ।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि जनपद वाराणसी के चौबेपुर में महिला चिकित्सालय तथा सैदपुर और गाजीपुर में जो अस्पताल हैं उसको 100 बिस्तर का अस्पताल किया जाय और वाराणसी में भइठौली में स्टेट डिस्पेंसरी खोली जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

मान्यवर, आपने मुझे चिकित्सा बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

अभी सत्तापक्ष के श्री गांधी जी ने कहा था चिकित्सा विभाग के कर्मचारी अधिकारी 10-15 सालों से एक ही जगह पर तैनात हैं जिसके कारण यह अपना हक समझ चुके हैं कि गरीब मरीजों से अवैध वसूली की जाय इसको यह अपना हक समझते हैं जिससे मरीजों को बड़ी परेशानी होती है । इस ओर ध्यान दिया जाय ।

मान्यवर, बांदा में विगत दिनों जिला अस्पतालों में श्री केशव गुप्ता और श्रीमती मनोरमा श्रीवास्तव द्वारा खुले आम घूस ली गई और ली जा रही है जिसको मंत्री जी वहां स्वयं जाकर देख सकते हैं और चूंकि उनको वहां कोई पहचानता नहीं है इसलिये उनके हाथ से ही मैं घूस दिलवा दूंगा ।

उनको किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है । यह हाल है आज का 26 जनवरी के दिन डा० सुभाष चन्द्र गुरुदेव जो डिप्टी सी० एम० ओ० हैं ने एक टीकाकरण कार्यक्रम के लिये मुझे और जिलाधिकारी बांदा को बुलाया । कहा कि टीकाकरण का एक शिविर लगा है जरा चलकर निरीक्षण कर लें । मान्यवर, जब हम मौके पर पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर एक भी आदमी नहीं है । यहां तक कि उनके स्टाफ का भी कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था । आदमी नाम की हम लोगों के अलावा कोई चिड़िया नहीं थी । जिलाधिकारी ने पूछा गुरुदेव जी यह क्या है । गुरुदेव जी मौन थे । मैंने ज़िलाधिकारी, बांदा से कहा कि आप टीका लगवा लें, मैं टीका लगवा लूं । और घर चलें बस टीका करण हो गया । मान्यवर, यह हाल है कि इस सरकार के समय में 17-17 सालों से डाक्टर, नर्स एक ही जगह पर तैनात हैं और वह अपना हक समझकर खुले आम पैसे लेते हैं अस्पतालों में । अस्पतालों में गन्दगी का यह हाल है कि कुछ नहीं कहा जा सकता । अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात को दोहराया है । अगर नर्क किसी को देखना है तो वह जिला अस्पतालों में जाय । मान्यवर, जिला अस्पताल बांदा में बिजली की व्यवस्था आप देख लें । मरीज अपने पैसे से बल्ब इत्यादि लगाता है तब जाकर वहां रोशनी हो पाती है । मैं इन्ही शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय दीक्षित जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सतीश भाटिया का नाम पुकारे जाने पर श्री अमरेश चन्द्र द्वारा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

क्रम के बारे में आपसे ज्यादा ध्यान मुझे है । मैं उसी हिसाब से सुन रहा हूं ।

श्री सतीश भाटिया–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह पहला बजट है जिसमें सभी दृष्टि से इसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया गया है । अभी औषधि क्रय की बात हो रही थी और दो दिन इस पर चर्चा भी रही । इस संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माणशालाएं लगभग 1,000 ऐलोपैथी की हैं । अभी तक जो दवाइयां क्रय होती थीं उसमें प्रदेश की औषधि निर्माता कम्पनियों को बराबर का शेयर मिलता था । इस बार अस्पतालों में दवाइयां नहीं जा पाईं इसका बड़ा कारण है टेण्डर नहीं आमंत्रित किये गये बिना किसी निविदा के मल्टी नेशनल और गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग की कम्पनियों से दवाइयां आपूर्ति की गई हैं । इस व्यवस्था में कहीं न कहीं सुधार लाया जाना चाहिये । निविदा करानी चाहिये । सबको समान अनुपात क्यों नहीं देते । गवर्नमेंट अन्डर-टेकिंग, मल्टी नेशनल या जो छोटे-छोटे दवा निर्माता हैं, सबको बराबर अधिकार दिया जाना चाहिए । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ऐलोपैथिक में दो प्रकार की भिन्नता नहीं हो सकती । एक एस्प्रीन जो गर्वन्मेंट अन्डर टेकिंग या निजी कम्पनी की बनाई हुई है, वह खराब हो, मल्टी नेशनल कम्पनी की बनाई अच्छी हो । ऐसा नहीं है । यह कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज नहीं है, प्लास्टिक का सामान नहीं है कि इस कंपनी की अच्छी है और उस कम्पनी की खराब है इसका मानक एक ही होता है । एक बात और कहना चाहता हूं इलैक्ट्रोपैथ के लिये छात्र धरना कर रहे हैं । जापान, चीन के अन्दर इनको मान्यता प्राप्त है । इसलिये निवेदन है कि इसे होम्योपैथी के साथ जोड़कर मान्यता दी जाय । औषधि नियंत्रण विभाग बड़ा अपंग है । अभी माननीय महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि ड्रग कन्ट्रोलर को सस्पेंड कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सतीश भाटिया–

ड्रग इन्सपेक्टर की 72 पोस्ट हैं और 56 भरी हैं शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए, कड़े प्रतिबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री सतीश भाटिया–

असिस्टेंट कन्ट्रोलर की आठ पोस्टें हैं एक भी नहीं भरी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अपने ऊपर सख्ती क्यों करवा रहे हैं ।

श्री सतीश भाटिया–

सफाई की बात कहना चाहूंगा । हम पी० जी० आई० में जाते हैं वहां सफाई रहती है । मेडिकल कालेज जाते हैं वहां सफाई रहती है । वहां पी० जी० आई० में पता किया तो सफाई ठेके पर होती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सतीश भाटिया–

तो सफाई की उचित व्यवस्था ठेके पर ही होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट जो रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हृदय नारायण जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जो आज देश में हालत है स्वास्थ्य की, खासतौर से प्रदेश में जो स्वास्थ्य की हालत है वह चिन्ताजनक है, वर्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन के अनुसार "हेल्थ इज नाट मेयरली एन एक्शन टेस्ट इट इज ए स्टेट आफ कम्पलीट मेंटल एण्ड फिजिकल वेल विइंग"

प्रदेश में जो आंकड़े हैं स्वास्थ्य को लेकर के वह अत्यन्त चिन्ताजनक हैं चाहे आप स्वास्थ्य सेवाओं के किसी आंकड़े को ले लें। डा०–जनसंख्या के अनुपात को ले लें, चिकित्सा सेवा जनसंख्या के अनुपात को ले लें। रोगी संख्या–जनसंख्या के अनुपात को ले लें, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–जनसंख्या के अनुपात को ले लें, आर्थिक दृष्टि से भी और प्रदेशों की तुलना में हमारा प्रदेश पिछड़ा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं सन् 2 हजार तक हम सबको समुचित स्वास्थ्य दे पायेंगे। एक परिवार में एक संतति का लक्ष्य होगा। जो आकड़े हैं वह बताता हूं कि एक इस प्रदेश में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुपात में 29,500 जनसंख्या है और डाक्टरों की संख्या का अनुपात एक के अनुपात में 4500 है। इसको देखते हुए और प्रदेशों की तुलना में हम बहुत पिछड़े हैं। चीन का सिस्टम जो मेडिसिन का सिस्टम है वह बहुत बढ़िया है। सरकारी तन्त्र डाक्टर को डाक्टर की दशा बताते हैं, ज्यों ही जहां बीमारी होती है उस इलाके के डाक्टर को पैसा देना वहां बन्द कर दिया जाता है तो डाक्टर का रुझान जनसंख्या को स्वस्थ कर रखने की तरफ होता है। लेकिन यहां के डाक्टरों का रुझान होता है कि ज्यादा के ज्यादा बीमार बढ़ें। आज मेडिकल कालेजों में देख लें सब का सब स्टाफ चाहे डाक्टरों को देख लें चाहे पैरा मेडिकल कर्मचारियों को देख लें। सब के सब प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त रहते हैं। मान्यवर, जितनी भी दवा प्रयोग के लिए हैल्थ सेन्टर में आती है वह ब्लैक हो जाती है कोई रोग होगा तो लम्बी चौड़ी फेहरिस्त दवा की दे दी जाएगी। मेडिकल कालेजों में सरकारी सेवाओं में दवायें खरीदने की मद में कोई पैसा दिया नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है दुरुपयोग ही होता है। फिर दवाओं पर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो लक्ष्य बनाया गया था वह पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि अभी एक अमेरिका से टीम आयी थी। उसने परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिये अनुमति देने की बात कही थी। कई स्टेट का कम्पटीशन हो गया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं वह जानते होंगे। उस टीम ने स्वास्थ्य विभाग पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार को वह सारा खर्चा दे देंगे लेकिन उसका इम्पलीमेन्टेशन अमेरिकन एजेंसी के माध्यम से होगा। वह जानते थे कि यहां के अधिकारी फर्जी आंकड़े पेश करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

डा० बृजभान यादव–

स्वास्थ्य विभाग का बजट जिनको पेश करना चाहिये था वह पेश नहीं कर सके हैं । एक अत्यन्त दुर्बल और वयोवृद्ध मंत्री जी से स्वास्थ्य विभाग का बजट रखवा दिया है । इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना स्वस्थ है । मान्यवर, बिहार में जनता दल की सरकार है । वहां पर क्वेक्स, ओझा, वैद्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है । मैं चाहूंगा कि जिस तरह से बिहार में इन पर रोक लगा दी गयी है उसी प्रकार से इस प्रदेश में व्यवस्था की जानी चाहिये । ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी गरीब लोग शिकार हो जाते हैं वह बच सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सुधाकर वर्मा–

मान्यवर, आपने जो मुझको स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका विशेष आभारी हूं । मानव के जीवन में स्वास्थ्य की नितांत आवश्यकता है । माननीय सदन में जो माननीय मंत्री जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जनसाधारण तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है । यह प्रयास अति सराहनीय है । प्रदेश में अभी भूकंप आया था जिसमें हमारी सरकार द्वारा विशेष सराहनीय कार्य किये गये और जो लोग दैवी आपदा से ग्रस्त हो गये थे उनको विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवायें अर्पित की गयीं । सरकार की दूसरी उपलब्धि यह रही कि अभी कुंभ मेला हुआ था उसमें चिकित्सा की विशेष सुविधा दी गयी थी जिसकी प्रदेश भर में सराहना की गयी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में जो अंशकालिक चिकित्सक थे, 5 वर्ष से परेशान थे उनको ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्ति दी । इसके अलावा 2 हजार रिक्तियां जो इस प्रदेश में हैं उनके सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुधाकर वर्मा–

मान्यवर, आपने खत्म करने को कहा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और जो बजट प्रस्ताव रखा गया है उसका पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर माननीय दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं । श्रीमन् यह विभाग सीधा आम जनता से, ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता से जुड़ा है । मान्यवर, मैं केवल 3-4 बातें बिन्दुवार कहना चाहूंगा । श्रीमन्, अभी पिछले दिनों कल परसों में द[illegible]की बात उठी थी । माननीय नेता विरोधी दल ने उठायी थी । यह सच है कि पूरे उत्तर प्रदेश के किसी अस्पताल में मेरी समझदारी से दवा नहीं है, खरीदी ही नहीं जाती सरकार द्वारा, नहीं कह सकता, लेकिन दवा नहीं मिल रही है, यह स्पष्ट है । दूसरे मेडिकल कालेज की बात आयी । मैं मेडिकल कालेज में एक महीने स्वयं रहा । माता जी बीमार थीं तो लखनऊ में एक महीने रहने का अवसर मिला । वह मेडिकल कालेज तो है ही नहीं । वहां कोई आदमी नहीं रह सकता है । इतनी गन्दगी, इतनी दुर्व्यवस्था और इतना खराब अस्पताल तो देखा

ही नहीं । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में, मैंने मुख्य अधीक्षक से बात की थी, एक लिफ्ट है पूरे मेडिकल कालेज में, वह भी सन् 52 की बनी हुई । वह रोज सुबह रिपेयर होती है तो शाम तक चलती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । श्रीमन्, सरकारी अस्पतालों में, हम देहात के रहने वाले हैं , किसी अस्पताल में कोई डाक्टर मेरी समझदारी से बैठता ही नहीं है । वही डाक्टर जो अस्पताल का डाक्टर है, प्राइवेट रूप से रुपया भले ही लेता है, बड़े प्रेम से देखता है । अस्पताल में कोई डाक्टर बैठने के लिये तैयार नहीं है । आपने देखा होगा कि पूर्वांचल में, हमारे मऊ जनपद में नर्सिंग होम नहीं थे, लेकिन अब इस तरह के नर्सिंग होम हर जनपद में बढ़ रहे हैं । वहां डाक्टर रुपया भले ही लेता हो, लेकिन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से देखता है । कोई सरकारी डाक्टर देखने के लिये तैयार नहीं है । कोई ए०एन०एम० अपने स्थान पर नहीं रहती । चाहे जितनी तनख्वाह लेती हो । यह सच है कि यह उन्हीं का दोष नहीं है । हमारे कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि पूरे विभाग को ठीक कर देंगे । पहले से होता आया है । यह नहीं है कि भाजपा सरकार की वजह से है, लेकिन कोई अपने स्थान पर नहीं रहता ए०एन०एम० और कम से कम कर्मचारी तो अपने स्थान पर रहे । परिवार कल्याण की बात आयी । विधान सभा में सवाल रखा गया था उसमें जवाब मिला था कि परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भावनपुर, आजमगढ़ में 36 नसबन्दियां हुईं और 36 में श्रीमन्, 3 वर्ष के लड़कों का उस लिस्ट में नाम है माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो उत्तर मिला था 3 वर्ष के लड़कों की आयु अंकित की गयी थी । तीन-चार-पांच वर्ष के लड़कों का नाम फर्जी रूप में दिखा कर, चाहे जो भी लाभ मिलता हो, फर्जी काम हो रहा है । एक बात और कहूंगा । कल नियम 51 में मच्छर के लिये सूचना दिया । मुख्य मंत्री जी का जवाब आया, मान्यवर, आपके पास तो ए० सी० होगा । जहां जाते होंगे ए० सी० मिलता होगा, लेकिन देहातों में इतने मच्छर हैं कि आम जनता में संक्रामक रोग फैलने की स्थिति पैदा हो गयी है और इसमें श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी का जवाब आ गया कि डी०डी०टी० का छिड़काव करने की व्यवस्था मेरे विभाग में नहीं है । मैं चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था की जाय कि मच्छर दूर हो सकें । हमारे यहां मधुवन में एक छोटा सा अस्पताल है उसको उच्चीकृत करने के लिये शासन के पास प्रस्ताव आया है । वह ऐसी जगह है जो हिन्दुस्तान की आजादी से जुड़ी है । वहां के छोटे से अस्पताल को उच्चीकृत करने के लिये प्रस्ताव आया है, मैं चाहूंगा कि उसका उच्चीकरण कराएं । अब सबसे महत्वपूर्ण मान्यवर, आयुर्वेद है । आयुर्वेद अस्पताल के माध्यम से छोटे, गरीब लोगों को बड़ी स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां मिलती हैं । मै चाहूंगा कि मंत्री जी ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल–

मैं एक बात की शिकायत माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं कि कर्पूरासव से सैकड़ों व्यक्ति मर गये, उसको बनाने वाली गाजियाबाद की एक फैक्ट्री थी और सैकड़ों फार्मेसियों को बन्द कर दिया, जिससे सरकार को 20 करोड़ रुपये इक्साइज के रूप में और सेल्स टैक्स के रूप में मिलता था । मैं अभी आगरा गया था, वहां पर हमसे तमाम फार्मेसी वाले मिले थे, जो एलोपैथिक की दवाइयां बनाते थे, वहां दवाइयां अब राजस्थान से और हरियाणा से आकर बिक रही हैं । इसलिए इन एलोपैथिक फार्मेसियों को चालू करने की इजाजत दे दी जाय । जो फार्मेसियां निर्दोष हैं, उनको आप कम से कम मुक्त कर दें और उनको बनाने की इजाजत दे दें । दूसरा श्रीमन् आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त परिवार

नियोजन की बहुत आवश्यकता है, चाहें आप इससे सिद्धान्त रूप से सहमत हों या न हों, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, क्योंकि आबादी हमारे प्रदेश की 13 करोड़ के ऊपर हो गयी है, इसलिए इस योजना को और सख्ती से लागू किया जाय तथा त्वरित गति से चलाया जाय । एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बनारस में पाण्डेपुर के पास एक अस्पताल 500 शैय्या का वर्षों से बन रहा है, अभी अधूरा पड़ा है, मुझे पता चला है कि इसके लिए आपने कोई बजट नहीं रखा है । अभी यह कम पैसे में बन जायगा, बाद में इस पर करोड़ों रुपया खर्च होगा । इसलिए इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाय ।

इसी के साथ मान्यवर एक निवेदन और करना चाहता हूं कि 34-35 अंशकालिक महिला चिकित्साधिकारियों को 4-4. 5-5 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया, वे विधान सभा के सामने धरने पर बैठी हैं, हम लोगों को आते-जाते वे सबसे अपनी व्यथा को सुनाती हैं । इसलिए इनको भी समायोजित कर दें । एक चीज और कहना चाहता हूं कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की जगहें 85-86 से रिक्त पड़ी हैं, और लोक सेवा आयोग ने 91 में उनका इण्टरब्यू भी लिया, लेकिन परीक्षाफल नहीं घोषित किया । इसलिए होम्योपैथिक की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए और होम्योपैथिक कम्पाउण्डर की ट्रेनिंग भी पहले कराई जाती थी, उसको भी 88 से बन्द कर दिया गया है इसलिए इसको चालू किया जाय । मैं चाहता हूं कि जब होम्योपैथिक को मान्यता मिल गयी है, तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनके बारे में कुछ करें । श्रीमन् हमारे क्षेत्र 245-विधान सभा में बरहीनेवादा राजकीय एलोपैथिक अस्पताल है, इसको खोलने के पहले सन् 82 में सरकार ने मुझसे कहा कि जमीन और रुपया किसी से दिलवा दीजिए, तो उसके वारिशों के नाम मेमोरियल अस्पताल रख दिया जायगा । बड़ी मेहनत के बाद श्री सगीर अली वगैरह ने मेरे कहने पर 1 लाख रुपया और एक एकड़ 20 डिस्मिल जमीन स्वास्थ्य विभाग को दान में दे दिया, लेकिन आज तक उनके वारिश श्री स्वर्गीय रज्जब अली का नामकरण नहीं किया गया, इसको दिखवा लें और नामकरण करा दें ।

मैने एक बात का निवेदन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से किया था कि हमारे क्षेत्र में पिंडरा अस्पताल है, वहां पर भवन है, आपरेशन थियेटर है, सब कुछ है और 14 बेड भी हैं इसको 30 बेड का करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आप इस पर ध्यान दें और इसको करवा दें । हमारे विधान सभा क्षेत्र 245. कोलअसला में ब्लाक बड़ा गांव में एक स्थान नथईपुर है, वहां पर आप एक नया अस्पताल खोल दें, यह स्थान दूसरे अस्पतालों से 8 किलोमीटर की दूरी पर है । इसके अलावा पिंडरा में एक स्थान खालिसपुर है, जहां पर रेलवे स्टेशन है और जौनपुर के बार्डर पर पड़ता है । इस क्षेत्र में भी कोई अस्पताल नहीं है, यहां पर भी एक अस्पताल खोलने की कार्यवाही करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री घन श्याम शुक्ल–

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं । मै स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज हमारे विपक्ष में बैठे हुये सभी लोग मैं देख रहा हूं कि बार-बार शेम-शेम के नारे लगाते हैं, यह शर्म नहीं करते हैं कि इतने दिनों तक राज्य किया है, कांग्रेस ने अपने शासन को चलाया है और दो ढाई साल तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनता दल ने शासन चलाया है, लेकिन उन्होंने व्यवस्था बिगाड़ने के बजाय और कुछ नहीं किया है और आज 9 महीने की सरकार पर शेम-शेम करने चले हैं । मान्यवर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, डाक्टर आज तक अस्पताल नहीं जाते थे, वहां पर वह बैठना पसन्द नहीं करते थे और प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, वह अस्पतालों में नियमित रूप से जा रहे हैं । हमारी सरकार ने चिकित्सकों के जितने पद भरे हैं, उतने किसी भी सरकार ने नहीं भरे हैं, इसमें हमारे मंत्री जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । पिछली सरकारों ने कभी नहीं देखा कि पद खाली हैं और उसके कारण जनता को परेशानी हो रही है, इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है । आज अस्पतालों में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है । मान्यवर, जब पौधा नया होता है तो वह धीरे-धीरे बढ़ता है । अस्पतालों में भ्रष्टाचार इतना था कि वह धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है । डाक्टर क्लिनिक चलाते थे और नरसिंग होम चलाते थे और अस्पतालों में जाते नहीं थे, इस व्यवस्था को हम धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है ।

मान्यवर, 80 प्रतिशत जिले पर और 20 प्रतिशत केन्द्र पर खरीद करने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है । मान्यवर, पौधा धीरे-धीरे बड़ा होगा और भ्रष्टाचार धीरे-धीरे दूर होगा और काफी कुछ हम दूर करने मे सफल भी हुए हैं । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है मैं उसका पुरुजोर समर्थन करता हूं ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री जागेश्वर–

मान्यवर, मैं बोलूं, 7.15 हो गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आप बैठ जायं, थोड़ी देर बाद बोल लेना ।

श्री महक सिंह–

मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया जब तक शरीर स्वस्थ्य नहीं होगा तब तक मस्तिष्क भी स्वस्थ्य नहीं होगा और न शरीर ही ठीक होगा । मान्यवर, यह जो स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश किया गया है इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, यह सभी की चिन्ता का विषय है, आज स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत चिन्तनीय हो गई है । मान्यवर, अभी हमारे साथी ने बताया कि शहरों में जो बड़े-बड़े हास्पिटल हैं । वहां पर कोई उचित इंतजाम नहीं है, गंदगी का साम्राज्य है, चिकित्सा सुविधा ठीक प्रकार से नहीं दी जा रही है इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी बदतर है । वहां पर न कोई डाक्टर आता है और न ही दवाइयां मिलती हैं और जो दवाई होती हैं वह ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती हैं और जो डाक्टर हैं वह प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं तो इस हालत में स्वास्थ्य विभाग का बजट बिल्कुल बेमायने है ।

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जैसे ग्राम टांडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है वहां पर डाक्टर नहीं आते हैं । वहां पर भूमि उपलब्ध है लेकिन कोई भवन निर्माण कार्य नहीं किया गया है । मान्यवर, ग्राम नांगल में जिला परिषद का चिकित्सालय है वहां कोई डाक्टर नहीं है और

जो कम्पाउण्डर है वह दवा बेच लेता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनपुर बराल में न तो डाक्टर समय पर आते हैं और न ही वहां पर दवाई मिलती है । गांव धनौरा सिल्वर नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है वहां पर भवन नहीं है और डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिशनर की तरह काम करते हैं । तो इस हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में सुधार हो रहा है और बजट अच्छा प्रस्तुत किया गया है।

मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों का भीषण प्रकोप है । मलेरिया की जो दवाई दी जाती हैं वह भी ठीक प्रकार से काम नहीं करती है तो मेरा अनुरोध है कि शहरों में जो दवाई छिड़कने की मशीन है, दवा छोड़ने की मशीन है उसका भी प्रयोग शहरों की तरह ग्रामों में किया जाय ।

मान्यवर, छपरौली में एक उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया था वहां पर एक्स-रे की मशीन नहीं लगायी गयी है । मान्यवर, जहां पर एक्स-रे की मशीन लगी हुई है वह स्थान छपरौली से बहुत दूर है इसलिये छपरौली में एक्स-रे मशीन की तुरन्त व्यवस्था की जाय । मान्यवर, इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि अधिकांश डाक्टर शहरी क्षेत्र के होते हैं और वे गांव में नहीं रहना चाहते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि 60 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए इसमें आरक्षित की जाय ताकि वह गांव में रहकर गांव वालों की सेवा कर सकें ।

मान्यवर, सी०पी०एम०टी० की परीक्षा हुई थी उसमें काफी धांधली हुई है और 3-3 बार टेस्ट हुए हैं। इसमें परीक्षाफल शीघ्र घोषित न होने के कारण छात्रों को काफी परेशानी होती है । इसके साथ ही यह भी कहूंगा कि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को भी विकसित किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत किये गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

[समय 7 बजकर 20 मिनट]

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने मुझे मा० हृदय नारायण दीक्षित जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान मैनपुरी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर पाये जाते हैं । मुंह का कैंसर वहां पर ज्यादा होता है । यह मैनपुरी तम्बाकू की वजह से है । छोटी उम्र में ही बच्चों को तम्बाकू की आदत पड़ जाती है । मेरा कहना यह है कि जहां दवाई से रोग समाप्त होता है वहीं नीति से भी समाप्त हो सकता है । मैनपुरी तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिए । अभी एक सदस्य ने कहा कि मैनपुरी के सी०एम०ओ० को निलम्बित कर दिया । अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य शासन के संज्ञान में लाया होता कि सी०एम०ओ० भ्रष्ट है तो मुझे खुशी होती लेकिन मैंने ही प्रश्न किया था । मुख्य मंत्री जी ने मेरी बात पर बल दिया और उस सी०एम०ओ० के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप पाए और उसे निलम्बित कर दिया । अगर सारे सदस्य भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर लग जायें तो भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है । लेकिन सी०एम०ओ० की बहाली के लिए दलाल लग गए हैं । उन्होंने ठेका ले लिया है । वे दलाल भारतीय जनता पार्टी के हैं । उन्होंने कहा है कि वे भ्रष्ट सी०एम०ओ० को बहाल करायेंगे । दूसरी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है कल के 302 के जो मुकदमें चलते हैं उसमें अकसर वह रिपोर्ट सम्मिलित होती है ।

जैसा राष्ट्रीय चरित्र गिर रहा है । मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता हूं लेकिन गल्ती हो जाती है और कत्ल के मुकदमें छूट जाते हैं । मेरी मांग है कि पोस्टमार्टम में एक डाक्टर के स्थान पर दो डाक्टर नियुक्त किए जायं । अगर कोई रिपोर्ट चैलेंज करता है तो वह बोर्ड में भेजी जाती है । अभी आयुर्वेदिक और युनानी चिकित्सकों की बात हो रही थी वहां पर ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जिनको 1934 से मात्र 25 रुपये मासिक वेतन मिलता है । इस ओर शासन ध्यान दे । एलोपैथिक चिकित्सालयों में शासनादेश है कि 80 प्रतिशत दवाएं सी०एम०ओ० द्वारा खरीदी जायेंगी और 20 प्रतिशत हैडक्वार्टर से खरीदी जायेंगी लेकिन इसका उल्टा हो रहा है । अस्सी प्रतिशत दवाएं हैडक्वार्टर से खरीदी जा रही हैं और बीस प्रतिशत दवाएं जिले में सी०एम०ओ० द्वारा खरीदी जा रही है । इसी के साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री किशोरी श्याम–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं ।

(इस समय 7 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

मान्यवर, हर क्षेत्र में चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, गन्ना विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, कमर कस करके हमारी सरकार ने तय कर लिया है कि हम समस्याओं को सुलझा करके ही दम लेंगे । मैं आपके माध्यम से एक चीज का रहस्योघाटन करना चाहता हूं । अभी तक यहां पर किसी ने सांप की दवा का जिक्र नहीं किया । मान्यवर, सांप की दवा के विषय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को तोहफा देना चाहता हूं । मैंने अपने हाथ से सैकड़ों सांप काटे हुए आदमियों को ठीक किया है । मेरी दवा से चाहे कितना ही विषैला सांप क्यों न काट जाय आदमी ठीक हो जाता है । मेरे पास इंजेक्शन भी है, पीने की भी दवा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को वे भेंट करना चाहता हूं मैं चाहूंगा कि उस दवा को लेकर प्रदेश का लाभ करें । मैं बराबर देख रहा हूं कि सांप की दवाई के लिये तमाम रिसर्च वर्क चल रहे हैं जो व्यवस्था है अगर उसमें कोई ठीक तरीके से जहरीला सांप काट लेता है या तो व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है । मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा जो पोस्टमार्टम होता है इस पोस्टमार्टम में यह जो मुआयना होता है इसमें गलत काम हो जाता है उस गलत काम से प्रयास करेंगे कि उसको पूर्णतया रोका जाय । पट्टा धर के 307 और 325 बना लेते हैं उसको रोकने की जरूरत है । जो भारतीय पद्धति है वे दवायें हमारे यहां जरूर चलनी चाहिये । एक-एक दवा होम्योपैथी का जो इलाज होता है उसकी जो दवा होती है एम० भट्टाचार्य–कलकत्ता की जो दवा होती है वह दवा इतनी बढ़िया होती है, हमारे यहां अनूपशहर में दवा इसकी बनती है लेकिन प्रदेश में अन्य स्थान पर होम्योपैथिक की दवा बनाने का स्थान नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि एम० भट्टाचार्य कलकत्ता की जो दवायें बनती हैं, उस प्रकार की दवायें यहां भी बनायी जायं । होम्योपैथिक की एक खुराक से सारा रोग नष्ट हो जाता है । इंजेक्शन इतना जल्दी काम नहीं करता है जितनी होम्योपैथिक की दवा काम करती है । अगर एम० भट्टाचार्य कलकत्ता की तरह की दवायें यहां बनायी जायं तो बहुत लाभ होगा । इसके अलावा हमारी पुरानी आयुर्वेदिक दवायें है ठीक प्रकार से हम उसका उपयोग करायें तो हमें भारी लाभ होगा हमारे यहां जड़ी बूटी का उत्पादन होता है , संजीवनी बूटी की बाबत सबको पता ही है । हमारे यहां तरौली में सोमवती होती थी, तरोली तालाब में लोग स्नान करते हैं । उनको बढ़ावा दिया जाय तो बहुत बड़ा लाभ होगा । आपने लाल बत्ती जला रखी है, इतनी सारी बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री जागेश्वर प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने हमें समय दिया । कल्याण सिंह जी के साथ में मैं स्वास्थ्य मंत्री था । उस जमाने में जो हमारा काम था वह सराहनीय था । हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मैं समझता हूं कि बड़े अनुभवी आदमी हैं कर्मठ हैं । अगर शासन प्रशासन ठीक तरह से काम करे तो काफी सुधार हो सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है ।

पहले क्षेत्र के विषय में बात कह रहा हूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा । कल्याण सिंह जी और रामनरेश ने मेरे फतेहपुर जिले के लिए बहुत मेहरबानी की थी जो हमारा कुशवाहा गांव घाता ब्लाक में है वहां अस्पताल की मंजूरी हुई थी लेकिन वहां पर अस्पताल नहीं बन रहा है । हमारे यहां कई अस्पताल जो कोटा गढ़ा, सरकन्डी, कुशवाहा, सौर, किशनपुर में हैं वहां पैसा नहीं दिया गया है, कुशवाहा में बिल्डिंग बनी हुई है, करसीपुर जो जमुना के किनारे है और वहां पर केवट, कहार और कुर्मी वगैरह रहते हैं वह बेचारे दवा के अभाव में मर रहे हैं, उनके बच्चे दवा के अभाव में मर जाते हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र 282–किशनपुर में स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री मेहरबानी करेंगे और उसको देखेंगे और फतेहपुर में जो अस्पताल बन रहा है, हमारे कल्याण सिंह जी की मेहरबानी से और राम नरेश जी की मेरहबानी से उसमें तेजी से काम नहीं हो रहा है अतः मै माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां का कार्य तेजी से पूरा हो ।

अब मैं आगे बढ़ रहा हूं । खुदा और ईश्वर जिसे आप मानते हैं उसी की बदौलत आज आप हुकूमत में हैं । आज परमात्मा ने कई चीजें मुहैय्या कर दी हैं जैसे चावल, दाल, अंगूर, बादाम, किसमिस, छुआरा, अखरोट, इलायची किसी चीज की कमी नहीं है । तरह-तरह के कपड़े हैं गुरू लोग अपना तो मखमल का कपड़ा पहनते हैं मगर चेलों को बोरा पहनने को देते हैं इसलिये महंगाई बढ़ गई हैं । अध्यक्ष जी, मै कहना चाहता हूं कि हमने 1 अगस्त को शपथ ली थी और 1 सितम्बर, को मैंने इस्तीफा दिया था, कुल एक महीना मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम किया । इस बीच मैंने 20-25 जगह छापा मारा, मुख्य मंत्री के दामाद को पकड़ा, चौधरी साहब के दामाद को पकड़ा, इलाहाबाद में छापा मारा और बस्ती में 10 बोरे दवाइयां पकड़ीं जो वहां की इन्सपेक्टर थी वह मुझसे माफी मांगने लगी, मैंने कहा कि इसे जेल भिजवा दो यह गरीबों का खून चूस रही है । कोई भी ठेकेदार और कोई भी अधिकारी बचा नहीं । हमारे बागला साहब, हमारे यहां जिलाधिकारी रहे हैं, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और इस समय स्वास्थ्य सचिव हैं तो यह जो गड़बड़ी हो रही है इसे आप देखें...

श्री अध्यक्ष–

माननीय जागेश्वर जी, आप कृपया समाप्त करें ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

आज गरीबों को दवाई मिलनी चाहिये, चाहे पूंजीपतियों या बड़े आदमी को मिले या न मिले । मैं आशा करता हूं कि भा० ज० पा० की सरकार है, जो नई सरकार है अनुभवी भले ही न हो, लेकिन हमें पूर्ण आशा है कि वह जो बेइमान होंगे उसे बख्शेंगे नहीं । जो बेईमान है वह बचा नहीं है.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय जागेश्वर जी, कृपया समाप्त करें ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे एक बार मौका दें । मैं एक महीने के अंदर सबको ठिकाने लगा दूंगा इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं ...

कुर्सी भगवान देता है । आप ईमानदारी से काम करें, धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक है, इसलिये मैं पहले विपक्ष के दो-तीन सदस्यों को बुलवाऊंगा, उसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य को बुलवाऊंगा । माननीय जागेश्वर जी की बात हो गयी, अब वातावरण को गंभीर होने दें ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर–

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके विरोध में और जो माननीय हृदय नारायण दीक्षित ने कटौती प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, पिछले 10 महीने से जो यह मौजूदा सरकार आई है, तब से स्वास्थ्य विभाग का ही स्वास्थ्य खराब हो गया है । इस सरकार के समय में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है । वैसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं लेकिन मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा । स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिनांक 14-2-92 को एक स्थानान्तरण का आदेश निरस्त किया, मुरादाबाद मंडल के मुख्य खाद्य निरीक्षक के पद पर डा० सक्सेना का । लेकिन यहां के प्रमुख सचिव ने उनके आदेश की अवहेलना करते हुये एक कनिष्ठतम व्यक्ति को वहां पर नियुक्त कर दिया, जो शासनादेश के विपरीत है । वैसे तो गत वर्ष में जो सिद्धान्तहीन स्थानान्तरण की इस विभाग ने नीति अपनाई है, वह किसी से छिपा नहीं है । दूसरी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के जो मेडिकल कालेज और अस्पताल हैं, उनकी दशा बहुत खराब है और कहीं भी डाक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, डाक्टर यदि हैं तो दवा नहीं है और अधिकांश जगह डाक्टर कह देते हैं, स्टोर में दवा उपलब्ध नहीं है, बाहर से जाकर ले लो । डाक्टर्स अपने प्राइवेट क्लीनिक में दिलचस्पी लेते हैं और मेडिकल कालेज, अस्पताल के प्रति पूर्ण उदासीन रहते हैं, जब मरीज अस्पताल में जाता है तो वह उसे नर्सिंग होम के लिये रैफर कर देते हैं ।

इसी प्रकार मान्यवर, ग्रामीण स्थानों पर चिकित्सालय की स्थिति है, वहां तो डाक्टर ही नही मिलते, यदि कहीं भूले से डाक्टर मिल भी गया, तो दवा नहीं मिलती । मान्यवर, हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेदिक, यूनानी की, मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । वर्ष 91-92 में 110 चिकित्सालय खोलने का प्राविधान रख गया था, लेकिन एक भी चिकित्सालय नहीं खोला गया । इसी प्रकार इस बार भी 110 खोलने की बात कही गयी है, कम से कम इस बार माननीय मंत्री जी कुछ चिकित्सालय खुलवा दें । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सालयों में औषधियों की आपूर्ति हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुयी है, जो प्राविधान है भी, वह इतनी कम मात्रा में है, कि उससे कोई भला नहीं हो पाता, इसलिये मेरी मांग है कि धनराशि की मात्रा में वृद्धि की जाय । अभी तक वही सन् 1987 का निर्धारित मानक काम कर रहा है, उसके अनुसार 1 रुपया 18 पैसा प्रति रोगी पड़ता है, उसको बढ़ाया जाना चाहिये । मान्यवर, चिकित्साधिकारी के 150 और फार्मेसिस्ट के 136 पद समाप्त कर दिये गये हैं, जिसकी वजह से वहां के तमाम चिकित्सालय बंद पड़े हैं, जबकि वहां भवन भी है, अस्पताल भी है और सब सुविधायें हैं, लेकिन वहां पर चिकित्साधिकारी और फार्मेसिस्ट न होने से वह बंद पड़े हैं, अतः इन पदों को पुनर्जीवित किया जाय । मान्यवर, इस प्रदेश में 10 आयुर्वेदिक और 2 यूनानी कालेज कार्यरत हैं, इनमें भी 150 पद रिक्त हैं, इन पदों को भी भरने की व्यवस्था की जाय इसके अलावा हमारे यहां तीन औषधि निर्माण शाला लखनऊ, हरिद्वार और पीलीभीत में हैं । इन पर पूर्व से चली आ रही परिव्यय की राशि को बढ़ाया जाय । फैमली प्लानिंग पूरी तरह से चौपट है । मेरा तो यह मानना है कि जब तक बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा तब तक इन तमाम योजनाओं से कोई फायदा होने वाला नहीं है । चाहे वह बेरोजगारी की समस्या हो या अन्य कोई समस्या

हो सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है । यदि इसके लिये हमें कोई कानून यहां पर लाकर पास करना पड़े तो उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए । मैं अपने क्षेत्र में कपसाढ़ गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की मांग करता हूं और केली में एक जच्चा-बच्चा केन्द्र की मांग करता हूं । इस समय मेरठ जिले में जो चिकित्सालय चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है । वहां पर डाक्टर आयें और मरीजों को दवाइयां मिलें, इस ओर आप ध्यान देने की कृपा करें । इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मिहीलाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा विभाग पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कुछ छोटे-मोटे सुझाव देना चाहता हूं । चरखारी में विगत तीन वर्षों से एक्स-रे मशीन पड़ी हुई है, अभी तक उसे नहीं लगाया गया है । उसे लगाने की कृपा करें । चरखारी में 11 वर्षों से महिला डाक्टर नहीं भेजी गई है इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । यह एक बहुत ही पुराना रियासत का अस्पताल है । जो जीर्ण-शीर्ण हालत में है कुछ गांवों जैसे बमरारा, चन्दौली व पनवाड़ी हैं । गोरहारी में तो स्वास्थ्य केन्द्र है, लेकिन आज तक वहां डाक्टर व कर्मचारी नहीं पहुंचा है । इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में सांप के काटने वाले व कुत्ते के काटने वाले इंजेक्शन नहीं हैं, इसलिये इन दवाइयों को चरखारी अस्पताल में भिजवाने की कृपा करें । इसकी मांग मैं पहले से ही करता आ रहा हूं । हमारे यहां 25 शैय्याओं वाला एक आयुर्वेदिक अस्पताल है । जो किराये के भवन पर चल रहा है । इसके लिये नये भवन बनाने की मांग करता हूं । हमारे यहां ऐचान गांव में जिला प्लान से एक आयुर्वेदिक अस्पताल मंजूर था, परन्तु वह आज तक नहीं खुला है । यहां पर 30 हजार की जनसंख्या है । इसलिये मेरी मांग है कि इस अस्पताल को खुलवा दिया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद जय हिन्द ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे स्वास्थ्य बजट पर बोलने का मौका दिया मैं इसके लिये आपका आभार व्यक्त करती हूं और इस बजट का हृदय से स्वागत करती हूं । प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को सुखी, स्वस्थ और समृद्धशाली बनाये क्योकि उनके सुखी स्वस्थ और समृद्धशाली होने से प्रदेश की प्रगति संभव है उससे विकासशील योजनाओं का पूर्णरूप से संचालन होगा । हमारा जो यह बजट है यह पूर्णतः प्रगति का द्योतक है जिसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पहले जीवन की अनुसंशा 27 वर्ष थी अब यह 58.6 वर्ष हो गयी है । इससे पहले जितनी भी सरकारें आईं वे झूठे प्रलोभन देती रहीं और डाक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की । लेकिन इस बजट में इसकी व्यवस्था की गयी है और 2290 डाक्टरों को चयनित किया गया है और 190 महिला डाक्टर रखी गयी हैं । विगत सरकारों ने डाक्टरों को केवल लाठियां खिलाईं और प्रदर्शन करवाये अपने गलत कामों को छिपाने के लिये प्रदर्शन करवाये । इस सरकर ने 591 अंशकालिक डाक्टरों की तदर्थ नियुक्तियां की हैं । इस बजट में यह व्यवस्था की गयी है कि डाक्टर समय पर अस्पताल आये और मरीजों की पूर्णरूप से देखभाल करें और दवाइयों का ठीक से वितरण करें । लेकिन पहले से ही जो खराब व्यवस्था थी उसकी वजह से मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है । इस बजट में इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में भी 283 डाक्टरों की तथा 38 महिला डाक्टरों की व्यवस्था की गयी है । वहां डाक्टरों ने जी जान से कार्य किया है अभी थोड़े दिनों पूर्व वहां प्रकृति के द्वारा जो नरसंहार हुआ, भयंकर भूकम्प आया जिसमें डाक्टरों ने जान की बाजी लगा दी और 29,229 रोगियों की सेवा की

और कोई भी व्यक्ति महामारी का शिकार नहीं हुआ जब कि पहले ऐसे मामलों में हमेशा महामारी फैलती थी और शहर के शहर वीरान हो जाते थे ।

अब मैं अपने क्षेत्र चंदौसी की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहती हूं । अभी हमारे विपक्ष के सदस्यों ने अपनी अंतरव्यथा को प्रदर्शित किया और कहा कि 18-18 सालों से डाक्टर एक ही जगह पर तैनात हैं । तो यह उन्हीं की देन है । हमारे यहां भी चंदौसी में एक डा० मंजू गुप्ता हैं ।

जिनका घर वहीं है और उनके पति भी डाक्टर हैं वह विगत 18 सालों से वहीं हैं । जब स्थानान्तरण लिस्ट बनती है न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति आती है कि उनका नाम स्थानान्तरण लिस्ट से ही कट जाता है । यह सारी देन पिछली सरकारों की है जो अधिकारियों में समा गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देवी–

हमारे यहां 30 शैय्याओं का अस्पताल है उसमें 3 बैड भी ठीक नहीं हैं । मैंने प्रार्थना की थी कि इतनी बड़ी तहसील है जहां पर लगभग ढाई लाख जनता निवास करती है वहां पर 100 शैय्याओं का अस्पताल खुलवाया जाय । मैं उम्मीद करती हूं उस पर कार्यवाही होगी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही सुनिश्चित करायें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती गुलाब देवी–

पिछली सरकारों ने जो भी कार्य किये उसको इनकी वेदना कह रही है । गलत कार्य यह खुद करते हैं और कारण हमसे पूछते हैं । उनको खुद ही सोचना चाहिये । यह प्रदर्शन करके अपनी गलतियां छिपाते हैं ।

सदन की गरिमा भी नहीं रहने देते । अन्त में, मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस क्रांतिकारी और प्रगतिशील बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री मोहम्मद हसन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । स्वास्थ्य मंत्री जी का भाषण सुनकर आज यह बात सिद्ध हो गई है कि मौजूदा सरकार का स्वास्थ्य खराब है और उससे प्रदेश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती ।

अस्पतालों की हालत आज सभी के सामने है, वहां दवायें नहीं, सफाई नहीं और लाईफ सेविंग दवायें तक नहीं । अस्पतालों में जो कुछ है, वह लूट-खसोट और भ्रष्टाचार है । जहां ग्रामों और देहातों का सवाल है वहां की जनता दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं से बिलकुल महरूम है । मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह पी० एच० सी० सेन्टर्स की संख्या देहातों में बढ़ायें और वहां पर दवायें भी उपलब्ध करायें । एक चीज पर तवज्जह और दिलाना चाहता हूं, आपके अस्पताओं में एक नई चीज पिछले दो-तीन सालों से बढ़ रही है । मुझे सहारनपुर के अस्पताल में यह देखने को मिला, कि वहां पर दो-तीन डाक्टर ऐसे हैं जो 307 की इंजरी 5 हजार में और 308 की इंजरी 4000 में फर्जी तौर पर दिखा देते हैं ।

कोई आदमी इन डाक्टरों को रु० देकर फर्जी डाक्टरी रिपोर्ट प्राप्त कर लेता है । इस तरह से इन डाक्टरों ने वहां बड़ा भ्रष्टाचार फैला रखा है । इससे मुकदमेबाजी बढ़ती है और ऐसे लोगों की इन हरकतों द्वारा पैसे के बल पर निर्दोष लोगों को जेलों में जाना पड़ता है । इन डाक्टरों को आप पैसा दीजिए और मनमुताबिक फर्जी इंजरी रिपोर्ट बनवाइये । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस बात की जांच करायें कि वह सहारनपुर में कौन-कौन से डाक्टर्स है और उनकी पहचान करायें और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का कष्ट करें । मेरे क्षेत्र सरसावे में दो अस्पतालों के खोलने के लिये 36-36 लाख रु० मंजूर हुआ पड़ा है यह स्थान बेहद और चिलकाता हैं । इन अस्पतालों के बारे में जिलाधिकारी और सी० एम० ओ० कहते हैं कि इसके लिये जमीन नहीं है । तो यह जमीन दिलाना किसकी जिम्मेदारी है ? यह सरकार की जिम्मेदारी है । जमीन नहीं है, तो एक्वायर कीजिए और रुपया लैप्स नहीं होने दीजिए और इस साल वहां पर अवश्य अस्पताल स्थापित कर दीजिए । इसके साथ मैं आपको एक बार और धन्यवाद देता हूं और मैं दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर जोर देता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

अध्यक्ष जी, मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं । सबसे पहले दो बातें इसमें कह दूं । आगरा मेडिकल कालेज में बहुत सारे अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षायें अभी तक नहीं हो पा रही हैं । उसका कारण सिर्फ यह है कि वहां के प्रधानाचार्य महोदय गत वर्ष के छात्रों के साथ बेइंसाफी करते हुए इस वर्ष के छात्रों के साथ संबंध बनाये हुए हैं । गत वर्ष छात्रों ने अनुशासनहीनता बरती थी और परीक्षाएं नहीं दी थीं । उनको डर है कि इस साल के लड़के परीक्षाएं देंगे तो इन्टर्नशिप दोनों को साथ-साथ मिलेगी इसलिये वह चाहते हैं कि परीक्षाएं टलती रहें । वह अनुशासनप्रिय छात्रों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उनकी परीक्षाओं को एक साल पिछाड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है । मैंने इस विषय को नियम-56 में भी देकर उठाया था कि जब बारह मेडिकल कालेजों में परीक्षाएं हो रही हैं तो हमारे यहां के मेडिकल कालेज की यह स्थिति क्यों है ?

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि 14 जुलाई, 1987 के शासनादेश के तहत कुछ नियुक्तियां डाक्टरों की पहाड़ी क्षेत्रों में हुई थीं उसमें से 17 मई, 90 तक नियुक्ति प्राप्त डाक्टरों को तो तदर्थ नियुक्तियां दे दी गई हैं किन्तु एक मई, 90 के बाद इसी पहाड़ी क्षेत्र में नियुक्त किये गये लगभग 40 डाक्टरों को तदर्थ नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है । उनके पक्ष में हाईकोर्ट और महानिदेशक ने संस्तुति की है कि उनको सेवा में ले लिया जाय किन्तु अभी तक उन्हें नहीं लिया गया है, वह बेकार हैं इसलिये मेरा अनुरोध है उन्हें शीघ्र सेवा में ले लिया जाय ।

मान्यवर, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में यदि दो व्यवस्थायें लागू कर दें तो कुछ लाभ होगा । पहला काम यह करना चाहिए कि जितने भी मेडिकल कालेज हैं उनके विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर, हेड्स और लेक्चरर उनको तीन साल के बाद ट्रान्सफर अनिवार्य कर दिया जाय । यदि सरकार ट्रान्सफर को अनिवार्य कर देगी तो मेडिकल स्वास्थ्य की हालत सुधर सकती है क्योंकि यह लोग एक ही जगह रहकर अपने प्राइवेट नर्सिंग होम चलाते हैं और गरीब लोगों का प्राइवेट इलाज करते हैं, इन लोगों का आज यह मुख्य व्यवसाय बन गया है ।

मान्यवर, मेडिकल कालेज आगरा में, सरोजनी नायडू अस्पताल में यह बायोमिडिया है मरीजों को ट्रान्सफर करने का । मान्यवर, जितने वहां कर्मचारी हैं, अस्पताल में जब कोई मरीज आता है तो उससे यह कर्मचारी लोग कहते हैं कि यहां अस्पताल में न कोई दवा है, और न कोई देखभाल ही होती है यहां रहोगे तो मर जाओगे, इसलिये अमुक क्लीनिक में जाकर अपना इलाज करायें और वह निरीह गरीब

आदमी प्राइवेट नर्सिंग होम में जाकर अपना इलाज कराता है और इन मेडिकल कालेजों में बी० आई० पीज० के अलावा किसी गरीब आदमी का इलाज नहीं होता है । इसलिये तीन सालों के बाद इन लोगों का ट्रांसफर जरूर करें वरना यह प्राइवेट नर्सिंग होम जो खोले हैं वहां काम करते रहेंगे और अस्पतालों में किसी का इलाज नहीं करेंगे ।

दूसरी व्यवस्था यह करें कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य भवन जो बनायें हैं जहां एक-एक डाक्टर रखा है लेकिन वहां की स्थिति यह हो गई है कि एक तो वहां डाक्टर जाते नहीं है और यदि डाक्टर जाते हैं तो वहां दवा नहीं होती है, इसलिये जनता का विश्वास इन केन्द्रों से उठ गया है । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि सहारनपुर में एक डाक्टर नियुक्त है लेकिन अपना नर्सिंग होम बुलन्द शहर में चला रहा है और उसका हर महीने वेतन बुलन्द शहर में घर बैठे आ जाता है । इसलिये अनुरोध है कि इन स्वास्थ्य सेवाओं को दो ग्रुप में बांट दें-एक मेडिकल कालेज या जो कोई अन्य बड़े कालेज हैं जैसे संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्था ऐसी व्यवस्था कर दे जहां मरीज की नीचे से ऊपर तक की चेकिंग होती है । दूसरे ग्रुप में स्वास्थ्य सेवाओं को ब्लाक स्तर पर बांट दें और वहां 100 बिस्तर का अस्पताल खोलें । इस तरह स्वास्थ्य सेवाओं का वर्गीकरण दो भागों में कर दें । एक वह जहां पर रिसर्च की तरह का काम हो और दूसरे गांव, कस्बों, शहरों की बस्तियों में छोटे-छोटे अस्पताल 100-100 बिस्तर के खोले जायें और यह अस्पताल क्षेत्र की आबादी के अनुसार खोले जायें जिससे वहां की जनता को बराबर स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके इस तरह प्रदेश की जनता को ठीक से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा अन्यथा नहीं । आप अपनी बात रखेंगे मैं अपनी बात कहूंगा । आज प्रदेश की जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं । माननीय मंत्री जी, आपका इतना लंबा चौड़ा विभाग है । आप देख लें आपके स्वास्थ्य विभाग के लोग आपके प्रति कितने सचेत हैं । आप दीर्घा की तरफ नजर दौड़ा कर देख लें । चार आदमी बैठे हैं । आपके सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते यह लोग मुझे दीर्घा की ओर दृष्टिगत नहीं करना चाहिए था लेकिन मैं यह धृष्टिता कर रहा हूं । जब यहां यह हालत है तो गांवों की क्या हालत होगी । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले तीन इधर से और एक उधर से । इसी क्रम से चलने दें । नहीं तो क्रम में गड़बड़ी हो जायेगी ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

मान्यवर, आपका धन्यवाद, मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जिन अस्पतालों से इन्सान को जीवन-दान मिलता है, उन अस्पतालों की जो दुर्दशा है, उसके बारे में मैं आपकी भा० ज० पा० सरकार को केवल दोषी नहीं कह रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं । पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि जितने भी राजकीय अस्पताल हैं चाहे जिला स्तर के हों, विकास खण्डों के हों सबकी एक ही हालत है । मरीज भर्ती है, कराह रहा है । मगर कम्पाउन्डर बगैर पैसा लिये, घूस लिये इन्जेक्शन नहीं लगा सकता है । सफाई कर्मचारी दो-दिन चार-दिन पर दो चार रुपये न दिये जायं तो सफाई नहीं करता है । मरीज के साथ के लोग चार-छः बार नर्स को बुलायें मगर बिना पैसा लिये वह भी मरीज को देखने को तैयार नहीं है । दवाओं का तो अभाव है, वह तो सरकार उपलब्ध कराने वाली नहीं है । सरकार के पास पैसा

नहीं है । मान्यवर, मेरा खुद का अनुभव है डाक्टर अस्पतालों में एक मिनट मरीज को देखने को तैयार नहीं है । प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं । अपने घर पर क्लीनिक चलाते हैं 50/-, 100/- रुपये मरीजों से लेते हैं और अस्पतालों में मरीज को नहीं देखते हैं । खुले आम अस्पताल के सामने बगल में प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं । कोई रोक-टोक नहीं है । मान्यवर, मैं अभी कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती था । चार-पांच दिन मैं वहां रहा । वहां पानी की व्यवस्था नहीं है । लैटरीन पूरी की पूरी जाम थी । मेरे जैसे आदमी को, विधायक को बाहर जाना पड़ता था । जिस डाक्टर ने मेरा आपरेशन किया था, वह बहुत ही सज्जन नेक डाक्टर था । मगर अस्पताल में सही व्यवस्था नहीं थी । मैंने डाक्टर से कहा कि जब हमारे लिये यह व्यवस्था है तो अन्य मरीजों की क्या हालत होगी । मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं पिछले कई सालों से देख रहा हूं । थोड़ी सी व्यवस्था सही करा दें, प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा दें, दवाइयां जो अस्पतालों में जाती हैं, वह ब्लैक होनी रूक जायं तो मैं समझता हूं कि इससे प्रदेश की जनता का बहुत भला हो जायेगा ।

गांव से शहर जो लोग आते हैं इलाज कराने के लिये यहां अस्पतालों की दुर्दशा देखकर यही कहते हैं कि कान पकड़ते है अब कभी न आयेंगे । मान्यवर, इसमें सुधार की आवश्यकता है । मै दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि जैसा माननीय ऊदल जी ने भी कहा हमारे बनारस में एक बहुत बड़ा अस्पताल 12-13 सालों से बन रहा है 500 शैय्या का । यह अस्पताल आज तक तैयार नहीं हुआ है । यह बिहार की सरहद पर है, पूर्वाचल से भी कई जिलों से लोग आते हैं । बी० एच० यू० है, इसके बाद भी मरीजों को भर्ती होने की जगह नहीं है वह वापस लौट जाते हैं । 12-13 साल से यह अस्पताल बन रहा है । कुछ नहीं तो 20 लाख रूपये इसमें लग चुके होंगे । दसियों एकड़ जमीन है । पचासों क्वार्टर बने हैं जिसमें डाक्टर कम्पाउन्डर रहते हैं । इस साल भी यह अस्पताल नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिये पैसा नहीं रखा गया है । मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसे जल्दी ही पूरा कराने की व्यवस्था करें क्योंकि आने वाले समय में सामान मंहगा होता जा रहा है ।

जल्द से जल्द इसको चालू करायें । मान्यवर, दो माह से देख रहा हूं अंशकालिक महिला डाक्टर बाहर गेट पर धरना दे रही है । कुछ महिला डाक्टर निवेदन करती हैं कभी कुछ महिला डाक्टर विधायकों और सरकार को कोसती हैं कि पुरूष जो अंशकालिक डाक्टर हैं, नियमित नियुक्त हो गए लेकिन उनसे पहले काम करने वाली जो अंशकालिक महिला डाक्टर हैं उनका नियमितीकरण नहीं हुआ आपकी सरकार महिलाओं के बारे में बहुत संवेदना व्यक्त करती है । नारी की दुहाई देती है । लेकिन पुरुषों की नियुक्ति महिलाओं की जगह कर देती है । मान्यवर, कपरफोड़वा एक जगह है मेरे क्षेत्र में, मान्यवर, मेरे क्षेत्र में अस्पताल तो स्वीकार कर दिया गया लेकिन अभी तक बना नहीं है पता नहीं वह कब बनेगा , बनेगा भी या नहीं, यह आयुर्वेदिक अस्पताल है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र के आखिरी हिस्से में जखिनी एक जगह है । यह सबसे बड़ा ब्लाक है एक किनारे पर मिर्जापुर से सटा हुआ है । जखिनी में राजा तालाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया जाय जो सेन्टर में पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री दीनानाथ सिंह यादव–

तो जो जखिनी एक किनारे में स्वास्थ्य केन्द्र है उसे बीच में राजा तालाब लाने का कष्ट करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है इतना महत्वपूर्ण बजट है और सरकार के मंत्री गायब हैं इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री शिवलाल मित्तल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारे ब्लाक में चन्द्रभान गुप्ता के जमाने का अस्पताल है गिरने जा रहा है मरीज मर सकते हैं क्षेत्र शोहरतगढ़ तो माननीय मंत्री जी इसको ठीक कराने की व्यवस्था करें । मान्यवर, वहीं पर एक सुपरिन्टेन्डेन्ट गुप्ता बैठता है । पता नहीं गुप्ता है, तेली है, बनिया है वह दवाइयां नहीं बांटता है । बढ़नी में कोई अस्पताल नहीं है । मान्यवर, ढकैरी और बभैनी में भी अस्पताल खोले जाएं । कनुआ में बिल्डिंग बनाई जाय वहां डाक्टर हैं लेकिन अस्पताल नहीं है । अस्पताल में ए० एन० एम० दस-दस साल से हैं उनके ट्रांसफर नहीं होते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनके ट्रांसफर होने चाहिये । फर्जी काम हो रहे हैं माननीय मंत्री जी हमारे क्षेत्र को देखें और अस्पतालों में सुधार करवायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । और वह 302, 304, आदि का पैसा लेकर सर्टीफिकेट देते हैं गरीब फर्जी मुकदमें में फंसते रहे । उसे भी रोकें और प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगावें ।

श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर संक्षिप्त में, मैं कहना चाहूंगा । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विभाग है पूरे प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सही हो इसके लिये जरूरी है स्वास्थ्य विभाग भी सही रहे । हमें अफसोस है तथा उम्मीद थी कि यह इतना महत्वपूर्ण बजट है और स्वास्थ्य विभाग के किसी कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा यह पेश किया जायेगा ऐसा हम समझते थे लेकिन सरकार ने इसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले दो विंग की और आकर्षित करना चाहता हूं । जैसा कि जानकारी मिली है स्वास्थ्य विभाग में एक विद्युत सेल होता है और एक परिवहन सेल होता है । उसमें उसके उच्च पद पर इंजीनियर वर्ग के लोग नियुक्त किये जाते हैं । मुझे जानकारी मिली है कि उक्त पद पर इंजीनियर की जगह डाक्टर की नियुक्ति की गयी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि एक शासनादेश के माध्यम से इस प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किये गये थे । इनको निकाल दिया गया है । उनसे 3 साल का बांड भराया जाता है । इन लोगों ने कई वर्षों तक कार्य किया और अब इनको निकाल दिया गया है और यह सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं । मैं सरकार का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि इस संबंध में कार्यवाही की जाय । मैं अपने जनपद इलाहाबाद के अपने विधान सभा क्षेत्र चायल की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । वहां पर एक मूरतगंज ब्लाक है कुछ वर्ष पूर्व तत्कालीन सरकार ने वहां पर अस्पताल खोलने की घोषणा की थी । सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं केवल धन का आवंटन रह गया है जिसके कारण अस्पताल स्थापित नहीं हो पाया है । इस अस्पताल को पूरा करायें । मान्यवर, आज सारे विश्व में एक बहुत भयंकर रोग जिसको एड्स कहते हैं फैल रहा है । इस बीमारी के बारे में किताबों और मैगजीन में जब हम पढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़कर रूह कांप जाती

है । मैं सरकार का ध्यान इस भंयकर बीमारी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं, प्रदेश में इस बीमारी का कितना प्रकोप है । सरकार के पास इसके आंकड़े होंगे । इस पर अंकुश लगाने के लिये सरकार कोई योजना लाये और इसके लिये अभी से ही कार्यक्रम चालू करके इस रोग की रोकथाम की व्यवस्था करें । पिछले वर्ष 91-92 में इलाहाबाद में कुम्भ मेला लगा । प्रदेश की गरीब जनता का लाखों रुपया मेले में यात्रियों के स्वास्थ्य ठीक रखने के लिये दिया गया था । मुझे जानकारी मिली है कि इसमें लाखों रुपयों का गबन किया गया है और दवाओं के नाम पर पैसे की लूट हुयी है । तमाम चीजों के लिये जो पैसा दिया गया था उसको खा लिया गया । मैं अनुरोध करूंगा कि कुम्भ मेले के लिये जो धनराशि स्वास्थ्य विभाग को दी गयी थी उसकी उच्च स्तरीय जांच करायें । इन शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये उसका समर्थन करता हूं ।

श्री लीलाराम शर्मा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपका ध्यान उत्तरांचल की ओर दिलाना चाहता हूं । 1991 में उन्होंने 24 आयुर्वेदिक अस्पतालों का लक्ष्य उत्तरांचल में रखा था लेकिन 24 में से केवल एक अस्पताल खोला गया है । इसी तरह से 1992-93 में एक अस्पताल खोलने का लक्ष्य रखा गया है जबकि वहां पर 24 आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का लक्ष्य था । इसके अलावा उत्तरांचल में एक भी एलोपैथिक अस्पताल का लक्ष्य नहीं रखा गया है । इसके अलावा जो अस्पतालों के निर्माण के लिये धनराशि रखी गयी है उसमें कटौती की गयी है जिससे अस्पतालों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है । 1990-91 में 562 लाख रुपया रखा गया था, 1991-92 में 431 लाख रुपया रखा गया था और 1992-93 में केवल 370 लाख रुपया रखा गया है इसके कारण अस्पतालों का निर्माण कार्य रुक गया है ।

पिथौरागढ़ एक बार्डर क्षेत्र है । नेपाल और तिब्बत दोनों वहां मिलते हैं । वहां पर जिला अस्पताल में शैय्याऐं केवल 60 हैं लेकिन हर समय अस्पताल में 120-140 से कम मरीज नहीं रहते । मेरी मांग है कि पिथौरागढ़ में कम से कम 200 शैय्याओं का एक अस्पताल बनाया जाय । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पिथौरागढ़ में पोस्टमार्टम के लिये चीर-फाड़ का घर नहीं है । अस्पताल में ही करना पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वहां पर पोस्टमार्टम हाउस खोलने की कृपा करें । मान्यवर, जैसा कि सभी ने बताया कि आज अस्पतालों की हालत सारे प्रान्त में खराब है । इसका मुख्य कारण है कि हमारे मेडिकल कालेज जहां से डाक्टर पढ़कर अस्पतालों में जाते हैं, मेडिकल कालेज का आलम खराब है मैं विस्तार में नहीं कहूंगा चूंकि आपके समक्ष आ चुका है, जब तक मेडिकल कालेजों को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक वहां से पढ़कर जाने वाले डाक्टर सेवा ही धर्म की जगह लक्ष्मी ही धर्म है मानेंगे तो आलम क्या होगा, इसका अन्दाजा लगा सकते हैं । मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पुराने दोषों को न देखे । हम सबका कर्तव्य है, मेडिकल कालेज में, जहां से पढ़कर डाक्टर बन कर सारे प्रान्त में जाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि मेडिकल कालेजों को सुधारे ताकि वहां से जो डाक्टर निकलें उनकी भावना सेवा ही धर्मः हो, न कि लक्ष्मी ही धर्मः । अंत में मैं माननीय दीक्षित जी के कटौती के प्रस्तावों पर बल देता हूं ।

* श्री अवध पाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में, एटा में कई वर्षों से फर्जी नसबन्दी हो रही है जिसमें करोड़ों रुपयों का घपला किया गया है । कई बार जांच हुई लेकिन कभी भी जांच पूर्ण नहीं हुई । आज तक जिला एटा के अधिकारी आर० के० सिंह, सी० एम० ओ० कई बार रुपया दे चुके हैं । वहां डाक्टर करोड़ों रुपया लूटते हैं फर्जी नसबन्दी के नाम पर । इसकी जांच करावें । हमारे क्षेत्र अलीगढ़ में एक समूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन चुका है लेकिन उसके सामने एक बिल्डिंग है जो जर्जर हो चुकी है, दो वर्षो से नहीं तोड़ी गयी है, जिससे अस्पताल दिखाई नहीं पड़ता है । एटा के जिला चिकित्सालय मे कई बार एक्स-रे प्लेटें समाप्त हो चुकी हैं । उनकी व्यवस्था न होने से एक्स-रे का काम नहीं हो पा रहा है, लोगों को काफी तकलीफ होती है । एटा जिला चिकित्सालय में कई बार पोस्टमार्टम में रुपया लिया जाता है और गड़बड़ी कर दी जाती है । गुण्डों से मिल कर उन पोस्टमार्टमों को बदल देते हैं । वहां एक डाक्टर स्वतंत्र शर्मा हैं जिन्होंने अभी एक पोस्टमार्टम में रुपया लेकर तथ्यों को बदल दिया है । हमारे यहां एक डाक्टर महराज कुमार होम्योपैथी के डाक्टर हैं । उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने थोड़े से बजट में कम से कम 44 हजार मरीजों को देखा है । ऐटा के राजनीतिक ही नहीं, जिला एटा के जितने भी लोग हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं । इसका सबूत है कि पिछले वर्ष 10 हजार का बजट था जिसे जिला योजना में 10 हजार से बढ़ाकर 60 हजार कराया गया ।

मैं ऐसे डाक्टर की बार-बार प्रशंसा करता हूं और ऐसे डाक्टर को प्रोत्साहन देने के लिये आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं ।

[समय-8 बजकर- 20 मिनट]

माननीय अध्यक्ष जी, एटा जनपद पर आगरा के नर्सिंग होम का काफी असर है और जो डाक्टर एटा चिकित्सालय में हैं, उन लोगों ने कई नर्सिंग होम अपना बना रखा है । जिला चिकित्सालय में वे मरीजों को नहीं देखते हैं, अपने घरों पर देखते हैं । वहां पर मच्छरों का बड़ा प्रकोप है और यहीं अपने विधान सभा क्षेत्र, अलीगंज मे भी मलेरिया का काफी प्रभाव रहता है और प्रत्येक वर्ष गर्मियों के दिनों में डी० डी० टी० का छिड़काव न होने के कारण काफी लोग मलेरिया से बीमार होते हैं और हैजा हो जाता है । एटा चिकित्सालय में कई बार एक्सरे प्लेटें खत्म हो जाती हैं, जिससे एक्सरे मशीनें काम नहीं करती हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारा जिला एटा मैनपुरी जनपद के बिलकुल करीब है । मैनपुरी जनपद में दुनिया में सर्वाधिक कैंसर पाया जाता है, जो मैनपुरी, तम्बाकू और कपूरी तम्बाकू के कारण होता है । हमारे जनपद एटा और हमारी तहसील अलीगंज में कपूरी तम्बाकू का प्रचलन बहुत अधिक हो गया है, यहां तक कि अल्प व्यवस्क लड़के और लड़कियां तक कपूरी तम्बाकू खाने लगी हैं, जिसके कारण एटा जनपद में कैंसर काफी मात्रा में होने लगा है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कपूरी तम्बाकू और मैनपुरी तम्बाकू पर कानूनी रोक लगा दें, तो कैंसर कम से कम 75 प्रतिशत घट जायेगा । मैं अपनी बात समाप्त करते हुए श्री हृदय नारायण दीक्षित के कटौती के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बच्ची सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया है, उसका समर्थन करते हुए उत्तरांचल क्षेत्र की कुछ विशेष समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, उत्तरांचल में पर्यटन और उद्यानिकी की तरह जड़ी-बूटी भी एक प्रमुख उद्योग है । विगत कुछ समय से जड़ी बूटी पर आधारित आयुर्वेद की औषधि बनाने के जो कारखाने हैं उसमें काम ठप है तथा घाटा हो रहा है । उनमें से कोआपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, रानीखेत जो कि पी० सी० एफ० के अधीन कार्यरत है, में 97 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का है, उसके बारे में यह तय हुआ था कि आयुर्वेद के निदेशक अपनी कुल आवश्कता का 20 प्रतिशत इस फैक्ट्री से खरीदेंगे और शासन द्वारा फैक्ट्री को यह निर्देश दिये गये थे कि जो निदेशक कहें, फैक्ट्री में वही दवाओं का निर्माण किया जाय । मै माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहता हूं कि किसी प्रकार का कोई निदेश दवा निर्माण करने के लिये तथा दवा खरीदने का कोई आदेश आयुर्वेद निदेशक ने 1990-91 से आज तक नहीं दिया है तथा यह भी जानकारी में आया है कि आयुर्वेद निदेशक ने कमीशन लेकर निजी फर्मों से दवायें खरीदी हैं, जिससे शासन को भारी घाटा हुआ है तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना भी हुई है । इसलिये निदेशक के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय तथा उन्हें भविष्य में कंपनी को आदेश देने के लिये कहा जाय । इसी तरह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई० एम० पी० सी० एल० मोहान में एक आयुर्वेदिक दवा बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें 49 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार का है तथा 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार का है । इस फैक्ट्री को भी आयुर्वेद निदेशालय से 90-91 के बाद कोई कार्यादेश दवा निर्माण हेतु नहीं दिया गया है, जबकि करनाल फार्मेसी, जिसकी सुरा आशव पीने से 500 लोग मृत्यु के आगोश में समा गये, उसके बारे में जुलाई, 91 मे दवा प्रदूषित होने की रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी आयुर्वेदिक निदेशक ने उसका लाइसेंस निरस्त नहीं किया, जिसके कारण नवम्बर में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिससे कि उत्तर प्रदेश शासन की पूरे राष्ट्र में छवि धूमिल हुई । ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को क्षण भर भी अपने पद पर नहीं बनाये रखना चाहिये। इसी तरीके से मेरे जिले में एक अन्य दवा बनाने का कारखाना आल्प्स फार्मास्यु लिमिटेड, अल्मोड़ा के नाम से स्थित है, इसकी भी दवाइयों की खरीद आयुर्वेद निदेशालय द्वारा न किये जाने से यह उद्योग भी संकट से गुजर रहा है । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित इन आयुर्वेदिक दवा बनाने के कारखानों को संरक्षण दिये जाने की आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करता हूं तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस बजट का समर्थन किया, लेकिन ताजुब है कि एक भी माननीय सदस्य ने अपने जनपद के अस्पतालों की वास्तविकता के बारे में कुछ नहीं कहा है । अस्पतालों की स्थिति का सही चित्रण तक नहीं किया है । अगर अस्पतालों की हालत को देखें तो आत्मा चीत्कार करने लगती हैं, इस तरह की दयनीय स्थिति है । मान्यवर, हमारे यहां सहारनपुर में अस्पताल है, लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा स्टाफ, छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी सारे के सारे मरीज पर गिद्ध दृष्टि लगाये रहते हैं, मरीज आया नहीं कि उसे नोचने लगे । मान्यवर, इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है कि उसको देखकर बहुत दुख होता है । मान्यवर, हमारा क्षेत्र देवबंद पड़ता है । वहां पर रणखण्डी नानौता व देवबन्द में अस्पताल है उनके भवन है, लेकिन वहां पर दवा नहीं है ।

कुत्ते काटने की दवा नहीं है, सांप काटने की दवा नहीं है, आक्सीजन नहीं है और यहां तक कि पट्टी की भी व्यवस्था नहीं रहती है। मान्यवर, सरकार इस पर ध्यान दे। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक कालीपार जगह है, यह स्थान बहुत पिछड़ा हुआ है और गरीब है वहां पर दूर-दूर तक कोई अस्पताल नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर एक अस्पताल की व्यवस्था करायें, तो बड़ा नेक काम होगा। इसके साथ ही साथ यहां पर कोई महिला अस्पताल नहीं है, जिससे प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुये एक जच्चा बच्चा अस्पताल बनावें। मान्यवर, एक स्थान मेरे क्षेत्र मे बड़ा गांव है वहां पर अस्पताल प्रस्तावित है, उसको तत्काल बनवाने के आदेश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं एक बात कह कर समाप्त करता हूं। मान्यवर, मैं एक मांग कर रहा हूं, मांग तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देवबंद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाये, तो इस क्षेत्र की जनता की बड़ी आशायें पूरी हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग की कटौती पर बोलने का मौका दिया इसके लिये में आपका आभारी हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चल रही चर्चा में शासन पक्ष के साथियों ने भी अपनी बातें रखी हैं लेकिन मैं कुछ मूल सुधार हेतु माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जिस तरह से जीने के लिये खाना पानी की एक आम आदमी को जरूरत है ठीक उसी तरह से स्वास्थ्य सेवा की भी जरूरत है लेकिन आज स्वास्थ्य सेवा जनता को मुहैया नहीं हो पा रही है। मान्यवर, शहरों में तो यह सेवा प्राइवेट नर्सिंग होम आदि के माध्यम से मिल जाती है लेकिन देहातों की हालत तो बहुत बद्तर है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवा तो है नहीं, दवा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है बाजार से मिल जायेगी लेकिन वहां तो प्रेसक्राइब्ड, दवा लिखने वाले डाक्टर भी नहीं रहते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डाक्टर जाते हैं तो 10 बजे गये और हाजिरी लगाई 12 बजे फिर वापस और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तो डाक्टर जाते ही नहीं है। मान्यवर, गोबर्धन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर मरीज जाता हीं नहीं है क्योंकि वह जानता है कि डाक्टर तो मिलेंगे नहीं इससे अच्छा है कि जान बचानी है तो प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुंचे। मान्यवर, जो दवाइयां होती है वह सब ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती है। जो आम जरूरत की चीजें है जैसे ए० टी० एस० टिट बैंक है पट्टी है और दवाएं है यह सब भी डाक्टर साहब लिख देंगे कि बाजार से जाकर ले आओ तो हम लोग मरीज का क्या इलाज करा पायेंगे। इसके साथ ही यह भी कहूंगा कि मथुरा अस्पताल में कुत्ते काटे की दवा नहीं है इंजेक्शन नहीं है तो वह मरीज आगरा जायेगा या अलीगढ़ जायेगा। बाजार में भी कुत्ता काटने की दवा बहुत कम मिल पाती है क्योंकि यह सरकारी सप्लाई होती है। मान्यवर, बहुत से ऐसे केस हैं कि समय पर कुत्ता काटने की दवा नहीं मिल पाई, इंजेक्शन नहीं लग पाया और वह मर गया। मान्यवर, मेरे एक मित्र गोबर्धन के निवासी थे उनको इंजेक्शन वहां पर न मिल पाने के कारण आगरा भेजना पड़ा था। मान्यवर, आगरा की स्थिति क्या है वह किसी से छिपी नहीं है। अभी माननीय राणा साहब ने बताया है कि आगरा मेडिकल कालेज की क्या स्थिति है।

मान्यवर, पोस्टमार्टम के बारे में कहना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम के लिये डेडबाडियां सुबह जाती है और डाक्टर सुबह से शाम तक पोस्टमार्टम रूम में नहीं पहुंच पाते है । डेडबाडियां पड़ी रहती है । उनके परिवारजन रोते बिलखते रहते हैं और डाक्टर जरा भी नहीं सोचता है और पोस्टमार्टम के लिये आठ-आठ घंटे तक रुकना पड़ता है ।

मान्यवर, अस्पतालों में मरीजों को जो खाना मिलता है तो उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है । मरीज अगर यह सोचे कि वह 15 दिन में ठीक हो जायेगा और वह वहां का खाना खा ले तो उसके ठीक होने में 30 दिन लग जायेंगे । तो वहां की स्थिति बहुत खराब है जो सामान है वह सब बेचकर डाक्टर और कर्मचारियों में बट जाता है । मान्यवर, करीब-करीब सभी अस्पतालों में यह हालत है कि डाक्टर जो बैठता है वह मरीज़ से कहता है कि यहां पर दवाई नहीं है मेरे घर पर आ जाओ वहीं इलाज हो जायेगा तो इस तरह से डाक्टर अपनी प्राइवेट प्रेक्टिस चला रहे हैं ।

मान्यवर, मथुरा के अस्पताल के बारे में बताऊंगा कि मरीज जायेगा वह भर्ती भी हो जायेगा तो दवा लेगा तो वह पानी से लेगा । हमारे सचिव यहां बैठे हैं मथुरा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रहे हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं वहां पर आधा-आधा कि०मी० तक पानी की व्यवस्था नहीं है कोई कर्मचारी अपने घर से ले जाये तो पानी की व्यवस्था हो पायेगी और उसे पानी मिल जायेगा । मान्यवर, वहां चार रूम हैं और वह ब्रिटिस जमाने का बना हुआ है न वहां पर लैट्रिन की व्यवस्था है और न बाथरूम की न पानी की, न सफाई की, मथुरा के हास्पिटल की स्थिति इतनी बिगड़ी हुयी है कि उसे तत्काल ठीक कराने की आवश्यकता है । इसके साथ ही हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत कटौती का समर्थन करता हूं ।

* श्री अरविंद प्रताप सिंह–

आपने मुझे श्री हृदय नारायण जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । उसके लिये धन्यवाद । जनपद फर्रूखाबाद की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । जहां पर हसेरन पिछड़े हुए क्षेत्र में एक उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण किया गया है । करोड़ों रुपयों का खर्चा आया था । तबसे लेकर अब तक इसमें बिजली नहीं थी । पिछली सरकार के काफी प्रयासों के बाद बिजली तो पहुंच गयी लेकिन एक्सरे मशीन तथा अन्य उपकरण वैसे ही रखे हैं, स्थापित नहीं किये गये हैं उनको चलाने वाले कर्मचारी अधिकारी वहां पर रहते नहीं है । कई बार सी० एम० ओ० साहब को अवगत कराया गया लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा । न डाक्टर रहते हैं न अन्य कर्मचारी रहते हैं । उसी समय स्वीकृत ओवर हेड टैंक स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था । उसका निर्माण नहीं कराया गया । विकास खण्ड हसेरन में इंदरगढ़ में एक पी० एच० सी० चल रही है । लगभग 15 साल से पुरानी है । एक प्राईवेट मकान में किराये पर चलाई जा रही है । इसके बावजूद निर्माण आज तक नहीं कराया गया । न मरीज रह सकता है न डाक्टर ही रहता है । निवेदन करूंगा कि मंत्री जी हमारी बात पर ध्यान दें । और स्वास्थ्य विभाग की कमियों को दूर करें । इसी के साथ कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री लाखी राम जोशी–

मा० स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, आभार प्रकट करता हूं । मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं । परिवार कल्याण के बारे में शासन की एक नीति है कि दो बच्चों से ज्यादा कोई पैदा न करे । जब पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आया तो मैं अपने विधान सभाई क्षेत्र के एक गांव में गया । वहां पर एक स्थान पर 20-22 बच्चों की लाइन लगी थी । एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे उन्हीं के हैं । जहां परिवार कल्याण की बात आती है तो मेरा निवेदन है कि परिवार कल्याण के बारे में जो समस्या उभर कर सामने आयी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं जो पटवारी हैं, पटवारी के माध्यम से नसबंदी के केस करवा रहे हैं, पटवारी कहता है कि खाता खतौनी की नकल चाहिये तो नसबंदी करवाओ । बी० डी० ओ० पंचायती राज अधिकारी कहते हैं कि अगर गांव में कोई योजना चाहिये तो नसबंदी केस करवायें । मैं अनुरोध करूंगा कि वह जो दोहरी नीति है, दबाव की नीति इसमें न अपनायी जाये । सामान्य रूप से कानून लागू किया जाये, किसी के साथ भेदभाव न किया जाये । पर्वतीय क्षेत्र में कोई मंदिर हो, सार्वजनिक स्थान हो, विद्यालय हो, उनकी दीवारों पर बीड़ी सिगरेट के बड़े-बड़े विज्ञापन होते हैं जो विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं उनको समस्याओं से गुजरना पड़ता है उन पर गलत प्रभाव पड़ता है और वे छोटे-छोटे बच्चे बीड़ी सिगरेट पीने लगते है । विज्ञापन लगा होता है शेरे दिल, मर्दों की शान शेर बीड़ी । तो सार्वजनिक स्थानों विद्यालयों के नजदीक इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । मैंने श्री विशम्भर प्रसाद निषाद को बुला लिया है ।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, यात्रा सीजन शुरू होने जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां नीचे से जो व्यापारी सामान लेकर जाते हैं, वे इतनी घटिया दवा ले जाते है, घटिया खाद्य सामग्री ले जाते हैं, वे बिस्कुट ले जाते हैं, वे बिस्कुट खाये नहीं जाते हैं, जो वे नमकीन छोटे-छोटे थैलों में ले जाते है, उन पैकटों को खोलते ही बदबू आने लगती है । इन सब चीजों से वहां के लोगों पर उनके शरीर पर विपरीत असर पड़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जायें, जो कहेंगे कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं माननीय दीक्षित जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ है । मान्यवर, हमारे यहां स्वास्थ्य सेवायें बड़ी निन्दनीय है, लोगों का सही उपचार नहीं हो रहा है, सही दवायें नहीं मिल रही है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि डाक्टरों का स्थानान्तरण समय-समय पर दो-तीन साल में करवायें । निजी जो वे अपनी प्रैक्टिस करते हैं उस पर तुरन्त रोक लगायी जाये । मान्यवर, डाक्टर अस्पतालों में बैठते नहीं है । वे मरीजों को घर पर बुलाते हैं अगर वे वहां जाकर फीस नहीं देते हैं तो उनको वे डाक्टर अस्पतालों में सेवायें नहीं दे रहे हैं । इसलिये निजी प्रेक्टिस सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाये । मैं मान्यवर, बांदा जनपद की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं, मान्यवर, मेरा क्षेत्र तिन्दवारी है, वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां से श्री वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री भी हुये है, लेकिन वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है । वहां ऐसा बीहड़ इलाका है जहां नदी-नाले है, मैंने भ्रमण करके देखा है, वहां दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह कि० मी० तक स्वास्थ्य सेवायें नहीं है । मान्यवर, मैं मांग करता हूं ग्राम-बरेहटा, पचुल्ला साड़ी, गुलौली डिघवट झझरी पुरवा वेन्दा, खीटरहा खुर्द में पी० एस० सी० खोली जाये । आयुर्वेदिक अस्पताल पथरी सिंह पुर में खोले जायें । जनपद बांदा में घनी आबादी की बस्ती में शव-विच्छेदन केन्द्र है, उसके बगल से लगे हुये घर बने हैं, दो-दो दिनों तक लाश पड़ी रहती है, वातावरण प्रदूषित हो जाता

है । मैंने असेम्बली में प्रश्न भी किया था, जवाब आया कि मानव शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । मैं मांग करता हूं कि बस्ती के अंदर से शव-विच्छेदन केन्द्र हटा दिया जाये ।

मान्यवर, हमारे जनपद बांदा में जिला चिकित्सालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है वहां 15-16 साल से डाक्टर तैनात है । जो गरीब होता है वह सरकारी अस्पताल में जाता है या फिर सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है । जो इलाज कराता है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं उपलब्ध करायें । वहां पर डाक्टर मरीजों को बाध्य करते हैं कि हमारे घर में आओ और इलाज कराओ । डा० केशव गुप्ता तथा मनोरमा श्रीवास्तव, डा० ए० के उपाध्याय व एम० सी० मित्तल हैं जिन्होंने अपने घर में एक्स-रे मशीन लगा रखी है । वह कहते हैं कि हमारे घर में आओ । अस्पतालों में मशीनें खराब पड़ी हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

एक बात और कहकर समाप्त करूंगा । वह यह है कि डाक्टरों का स्थानान्तरण अवश्य किया जाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं भी वहीं का रहने वाला हूं जहां के आप हैं । आप सारी स्थिति से अवगत ही हैं । मैं जो कुछ भी कहूंगा सत्ता पक्ष के लोग उसे अन्यथा न लें । मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह सही है । आपके जो अधिकारी बैठे हैं वह अपने आप को मालिक समझने लगे हैं जब तक इन पर रोक नहीं लगेगी, इन पर अंकुश नहीं लगेगा, इनकी कार्य विधि पर रोक नहीं लगेगी तब तक आप लाख भाषण देते रहिये उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है । आप पिछली सरकारों को दोष देते हैं । मैं मानता हूं कि पहले भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन यह कहकर कि भ्रष्टाचार हुआ है, बचा नहीं जा सकता । मान लीजिये कि पिछली सरकारों ने गलत काम किया है लेकिन उस पर अमल करना कहां तक ठीक है । आपको इसमें सुधार लाना होगा ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र प्रतापपुर और फूलपुर की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । आप फूलपुर गये थे वहां की स्थिति से अवगत हुए थे । वहां की स्थिति यह है कि वहां पर डाक्टर नहीं आते हैं और अगर आते भी है तो बस एक घंटा या दो घंटा रहकर चले जाते हैं । वहां कम्पाउंडर तीन डिब्बा लेकर बैठता है और चाहे कोई मर्ज हो, चाहे बुखार हो, पेट दर्द हो या कोई मर्ज हो, तीन टेबलेट निकालकर उन डिब्बों से दे देता है । हमारे यहां एक मोतिहा केन्द्र है वहां पर भी कोई डाक्टर नहीं रहता है । फूलपुर में अस्पताल है वहां पर भी कोई डाक्टर नहीं रहता है । फूलपुर में जो अस्पताल है वहां की दशा भी यही है, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या उपकेन्द्र हैं उनकी स्थिति भी खराब हो चुकी है । इससे पहले मैंने इसे नियम-51 के अन्तर्गत उठाया था और आपका ध्यान आकृष्ट कराया था आपने इस पर शासन का ध्यान भी आकृष्ट किया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ है । हमारे फूलपुर में महिला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रसूति केन्द्र हैं. वहां पर भी कोई महिला डाक्टर नहीं है। मैं स्वयं वहां गया हूं और मैंने कई बार मौखिक रूप से कहा भी कि इसकी स्थिति में सुधार लायें लेकिन कोई असर कहने का नहीं हुआ है। मैंने सी० एम० ओ० और वरिष्ठ अधिकारियों से भी कहा लेकिन सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। किसी के कान में भी जूं तक नहीं रेंग रही है। सब ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से मिले हुए हैं। सारे डाक्टर नर्सिंग होम चला रहे हैं कोई डाक्टर नहीं जाता है, अस्पतालों मे दवाएं नहीं मिल रही हैं, सारी की सारी दवाएं मार्केट में आ जाती हैं। इसी के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, का समर्थन करता हूं।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे चिकित्सा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये में आपका आभारी हूं।

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाओं और नारों में विश्वास नहीं करती है। मैं दो तथ्य आपके सामने उपस्थित करता हूं। अभी गढ़वाल क्षेत्र में भूकम्प आया, हमारी सरकार ने सभी घायलों को चिकित्सा सुविधा दी, इसी प्रकार अर्द्धकुम्भ मेले में हरिद्वार में सुव्यवस्थित तरीके से सफाई और चिकित्सा सुविधा जनता को दी गयी, जो अपने आप में बेमिसाल थी। मैं टिहरी गढ़वाल की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, आपने भी सुना होगा और मंत्री जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं और बोतल में पानी भरकर लोग अपने पास रखते हैं। यह बात सही भी है कि पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, लोग इसका कारण धार्मिक मानते है, लेकिन सत्यता यह है कि इसका कारण धार्मिक नहीं है, बल्कि वह पानी जड़ी बूटियों का है, इसलिये उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। मेरा अनुरोध है कि दवाओं के लिये इन जड़ी बूटियों का सदुपयोग किया जाय तो जनता को अंग्रेजी दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह दवाईयां बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगीं। हमारे टिहरी गढ़वाल मे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फकोट है, वहां पर कर्मचारियों की एक माह का वेतन चोरी हो गया, जिससे वहां के कर्मचारी बहुत परेशान हैं, इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन कर्मचारियों को वेतन दिलाने की कृपा करें और टिहरी-गढ़वाल में एक मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने का अनुरोध करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, साथ ही दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। इस बजट में जो धन रखा गया है आबादी को देखते हुये बहुत ही कम है। अगर मोटर-गाड़ी, वेतन, पेट्रोल खर्च आदि को निकाल दिया जाय, तो जो शेष धन बचता है, उसके हिसाब से एक आदमी पर केवल 3–4 रुपया ही आयेगा और इतने में दवाओं की उम्मीद करना बेकार है। जनता इस उम्मीद से अस्पताल में जाती है कि वहां उसे बेस्ट मेडिकल एडवाइस मिलेगी। लेकिन जब वह पर्ची कटाकर डाक्टर के पास जाता है तो डाक्टर पहले उससे 20 रुपया ले लेता है, तभी मरीज भरती होता है, उसके बाद जब-जब डाक्टर मरीज को अटैन्ड करता है तो हर बार उससे 20 रूपये की डिमाण्ड कर दी जाती है। इस प्रकार डाक्टरों ने अस्पतालों को पूरी नर्सिंग होम बना दिया है। मैं दूसरा सुझाव देना चाहता हूं कि सफाई अस्पतालों में होनी चाहिये। मरीज के साथ जब तक रहने वालों की अलग व्यवस्था नहीं होगी, तब तक अस्पतालों में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। तमाम परिवारजन मरीज के पलंग के नीचे ही अपनी गठरी वगैरह रख लेते हैं, इसलिये सफाई की व्यवस्था भी होनी चाहिये। एक और सुझाव मेरा

जीवन रक्षक दवाओं के सम्बन्ध में है । आज अस्पतालों में सांप काटने, कुत्ता काटने, हार्टअटैक, मस्तिष्क ज्वर आदि की दवाओं का अभाव है, इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये । मान्यवर, एक और सुझाव देना चाहता हूं कि 3-3 साल में अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण अवश्य होना चाहिये तथा प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहियें । मै अपने बस्ती जिले का एक मामला बताना चाहता हूं । वहां एक कैन्सर अस्पताल बन रहा है, 7-8 साल हो गये हैं, उसमें ओपेक कन्ट्रीज का भी पैसा मिला है, लेकिन वह पैसा पता नहीं कहां गया । पता नहीं गवर्नमेंट आफ इन्डिया के पास है या उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, वह अस्पताल अभी अधूरा पड़ा हैं, उसको शीघ्रता से पूरा करवाया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये मुझे आपने मौका दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं अपने जनपद बांदा क्षेत्र की कुछ समस्यायें बताना चाहता हूं । हमारे जनपद बांदा में कर्वी क्षेत्र में परसोंजा गांव में एक मिनी पी० एच० सी० है, आज तक वहां बिल्डिंग नहीं है और 15 सालों से कोई भी डाक्टर नहीं है, जबकि यह 4 हजार की आबादी का गांव है और 3 न्यायपंचायतों में कोई चिकित्सा अस्पताल नहीं है, जिससे वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा मिलना असंभव है मेरे क्षेत्र में एक पी०एच०सी० है शिवरामपुर में । उसकी बील्डिंग बन गई है, परन्तु उसके प्राक्कलन के हिसाब से वहां पर बिजली नहीं है, न पानी है और न कोई व्यवस्था है । आपसे अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । देहात के क्षेत्रों में जहां-जहां पी० एच० सी० है वहां डाक्टर नहीं कई जगह यह भी देखने में आता है कि जहां एलोपैथिक अस्पताल हैं, वहां आयुर्वेदिक डाक्टर एप्वाइन्ट कर दिये हैं, जो एलोपैथिक दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं । इसलिये इन सारी चीजों की ओर आप ध्यान देने की कृपा करें । देहातों में खसरा और चेचक के टीके नहीं लगाये जा रहे हैं और मलेरिया उन्मूलन हेतु मच्छरों के मारने के लिए जिस डी०डी०टी० का उपयोग किया जा रहा है, उससे मच्छर मर नहीं रहे हैं । अस्पतालों में डाक्टर जाते नहीं हैं, नर्सिंग होमों में डाक्टर प्रैक्टिस करते हैं । वहां पर मरीज ज्यादा जाते हैं । सामान्य आदमियों को स्वास्थ्य सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं । इन सारी चीजों की ओर मंत्री जी ध्यान दें ।

श्री बृजराज त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मेरे बहराइच जनपद में दीनदयाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय निर्माणाधीन है । धनाभाव इसके आड़े आ रहा है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाय और साथ ही साथ इसके साज-सज्जा का प्रबन्ध भी किया जाय । उसी अस्पताल के पास एक औषधि निर्माण स्थल का निर्माण करा दिया जाय । क्योंकि बहराइच जनपद में जड़ी-बूटियां काफी हैं । इसलिए वहां पर प्रमाणिक दवाइयां बन सकें । हमारे बहराइच जनपद में एक संस्कृत आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्य कर रहा है । इसमें आयुर्वेदाचार्य तक की शिक्षा दी जाती है, वाह्य रोगी भी इसमें देखे जाते हैं तथा अन्तर रोगियों हेतु 5 शैय्याओं वाला अस्पताल भी है । परन्तु धन की कमी के कारण अन्तर रोगियों को भरती नहीं किया जा रहा है । इसके लिए आपने 1992-93 में केवल 3 हजार रूपये अनुदान में दिये हैं, इसे बढ़ाकर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3 लाख रुपये किया जाय और औषधालयों की हालत में सुधार किया जाय जिससे जनता को स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी । इसी के साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि प्राइवेट प्रेक्टिस पर रोक लगाई जाय, परन्तु जब मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जाता है तो डाक्टर कहता है कि घर चलिये । परिवार कल्याण के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, आप देखेंगे कि आबादी तीव्रगति से बढ़ रही है और नशबन्दी भी तीव्रगति से बढ़ रही है ।

तेजी से नसबन्दी हो रही है लेकिन जन्मदर में कोई कमी नहीं हुई । ऐसा महसूस नहीं होता है कि इन दोनों में आप कंट्रोल कर लेंगे । अगर इन में कंट्रोल कर लिया डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है उसमें रोक लगा लिया और फर्जी नसबन्दी के आंकड़ों को समाप्त कर लिया तो बहुत बड़ा काम होगा । आप जांच करा लीजिये तो सारी पोल खुल जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

आपसे निवेदन करूंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर नहीं हैं । हमारे यहां मझौलीराज, सलेमपुर देवरिया में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला है परन्तु एक भी डाक्टर नहीं है जब कि तहसील स्तर पर 4 डाक्टर होने चाहिये और एक भी महिला डाक्टर वहां नहीं है । मात्र एक डाक्टर वहां पर है ।

जो नया केन्द्र खोला है उसमें वार्डब्वाय, स्वीपर आदि भेज दिये है लेकिन कम्पाउन्डर और डाक्टर नहीं भेजे हैं । मैं सलेमपुर की बात कह रहा हूं वहां डाक्टर पोस्ट नहीं हुआ और जो जाता भी है तो वह वहां नहीं रहता है । आप कहते हैं कि जबरदस्ती करवायेंगे । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे अस्पतालों में डाक्टर और कम्पाउन्डर अवश्य रखें उनको आप मजबूर कीजिये । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जनता पार्टी के समय जब माननीय कल्याण सिंह स्वास्थ मंत्री थे तो उन्होंने इस मामले में बहुत तेजी दिखाई लेकिन अब वह मुख्य मंत्री हैं और स्वास्थ मंत्री भी हैं लेकिन वह कड़ाई अब नहीं है । आज आपके हाथ में सत्ता है हम केवल कह ही सकते हैं आप करें या न करें लेकिन वह कड़ाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री स्वामीनाथ यादव–

हमारे सदर अस्पताल देवरिया में एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, मशीन खराब पड़ी है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं जब मेरा हाथ टूटा था तो उन्होंने मेरे स्वास्थ के बारे में जरूर कहा था अगर कोई सहयोग लेना हो तो वह जरूर ले लें अपना हाथ दिखवा लें । लेकिन देवरिया सदर अस्पताल में एक्सरे न होने से मुझे बाहर एक्सरे कराना पड़ा वहां मशीन खराब पड़ी है गरीब आदमी को परेशानी होती है उसका सदर अस्पताल में एक्सरे नहीं होता है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित द्वारा रखा गया कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अखिलेश–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे माननीय हृदय नारायण जी के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, आयुर्वेदिक हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति है परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सरकार पुरातन सभ्यता, पुरातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की बात करती है उसके समय में पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की उपेक्षा हो रही है । आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय के निदेशक श्री शिवराज सिंह है जो निदेशक के पद के काम से कम ताल्लुक रखते हैं और राजनीतिक लोगों को ऊंचे लोगों को संतुष्ट करने में ज्यादा लगे रहते हैं ताकि उनका अपना विशेष स्थान बना रहे । ऐसे लोगों को इन पदों से हटा कर ही आयुर्वेद विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग का कल्याण होगा ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर विशेषकर महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया मऊ आदि में मस्तिष्क ज्वर से हजारों लोगों की मौत हो जाती है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । ज्यों ही बरसात शुरू होगी मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप शुरू हो जाता है । इसके बाहर मच्छर हैं । इस मस्तिष्क ज्वर की रोकथाम में सरकार अब तक पूर्णतया असफल रही है । अभी हमारे महराजगंज में मच्छरों की रोकथाम के लिये छिड़काव हेतु जिस दवा का प्रयोग हुआ है । वह प्रभाव हीन था । मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करा ली जाय । अगर वह दवा प्रभावहीन न हो तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफ दे दूंगा । और जिन लोगों ने यह प्रभावहीन नकली दवायें सप्लाई की हैं उन्होंने मानवता को कलंकित किया है इसलिए महराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और सिद्धार्थनगर में मस्तिष्क ज्वर से जो मौतें हुई हैं उसके लिये वही लोग जिम्मेदार हैं । जिन्होंने प्रभावहीन नकली दवायें आपूर्ति किया है । सरकार की जांच कराकर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । इसके साथ मैं महराजगंज की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा । ढाई साल हो गये महराजगंज जनपद को बने हुए लेकिन अभी तक जिला चिकित्सालय का स्वरूप ही नहीं बन पाया है महराजगंज के मुख्य चिकित्साधिकारी हैं वह अर्द्धविक्षिप्त हैं । उनसे हमें और आपको कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए । वहां पर प्राथमिक उपचार के लिये आवश्यक पट्टी तक नहीं है । पिछड़ा हुआ जनपद है । स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक उपेक्षित है। इसलिये आप वहां पर चिकित्सा की समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें । इसके साथ मैं दीक्षित जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री झाऊलाल यादव–

मान्यवर, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर जो मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिये मैं आप का आभार प्रकट करता हूं और मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री की ओर संकेत करना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं । आज हिन्दुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है और उत्तर प्रदेश उसमें अपना एक मुख्य स्थान रखता है । यह प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से भी बड़ा है और यहां की जनसंख्या भी बहुत भारी है । दी पापुलेशन आफ उत्तर प्रदेश इज इन्क्रीजिंग बाई लीप्स् एण्ड बाउण्ड्स, अर्थात् उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी द्रुत गति से दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है । साथ ही जनसंख्या ज्योमति गति से बढ़ रही है और स्वास्थ्य सम्बन्धी जो सेवायें और सामग्री है वह उसके हिसाब से नहीं, गणित गति के बढ़ रही है । यहां अपने प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं की संख्या भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत है और यह बराबर बढ़ रही है । इनका सम्बन्ध चिकित्सा विभाग से है । अभी हमारे सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के साथी जो वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने अपने जिले को चिकित्सा सुविधाओं की ओर सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित किया । देश और प्रदेश के जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है । आज स्वास्थ्य विभाग की यह हालत है, जैसा विजय सिंह राणा जी ने कहा कि और अन्य साथियों ने भी कहा बिल्कुल सही है । अभी हमारे कार्यकर्ता को एक दुर्घटना में चोटे आईं हम उसको आगरा के अस्पताल में ले गये । वहां उसको उपचार और देखभाल नहीं मिल सकी । वहां के डाक्टर कहते हैं कि जाने कितनी सरकारें आई और गयीं, जाने कितने एम०एल०ए० और मंत्री आये और गये वैसे ही यह भाजपा सरकार भी थोड़े दिनों की सरकार है । हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, जो हम चाहेंगे करेंगे ।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े सौम्य प्रकृति के और सज्जन प्रकृति के व्यक्ति हैं । बड़े ईमानदार और भोले हैं लेकिन इस भोलेपन से स्वास्थ्य जगत में काम चलने वाला नहीं है । मान्यवर, आप विधिवेत्ता और विद्वान हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में जो कहा गया है कि "आइज फार आइज एण्ड टीथ फार टीथ, अर्थात् जो जैसा अपराध करें उसको वैसा ही दण्ड मिलना चाहिये । यह भ्रष्ट लोग जनता के जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ धोखा और लापरवाही करने वाले लोग किसी नर्मी के हकदार नहीं हैं । एडमिनिस्ट्रेशन के इस आदर्श सिद्धांत को आपको समझना चाहिये और कार्य रूप में परिणित करना चाहिये कि स्पेयर दी राड एण्ड दि चाइल्ड यानी डंडा छूटा और बच्चा बिगड़ा । उसी तरह से आपको अधिकारियों के ऊपर सदा दण्ड का भय बनाये रखना चाहिये । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब तक अपने विभाग में थोड़ा सख्ती से काम नहीं लेंगे तब तक स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा । अब मैं ज्यादा न कहकर अपने भाई दीक्षित जी के जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसका समर्थन करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित अपना सारगर्भित भाषण दिया और तद्नुसार सदन को अवगत कराया ।

* श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का समय दिया । जो चिकित्सा का बजट रखा है उसमें विपक्ष के लोगों ने कटौती का प्रस्ताव रखा लेकिन उनको बजट को बढ़ाने के लिये कहना चाहिए था जैसा कि श्री राम ललित चौधरी ने बजट को बढ़ाने के लिये कहा है ।

मान्यवर, एड्स की योजना को यह सरकार लागू करने जा रही है जिससे यह बीमारी दूर की जा सके । मान्यवर, फिरोजाबाद जिले की आबादी 15 लाख और शहर की आबादी 2,67,633 है । यह मजदूर बाहुल्य क्षेत्र है इसलिये एल०आई०सी० के जरिए जो चिकित्सा सुविधा मिलती है वह कोई अच्छी नहीं है । मेरी मांग है कि हमारे यहां टी० बी० अस्पताल में एम०एम०आर० एक्सरे प्लांट लगाया जाए चूंकि वहां 90 प्रतिशत टी० बी० के मरीज हैं । फिरोजाबाद के मठसेना क्षेत्र के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में 7 बिस्तर की सुविधा और बढ़ाई जाए । मान्यवर, जसराना तहसील में एका ब्लाक के अन्तर्गत मदीपुर जहां चिकित्सा केन्द्र नहीं है वहां नवीन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र खोला जाए ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने प्रस्तुत बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, प्रदेश की आबादी लगभग 14 करोड़ है और यहां अस्पतालों की संख्या लगभग 4,269 है और जिनमें 66,698 बेड्स हैं। मान्यवर, आबादी के अनुपात से अस्पतालों को आप देखें तो हमारे प्रदेश में एक लाख की आबादी पर दो अस्पताल हैं जबकि महाराष्ट्र में 15, पंजाब में 11, गुजरात में 15 और केरल में 15 अस्पतालों की संख्या है। इस प्रकार यह प्रदेश आबादी में तो इनसे बड़ा है लेकिन यहां अस्पतालों की संख्या प्रति लाख सबसे कम है। इसी तरह प्रति लाख जो बेड के आंकड़े है उसमें हमारे प्रदेश में 42,गुजरात में 109, हरियाणा में 50, महाराष्ट्र में 133, और केरल में 261 हैं पंजाब में 118 हैं। इस प्रकार आबादी को देखते हुए हमारे प्रदेश मे अस्पताल बनाये जायं और उनमें बेड्स की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन बजट को देखें तो नहीं लगता है कि यह बढ़ा पायेंगे।

मान्यवर, चिकित्सा स्वास्थ्य और शिक्षा मे एलोपैथिक में 43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें एलोपैथिक के मेडिकल एजूकेशन में 2.30 करोड़, आयुर्वेदिक यूनानी में डेढ़ करोड़ और 1.20 करोड़ रुपये की होम्योपैथी में व्यवस्था की गयी है। मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी है लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत है और खर्च घटाने की जरूरत है जिससे अस्पतालों में दवाओं की व्यवस्था कर जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सकें।

मान्यवर, नकली दवाओं को कारगर ढंग से रोकने की व्यवस्था करें। मुख्य मंत्री जी के पास यह विभाग है लेकिन उनको समय नहीं है कि विभाग की ओर उचित ध्यान दे सकें इसलिये आप कोई सशक्त केबिनेट स्तर का मंत्री बनायें जो इस विभाग पर ठीक से नियंत्रण कर सके।

श्री अध्यक्ष–

जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो, वह कहें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं अपने जनपद गाजीपुर की तरफ आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस जिले में आप देखें लगभग 23 लाख 98 हजार के करीब आबादी है। इतनी आबादी होने पर यहां 75 अस्पताल हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक सब मिलाकर के। इसमें स्थिति यह है कि 655 बेड हैं। ऐसी स्थिति में जिले के मरीजों की बहुत दयनीय स्थिति है। यहां पर कर्मचारियों का वेतन वगैरह काट दिया जाय तो बहुत कम पैसा मरीजों के ऊपर खर्च होता है जो दवाई वगैरह में खर्च होता है। जिला मुख्यालय अस्पताल बहुत दयनीय स्थिति में है। लोगों को दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, ग्लूकोज, ब्लड आदि चढ़ाने के लिये स्टैण्ड नहीं है, गौज तथा रुई नहीं है। इतना ही नहीं कुत्ता और सांप काट ले तो उसके लिये जीवन रक्षक दवाइयां नहीं है। आक्सीजन नहीं है। महिला अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है, वहां सफाई नहीं के बराबर है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन जिला अस्पतालों के बारे में माननीय मंत्री जी वहां के प्रशासन की जो भी गड़बड़ियां हैं उनके विरुद्ध ऐसी व्यवस्था करें कि प्रभावी कदम उठाये जा सकें और स्थिति में सुधार हो सके। हमारे यहां कासमाबाद में 30 बैड का अस्पताल बनना था। तीन-चार साल हो गये अभी तक नहीं बना है। मेरा निवेदन है कि इसे जल्दी से जल्दी बनवाने की कृपा करें। ताजपुर, आसावर, गांई, बहादुरगंज, बसीर मदेहगाई इन जगहों पर डाक्टर नहीं है और इनके स्थान पर न इनका कोई छोटा कर्मचारी नहीं के

बराबर है । जनपद के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त स्थान है यदि किसी चिकित्सक की पोस्टिंग हुई है तो वह दूसरी जगहों पर कार्यरत हैं तथा यहां ड्यूटी ज्वाइन नहीं किये हो । अतः मेरा निवेदन है कि दवाइयां नकली बेची जा रही हैं, इन पर कन्ट्रोल किया जाय । नकली दवाइयां बिकने से रोकी जायं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री छत्रपाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं । मान्यवर, स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं । मेरे जनपद फतेहपुर की ही नहीं तमाम जनपदों में अस्पतालों की यह हालत है वहां पर गन्दगी होने के कारण नाक दबा कर चलना पड़ता है । गन्दगी का बोल-बाला है । मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि वह अपने अधिकारियों के साथ कम से कम जिला स्तर के अस्पतालों की हालत देख लें कि कितने साधनों का प्रयोग वहां होता है । कमरे गन्दे हैं, नालियां गन्दी हैं, बिस्तर लेटने योग्य नहीं है । मेरा यह निवेदन है कि हर जनपद में जनरेटर व्यवस्था होनी चाहिये । जीवन रक्षक दवाइयां, कुत्ते या सांप के काट लेने पर जो होती हैं वह उपलब्ध होनी चाहिए, आक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए । मच्छरों का प्रकोप तो ऐसा लग रहा है कि देहात व शहरों में इन्सान को रात की जिन्दगी बितानी मुश्किल हो रही है । मच्छर मार दवा का छिड़काव होना चाहिए जैसा कि पूर्व समय से व्यवस्था चली आ रही है । मै ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । एक बात और कह कर यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि अस्पतालों में घटिया दवाओं के प्रयोग तथा उनकी खरीद-फरोख्त के बारे में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायं । इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, इस बारे में थोड़ा सा प्रयास करें जिससे इसमें सुधार हो सके । मान्यवर, मेरे जनपद में कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जहां पर कि 6-6 महीने से डाक्टर जाते नहीं हैं । कोडा जहानाबाद, चांदपुर, जाफरगंज हैं डाक्टर जाते नहीं । दवाइयां है नहीं, बिस्तर है नहीं । मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ व्यवस्था तो सरकार करती होगी इन अस्पतालों के लिये । मेरा निवेदन है कि आप स्वयं देखें कि कहां-कहां क्या-क्या सुधार करने की आवश्यकता है । यहां पर दिये गये सुझावों के बारे में भी विचार करें । मैं माननीय दीक्षित जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आखिर में ही सही, पर आपने मुझे बोलने का अवसर तो दिया। चार घण्टे से मैं लगातार सुन रहा हूं । पूरा सदन प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में चिन्तित है । हर सदस्य, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने के लिये खड़े हो जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 4-5 घण्टे जो बहस हुई है । पूरी बहस में सामने यही बात आयी है कि पुलिस विभाग की तरह स्वास्थ्य विभाग से भी जनता का विश्वास हट गया है । कोई भी गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में जाना नहीं चाहता है । लोगों के मन से जब तक स्वास्थ्य विभाग के प्रति जो धारणाएं बनी हैं वह खत्म नहीं हो जातीं जो उन्होंने इन सरकारी अस्पतालों के प्रति बना रखी हैं तब तक हालत सही नहीं होगी । लोग पुनः इन अस्पतालों में जाने लगें । इसकी व्यवस्था होनी चाहिये ।

(इस समय 9 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

हालत आज यह है कि सरकारी अस्पतालों से जनता भाग रही है जिस तरीके गरीब कर्जा लेकर के गहने बेचकर प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग इलाज कराते हैं उससे साफ जाहिर है कि जनता का विश्वास सरकारी अस्पतालों से उठा है तो पुनः इस विश्वास को आप बनायें । मान्यवर, आज पूरा विश्व यूनानी

और आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्र में नई-नई खोज कर रहा है । किन्तु भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाले आप यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा से भाग रहे हैं । पहले से बजट आपने कम कर दिया । यदि आप चाहते कि पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा हो तो इसके लिए निश्चित रूप से आपको आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति को अपनाना पड़ेगा । आज आयुर्वेदिक डाक्टर परेशान हैं उन्हें वेतन नहीं दिया गया है । हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाना चाहिए । मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं उस झूसी विधान सभा क्षेत्र में तीस शैया का आयुर्वेदिक अस्पताल स्वीकृत किया गया वह आज तक नहीं बना है । तहसील फूलपुर में चिरौड़ा गांव के आस पास के क्षेत्र तथा सराय चन्दी के आस पास के क्षेत्र जहां पर चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने पाई है मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उन स्थानों पर एक-एक पी०एच०सी० का निर्माण करावें । जो अस्पताल झूंसी में स्वीकार हुए हैं उनका शीघ्र निर्माण करावें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

उपाध्यक्ष महोदय, शायद आप हमसे समापन करवा रहे हैं इसलिए समय का ध्यान करेंगे । मै स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बजट का समर्थन करती हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं । मान्यवर, चिकित्सा से हर व्यक्ति का सम्बन्ध होता है । जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हर किसी को चिकित्सा रूपी मंदिर में भगवान रूपी डाक्टर के पास जाना पड़ता है । इसीलिए शायद सामाजिक रूप से ईश्वर के बाद दूसरे भगवान की संज्ञा डाक्टर को दी गई है । इस विभाग की डीलिंग ज्यादा रहती है । इसीलिये छोटी से छोटी बुराई उभरकर सामने आ जाती है और छोटी से छोटी अच्छाई भी सामने आ जाती है । यह सही है कि प्रदेश में डाक्टर की कमी थी पिछली सरकारें चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो चाहे समाजवादी जनता पार्टी की सरकार रही हो, 591 अंशकालिक डाक्टर तमाम आन्दोलन करते रहे अपनी नियमितीकरण के लिए, चाहे वह कांग्रेस के लोकपति त्रिपाठी रहे हों, गोपीनाथ दीक्षित रहे हों, उनका नियमितीकरण नहीं किया गया । माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उनकी सरकार में मुख्तार अनीस जी मंत्री रहे हैं सब के सब डाक्टरों के आन्दोलनों को रौंदते रहे, लाठीचार्ज करवाते रहे, उनकी बात सुनने को यह तैयार नहीं हुए । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य स्वास्थ्य विभाग में किया है । 591 अंशकालिक डावटरों का नियमितीकरण किया है । अंशकालिक महिला डाक्टर धरने पर बैठी हैं उनके बारे में अधिकारियों से वार्ता हुई मैं स्वयं शामिल हुई थी उनके नियमितीकरण के बारे में–

श्री उपाध्यक्ष–

समय का आप स्वयं ध्यान रखेंगी ।

श्रीमती उर्मिला राजपूत–

प्रयास किया जा रहा है । पिछली सरकार ने 22 करोड़ रुपये की दवाईयों के लिए प्राविधान किया था । इस सरकार ने 28 करोड़ का प्राविधान दवाइयों के लिए किया है । मान्यवर, एक काम और होता चला आ रहा है । वह यह है कि कई करोड़ रुपया पहले स्वास्थ्यवर्धक दवाओं पर खर्च कर दिया जाता था । 4-5 रुपये कीमत की एक-एक कैप्सूल होता था । यह दवाइयां जजेज से लेकर मिनिस्टर, एम०एल०ए०, सचिव और अन्य अधिकारियों के काम में आती थीं तो मान्यवर, ऐसी दवाओं की खरीद पर रोक लगायी गयी है । इससे जो पैसा बचेगा उससे जन सामान्य की दवायें खरीदी जायगीं । उत्तर प्रदेश स्तर पर केन्द्रीय औषधि भण्डार है । जो दवायें खरीदी जाती थीं उनको जिला स्तर पर भेजने में 4-5 महीने लग जाते थे । पहले 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अनुपात में दवायें खरीदी जाती थीं अब ऐसा न करके 20 प्रतिशत केन्द्रीय स्तर पर और 80 प्रतिशत के अनुपात में जिला अस्पताल के लिये दवाओं की खरीद के लिये प्राविधान किया गया है । दवाओं की खरीद के लिये एक कमेटी बनाकर जिन-जिन चीजों की, दवाओं की आवश्यकता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर है उनकी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर दवाओं की खरीद का प्राविधान किया गया है । मान्यवर, राज नारायण जी ने एका योजना बनायी थी जिसके अन्तर्गत 850 जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति की गयी थी ।

भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ग्रांट इसके लिये मिलती थी । 1989 में यह योजना खत्म कर दी गयी । इस चीज की सुनवायी दीक्षित जी की सरकार ने नहीं की । हमारी सरकार मानवीय आधार पर इन्हें भी काम करने का मौका देने का प्रयास कर रही है । पिछली सरकार स्थानान्तरण को एक इंडस्ट्री बनाये हुये थी । पिछले साल 1800 स्थानान्तरण किये जिनमें से 1200 स्थानान्तरण रोके गये । स्थानान्तरण को विजनेस के रूप में लिया गया था । लेकिन भा०ज०पा० सरकार ने इस नीति को नहीं अपनाया । 1978 में जब माननीय मुख्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय जो ट्रांसफर की नीति बनायी गयी थी उसके अनुसार जो व्यक्ति 5 वर्ष एक जिले और 10 वर्ष एक मंडल में रहा है उसका स्थानान्तरण कर दिया जायगा, इसी नीति को अपनाया जा रहा है । मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि अस्पतालों में जो खाना दिया जाता है उसको रोग के हिसाब से दिया जाय और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय । मेरे विधान सभा क्षेत्र कमालगंज में जहां पर 70 फीसदी बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, वह बीड़ी मजदूर का काम करते हैं । उनमें से ज्यादातर लोग टी० बी० तथा कैंसर के शिकार हैं । उनके लिये एक अस्पताल बनाने का प्राविधान किया गया था जो आज तक अधूरा है । इसको पूरा कराया जाय । मेरे क्षेत्र में जो महिला स्वास्थ्य केन्द्र है उनमें एक भी महिला डाक्टर नहीं है । मैं महिला डाक्टर उपलब्ध कराने के लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करती हूं और अन्त में इस बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दीक्षित जी, वैसे तो आप संक्षेप में कहेंगे लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आपसे कहूं कि संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण बजट पर पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों को मैंने सुना । माननीय सदस्यों ने बड़े ही सारगर्भित विचार व्यक्त किये । उनके विचारों को मैंने 5 बिन्दुओं में बांटा है । मेरे हिसाब से सबसे खास बात यह आयी कि दोनों पक्षों के लोगों ने जन स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की बात कही । उधर के विधायकों ने मंत्री जी का समर्थन किया और इधर के विधायकों ने मेरा समर्थन किया लेकिन दोनों तरफ के लोगों ने एक ही बात कही । इस प्रकार से श्रीमन्, डाक्टरों की गैर हाजिरी का मामला प्रत्येक माननीय सदस्य ने उठाया और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी और माननीय द्विवेदी जी, जो खास तौर से नोट कर रहे हैं, इस विषय में कोई संकल्प व्यक्त करने की घोषणा करेंगे और हम लोगों से जो सहयोग की अपेक्षा हो, गैरहाजिरी रोकने के सम्बन्ध में, हम सरकार को सहयोग देंगे । दूसरे डाक्टरों का अभाव है, महिला चिकित्सक कम हैं और तमाम ऐसे स्थान हैं जहां डाक्टर नहीं हैं । जो सबसे गम्भीर बात आयी कि प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे है जगह-जगह । इनका नतीजा यह होता है कि लखनऊ में तो बहुत हैं, जहां भी डाक्टरों से हमको, मेडिकल कालेज में या और जो चिकित्सा सेवाएं हैं, वहां से जो सुविधाये मिल सकती हैं, उन सेवाओं के लिये उन्हीं डाक्टरों की देख-रेख मे चल रहे नर्सिंग होम में जाना पड़ता है । सरकार को देखना चाहिये कि ये नर्सिंग होम कैसे बन्द किये जा सकते हैं । कैसे हतोत्साहित किये जा सकते हैं इसमें एक कानून भी है । नर्सिंग होम ऐक्ट नाम से उसके माध्यम से प्रशासन देखे, सरकार परीक्षण करावे कि किस प्रकार से ये नर्सिंग होम चल रहे हैं और वह मानक पूरा करते है कि नहीं और उसमें जो चिकित्सक काम करने आते हैं, वे सरकारी नौकरी में तो नहीं हैं । यह बात जांच कर ली जायगी तो लखनऊ शहर में चलने वाले, खास तौर से राजधानी में चलने वाले नर्सिंग होम तो बन्द हो जाएंगे । यह सरकार पर निर्भर करता है कि उसमें इस विषय को गम्भीरता से लेने की कितनी क्षमता है, संकल्प है कि नहीं । मुझे लगता है कि संकल्प का अभाव है ।

अभी मान्यवर, बात आयी कि चिकित्सकों की हड़ताल में हमारी सरकार ने चिकित्सकों की हड़ताल पर कठोर रुख अपनाया था । मान्यवर, अब तो आज समय व्यतीत हो गया, यह गम्भीर तर्क का मुद्दा बनना चाहिये । बाहर भी और इस आदरणीय सदन में किसी अवसर पर कि क्या चिकित्सकों को हड़ताल करनी चाहिये । मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं और हड़ताल का समर्थक हूं, क्या चिकित्सकों को भी हड़ताल करनी चाहिये । अभी उर्मिला राजपूत जी ने तो अपनी ही बात काट दी उन्होंने कहा कि डाक्टर भगवान हैं तो भगवान ही हड़ताल पर चला जायगा तो क्या होगा । मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना चाहिये, लेकिन यह तर्क का और गम्भीर विचार विमर्श का मुद्दा है कि चिकित्सकों को हड़ताल पर जाना चाहिये । मेरा मत है कि चिकित्सकों को नहीं जाना चाहिये । सरकार को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिये कि चिकित्सक हड़ताल पर जाते है तो कठोर कार्यवाही की आवश्यकता होगी । यह बड़ा अमानवीय दृष्टिकोण होता है । चिकित्सक का भाई बहन बीमार हो तब उसके ऊपर बीतती है तो वह दुख का अनुभव करता है । चिकित्सा और उपचार मात्र से किसी राज्य का सुख साधन नहीं रह सकता । चिकित्सा का बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और उपकरण पर चला जाता है । अन्य देशों में जो काम करने का तरीका है वे स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर देते हैं । बीमारी का न होना ही स्वास्थ होना नहीं है । रोग का अभाव होना ही नहीं स्वास्थ्य तो एक पाजिटिव ऊर्जा है । मैं बहुत विनम्रतापूवर्क इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा । व्यक्ति रोगी होता है तो लगता है कि शरीर है और स्वस्थ होता है तो लगता है कि आत्मा है, बुद्धि है । आप बुद्धिमान हैं, आपकी सुविधा के लिये बता रहा हूं कि बाडी लेसनेस होनी चाहिये । शरीर है ही नहीं । जिसे विदेह कहा जा सकता है जो कि राजा जनक के लिये इस्तेमाल किया गया, विदेह ।

जब आपको लगे कि शरीर है, तब आप यह समझें कि बीमार हैं और जब आपको लगे कि शरीर नहीं है, तब आप अपने को स्वस्थ्य समझें । जैसे आपकी सरकार रुग्ण है । मान्यवर, चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए । हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि हिन्दी में चिकित्सा की शिक्षा नहीं दी जा सकती । हम मेडिकल के जो शब्द हैं, उनको हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशों में इस्तेमाल करते हैं, उसको यहां पर इस्तेमाल करें । हमको चिकित्सा शिक्षा के लिए अंग्रेजी हटा कर हिन्दी लानी चाहिए । अंग्रेजी की मेडिकल टर्मिनोलाजी इस्तेमाल होनी चाहिये उत्तर प्रदेश तो खासतौर से गांव का प्रदेश है, सी०पी०एम०टी० की परीक्षा में गांव से जो लोग आते हैं, उनका कोई प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए । शहर के लोग जब डाक्टर हो जाते हैं, तो वे यह प्रयास करते हैं कि इनकी देहात में नियुक्ति न हो और उनका स्थानांतरण देहात में हो जाता है, तो वे जाते नहीं हैं, देहात से अपना ट्रांसफर रोकवा लेते हैं । जो अभ्यर्थी सी० पी० एम० टी० में परीक्षा देने आते है, उनका दो–तीन प्रतिशत कोटा आरक्षण का अवश्य होना चाहिए ।

मान्यवर, मेडिकल कालेजों की हालत बहुत खराब है । स्थानीय के०जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ के आर्थोपैडिक विभाग में लेक्चरर का एक पद विगत 1985-86 से रिक्त पड़ा हुआ है, जिस पर नियुक्ति नहीं की जा रही है । आर्थोपैडिक विभाग में लगभग 180 शैय्याएं हैं और ओ०पी०डी० में लगभग 75 मरीज प्रति दिन और इनडोर में 20-25 मरीज प्रतिदिन का औसत है । ऐसी स्थिति में पद के रिक्त होने से जनता को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । मेरी मांग है कि इस पद को भरा जाय। मेरी जानकारी है कि एक डाक्टर अजय सिंह है, जोकि पिछड़ी जाति के हैं, ये एम० एस० गोल्ड मेडलिस्ट हैं और के० जी० मेडिकल कालेज में पहले चीफ रेजीडेंट थे । आप इस पद पर यदि इनको नियुक्त कर दें, तो जहां एक ओर पिछड़ी जाति के एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन समस्या का भी हल होगा । सुरा काण्ड से 500 लोग मरे हैं, जबकि

मिलावट की रिपोर्ट जुलाई, 91 में निदेशक को मिल गयी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो निश्चित ही इस प्रकार की हरकतों को प्रोत्साहन मिला । अभी माननीय विधायक पाण्डेय जी बैठे थे, उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार ने ड्रग कन्ट्रोलर को निलम्बित किया जब कि प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर को समाजवादी जनता पार्टी शासन काल में निलम्बित किया गया था, वह कोर्ट से स्टे ले आये । कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काउन्टर तक प्रस्तुत नहीं किया । संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में नियुक्तियों में भारी पैमाने पर हुई धांधली की जांच के लिये आज दो सदस्यीय उच्च स्तरीय आयोग का गठन कर दिया गया है । यह संस्थान यहां से थोड़ी दूरी पर है । जहां तक मेरी जानकारी है, दुनिया में पांचवें नंबर का संस्थान है । यहां पर चिकित्सा सुविधा बड़ी अस्त-व्यस्त और घटिया किस्म की है । प्रदेश के लगभग 800 थर्ड एम० ओ० जिनको एम० बी० बी० एस० के पदों पर तैनात किया गया था, विगत 14 माह से वेतन नहीं दिया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय ने एस० ओ० थर्ड को एम० ओ० (सी० एच०) पद पर जाने से रोका तथा वेतन देने के कई बार स्पष्ट आदेश किये, सरकार द्वारा वेतन देने से इनकार कर न्यायालय की अवमानना की जा रही है । सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, जबकि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 4191-92 में तथा दैनिक जागरण 20 जनवरी, 92 द्वारा पी० एम० एच० एस० (एडहाक) के 2500 से भी अधिक पद चिकित्साधिकारियों की भर्ती हेतु विज्ञाप्ति किये हैं, अर्थात् सरकार के पास 2500 पद एवं उनका पैसा है, परन्तु 800 चिकित्साधिकारियों को वेतन देने के लिये पैसा नहीं है । हर पी० एच० सी० में एक मेडिकल आफीसर तैनात थे, और उनको केन्द्र से पैसा मिला था । केन्द्र सरकार ने पैसा देना बन्द कर दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि यह नहीं रखेगी और यह लोग कोर्ट चले गये । सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है । मान्यवर, अगर पैसा नहीं है तो दो ढाई हजार चिकित्सक किस आधार पर नियुक्त कर रहे हैं । आप बातें तो करते हैं स्वदेशी की, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सकों को निकाला जा रहा है । मान्यवर, नैनीताल में एक एम० ओ० ने आत्महत्या कर ली, यह गम्भीर मामला है । मान्यवर, यहां पर आयुर्वेद पर गोष्ठी हुई थी और उसका उद्घाटन माननीय मुरली मनोहर जोशी ने किया था, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस पद्धति की उन्नति न होने के लिये सरकार जिम्मेदार हैं, उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह सरकार जिम्मेदार है । या दूसरी मगर उन्होंने यह कहा था कि चिकित्सक सतर्क रहे कि जो लोग उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें मजा चिखायें । मान्यवर, आबकारी विभाग के आदेश सं० 325 ई -2/13-40/280(83), दिनांक 30 जनवरी, 1991 द्वारा किसी स्प्रिट युक्त औषधि निर्माण में 12 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल प्रयोग को स्वास्थ्य के लिये हानिकारक एवं दन्डनीय अपराध घोषित किया गया है, लेकिन डाबर कम्पनी द्वारा निर्मित की जा रही पुदीन हरा नामक एलोपैथी दवा में 78.8 प्रतिशत अल्कोहल मिलाया जा रहा है ।

मान्यवर, आप इस बात से भी अवगत हैं कि आपके यहां पर परिवहन सेल है और बिजली सेल है । स्वास्थ्य विभाग में जो गाड़ियां हैं, उनकी देख-रेख के लिये एक डाक्टरों को इन्चार्ज बनाया गया है और वह बसों के पुर्जों की देख-रेख करता है, तो मान्यवर, उसमें बेईमानी नहीं होगी तो और क्या होगा । यही बात बिजली सेल की है । मान्यवर, मैंने फेमिली प्लानिंग की बात कही थी । श्री एल० के० गुप्ता, निदेशक, विभागीय लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने निदेशक, परिवार कल्याण को पत्र लिखा कि उत्तर प्रदेश के वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या एस०-3-1982/दस 34(43)/86, दिनांक 21-7-1986 के प्राविधानों के अन्तर्गत आपके कार्यालय अभिलेखों का निरीक्षण किया और 5 प्रकार की आपत्तियां बतायीं, 1,28,747 रुपये के स्टाक का व्यय हरण, अधिक दरों पर प्रिटिंग सामग्री क्रय करने से रु० 4.9 लाख की हानि, आडियो कैसेट के अधिक दर पर क्रय करने से रु० 45 लाख की हानि,

रु० 1.28 करोड़ के ए० एम० एम० किट्स तथा केन्द्र औषधि किट्स के क्रय मे हानि, रु० 12.2 लाख के पी० ए० ई० सेट का अनियमित क्रय इस तरह की अनियमिततायें हो रही हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, इसी प्रकार से आपके सचिवालय में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, उनमें दवाओं पर रोक लगा दी गयी है, इनसे कर्मचारियों को बड़ी सुविधा थी, इस सुविधा को बरकरार रखा जाये ।

मान्यवर, मैं जब होम्योपैथी के निदेशक के बारे में बोल रहा था तो कुछ बिन्दु रह गये थे मगर आपने इशारा किया था तो मैं बैठ गया था । मान्यवर, डा० सक्सेना द्वारा मेला अधिकारी बार-बार डा० आर० सी० आर० यादव को ही बनाया जाता है चाहे वह मेला हरिद्वार का हो अथवा इलाहाबाद का । जब कि डा० यादव से योग्य एवं अनुभवशील अधिकारी विभाग में मौजूद हैं । यही नहीं डा० यादव विगत 15 वर्ष से इलाहाबाद में ही तैनात हैं मात्र एक वर्ष के लिये इनका स्थानान्तरण वाराणसी के लिये किया गया था । मान्यवर, मेला अधिकारी इसलिये बनाया जाता है क्योंकि वहां खाने पीने को मिल जाता है ।

मान्यवर, होम्योपैथी की शिक्षा में उ० प्र० का सबसे खराब स्तर है । केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अध्यक्ष डा० एस० पी० एस० बख्शी उत्तर प्रदेश के 10 होम्योपैथी कालेजों को डिप्लोमा स्तर का भी नहीं मानते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि एक भी कालेज ऐसा नहीं जो परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, कालेजों में भूमि और भवन की व्यवस्था न करके कालेजों को तोड़ने की साजिस की जा रही है । होम्योपैथी शिक्षा में कभी भी विकास की बात की जाती है तो कालेजों को तोड़ने का प्रकरण सामने आ जाता है । वर्ष 1988 में निदेशक द्वारा यह प्रकरण आरम्भ किया गया जो कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सांठ-गांठ से प्रदेश से होम्योपैथी चिकित्सा को नष्ट करने की साजिस की जा रही है । अस्तु कालेजों को तोड़ने के बजाय बनाने की नियत बनाने की आवश्यकता है ताकि निदेशक सक्सेना की गन्दी मानसिकता का पर्दाफास हो सके । मैं समझता हूं कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इस पर मंत्री जी गंभीरता से विचार करेंगे ।

मान्यवर, डा० अविनाश चन्द्र सक्सेना के दो चहेते प्राचार्य हैं डा० राम अवध सिंह, लखनऊ तथा डा० गिरजा शंकर श्रीवास्तव, मुरादाबाद इनके विरुद्ध गबन जैसे गंभीर आरोप हैं किन्तु डा० सक्सेना अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने देते हैं । मान्यवर, मैंने भी शिकायत की थी और आपने भी शिकायत की थी, एजाज रिजवी जी ने भी लिखा था लेकिन कोई जांच नहीं हुई । मान्यवर, लखनऊ जनपद के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ने निदेशक के ही निर्देशों का उलंघन कर लगभग 50 हजार रुपये की पेटेन्ट औषधियां विगत वर्ष क्रय कर ली हैं जबकि पेटेन्ट औषधियों के क्रय पर वर्ष 85 से ही रोक है । यहीं नहीं विगत वर्ष क्रय की गयी अधिकांश औषधियां होम्योपैथिक चिकित्सालयों पर नहीं पहुंची है । चिकित्सा अधिकारी जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं औषधि सप्लायर के यहां चक्कर लगा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने आपके आदेश को सरमाथे पर स्वीकार कर लिया है । मैंने जो विचार व्यक्त किये और पक्ष विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये इससे साफ निष्पत्ति बनी कि सरकार का दृष्टिकोण स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में, चिकित्सा सेवाओं के संबंध में अच्छा नहीं है और आयुर्वेद तथा होम्योपैथी विरोधी नीति है और होम्योपैथी का निदेशक एक ऐसा अधिकारी बना हुआ है जिसके विरुद्ध माननीय नेता सदन श्री कल्याण सिंह जी ने भी पूर्व में शिकायतें की थीं । मुझे तो लगता है कि श्री अविनाश चन्द्र सक्सेना और कल्याण सिंह की सांठगांठ हो गयी है इसलिये यह निष्पत्ति बनी और इसलिये में कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सत्ता पक्ष के लोग भी हमारा समर्थन करेंगे ।

* राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)–

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है और अन्य सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये । मान्यवर, संक्षेप में अपनी बात कहेंगे कहते हुए दीक्षित जी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिन्ता जताते हुए धीरे-धीरे संक्षेप को इतना विस्तार में कर दिया कि अगर इनकी बातों का यहां स्पष्टीकरण दें, इन्होंने जानकारी चाही, जिज्ञासा प्रकट की तो मैं समझता हूं कि इनकी जिज्ञासा का शांत होना आवश्यक है इसलिये मैं संक्षेप में ही इन सारी बातों को रखने का प्रयास करूंगा । इसके अलावा सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत ही बहुमूल्य सुझाव इस दिशा में दिये । मान्यवर, जैसे दीक्षित जी जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है कुछ बातें कहीं हैं अन्य लोगों ने कहीं मैं सुन रहा था तो विशेष तौर से कुछ ऐसे बिन्दु उभर कर आये जहां एक ओर माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र का समस्याओं के संबंध में कहा वह मैंने नोट किया है । उनकी समस्याओं के संबंध में अगर मैं उल्लेख करूंगा कि किस-किस जनपद में क्या कार्य किया जा सकेगा तो बहुत विस्तार हो जायेगा इसलिये मैं समझता हूं कि उस संबंध में जो सुझाव आये हैं, मैं समझता हूं कि उस संबंध में जो सुझाव आये हैं, जहां-जहां नये अस्पताल खोलने के संबंध में हैं जहां-जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सुधार करने के संबंध में है या स्थापना के संबंध में उसमें निश्चित रूप से विचार करेंगे और सहानुभति पूर्वक विचार करेंगे और हमारा जो विचार होगा वहां सकारात्मक दृष्टिकोण में होगा ।

कुछ विभाग के संबंध में और कुछ विभाग की कार्य पद्धति के संबंध में जो पूरे सदन के विचार आये उनको समाहित करके जिज्ञासा शान्त करने और जानकारी देने का प्रयास करूंगा । माननीय दीक्षित जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए और यह शंका की कि सम्भवतः यह शासन या सरकार इसकी नीयत साफ नहीं मालूम पड़ती है इसलिये कि पिछले वर्ष लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सके तो पता नहीं इस वर्ष भी करेंगे या नहीं । बताना चाहूंगा कि भा० ज० पा० की सरकार केवल आंकड़ों में और केवल लक्ष्य को निर्धारित करने में ही विश्वास नहीं रखती है, हम कार्य में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि इसका परिणाम निकले ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो लक्ष्य स्वास्थ्य केन्द्रों, उप केन्द्रों और सामुदायिक केन्द्रों के संबंध में रखा गया, उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । हमारी एक वरीयता है, एक नीति है, अस्पताल बहुत खोल दें डाक्टर न हों तो बेकार है । हमें देखना होगा कि भवनों का निर्माण ज्यादा करायें या डाक्टर ज्यादा हों । भले ही भवन न बन पायें, अगर चिकित्सक उपलब्ध करा दें तो ज्यादा कारगर होगा । पिछले अनेकों वर्षों के जितने आंकड़े आये, जितने चिकित्सकों की नियुक्ति इस वर्ष की गयी, कभी भी नहीं की गयी । उन्होंने कहा कि 10 रु० रोज पर चिकित्सक काम करते हैं । कभी ध्यान नहीं किया कि विनियमितीकरण कर दें । रात दिन वे विधान सभा के सामने पड़े रहे लेकिन पिछली सरकार ने नहीं सोचा किन्तु हमारी सरकार संवेदनशील है, प्रदेश में हमने चिकित्सकों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया । इसलिये उन्होंने कहा कि उप केन्द्रों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर 13 लक्ष्य रखा, 5 भी पूरा नहीं कर पाये । हमारी दूसरी वरीयता रही कि प्रति व्यक्ति के लिये चिकित्सा सुविधा हो सके । हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं । दूसरी बात जिस पर सब सदस्यों ने जोर दिया वह है औषधियों की उपलब्धता । जनसंख्या भी बढ़ी है, औषधियों की कीमत भी बढ़ी है किन्तु उस अनुपात में बजट में औषधियों को क्रय करने का प्राविधान नहीं बढ़ा । बजट में जो प्राविधान है, जैसे ही संसाधन बढ़ेंगे, उसे भी बढ़ायेंगे । औषधियों की उपलब्धता और क्रय करने की नीति क्या हो, इस पर विचार करना होगा । हमने आवश्यकता और उपयोगिता दोनों को देखा । जब टिटनेस का रोग हो जाता है तो कानपुर में उसका अच्छा इलाज होता है ।

मेरा एक मित्र टिटनेस का मरीज हो गया, हास्पिटल में ले गये, जो प्रोबोनेस इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, वह नहीं मिला वहां । ब्लेक में 90-91 रु० में मिला ।

मैं फर्रुखाबाद जिले की पी० एच० सी० पर गया वहां रोबोनेक्स इंजेक्शन बहुतायत में है वहां प्रयोग नहीं होता है । जहां प्रयोग होता है वहां उपलब्ध नहीं है । इसलिये हमने नीति बनायी कहां किस दवा की आवश्यकता है कहां नहीं है । गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर होता है वहां उसकी आवश्यकता है । कौन सी वहां दवा ज्यादा खरीदी जाय । गोरखपुर में और पूर्वांचल में ज्यादा किसकी आवश्यकता है अब ऐसी दवाओं को मेरठ डिवीजन में भेज दें तो ज्यादा उसका उपयोग नहीं होगा । टानिक्स बीकासूल स्वास्थ्य बनाने के लिये टानिक्स ली जा रही थी ऐसे-ऐसे इंजेक्शन जो केवल स्वास्थ्य बनाने के लिये जा रहे थे एक-एक इंजेक्शन को कीमत 10-10 हजार रुपये आती है हार्ट के इंजेक्शन पी० एच० सी० में पड़ा हुआ है वहां हार्ट का इलाज नहीं होता है प्रयोग नहीं होता है तो एक्सपायर हो जाता है । इसको गम्भीरता से लिया है इसलिये कहा गया कि बीकासूल नहीं खरीदी जायेगी टानिक्स नहीं खरीदी जायेगी इनसे सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा । हमने सर्वे कराया पी० एच० सी० में देखा किस तरह के रोग के मरीज ज्यादा आते हैं क्या आवश्यकता होती है कौन सी दवा खरीदनी होती है । हम उपयोगिता और उपयोगिता को देख रहे हैं ताकि उन्हीं औषधियों को खरीदा जाय वे दवायें महंगी नहीं अपितु सस्ती पड़ती हैं । बहुत बजट बढ़ाने की दवाओं के लिये आवश्यकता नहीं है । आवश्यक औषधियां सभी को उपलब्ध हों ।

यह सोच कि अधिक बजट से ही काम हो सकता है यह सोच गलत निकली । इसलिये हम सोच को बदल रहे हैं । आवश्यक औषधियां जनता का हित करेंगी । अभी तक जो नीति 60-40 की थी उसका विकेन्द्रीकरण किया जाय, हम केन्द्रीयकरण में विश्वास नहीं करते हैं । 80 प्रतिशत वहां से 20 प्रतिशत यहां से यह किया । यह जो नीति बनायी इनका परिणाम निकला, लाभकर निकला । इससे निश्चित रूप से जो दवाओं की कमी महसूस हो रही थी वह महसूस नहीं होगी, लोगों को दवायें

मिलेंगी । औषधि के नाम पर खरीद होती है पट्टी रुई को अब कहां से कितना खर्च किया । इसमें भारी तादाद में खरीदने के संबंध में कमीशन पैदा होता था । अब औषधि नाम पर औषधि ज्यादा खरीदी जायेगी रुई पट्टी नहीं खरीदी जायेगी । हमने उस नीति को बदला । यह कहा गया कि एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो हैं उनसे दवायें खरीदते हैं । जो कुटीर उद्योग हैं वह चौपट हो रहे हैं । कहना चाहता हूं कि प्रयोग होता है लेकिन क्या स्वास्थ्य के मामलों में प्रयोग हो सकता है जिन्दगी के साथ प्रयोग हो सकता है । इसलिये हमने नीति बनायी । इसलिये जो दवायें है जो जीवन रक्षक दवायें हैं जो अत्यन्त आवश्यक है इनको वहां से खरीदेंगे जो एप्रूव्ड हैं जो स्वीकृति कम्पनी है स्वीकृत आइटम बनाते हैं और अधिकृत संस्थाओं द्वारा स्वीकृत हैं तभी हम खरीदेंगे अन्यथा नहीं खरीदेंगे क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा । एक तरफ तो यह आरोप लगाते हैं कि नकली दवाइयां मिल रही हैं वहीं दूसरी तरफ यह कहते हैं कि कुटीर उद्योग को चौपट किया जा रहा है । हम यह कहना चाहते हैं कि हम अच्छी से अच्छी दवाइयां खरीदेंगे अच्छी से अच्छी फर्म से खरीदेंगे जिसकी प्रमाणिकता हो । एक चीज और हमारे माननीय सदस्यों ने कही वह यह कि भ्रष्टाचार बहुत है । भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे माननीय दीक्षित जी ने उल्लेख किया ...

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जरा होम्योपैथी के बारे में भी बता दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं उसी पर आ रहा हूं । होम्योपैथिक के संबंध में निदेशक महोदय का उल्लेख किया । मुझे बड़ा आश्चर्य है कि उन्होंने सन् 86 का उल्लेख किया सन् 86 के बाद की सरकारों ने इस बारे में कुछ नहीं किया । मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब से यह सरकार आयी है और हमारे पास शिकायत आयी तो हमने समिति बनाकर जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया है जो मामले की जांच करेगी और जो जांच में दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, इसमें किसी को बख्शा नहीं जायेगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं कृपया यह बता दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जब मैं अधिकारिक तौर पर कह रहा हूं कि उसकी जांच के आदेश हो गये हैं और जांच चल रही है ...

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

पदनाम ही बता दें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

हमने सुदृढ़ीकरण के लिये कार्यवाही की । जहां-जहां भ्रष्टाचार है, हमने आदेश दिया कि डाक्टर अगर समय से नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये, उनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाये उनका कार्यालय आने का समय नोट किया जाये, इस बात के हमने आदेश दिये हैं । जो फर्जी नियुक्तियां होती हैं, जैसे देवरिया का किस्सा है, वहां 177 या उससे अधिक फर्जी नियुक्तियां हो गयीं, वे लोग वेतन लेते रहे और पूर्व की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगी । मगर हमने उसे पकड़ा और

80 लोगों को जेल भेज दिया और हमारी यह प्रतिबद्धता है कि जो भी अपराधी हो, चाहे वह बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो, यदि वह भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है, तो उसे पकड़ा जाये और उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जाये । हम नीति में विश्वास करते हैं, आचरण में विश्वास करते हैं और स्वच्छ प्रशासन में विश्वास रखते हैं । आपने जानकारी चाही कि किस से जांच चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो जांच चल रही है वह सतर्कता विभाग से चल रही है और सतर्कता विभाग की जो जांच होती है वह गोपनीय होती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि कृपया समाप्त करें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है आयुर्वेद में कुछ प्रकाश डालूं । मैं उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि हमारे जो मुख्य मंत्री जी हैं उनके पास स्वास्थ्य विभाग है और जब जनता पार्टी की सरकार सन् 77 में बनी थी तब वे स्वास्थ्य मंत्री थे और यह उन्हीं की नीति है जो आज आयुर्वेद को सम्मान मिला है ।

यह पद्धति भारतीय संस्कृति और भारत की जलवायु के साथ मिली हुई है हम इसके विकास के लिये पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे.....

एक बात मान्यवर, परिवार कल्याण के बारे में और कहना चाहता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, दो मिनट आपकी तरफ से और दो मिनट हमारी तरफ से, कुल चार मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं ।

तो मान्यवर, परिवार कल्याण के बारे में लोगों ने बड़े आरोप लगाये कि फर्जी नसबन्दियां होती हैं । यह इसलिये होती थीं कि उस समय नीति दूसरी थी, लोगों को लालच में जबरदस्ती बाध्य किया जाता था । सरकारी कर्मचारी पैसों की लालच में फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते थे । लेकिन अब फर्जी नसबन्दी नहीं होगी, क्योंकि हम इसे एक जन आन्दोलन का रूप दे रहे हैं । जिस प्रकार देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन हुआ था, उसी तरह अब इसे आन्दोलन का रूप दिया जायेगा, इसे जनकल्याणकारी बनाया जायेगा, लेकिन अब यह स्वैच्छिक होगा, साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं किया जायेगा, इस प्रकार अब फर्जी नसबन्दी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न ही किसी को अनावश्यक पैसा प्राप्त होगा ।

मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने अल्कोहल औषधियों का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उसमें परसेन्टेज से ज्यादा अल्कोहल है । मैं बताना चाहता हूं कि जहां-जहां इस प्रकार की अल्कोहल युक्त दवाइयां बनती थीं, हमने उन सभी जगहों के लाइसेन्स निरस्त कर दिये हैं और जो एक विशेष जगह का मानीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उसको हम दिखवा लेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे । जो माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव आये हैं, हम उनको सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे और वह अच्छे सुझाव हैं, हम

उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से सभी जानते हैं कि इधर से बजट होता है और उधर से कटौती प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन चूंकि दवाइयों की कमी है, डाक्टर्स की कमी है तो फिर कटौती का सवाल कहां से है, इसलिये दीक्षित जी अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

दीक्षित जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने प्रकारान्तर से हमारी सारी बातें मान ली हैं। इस तरह सरकार को हमारा प्रस्ताव मानना चाहिये, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,66,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,20,70,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या- 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर कर रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,32,23,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,00,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 65,88,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,74,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद देवरिया में गन्ना खेतों में सूखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा मा० सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित

श्री उपाध्यक्ष–

श्री हरिवंश सहाय उपस्थित नहीं है इसलिये चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद फैजाबाद में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया ।

दूसरी सूचना श्री स्वामी नाथ यादव की जनपद देवरिया की सलेमपुर तहसील में प्रस्तावित मुंसिफ न्यायालय की स्थापना के संबंध में है, को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

तीसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कतिपय ग्रामों में हुये अग्निकांडों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस सूचना को भी केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया ।

चौथी सूचना श्री राम लखन वर्मा की प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

पांचवी सूचना श्री विजय पाल सिंह तोमर/श्री वीरेन्द्र सिंह की जनपद मेरठ के थाना लिसाढ़ी गेट की पुलिस द्वारा कथित रूप से पिटाई किये जाने से श्री रईसुद्दीन नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं, की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

शेष सूचनाएं माननीय सोमांश प्रकाश, मा० रमेश पोखरियाल निशंक माननीय राम औतार शाक्य, माननीय श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, माननीय श्री मातवर सिंह कण्डारी, माननीय श्री पवन कुमार पाण्डेय और माननीय श्री विक्रमाजीत मौर्य की जो सूचनायें हैं, उन्हें अस्वीकार किया जाता है ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 में श्री गामाराम शास्त्री, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

मान्यवर, श्री गामाराम शास्त्री, सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है पढ़ी हुई मानी गई ।

(संलग्न सूचना पढ़ी मान ली गई)

श्री बालेश्वर त्यागी–

[सभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत अभिसूचित अपनी सूचना दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के अन्तर्गत यह शिकायत की गयी है कि जनपद गाजीपुर की चारों तहसीलों जमानियां, सैदपुर, मुहम्मदाबाद तथा गाजीपुर में नजारत अनुभाग तथा संग्रह अनुभाग में अक्टूबर, 1991 से मार्च, 1992 तक फर्जी नियुक्तियां की गई हैं तथा उन नियुक्तियों में न तो नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और न ही आरक्षण नियमों का ध्यान रखा गया है जिससे जनपद गाजीपुर के बेरोजगार नवयुवकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है जिसे दूर किया जाना आवश्यक है ।

2-उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मा० सदस्य द्वारा उक्त नियुक्तियों के संबंध में विधान सभा के माध्यम से सदन में वक्तव्य दिये जाने की अपेक्षा की गई है । मा० सदस्य की मंशा का समादर करते हुए शासन के पत्र सं० 2225/1-4/92-6(5) बी-0-4/92, दिनांक 22-4-92 में मामले की जांच करवाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र० को दे दिये गये हैं ।]

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के लोगों पर पुलिस द्वारा कथित अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज.....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ी हुई मान ली गई ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नोटः–[ ] पह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज के ग्राम ताल सोनवा, भैसौली, औझौली, बेलसड़ी, पौहरिया, मुजौना, तोहामोहम्मदपुर, सहडौली, छपियाउपराव, डेरवा बहतुआ आदि ग्रामों व बड़हलगंज कस्बा में वर्ष 1991 व 1992 में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों पर किये गये अत्याचारों से संबंधित कुल 29 मुकदमें पंजीकृत किये गये जिनमें से 7 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई, 16 मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा 5 मामले अभी विवेचनाधीन हैं। एक केस में मा० न्यायालय द्वारा विवेचना की अनुमति नहीं दी गई है। इन्हीं ग्रामों में उपरोक्त अवधि में चोरी, डकैती से संबंधित 18 अपराध पंजीकृत किये गये जिनमें से 7 मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई तथा 8 अपराधों में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तथा 3 मामले विवेचनाधीन हैं। पुलिस द्वारा चोरी, डकैती की घटना कराये जाने, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों पर अत्याचार कराये जाने की बात सत्य से परे है। अतएव पुलिस के कुकृत्यों से क्षेत्रीय जनता में भय व दहशत का वातावरण उत्पन्न होने की बात निराधार है।

दिनांक 3-3-1992 को समाचार पत्र में "पुलिस की मिली भगत से डकैती की घटना में वृद्धि" तथा "बड़हलगंज क्षेत्र के नागरिक त्रस्त हैं पुलिस के उत्पीड़न से" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुये जो माननीय विधायक के बयान के आधार पर प्रकाशित हुये थे। जिसकी जांच से स्पष्ट है कि ग्राम सहडौली तथा मुजौना में घटित डकैती की घटनाओं के संबंध में थाना बड़हलगंज पर क्रमशः अभियोग संख्या-4/92 धारा 395/397 भा० द० वि० व अ० संख्या-72/92 धारा 395 भा० द० वि० पंजीकृत कर विवेचना की गई जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र संख्या-25 दिनांक 16-2-1992 को न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा अ० संख्या-72/92 में एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया तथा शेष की गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा रही है। यह कहना गलत है कि अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों का घर से निकलना दूभर हो गया है और रोजी रोटी की समस्या बन गई है।

श्री राज बहादुर सिंह, क्षेत्रीय ब्लाक प्रमुख, कंचन कुमार सिंह, अवधेश सिंह, प्रधान, मारकण्डे शाही, प्रधान, कौशल किशोर, प्रधान आदि के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 9-12-1991 को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया तथा दिनांक 1-2-1992 को श्री राज बहादुर सिंह, ब्लाक प्रमुख तथा ग्रामीणों के संयुक्त हस्ताक्षर से दूसरा ज्ञापन दिया गया। इन दोनों ज्ञापनों में लगाये गये आरोपों के संबंध में पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) द्वारा जांच कराई गई एवं आवश्यक कार्यवाही की गई। अतः यह आरोप निराधार है कि उक्त प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपराधों पर अंकुश रखने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये प्रभारी निरीक्षक, बड़हलगंज तथा क्षेत्राधिकारी, बांसगांव को निर्देशित कर दिया गया है।]

विधान सभा में दिनांक 2-4-92 को श्री दिनेश चन्द्र स० वि० स० द्वारा जनपद इलाहाबाद के चायल एवं द्वाबा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के संबंध में प्रस्तुत नियम-51 की सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के चायल निर्वाचन क्षेत्र.....

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पढ़ी हुई मान ली जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, पढ़ी हुई मान ली गई ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

[क्षेत्र के ग्रामों में कुयें सूख जाने की कोई सूचना नहीं है ।

प्रश्नगत चायल क्षेत्र में सुचारु एवं पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की गई है । विकास खण्ड नेवादा के 118 ग्रामों में 550 इण्डिया मार्क -2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं । विकास खण्ड चायल के कुल 102 ग्रामों में 567 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं तथा मूरतगंज विकास खण्ड के 83 ग्रामों में 225 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं । इस प्रकार प्रश्नगत क्षेत्र में 1342 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं जिनमें मात्र 9 हैंड पम्प छोड़ कर शेष सभी चालू स्थिति में हैं एवं ग्रामीणों को जलापूर्ति कर रहे हैं ।

प्रश्नगत क्षेत्र में 2 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं से भी पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है । 35 ग्राम आलम चन्द्र ग्राम समूह पेयजल योजना से तथा 17 ग्राम चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना से लाभान्वित हैं । प्रतिदिन 10 घंटे की औसत विद्युत उपलब्धता के अनुसार पाइप योजानाओं में जलापूर्ति की जाती है । हैण्ड पम्प खराब होने अथवा पाइप योजना में जलापूर्ति बाधित होने की सूचना मिलने पर यथाशीघ्र व यथा सम्भव ठीक करा कर जलापूर्ति चालू कर दी जाती है ।

चरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के एक नलकूप में बाधा आ जाने के कारण काजू जोन व बड़ागांव जोन के 13 ग्रामों में जलापूर्ति दिनांक 19-2-92 से 29-2-92 तक बन्द रही । जलापूर्ति पुनः दिनांक 1-3-92 को चालू कर दी गई है ।

वर्तमान में दोनों योजनाओं के नलकूप सुचारु रूप से चालू हैं । पाइप योजनाओं के जिन ग्रामों में पेयजलापूर्ति में कठिनाई है वहां राहत हेतु 100 हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं जो उपरोक्त इंगित संख्या 1342 हैण्ड पम्प में सम्मिलित है । उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत चायल क्षेत्र में मा० विधायक द्वारा इंगित कथित भयानक पेयजल संकट होने का प्रश्न हीं नहीं उठता ।

वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में हैण्ड पम्प व पाइप योजनाओं के रख-रखाव के लिये जनपद इलाहाबाद को रु० 34.59 लाख अभी से दे दिया गया है ताकि ग्रीष्म ऋतु में रख-रखाव संबंधी समस्या से निपटा जा सके ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दिनांक 31 मार्च, 1992 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 नत्थी (क) के संबंध में कतिपय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित ।

अब हम उठतें हैं कल 11.00 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 10 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

23, अप्रैल, 1992

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारा० प्र० सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या 13 का संलग्नक

उ० प्र० डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की मांगों के संबंध में दिनांक 19-10-89 को की गई संस्तुतियों की सूची

(क) 1–अवर अभियन्ता संवर्ग में प्रारम्भिक वेतनमान (केन्द्र की समकक्षता के अनुसार) 25 प्रतिशत संवर्ग पदों पर वेतनमान रु० 1400-40-1800-द० रो०-50-2300 एवं शेष 75 प्रतिशत पदों पर 5 वर्ष की सेवा के पश्चात् वेतनमान 1640-60-2600-द० रो०-75-2900 प्रदान किया जायेगा। यदि केन्द्र में इस वेतनमान में कोई परिवर्तन होता है तब उसे यथावत् उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित अद्यतन व्यवस्था के अनुसार ही प्रथम 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ तथा कुल 16 वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रोन्नति वेतनमान 2200-75-2800-द० रो०-100-4000 देय होगा।

3–इस तकनीकी संवर्ग में अग्रिम प्रोन्नति के अवसर अवरुद्ध होने के फलस्वरूप डिप्लोमा इंजीनियर्स को कुल 21 वर्ष सेवा के पश्चात् अधिशासी अभियन्ता का 3000-100-3500-125-4500 समयबद्ध वेतनमान भी प्रदान किया जायेगा।

4–उक्त निर्णय उत्तर प्रदेश शासन में कार्यरत समस्त जूनियर इंजीनियर्स अथवा उनके समकक्ष पदों पर जो समान वेतनमानों में कार्यरत हैं अथवा जिन्हें समान वेतनमान वेतन समिति ने संस्तुति किये हैं, लागू होगा।

(ख) तकनीकी विभागों में प्रोन्नति के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से विभागों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर गठित समिति इस पर विचार कर अपनी संस्तुति शासन को देगी।

(ग) बेरोजगार डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्या के संबंध में यह प्रयास किया जायेगा कि ए व बी श्रेणी के ठेकेदारों को इसके लिये प्रेरित किया जावे कि वे न्यूनतम वेतन पर डिग्री व डिप्लोमा इंजीनियरों को अपने यहां नियुक्त करें। बेरोजगार अभियन्ताओं को उत्प्रेरित करने के लिये उनसे प्रतिभूति राशि की शिथिलता पर विचार किया जायेगा, ताकि वे ठेकेदारी प्रारम्भ कर सकें।

(घ) हड़ताल की अवधि का वेतन अग्रिम के रूप में देय होगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 31 पर)

संख्याः 862ई /23- लो० नि० अनु०-11-102ई/90/टी० सी०

प्रेषक,

श्री हरी चन्द,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग,
उ० प्र० लखनऊ ।

लखनऊ, दिनाकं 29 मार्च, 1991

विषयः--प्रदेश में कतिपय पुलों की प्रशासकीय स्वीकृति ।

महोदय,

लोक निर्माण अनुभाग–11

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-164/216 सेतु/ 90-91, दिनांक 25 मार्च, 1991 एवं पत्र संख्या 159/257 सेतु / 91, दिनांक 25-3-91 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में निम्नलिखित पुलों की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं:–

अनुमानित लागत	कार्य का नाम
1--जनपद बिजनौर में ठाकुर द्वारा-नरपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर मुख्य सेतु का निर्माण ।	375.00
2--जनपद शाहजहांपुर में प्रान्तीय मार्ग-29 व प्रान्तीय मार्ग-23 के मध्य सम्पर्क मार्ग पर रामगंगा नदी पर मुख्य सेतु का निर्माण	640.00
3--जनपद देवरिया में गौरैया घाट पर सेतु का निर्माण	103.00
4-- जनपद बिजनौर में ठाकुर द्वारा-नरपुर मार्ग पर रामगंगा नदी पर सेतु का विस्तृत सर्वेक्षण एवं प्रतिरूप अध्ययन ।	8.00
5--जनपद शाहजहांपुर प्रांतीय मार्ग-29 से प्रांतीय मार्ग -23 के मध्य संपर्क मार्ग पर रामगंगा का विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिरूप अध्ययन ।	12.00
योग ...	1138.00

2–उपर्युक्त कार्यों की वित्तीय स्वीकृति यथासमय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रदान की जायेगी।

भवदीय,
ह०/हरी चन्द,
संयुक्त सचिव।

संख्या-862(1) ई/23-11- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1-- जिलाधिकारी, शाहजहांपुर/बिजनौर/देवरिया।

2–मुख्य अभियंता, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर/बरेली।

3--अधीक्षण अभियन्ता, 14वां वृत्त, मुरादाबाद, तृतीय वृत्त, बरेली।

4--अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, शाहजहांपुर/देवरिया/बिजनौर।

5-- वित्त ई-8 अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4।

6--लोक निर्माण अनुभाग-1, 10 तथा 12।

आज्ञा से,
ह०/हरी चन्द,
संयुक्त सचिव।

संख्याः 523 जे० पी० ई/23- लो० नि० -11-33(1) ई/ 91

प्रेषक,

श्री हरी चन्द,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
(नियोजन वर्ग),
लो० नि० वि०, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांकः 7 सितम्बर, 1991

विषयः–जनपद देवरिया में गौरैयाघाट पुल तथा छोटी गण्डक पर बैकुण्ठपुर में पीपे के पुल निर्माण के संबंध में।

लोक निर्माण अनुभाग-11

महोदय,

श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त उपर्युक्त विषयक दो पत्र दिनांक 29-7-91 की फोटो प्रति संलग्न करते हुए, मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ

है कि प्रश्नगत कार्यों के संबंध में अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को तुरन्त भेजने का कष्ट करें। चूंकि वस्तुस्थिति से मा० मंत्री, लो० नि० वि० को अवगत कराया जाना है, अतः इसमें विशेष तत्परता अपेक्षित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

ह०/हरी चन्द,

संयुक्त सचिव।

पत्र सं०:523(1) ई/ 23-11- तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अधीक्षण अभियन्ता, 31वां वृत्त, लो० नि० वि०, लखनऊ।

2–मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो० नि० वि०, गोरखपुर।

3–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, देवरिया।

आज्ञा से,

ह०/हरी चन्द,

संयुक्त सचिव।

अनुभाग प्रदर्शन प्रति

मत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का संलग्नक

मार्च, 1992 तक प्रश्नगत मार्गों की भौतिक प्रगति का विवरण

क्र० सं०	मार्ग का नाम	स्वीकृत लम्बाई (कि०मी० में)	स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	मध्य एकत्री-करण (कि० मी० में)	कुटाई (कि० मी० में)	ऊपरी सतह एकत्री-करण (कि० मी० में)	कुटाई (कि० मी० में)	प्रथम सतह लेपन (कि० मी० में)	द्वितीय सतह (कि० मी० में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पुरवा अचल गंज मार्ग	11.00	33.00	4 कि० मी० पूर्ण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	रावतपुर पंसारी पहाड़पुर दुबेपुर मार्ग।	3.00	10.50	3	3	3	2	1	शून्य
3	बैथर कुलहागाढ़ा मार्ग।	4.00	14.00	4	3	2	1	शून्य	शून्य

अनुपूरक प्रश्न

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री छोटे लाल मिश्र द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के संलग्नक

क्र०सं०	पदनाम/शाखा	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92
1	उप अभियन्ता (सिविल)	13	–	32	22	–
2.	उप अभियन्ता (विद्युत)	2	–	–	9	–
3	उप अभियन्ता (मैकेनिकल)	4	–	--	5	–
	योग ...	19	–	32	36	–

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर)

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत संचालित सामूहिक दुकान निर्माण योजना

क्र०सं०	दुकान स्थल का नाम	दुकान आवंटियों का नाम व पता	आवंटन की तिथि	दुकान निर्माण वर्ष	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड—अकबरपुर						
1	अकबरपुर	1–श्री निर्मलराम पुत्र फिरतराम, ग्रा० पो० मंगराडिला, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	2–राम कृपाल पुत्र मंशाराम, मीरपुर, भाऊपुर, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	3–राम सेवक पुत्र रिवई, भाऊपुर अकबरपुर, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	4–सुशील कुमार पुत्र जंजाली, अलीपट्टी, मुबारकपुर, फैजाबाद।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	5–जगेश्वर पुत्र मनोगी, कोटवा महमूदपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	6–जसवन्तलाल पुत्र बुद्धिराम, रावीपुर, बहाउद्दीनपुर, अकबरपुर ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	7–राम कुमार पुत्र शिवचरन भाऊपुर, अकबरपुर, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	8–राम बरन पुत्र प्रहलादी, बीजेगांव, रगड़गंज, फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
	..	9–श्रीयत् श्रीराम पुत्र चिखरी, रावीपुर, बहाऊद्दीन, अकबरपुर।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-

1	2	3	4	5	6	7
	अकबरपुर	10–दुखहरन पुत्र जंजाली, पहाड़पुर, टड़वा, अकबरपुर फैजाबाद ।	6-3-84	83-84	5000/-	5000/-
2	बरियावन	1–राम आधार पुत्र बहरैची, बढ़ईपुर, बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	2–विश्वनाथ पुत्र कल्प, केशवपुर बरियावन,फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	3–निनक पुत्र भदई, केशवपुर, बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	4–रामलखन पुत्र टीडी, केशवपुर, बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	5–जगतराम पुत्र भीनू, ग्रा० व पो० बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	6–जियालाल पुत्र रामबदल बल्लीपुर बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	7–राम चरित्र पुत्र टीडी, केशवपुर बरियावन, फैजाबाद	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	8–सोहरत पुत्र विज, ग्रा० व पो० बरियावन,फैजाबाद ।	25-7-84	84-85	5000/-	5000/-
	,,	9–पीताम्बर पुत्र मंगरू तुलसीपुर, बरौरा, फैजाबाद ।	25-7-84	83-84	5000/-	5000/-
	,,	10–श्री रामदेव पुत्र बहाल, केशवपुर, बरियावन, फैजाबाद ।	25-7-84	83-84	5000/-	5000/-
3	रामपुर सकरवारी	1–श्री राम सहाय पुत्र पुद्दन बनवा, फैजाबाद ।	3-3-86	85-86	5000/-	5000/-

1	2	3	4	5	6	7
रामपुर सकरवारी		2–दयाराम पुत्र राम अभिलाष	3-3-86	85-86	5000/-	5000/-
	,,	3–श्री संतराम पुत्र सीताराम, हुसेरपुर, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	4–श्री रामजुगुन पुत्र दुन्न रामपुर, सकरवारी, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	5–फिरतूराम पुत्र बद्री भितरी डीह, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	6–श्री पंचम पुत्र राम किशन सहलादे, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	7–श्री भगेलू, पुत्र मनोहर रामपुर संकरवारी, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	8–श्री जगन्नाथ पुत्र बुलई कुढ़ामुह मदपुर, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	9–श्री हौसला प्रसाद पुत्र जाकल बरधावडे, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
	,,	10–श्री भगेलू पुत्र गुरई, भितीरीडीह, फैजाबाद ।	3-3-86	,,	,,	,,
विकास खण्ड–रिसर						
		1–श्री महेन्द्र कुमार पुत्र फिरतूराम रवीबहाऊद्दीनपुर, फैजाबाद ।	16-8-91	87-88	5000/-	5000/-
		2–सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्रीराम रवीबहाऊद्दीनपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
		3–तिलेसर पुत्र मंहगी कोटवा मोहम्मदपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
		4–रामनेत पुत्र रामधन कटरियाया कूबपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
		5–रामतीरथ पुत्र रामसुमेर मुबारकपुर, जैयाडीह, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
		6–सीताराम पुत्र रामआसरे शहजादपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7
विकास खण्ड–रिसर		7–राधेश्याम पुत्र सुखराज मीरानपुर, फैजाबाद ।	16-8-91	87-88	5000/-	5000/-
	,,	8–सुरेश कुमार पुत्र सुखराज मीनारपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	9–अजयकुमार पुत्र दिलीप गदायी, अकबरपुर, फैजांबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	10–मिठाई लाल पुत्र रामचरित्र	,,	,,	,,	,,
विकास खण्ड–जलालपुर						
1	धरूआ	1–जयराम पुत्र गुरूदीन बसिया, फैजाबाद ।	21-10-85	85–86	5000/-	5000/-
	,,	2–राम मिलन पुत्र धीरज धोरूआ, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	3–पीताम्बर पुत्र लहुरी कबुलपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	4–त्रिलोकी नाथ पुत्र पल्टूराम उमरनसौरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	5–रामलौट पुत्र जगलाल हुसैनपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	6–रामकुमार पुत्र रामलाल खालिसपुर, भटोली, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	7–श्री रामचरन पुत्र रामकेवल खालिसपुर, भटोली, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	8–श्रीरामशब्द पुत्र रमजू खालिसपुर, भटोली, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	9–हबलाल पुत्र रामफेर, घोसआ, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	10–राम मिलन पुत्र धनराज गुनावा जलालपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
2	मुरवाह	1–श्री रामजीत पुत्र अटैबर पुरवाह, फैजाबाद ।	21-10-89	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
	मुरवाह	2–श्री हरीराम पुत्र रामस्वरूप मुरवाह, फैजाबाद ।	21-10-89	85-86	5000/-	5000/-
	,,	3–श्री बेकारू पुत्र धरूहू कन्नुपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
		4–श्री गंगा राम पुत्र ओरीराम मैनुद्दीनपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	5–श्री रामदुलार पुत्र मनसा कन्नूपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	6–श्री शाकी लाल पुत्र जयश्री मुरवाह, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	7–श्री ध्रुपद पुत्र पतिराज नोरीपुर, मोहना, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	8–श्री बेचनराम पुत्र नरेश नारीपुर, मोहना, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	9–श्री अशोक कुमार पुत्र श्यामलाल मुरवाह, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	10–श्री संतराम पुत्र फेरई	,,	,,	,,	,,
3	सुरहुरपुर	1–श्री निठुरी पुत्र रिखई सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	16-3-86	,,	,,	,,
	,,	2–संतराम पुत्र हरिलाल सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	3–परशुराम पुत्र बलेश्वर सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	4–बनारसी पुत्र सियानी सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	5–श्री रामरूप पुत्र चिरकुट सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	6–श्री बसन्ती पुत्र जियालाल सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	7–श्री बुद्धिराम पुत्र बाबूलाल सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	8–श्री सुक्खु पुत्र काशी सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	9–श्री रामदेव पुत्र सुमेर सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,
	,,	10–श्री सतीराम पुत्र गुलाब सुरहुरपुर, फैजाबाद ।	,,	,,	,,	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शहरी क्षेत्र (लाभार्थी की निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना)

विकास खण्ड का नाम	वर्ष	लाभार्थी का नाम व पता	धनराशि	अनुदान
अकबरपुर	1988-89	राम कुमार पुत्र धनजूराम, सिकन्दरपुर, अकबरपुर ।	10000/-	5000/-
		वंश पुत्र लोकई, मीरानपुर, अकबरपुर	,,	,,
		राम आसरे पुत्र धनजू, सिकन्दरपुर, अकबरपुर ।	,,	,,
		सीताराम पुत्र मुरली, सिकन्दरपुर, अकबरपुर	,,	,,
		झिनकू पुत्र महंगू, कुर्की, महमूदपुर	,,	,,
		बेचूराम पुत्र बहाऊ, कुर्की, महमूदपुर ।	,,	,,
	1989-90	कौलेश्वर पुत्र नगई, महौरिया	,,	,,
		राम केवल पुत्र राम निहोर, महोरिया,	,,	,,
		जोखूराम पुत्र रमेश्वर, मीरानपुर, अकबरपुर	,,	,,
		रामकुमार पुत्र रामनिहोर, महोरिया, सिसौली	,,	,,
		बद्री पुत्र सलतन्ती, सिकन्दरपुर, अकबरपुर	,,	,,
		रामलाल पुत्र गनेश, केशवपुर, बरियावन ।	,,	,,
	1990-91	रामनाथ पुत्र रामनिहोर महौरिया, सिझौली	,,	,,
		जवाहिर पुत्र बसन्ता, रामपुर, सकरवारी	,,	,,
		रामू पुत्र राम अवध, रामपुर, सकरवारी	,,	,,
		राम मिलन पुत्र राम अवध, रामपुर सकरवारी	,,	,,
		संगम पुत्र बेचू, कुर्की बाजार ।	,,	,,
	1991-92	शोभाराम पुत्र तीजूराम, केशवपुर, बगिया	,,	,,
		विश्वनाथ पुत्र रामचरित्र, केशवपुर, बगिया	,,	,,
		जगतू पुत्र मंगल, कुर्की, महमूदपुर, अकबरपुर ।	,,	,,
जलालपुर	1990-91	धनेसर पुत्र सोहन, तान्हापुर, मालीपुर	,,	,,
		हरिसहाय पुत्र दुखीराम, इस्माईलपुर, नगरा	,,	,,
		धरकरन पुत्र निर्मल, तारापुर, मंजीसा	,,	,,
		सुरेश चन्द्र पुत्र दुखीराम, ईस्माइलपुर, नगरा ।	,,	,,
	1991-92	झगरूराम पुत्र जेवराज, जलालपुर	,,	,,
		देवराज पुत्र झपसी, पेठिया, सुरहुरपुर	,,	,,
		हरीराम पुत्र झपसी, पेठिया, सुरहुरपुर	,,	,,
		रमेश चन्द्र पुत्र दुखीराम, इस्माईलपुर नगरा ।	,,	,,

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या—132 का संलग्नक

वर्ष	आवंटित/व्यय की गयी धनराशि (लाख रु० में)	सम्पादित कार्य
1987-88	2.65	सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत साधारण मरम्मत, नवीनीकरण, गैंग, वेतन इत्यादि एवं वर्षा से क्षति की मरम्मत के अन्तर्गत कि०मी०–29(600मी०) में सुधार तथा कि०मी०–34 में मगई नदी के पुल के क्षतिग्रस्त विंगवाल का पुनः निर्माण।
1988-89	4.41	सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत साधारण मरम्मत, नवीनीकरण, गैंग, वेतन इत्यादि एवं वर्षा से क्षति की मरम्मत के अन्तर्गत कि०मी०–32, 33 (300 मी०) का सुधार।
1989-90	5.21	सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत साधारण मरम्मत, नवीनीकरण, गैंग वेतन इत्यादि तथा विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कि०मी०-27, 28 का सुधार एवं कि० मी० 19 में बेसो नदी के पुल के क्षतिग्रस्त एक स्लैब का पुनः निर्माण।
1990-91	5.21	सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत साधारण मरम्मत, नवीनीकरण, गैंग वेतन इत्यादि एवं वर्षा से क्षति की मरम्मत के अन्तर्गत कि०मी०–15 (100 मी०) कि० मी०–29 (400 मी०) में सुधार एवं कि०मी०-19 में बेसो नदी के पुल के क्षतिग्रस्त एक स्लैब का पुनः निर्माण तथा पहुंच मार्ग के तटबन्ध की मरम्मत।

संसद टीवी

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

संलग्नक–एक

बिन्दु संख्या	विवरण
1–श्री यमुना शंकर मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी के ऊपर कौन केस से भ्रष्टाचार में आरोप किस व्यक्ति ने कब लगाये ।	वांछित सूचना संलग्नक–2 में दी गयी है ।
2–इन आरोपों की विभागीय जांच किस अधिकारी ने कब की और जांच का परिणाम क्या रहा ?	
3–प्रारम्भिक जांच के पश्चात इनको निलम्बित कब किया गया ।	प्रारम्भिक जांच में इन्हें 12-12-89 को निलम्बित किया गया ।
4–विभागीय जांच का क्या परिणाम रहा ?	संलग्नक–2 में विवरण दिया गया है ।
5–क्या विभागीय जांच के दौरान ही सतर्कता विभाग को जांच सौंपी गयी ?	विभागीय विभाग बाराबंकी के कार्यकाल की थी । सतर्कता विभाग को जो जांच तत्समय संदर्भित की गयी वह कानपुर कार्यकाल की थी । फलस्वरूप जांच रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
6–यदि हां, तो यह माना जायेगा कि सतर्कता विभाग को जांच सौंपने के कारण ही विभागीय जांच को बीच में ही रोक दिया गया ?	
7–सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट का क्या परिणाम रहा ? क्या जांच को बीच में ही रुकवा दिया गया ?	सतर्कता जांच की रिपोर्ट अभी भी प्रचलित है । जांच को बीच में नहीं रुकवाया गया ।
8–यदि यह सही है तब विभागीय कार्यवाही पुनः क्यों नहीं शुरू की गयी ?	विभागीय कार्यवाही रोकी ही नहीं गयी थी । अतः पुनः शुरू करने का प्रश्न नहीं उठता ।
9–गाजियाबाद का जिला पूर्ति अधिकारी किस उपयोगिता के आधार पर बनाया गया ?	गाजियाबाद का जिला पूर्ति अधिकारी प्रशासनिक एवं जनहित आधार पर बनाया गया ।
10–ये कब सेवानिवृत्त होंगे ?	दिनांक 31-12-2004 को सेवानिवृत्त होंगे ।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक–दो

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 7वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–156 से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री

क्रमांक	शिकायतकर्ता का नाम	जांच किससे करायी गयी	आरोप संक्षेप	जांच सौंपने की तिथि	जांच अधिकारी	जांच रिपोर्ट की तिथि	जांच के परिणाम	शासन द्वारा लिया गया निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री महेन्द्र कुमार, प्रोपाइटर शंकर नमकीन भण्डार, सहारनपुर	सतर्कता अधिष्ठान	मैदे के परमिट के लाइसेंस में अनियमितता।				जांच अधिकारी के अनुसार यद्यपि श्री मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए किन्तु उनके द्वारा कतिपय स्थानों पर जागरूकता सजगता एवं कार्य कुशलता नहीं बरती गयी।	(1) श्री यमुना शंकर मिश्र की वर्ष 1980-81 तथा 81-82 का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोका गया (2) श्री मिश्रा को तत्समय उनके वेतनमान रुपया 2200–4000 के प्रारम्भिक वेतन रु० 2200 पर तीन वर्ष के लिये प्रत्यावर्तित किया गया।
2	श्री दयाराम चतुर्वेदी, रायबरेली	–तदैव–	1–गोदाम के आवंटन में अनियमितता। 2–चीनी वितरण के सबंध में अनियमिततायें।	15-5-87	सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ	28-4-89		
3	जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त एक संदर्भ पर।	खाद्य पुलिस प्रकोष्ठ	लेवी सीमेन्ट के लाइसेन्स के संबंध में।					
4	श्री मो० खालिद अहमद, अध्यक्ष,	खाद्य पुलिस प्रकोष्ठ	एक फर्म को गलत तरीके से कोयले का	8-11-90	क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक,	23-10-91	आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।	शासन द्वारा जांच अधिकारी की संस्तुति को स्वीकार कर

	जिला युवा कांग्रेस कमेटी (आई) एवं श्री अशोक कुमार सिंह, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (कांग्रेस आई) ।		लाइसेंस स्वीकृत करना ।		लखनऊ			विभागीय कार्यवाही समाप्त कर दी गयी ।
5	सर्वश्री बंशी लाल महामंत्री कांग्रेस (आई) कमेटी तथा 32 अन्य ।	सतर्कता अधिष्ठान	कर्मचारियों के स्थानान्तरण, कोयले की स्पांसरिंग, चीनी की विशेष परमिट दुकानों के आवंटन तथा मिट्टी के तेल, रैपसीड आयल, पाम आयल के लाइसेन्स में अनियमिततायें, आवश्यक वस्तुओं के लाइसेंस देने में पक्षपांत, हरिजन तथा अन्य की उपेक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6ए के मामलों के निस्तारण मनमाने ढंग से करने के आरोप लगाये गये ।	24-10-89	–	–	सतर्कता विभाग द्वारा अभी भी जांच प्रचलित हैं ।	—

पी०एस०यू०पी०–एल० 211 वि० सभा (330)–572–1993–डी०टी०पी० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा